

तीन तलाक के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में बहस जारी है और पूरी दुनिया की नजरें इस ऐतिहासिक न्यायिक कार्यवाही पर लगी हुई हैं। धर्मनिरपेक्ष भारत में महिलाओं को धर्म के नाम पर उनके वाजिब संवैधानिक अधिकारों से महसूस रखने की चली आ रही रवायतों के खिलाफ यह जंग से कम नहीं है।

यह जंग मजहब और हुकूमत के बीच में नहीं हो रही है बल्कि इंसानियत के दायरे को हर मजहब के दायरे से ऊपर रखने के लिए हो रही है। भारत में हर व्यक्ति को निजी तौर पर अपने यकीन के मुताबिक किसी भी मजहब को मानने का हक है मगर इसका मतलब यह कहीं नहीं निकलता कि उस मजहब के मानने वाले दूसरे लोग उसे अपनी मर्जी के मुताबिक उस मजहब में बनाई गई रवायतों पर चलने के लिए मजबूर करें। भारतीय संविधान में धर्म पूरी तरह निजी मामला है।

चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, किसी को भी यह अधिकार संविधान नहीं देता है कि वह इनके समाज की गढ़ी गई रवायतों का पाबन्द हो। किसी भी समाज के व्यक्ति को निजी आधार पर अपनी जिन्दगी अपने ढंग से जीने का हक संविधान में मिला हुआ है।

अतः किसी भी मुस्लिम महिला को इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि मुसलमान होने की वजह से वह तीन तलाक की हुकूमतदारी में रहे। भारत के एक शहरी होने के मुताबिक वह संविधान की राह पकड़ कर अपना वह हक मांग सकती है जो उसे मर्द के बराबर के हुकूमत अता करता है। यह हुकूमत का मजहब में दखल नहीं हो सकता बल्कि मजहब का हुकूमत को कानून से बेपरवाही बरतने का पयाम जरूर हो सकता है।

दीगर सवाल यह है कि किसी महिला के मुसलमान होने से उसके कानूनन हक कैसे बदल सकते हैं? औरतों को जो हक कानून से मिले हुए हैं उनमें बदलाव कैसे आ सकता है? क्या मुसलमान होने से किसी औरत को कुदरत से मिले हुए फनों में फर्क पैदा हो सकता है? मगर मजहबी रवायतों के नाम पर उसके साथ फर्क उसकी उस हस्ती को नकारने के अलावा और कुछ नहीं है जो संविधान ने उसे दी हुई है और वह यह है कि उसके हक मर्द से कमतर नहीं हैं। इसलिए मजहब को बीच में लाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वे औरत के हौंसले को तोलना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि मजहब के नाम पर उसकी हस्ती कमजोर ही लिख दी गई है।

क्या सितम है कि इस्लामी मुल्कों में औरत वजीरे आजम के औहदे पर बैठ सकती है मगर भारत में अपनी किस्मत को खुद नहीं लिख सकती। उसे हर कदम पर ताकीद की जाती है कि वह कौन से कपड़े पहने, किस तरह अपनी जिन्दगी के फैसले ले और किस फन को हासिल करे या न करे। मुल्ला और कथित उलेमा उसके हर कदम की पैमाइश करेंगे और बतायेंगे कि उसकी मजहब में क्या हैसियत है। माफ कीजिये हर हिन्दू-मुसलमान पहले हिन्दोस्तानी है और उस पर इसी मुल्क का कानून लागू होता है।

कोई भी मजहब मुल्क से ऊपर नहीं हो सकता मगर पिछले सत्तर सालों से अगर सबसे बड़ी बेइंसाफी किसी के साथ की गई है तो वह मुसलमानों के साथ ही की गई है। इस पूरी कौम को जहालत में ही रखने के इन्तजाम सियासी तौर पर इतने पुख्ता तरीके से किये गये कि वे बदलती दुनिया के साथ कदम ताल करने के लायक ही न रहें।

अफसोस यह काम पं. जवाहर लाल नेहरू जैसे राजनेता इस गलतफहमी में कर गये कि पाकिस्तान बन जाने के बाद यहां बचे हुए मुसलमान अपनी अलग पहचान के साथ रह सकें मगर बेइंसाफी यह हो गयी कि यह समाज अपने उन समाजी पुख्ता हकों से लापरवाह हो गया जो संविधान ने हर शहरी को दिये हैं और यह काम हुकूमत के साये में मुल्ला और मौलानाओं ने बड़ी खूबी के साथ किया और पूरी कौम को मजहब के मुलम्मे से बाहर ही नहीं निकलने दिया जबकि बहुत साफ है कि मजहब का दायरा निजी तौर-तरीकों तक ही सिमटा हुआ है।

संविधान में पूरी साफगोई के साथ लिखा हुआ है कि हुकूमत सभी शहरियों में वैज्ञानिक नजरिया पैदा करने के लिए काम करेगी और हर मुफलिस को इन्साफ दिलाने के इन्तजाम करेगी।

जो बारिश हमारे जीवन का आधार है और जिसके लिए साल भर प्रार्थनाएं करते हैं, वही बारिश जब आती है, तो अक्सर हमें उससे फायदा कम मिलता है और नुकसान ज्यादा हो जाता है। कहा जाता है कि कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता, लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं कि कुदरत के रुझान को समझते हुए ऐसे तरीके अपनाएं कि आपदा के समय हमारा नुकसान कम से कम हो। यही ऐसा काम है, जो देश में कहीं नहीं किया जा रहा।

अगर भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों की ठीक से पहचान कर ली जाए और आबादी को वहां से दूर बसा दिया जाए, तो बहुत से जान माल के नुकसान से बचा जा सकता है। ऐसी बहुत से चीजें की जा सकती हैं। पिछले कई साल से वर्षा जल के अधिकतम उपयोग पर चर्चा हो रही है, लेकिन हकीकत यही है कि वर्षा का ज्यादातर जल अब भी नालों और नदियों से बहकर समुद्र में जा मिलता है। न उसका इस्तेमाल जल संकट के समाधान के लिए हो पाता है और न ही भूमिगत जल को रिचार्ज करने के लिए।

इसी तरह इन दिनों आपदा प्रबंधन की चर्चा भी काफी होती रहती है। आपदा प्रबंधन का पाठ एक विषय के तौर पर बच्चों को पढ़ाया भी जाने लगा है। लेकिन दिक्कत है कि यह पाठ हमारे नीति-नियामकों को कभी नहीं पढ़ाया जा सका। हर बार जब आपदा आती है, तो इसके प्रबंधन की तैयारियों की पोल भी खुल जाती है। जैसा कि हमने पिछले दो दिनों में देखा भी कि आपदा आ जाने के बहुत बाद इमरजेंसी फोन नंबर की घोषणा हुई, जबकि यह काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था।

हर बार की तरह आपदा प्रबंधन विभाग की बजाय सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने ही लोगों की मदद की। भारतीय रुपये के कमजोर होने की खबर इन दिनों अखबारों में नियमित स्तंभ-सी बन गई है। हर रोज डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत का नीचे आ जाना सिर्फ रुपये का मामला नहीं है, कहीं न कहीं इसमें कमजोर होती भारतीय अर्थव्यवस्था की झलक भी देखी जा सकती है।

वैसे यह भी बताते चलें कि डॉलर के मुकाबले गिरावट सिर्फ रुपये में नहीं दिख रही, दुनिया की कई दूसरी मुद्राएं भी इस मोर्चे पर गोता लगा रही हैं। लेकिन सच यह भी है कि जितनी गिरावट इस समय भारतीय रुपये में दिख रही है, उतनी किसी अन्य मुद्रा में नहीं दिख रही। किसी भी मुद्रा में गिरावट का पहला और सबसे बड़ा कारण होता है विदेश व्यापार का घाटा।

यानी हम जितना आयात कर रहे हैं, उतना निर्यात नहीं कर पा रहे। दूसरे शब्दों में कहें, तो हम जितनी विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं, उससे कहीं कम कमा पा रहे हैं। जाहिर है कि विदेशी मुद्रा कम होगी, तो उसकी कीमत बढ़ेगी ही, यानी उसके मुकाबले रुपया नीचे आएगा ही। लेकिन विदेश व्यापार घाटा कोई नई चीज नहीं है, न जाने कब से यह हमारी अर्थव्यवस्था का एक सच बना हुआ है।

ऐसे में, अचानक क्या हो गया कि रुपया इतनी तेजी से नीचे आ रहा है? दरअसल, पिछले कई वर्षों तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निवेश के रूप में विदेशी मुद्रा लगातार देश में आती रही। उस दौरान विदेशी मुद्रा की कमी न पड़ने की वजह से रुपया भी काफी कुछ स्थिर रहा। लेकिन विदेशी निवेश का यह स्नोट अब सूखने लग गया है। विदेशी निवेश में आई इस कमी के ढेर सारे कारण हैं।

अगर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जैसे बड़े कारण को छोड़ भी दें, तो एक कारण यह है कि दुनिया भर के निवेशकों को अब भारत में वे संभावनाएं नजर नहीं आ रही, जो कुछ समय पहले तक नजर आ रही थीं। कभी दस फीसदी की तरफ अग्रसर देश की आर्थिक विकास दर अब लुढ़ककर पांच फीसदी के आसपास पहुंच गई है। फिर बढ़ते वित्तीय घाटे और लगातार गिरती विकास दर के कारण दुनिया की प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसियों ने भारत की रेटिंग कम कर दी है।

इसकी वजह से भी विदेशी निवेशक भारत आने से घबराने लगे हैं। एक समय था, जब रुपये में अवमूल्यन से निर्यात बढ़ने की उम्मीद बंधती थी, लेकिन दुनिया भर की मंदी ने यह उम्मीद भी छीन ली है। दिक्कत यह भी है कि हम अपना आयात बहुत ज्यादा घटा नहीं सकते। हमारे आयात का एक बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम का आयात है, जिसकी खपत देश में लगातार बढ़ रही है।

जो चिड़ियों का शिकार करने जाये और अनजाने में किसी आदमी पर निशाना मार दे। उसके मन में पश्चाताप था, लज्जा थी, दुख था, पर उसे भूल का दंड सहने की शक्ति न थी। उसने नोट लिफाफे में रख दिये और बाहर चला गया। गरमी के दिन थे। दोपहर को सारा घर सो रहा था पर जगत की आंखों में नींद न थी। आज उसकी बुरी तरह कुंदी होगी इसमें संदेह न था।

उसका घर पर रहना ठीक नहीं, दस-पाँच दिन के लिए उसे कहीं खिसक जाना चाहिए। तब तक लोगों का क्रोध शांत हो जायेगा। लेकिन कहीं दूर गये बिना काम न चलेगा। बस्ती में वह कई दिन तक अज्ञातवास नहीं कर सकता। कोई न कोई जरूर ही उसका पता देगा और वह पकड़ लिया जायेगा। दूर जाने के लिए कुछ न कुछ खर्च तो पास होना ही चाहिए।

क्यों न वह लिफाफे में से एक नोट निकाल ले? यह तो मालूम ही हो जायेगा कि उसी ने लिफाफा फाड़ा है, फिर एक नोट निकाल लेने में क्या हानि है? दादा के पास रुपये तो हैं ही, झक मार कर दे देंगे। यह सोचकर उसने दस रुपये का एक नोट उड़ा लिया मगर उसी वक्त उसके मन में एक नयी कल्पना का प्रादुर्भाव हुआ। अगर ये सब रुपये लेकर किसी दूसरे शहर में कोई दूकान खोल ले, तो बड़ा मजा हो। फिर एक-एक पैसे के लिए उसे क्यों किसी की चोरी करनी पड़े।

कुछ दिनों में वह बहुत-सा रुपया जमा करके घर आयेगा तो लोग कितने चकित हो जायेंगे। उसने लिफाफे को फिर निकाला। उसमें कुल दो सौ रुपए के नोट थे। दो सौ में दूध की दूकान खूब चल सकती है। आखिर मुरारी की दूकान में दो-चार कढ़ाव और दो-चार पीतल के थालों के सिवा और क्या है? लेकिन कितने ठाठ से रहता है। रुपयों की चरस उड़ा देता है।

एक-एक ढाँव पर दस-दस रुपए रख देता है, नफा न होता, तो वह ठाठ कहाँ से निभाता? इस आनन्द-कल्पना में वह इतना मग्न हुआ कि उसका मन उसके काबू से बाहर हो गया, जैसे प्रवाह में किसी के पाँव उखड़ जायें और वह लहरों में बह जाये। उसी दिन शाम को वह बम्बई चल दिया। दूसरे ही दिन मुंशी भक्त सिंह पर गबन का मुकदमा दायर हो गया।

बम्बई के किले के मैदान में बँड़ बज रहा था और राजपूत रेजिमेंट के सजीले सुंदर जवान कवायद कर रहे थे, जिस प्रकार हवा बादलों को नए-नए रूप में बनाती और बिगाड़ती है, उसी भाँति सेना नायक सैनिकों को नए-नए रूप में बनाती और बिगाड़ती है, उसी भाँति सेना नायक सैनिकों को नए-नए रूप में बना बिगाड़ रहा था। जब कवायद खत्म हो गयी, तो एक छरहरे डील का युवक नायक के सामने आकर खड़ा हो गया। नायक ने पूछा क्या नाम है? सैनिक ने फौजी सलाम करके कहा जगतसिंह? क्या चाहते हो।

फौज में भरती कर लीजिए। मरने से तो नहीं डरते? बिलकुल नहीं राजपूत हूँ। बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसका भी डर नहीं। अदन जाना पड़ेगा। खुशी से जाऊँगा। कप्तान ने देखा, बला का हाजिर-जवाब, मनचला, हिम्मत का धनी जवान है, तुरंत फौज में भरती कर लिया। तीसरे दिन रेजिमेंट अदन को रवाना हुआ। मगर ज्यों-ज्यों जहाज आगे चलता था, जगत का दिल पीछे रह जाता था। जब तक जमीन का किनारा नजर आता रहा, वह जहाज के डेक पर खड़ा अनुरक्त नेत्रों से उसे देखता रहा।

जब वह भूमि-तट जल में विलीन हो गया तो उसने एक ठंडी साँस ली और मुँह ढाँप कर रोने लगा। आज जीवन में पहली बार उसे प्रियजनों की याद आयी। वह छोटा-सा कस्बा, वह गाँजे की दूकान, वह सैर-सपाटे, वह मित्रों के जमघट आँखों में कौन जाने, फिर कभी उनसे भेंट होगी या नहीं। एक बार वह इतना बेचैन हुआ कि जी में आये, पानी में कूद पड़े। जगतसिंह को अदन में रहते तीन महीने गुजर गए। भाँति-भाँति की नवीनताओं ने कई दिन तक उसे मुग्ध किये रखा लेकिन पुराने संस्कार फिर जाग्रत होने लगे।

अब कभी-कभी उसे स्नेहमयी माता की याद आने लगी, जो पिता के क्रोध, बहनों के धिक्कार और स्वजनों के तिरस्कार में भी उसकी रक्षा करती थी। उसे वह दिन याद आया, जब एक बार वह बीमार पड़ा था। उसके बचने की कोई आशा न थी, पर न तो पिता को उसकी कुछ चिन्ता थी, न बहनों को। केवल माता थी, जो रात की रात उसके सिरहाने बैठी अपनी मधुर, स्नेहमयी बातों से उसकी पीड़ा शांत करती रही थी। उन दिनों कितनी बार उसने उस देवी को नीव रात्रि में रोते देखा था।

अब एक दर्शक ने उस रूसी के कंधे पर दया-भाव से हाथ रखा और सराय के दरवाजे की ओर इशारा किया। सिर झुकाये वह उस अस्थायी आवास में घुसा। उसे एक कमरा दिखा दिया गया और मेज पर बिठा दिया गया।

उसे एक गिलास ब्रांडी दी गई। यहां उसने बड़ी बेचैनी में सवरे का बाकी समय गुजारा। गांव के बच्चे बराबर खिड़की से उसकी ओर झांक रहे थे। वे हंसते थे और कभी-कभी उसको जोर से पुकारते थे। लेकिन उसने परवाह नहीं की। ग्राहक उत्सुकता से उसकी ओर देखते थे, लेकिन वह सारे समय शर्म और संकोच से मेज पर निगाह जमाये बैठा रहा।

जब रात का खाना परोसा गया, तो कमरा हंसी-खुशी से बातें करते लोगों से भर गया। लेकिन वह रूसी उनकी बातचीत का एक शब्द भी नहीं समझ सका। इस अनुभूति से वह दुखी था। कि वह उन अजनबियों में एक अजनबी है। वह उन आदमियों के बीच गूंगे-बहरे की तरह था, जो मजे में अपनी बातें कर सकते थे। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह अपना शोरबा भी नहीं पी सकता था।

एक आंसू उसके गाल पर होकर मेज पर गिर पड़ा। उसने कातर भाव से अपने चारों ओर देखा। मेहमानों ने उसकी वेदना को समझा। सारे समाज पर खामोशी छा गई। मारे शर्म के उसका सिर इतना झुक गया कि काली लकड़ी की मेज से सट गया। शाम तक वह कमरे में रहा। लोग आये और चले गये, लेकिन न उसे उनका पता, चला और न उन्हें इसका। वह स्टोव की छाया में बैठा रहा।

उसके हाथ मेज पर टिके रहे। उसकी मौजूदगी को हर कोई भूल गया। अचानक वह उठा और बाहर चला गया तब भी किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं गया। मूक पशु की भांति वह भारी मन से पहाड़ी के होटल में गया और बड़ी विनम्रता से, टोपी हाथ में लिये, सदर दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। पूरे एक घंटे वह वहां खड़ा रहा, पर किसी ने उसे देखा तक नहीं।

अंत में रोशनी में चमकते होटल के दरवाजे पर पेड़ के तने की तरह खड़े उस अजनबी आदमी पर एक बुझी की निगाह गई और वह मैनेजर को बुलाने चला गया। उस साइबेरियावासी के चेहरे पर आनंद की लहर दौड़ गई, जब मैनेजर ने आकर प्यार से कहा कि कहो, बोरिस, तुम्हें क्या चाहिए? क्षमा करिये रूक-रूककर भगोड़े ने कहा, मैं बस इतना जानना चाहता हूं। कि मैं घर जा सकता हूं? कल? मैनेजर गंभीर हो उठा। यह शब्द उसने इतनी दयनीयता से साथ कहा था कि मैनेजर की हंसी काफूर हो गई।

नहीं बोरिस, अभी नहीं जब तक युद्ध समाप्त न हो जाये तब तक नहीं। कब तक? युद्ध कब समाप्त होगा? भगवान जाने। कोई भी आदमी यह नहीं बात सकता। क्या मुझे इतने दिन रुकना ही होगा? क्या मैं जल्दी नहीं जा सकता? नहीं, बोरिस।, क्या मेरा घर बहुत दूर है? हां। कई दिन का सफर है? हां, बहुत, बहुत दिनों का। लेकिन मैं वहां पैदल जा सकता हूं। मैं बहुत मजबूत हूं। थकूंगा नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, बोरिस। आगे एक सरहद और है, जिसे घर पहुंच से पहले तुम्हें पार करना होगा। एक सरहद? उसने हैरान होकर उसकी ओर देखा। यह शब्द उसकी समझने से परे था।

इसके बाद बड़े ही आग्रह से उसने आगे कहा, मैं तैर कर वहां जा सकता हूं। मैनेजर मुश्किल से हंसी रोक पाया, लेकिन वह उसकी हालत से दूखी हो गया। उसने धीरे-से कहा, नहीं, बोरिस, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे सरहद का मतलब होता है दूसरा देश। वहां के लोग तुम्हें उस देश से नहीं गुजरने देंगे।

लेकिन मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने अपनी बंदूक फेंक दी है। वे क्यों मुझे अपनी स्त्री के पास जाने की इजाजत देने से इन्कार कर देंगे, जबकि मैं ईसा के नाम पर गुजरने की प्रार्थना करूंगा? मैनेजर का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसकी आत्मा बेचौन हो गई। नहीं, उसने कहा, वे तुम्हें नहीं जाने देंगे, बोरिस, ईसा के नाम पर भी नहीं आदमी अब ईसा के शब्द नहीं सुनते।

लेकिन मैं अब क्या करूं? मैं यहां नहीं रह सकता। मैं क्या कहता हूं। कोई नहीं समझता, न मैं लोगों की बात समझता हूं। तुम कुछ ही दिनों में उनकी बात समझना सीख लोगे। नहीं, उसने सिर हिलाया, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। मैं धरती जोत सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। यहां मैं क्या करूंगा? मैं घर जाना चाहता हूं। मुझे कोई रास्ता बता दो। कोई रास्ता नहीं है, बोरिस।

कमल हासन की फिल्म विश्वरूपम पर लगी पाबंदी मद्रास हाईकोर्ट द्वारा हटा लेने के बाद सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तमिलनाडु सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील की तैयारी कर रही है और राज्य के सिनेमा हॉल मालिक कह रहे हैं कि जब तक विवाद पूरी तरह से हल नहीं हो जाता, वे फिल्म नहीं दिखाएंगे।

तमिलनाडु को छोड़ दें, तो बाकी देश और दुनिया में यह फिल्म दिखाई जा रही है और इसे लेकर वहां कोई विवाद भी नहीं है। यह फिल्म मूलतः तमिल में बनी है और तमिलनाडु में ही नहीं दिखाई जा रही। इन सारे तथ्यों से कमल हासन के दर्द को समझा जा सकता है। उनका कहना है कि इस फिल्म में उन्होंने अपने पूरे जीवन की पूंजी लगा दी है और इसके विवादों में फंसने का अर्थ है दिवालिया हो जाना।

दिवालिया हो जाने का उनका यह डर बहुत कुछ फिल्म रिलीज के नए गणित से भी जुड़ा है। आजकल किसी भी फिल्म को एक साथ ढेर सारे सिनेमाघरों में रिलीज किया जाता है, जहां वह पहले दो हफ्ते में ही अपनी पूरी लागत वसूल लेती है। कमल हासन को यह विश्वास तो है कि उनकी फिल्म सारे विवादों से बाहर निकल आएगी, लेकिन तब तक यह समय उनके हाथ से निकल चुका होगा।

क्योंकि उसके बाद कई और फिल्में रिलीज के लिए तैयार होंगी और ज्यादातर प्रमुख सिनेमाघर उनके लिए पहले ही बुक हो चुके होंगे। यानी विश्वरूपम की संभावनाएं खत्म भले न हों, पर कम तो हो ही जाएंगी। एक कलाकार के तौर पर कमल हासन इस सबसे इतने आहत हुए हैं कि वह देश छोड़कर जाने की बात कह रहे हैं।

उन्होंने यहां तक कह दिया कि जैसे मकबूल फिदा हुसैन को देश छोड़कर बाहर बसना पड़ा, उसी तरह मुझे भी विदेश में जाकर रहने पर मजबूर होना पड़ सकता है। कमल हासन के इस बयान को अगर हम उनकी भावनात्मक परेशानी का नतीजा मान लें और कुछ देर के लिए फिल्म के नफे-नुकसान के मामले को भी दरकिनार कर दें, तो भी उनकी फिल्म पर सिर्फ कुछ संगठनों के एतराज के बाद पाबंदी लगा देना उन मूल्यों के खिलाफ है, जिस पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। इसमें अभिव्यक्ति की आजादी का एक अहम मुद्दा तो खर है ही, पर यह मामला उससे कहीं आगे जाता है। इस फिल्म पर पाबंदी के लिए जिस तरह से विवाद खड़ा किया गया, वह सिर्फ एक डर का माहौल ही पैदा करता है। और हम यह जानते हैं कि डर का माहौल कलात्मक अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यह खतरा इसलिए भी है कि जिस संगठन ने यह विवाद खड़ा किया था, वह तमिलनाडु में सत्ताधारी गठजोड़ का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

आपत्तिजनक फिल्में जनता तक न पहुंचें, इसे लेकर देश में बाकायदा एक संस्थागत व्यवस्था है, जिसे हम सेंसर बोर्ड कहते हैं। एक बार जब सेंसर बोर्ड फिल्म को पास कर देता है, तो इसका अर्थ है कि फिल्म को विशेषज्ञों के पैनल ने अच्छी तरह जांच-परख लिया है। खुद सुप्रीम कोर्ट भी यह कह चुका है कि अगर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया है, तो किसी सरकार को उसे रोकने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु में जिन लोगों ने फिल्म पर पाबंदी लगाई, उन्होंने इसे देखने की जरूरत तक नहीं समझी। बात सिर्फ तमिलनाडु की नहीं है, पूरे देश में यही हो रहा है।

शाहरुख खान को लेकर हुआ विवाद हमारे सामने है और अब पश्चिम बंगाल सरकार ने सलमान रश्दी के कोलकाता प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। जिस दिन हम सहिष्णुता की बात करने वाले महात्मा गांधी का बलिदान दिवस मना रहे हैं, खुद को गांधीवादी कहने वाली सरकारों की असहिष्णुता की खबरें मिल रही हैं। इस बार यह उम्मीद पुख्ता थी कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में जरूर कमी करेगा। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 0.25 प्रतिशत कम करके उनकी उम्मीदों को पूरा किया। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने कैश रिजर्व रेशो (सीआरआर) में भी अनपेक्षित रूप से कमी कर दी। सीआरआर 0.25 प्रतिशत घटकर 4.00 प्रतिशत पर आ गई है। सीआरआर बैंकों का वह धन होता है, जो उन्हें रिजर्व बैंक में जमा रखना होता है। इसके घटने का मतलब है कि बैंकों के पास ज्यादा नकदी आ गई और बैंक इसका निवेश कर सकते हैं। 0.25 प्रतिशत सीआरआर घटने का अर्थ है कि बैंकों के पास 18,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त आ गए।

मेरे पास ले आओ जिससे मैं उसके यहां आने का कारण पूछ सकूं। सिंह की आज्ञा पाकर उसके अनुचर ऊंट के पास गए और उसको आदरपूर्वक सिंह के पास ले आए। ऊंट ने सिंह को प्रणाम किया और बैठ गया। सिंह ने जब उसके वन में विचरने का कारण पूछा तो उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह साथियों से बिछुड़कर भटक गया है। सिंह के कहने पर उस दिन से वह कथनक नाम का ऊंट उनके साथ ही रहने लगा। उसके कुछ दिन बाद मदोत्कट सिंह का किसी जंगली हाथी के साथ घमासान युद्ध हुआ।

उस हाथी के मूसल के समान दांतों के प्रहार से सिंह अधमरा तो हो गया किन्तु किसी प्रकार जीवित रहा, पर वह चलने-फिरने में अशक्त हो गया था। उसके अशक्त हो जाने से कौवे आदि उसके नौकर भूखे रहने लगे। क्योंकि सिंह जब शिकार करता था तो उसके नौकरों को उसमें से भोजन मिला करता था। अब सिंह शिकार करने में असमर्थ था। उनकी दुर्दशा देखकर सिंह बोला, किसी ऐसे जीव की खोज करो कि जिसको मैं इस अवस्था में भी मारकर तुम लोगों के भोजन की व्यवस्था कर सकूं।

सिंह की आज्ञा पाकर वे चारों प्राणी हर तरफ शिकार की तलाश में घूमने निकले। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो कौए और सियार ने परस्पर मिलकर सलाह की। श्रृगाल बोला, मित्र कौवे! इधर-उधर भटकने से क्या लाभ? क्यों न इस कथनक को मारकर उसका ही भोजन किया जाए? सियार सिंह के पास गया और वहां पहुंचकर कहने लगा, स्वामी! हम सबने मिलकर सारा वन छान मारा है, किन्तु कहीं कोई ऐसा पशु नहीं मिला कि जिसको हम आपके समीप मारने के लिए ला पाते।

अब भूख इतनी सता रही है कि हमारे लिए एक भी पग चलना कठिन हो गया है। आप बीमार हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो आज कथनक के मांस से ही आपके खाने का प्रबंध किया जाए। पर सिंह ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसने ऊंट को अपने यहां पनाह दी है इसलिए वह उसे मार नहीं सकता। पर सियार ने सिंह को किसी तरह मना ही लिया। राजा की आज्ञा पाते ही श्रृगाल ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया लाया। उसके साथ ऊंट भी आया।

उन्हें देखकर सिंह ने पूछा, तुम लोगों को कुछ मिला? कौवा, सियार, बाघ सहित दूसरे जानवरों ने बता दिया कि उन्हें कुछ नहीं मिला। पर अपने राजा की भूख मिटाने के लिए सभी बारी-बारी से सिंह के आगे आए और विनती की कि वह उन्हें मारकर खा लें। पर सियार हर किसी में कुछ न कुछ खामी बता देता ताकि सिंह उन्हें न मार सके। अंत में ऊंट की बारी आई। बेचारे सीधे-साधे कथनक ऊंट ने जब यह देखा कि सभी सेवक अपनी जान देने की विनती कर रहे हैं तो वह भी पीछे नहीं रहा।

उसने सिंह को प्रणाम करके कहा, स्वामी! ये सभी आपके लिए अभक्ष्य हैं। किसी का आकार छोटा है, किसी के तेज नाखून हैं, किसी की देह पर घने बाल हैं। आज तो आप मेरे ही शरीर से अपनी जीविका चलाइए जिससे कि मुझे दोनों लोकों की ख्याति प्राप्ति हो सके। कथनक का इतना कहना था कि व्याघ्र और सियार उस पर झपट पड़े और देखते-ही-देखते उसके पेट को चीरकर रख दिया। बस फिर क्या था, भूख से पीड़ित सिंह और व्याघ्र आदि ने तुरन्त ही उसको चट कर डाला।

समुद्रतट के एक भाग में एक टिटिहरी का जोड़ा रहता था। अंडे देने से पहले टिटिहरी ने अपने पति को किसी सुरक्षित प्रदेश की खोज करने के लिये कहा। टिटिहरी ने कहा-यहां सभी स्थान पर्याप्त सुरक्षित हैं, तू चिन्ता न कर। टिटिहरी-समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें मतवाले हाथी को भी खींच कर ले जाती हैं, इसलिये हमें इन लहरों से दूर कोई स्थान देख रखना चाहिये। टिटिहरी-समुद्र इतना दुःसाहसी नहीं है कि वह मेरी सन्तान को हानि पहुँचाये। वह मुझ से डरता है।

इसलिये तू निःशंक होकर यहीं तट पर अंडे दे दे। समुद्र ने टिटिहरी की ये बातें सुनलीं। उसने सोचा-यह टिटिहरी बहुत अभिमानी है। आकाश की ओर टांगें करके भी यह इसीलिये सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को थाम लेगा। इसके अभिमान का भंग होना चाहिये। यह सोचकर उसने ज्वार आने पर टिटिहरी के अंडों को लहरों में बहा दिया।

टिटिहरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता देखकर रोती-बिलखति टिटिहरे से बोली-मूर्ख ! मैंने पहिले ही कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जायेंगी। किन्तु तूने अभिमानवश मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया।

झारखंड के सिमडेगा जिले के एक गांव में भूख से एक 11 वर्षीय बच्ची का मरना भारत के विकास की कहानी का सच बयान करता ऐसा दस्तावेज है जिसमें भारत और इंडिया का अन्तर स्पष्ट हो जाता है। हमने बड़े-बड़े शहरों में वाहनों की अन्धाधुन्ध कतारें लगाकर जो भी तरक्की की है, उसे यह घटना चुनौती देते हुए ऐलान करती है कि हमारे विकास की कहानी ऐसे विकट विरोधाभासों से भरी हुई है जिसमें अंतिम पायदान पर बैठे हुए आदमी के पास इसकी हवा पहुंचने में बहुत बाधाएं हैं।

यह पूरी तरह बेसबब है कि किसी गरीब आदमी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से केवल इसीलिए राशन न मिल पाए कि उसके पास आधार कार्ड नहीं है।

राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति के लिए किस प्रकार जरूरी बनाई जा सकती है? असल सवाल यह है कि जब राज्य सरकार अपने राज्य में बांटे गए राशन कार्डों के हिसाब से केन्द्रीय संभरण मंत्रालय से अनाज का कोटा उठा लेती है तो वह उसका वितरण लाभार्थियों को करने से किस प्रकार रोक सकती है और वह भी यह तर्क देकर कि राशन कार्ड का आधार कार्ड से जुड़ा होना जरूरी बना दिया गया है जबकि संभरण मंत्री श्री राम विलास पासवान का कहना है कि ऐसा कोई नियम अभी तक नहीं बनाया गया है कि राशन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़कर राशन की सप्लाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से की जाएगी।

जाहिर तौर पर यह राज्य की रघुबर दास सरकार की लापरवाही का ऐसा नमूना है जिससे इस सरकार की पूरी कार्यप्रणाली का जायजा लिया जा सकता है। यह स्वयं मुख्यमंत्री रघुबर दास के लिए शर्म का कारण हो सकता है क्योंकि वह भी एक अत्यन्त गरीब घर में जन्मे हैं और मजदूर आन्दोलन से उपजे नेता हैं।

उनके शासन का मुखिया रहते यदि उनके राज्य में किसी व्यक्ति की मौत भूख की वजह से होती है तो यह उस भारत के माथे पर कलंक के अलावा और कुछ नहीं है जो स्वयं को परमाणु शक्ति सम्पन्न बना चुका है और अंतरिक्ष विज्ञान में विकसित देशों के समकक्ष आने की बातें कर रहा है। इसका अर्थ यह भी है कि खुली बाजार व्यवस्था के बीच हम जिस आर्थिक तरक्की का गुणगान करते नहीं थकते उसकी हकीकत गरीब को भूखा मरते देखने की है।

जिस देश ने अनाज उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भरता बल्कि विदेशों तक को निर्यात करने की क्षमता अर्जित कर ली हो उसमें यदि एक व्यक्ति भी भूख से मरता है तो यकीनी तौर पर यह बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में गरीबों को उनके ही हाल पर छोड़ने की प्रवृत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता।

सवाल यह भी है कि जिस खाद्य सुरक्षा कानून को हम पिछले चार साल से ढो रहे हैं उसकी कैफियत क्या यह हो सकती है कि कोई व्यक्ति भूख से ही दम तोड़ दे और राज्य सरकार पहले यह लीपापोती करे कि बच्ची की मृत्यु मलेरिया बुखार से हुई और बाद में जांच के आदेश देकर अपना पल्ला झाड़ ले और परिवार को पचास हजार रु. की मदद देने की घोषणा कर दे। यह जले पर नमक छिड़कने के अलावा और क्या हो सकता है। पक्के तौर पर किसी गरीब की बेटी की जान की कीमत पचास हजार रुपए में नहीं आंकी जा सकती मगर यह सरकारी संवेदनहीनता की मिसाल है।

इसके साथ ही सरकारी योजनाओं की पोल भी यह घटना खोलती है और बताती है कि जो बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं उनकी असलियत नाम बड़े और दर्शन छोटे की मानिन्द ही है। क्या गजब का आर्थिक असंतुलन भारत में बना हुआ है कि एक तरफ तो बड़े-बड़े शहरों में पानी की एक बोतल तक को खरीद कर लोग पीते हैं और दूसरी तरफ सुदूर गांवों में लोगों के पास पेट भरने के लायक अनाज तक खरीदने की शक्ति नहीं है।

इस असन्तुलन को खाद्य सुरक्षा कानून की मार्फत दूर करने का जो सरकारी प्रयास हुआ था वह लालफीताशाही और नौकरशाही तथा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लोकतन्त्र में अगर कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति के भोजन के अधिकार की सुरक्षा नहीं कर सकती तो उसे सरकार किसी कीमत पर नहीं कहा जा सकता बल्कि उसे सत्ता भोगियों का निरंकुश समूह ही कहा जाएगा क्योंकि उसका कोई भी कार्य अन्ततः गरीब आदमी की हालत में सुधार के पैमाने पर ही तुलना और यही पैमाना किसी भी देश के विकास का होता है। विकास का पैमाना न मन्दिर होता है न मस्जिद बल्कि गांवों की वे गलियां होती हैं जिनमें आम इंसान भूख से लड़ता है

अक्सर कहते हैं जहां ईश्वर भी नहीं होता वहां मां होती है। वो मां जो खुद गीले में सोकर बच्चे को सूखे में सुलाती है। अपने दूध से बच्चे को सींचती है। अंगुली पकड़ कर बच्चे को चलना सिखाती है, बच्चे को संस्कार देती है, बच्चे की प्रथम गुरु होती है। आज नैट का जमाना है। हर चीज तुम्हें गूगल पर मिलती है पर अभी तक मां की जगह गूगल नहीं ले सका, न कभी ले सकेगा।

मां की दुआ और आह कभी खाली नहीं जाती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता कभी नहीं होती। मां की ममता के आगे कोई कुछ नहीं। यही साबित कर दिया मां आयशा ने जिसका बेटा आतंकी बन गया था। उसे मां की ममता ने एक आम इन्सान बना दिया और उसे वापस मुख्यधारा में ला दिया।

कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कश्मीर के माजिद इरशाद खान को भी भूला नहीं कहना चाहिए। बीस साल के माजिद की कहानी भी कश्मीर घाटी के उन युवकों से मिलजी-जुलती है जो भटक चुके हैं। माजिद के बारे में सोशल साइट्स पर बराबर इत्तेला आ रही थी कि वह खूंखार आतंकवादी संगठन लश्कर से जुड़ चुका है।

मासूम और आकर्षण से भरा यह गोरा-चिढ़ा युवक आतंकवादी बन गया था यह पढ़कर हैरानी भी हो रही थी और एके-47 के साथ बराबर उसके वीडियो वायरल हो रहे थे। यह युवक गजब का फुटबॉलर था। जो काम कर्को न कर सका वो एक मां ने कर दिखाया। उसकी मां (आयशा) जो हमेशा अपने बेटे के आतंकी बन जाने की खबरों से बड़ी दुःखी थी और रोती रहती थी ने आखिरकार सोशल साइट्स पर अपनी करणामयी गुहार बेटे के नाम लगाते हुए कहा कि बेटा घर लौट आओ, अपने आप को पहचानो, मेरे आंसुओं की कीमत को समझो।

मां के आंसू देखकर बेटे का दिल पसीज उठा और उसने श्रीनगर में सैनिक और पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। दरअसल इस युवक के पिता को भी दिल का दौरा पड़ चुका था लेकिन मां के आंसू अब घर वापस ले आए। आत्मसमर्पण से पहले उसने अपनी मां से कहा कि मैं बहादुरी भरा फैसला लेने जा रहा हूँ और आतंक का रास्ता छोड़कर घर वापस लौट रहा हूँ।

यह युवक ग्रेजुएशन कर रहा है और अपने एक दोस्त यावर नासीर के एन्काउंटर में मारे जाने से दुखी था। उसकी आखरी विदाई में जब वह शामिल हुआ तो वह भावनाओं में बहकर भटक गया था। ऐसी कहानियां अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में देखने को मिलती हैं परंतु हकीकत में कश्मीर के फलसफे पर इस हृदय स्पर्शी कहानी का दर्द पूरा देश महसूस कर रहा है और मैं व्यक्तिगत रूप से यही कहना चाहूंगी कि घाटी के कई युवक बहक चुके हैं तो उन्हें राष्ट्रधारा में लौट आना चाहिए।

जो हाथ जम्मू-कश्मीर की एक अलग पहचान है, जो हाथ कश्मीरी शोले और दुशाले की कढ़ाई के लिए मशहूर हैं, जो हाथ पत्थरों पर बड़ी गजब की कलाकारी करते हैं वे हाथ अगर हमारे जवानों पर पत्थर फेंके तो कहानी सिर्फ एक भूल की ही है। माजिद की मां आयशा की कहानी हर किसी से जुड़ी हुई है। अगर एक वीडियो के वायरल होने से कोई युवक भटक सकता है तो इसी वीडियो पर मां के आंसू किसी भटके युवक को राह पर ला सकते हैं।

ऐसा ही भयावह दौर हमने पंजाब में भी देखा है अब घाटी में देख रहे हैं। कितने ही युवक अगर हिंसा की राह पर चल निकले हैं तो सोशल साइट्स पर अपील कर उन्हें वापस मुख्यधारा में लाया जा सकता है। हम माजिद के इस बहादुरी और हिम्मत भरे फैसले की मुक्त कण्ठ से सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि घाटी के बाकी युवक भी इस वाक्या को एक नजीर मानकर वापस आने घरों को लौट आएँ।

एक मां और महिला होने के नाते हमारी मुख्यमंत्री महबूबा से अपील है कि अगर माजिद जैसे कुछ और युवक अपनी राह से भटक गए हैं। (जैसा कि एजेंसी की रिपोर्ट्स बता रही हैं) तो उन्हें वापस शांति के मार्ग पर लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। कहा भी गया है कि अपराधी कोई मां के पेट से पैदा नहीं होता।

अपराध की राह पर चलने से पहले ही अगर किसी को आम माफी या प्यार भरा हाथ या फिर मार्मिक आशीर्वाद मिल जाए तो वह सचमुच सही रास्ते पर आ सकता है। अब तो सरकार अपराधियों के भी गुनाह माफ करने की योजना पर विचार कर रही है तो आतंक के खात्मे के मार्ग में यह एक बड़ा कदम हो सकता है।

तो इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि पूरी व्यवस्था में या तो कोई बड़ी खामी है या कोई बड़ी लापरवाही। यह भी हो सकता है कि ऐसे बड़े आयोजनों के लिए प्रशासनिक तंत्र को महीनों पहले से कड़ी ट्रेनिंग दी जाए और ऐसे इंतजाम भी किए जाएं कि यह तंत्र आयोजन के दौरान लगातार सक्रिय रहे।

जब संचार के इतने ज्यादा साधन नहीं थे, उस दौर में ऐसे हादसों के बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं मिलते। संचार के इस युग में ऐसे हादसों का होना सचमुच शर्मनाक है। बढ़ती आबादी भारत जैसे देशों की समस्या है।

दुनिया के कई देशों, खासकर पश्चिम के लिए यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जापान जैसे देशों में तो मृत्यु दर और जन्म दर, दोनों ही तेजी से घट रही हैं। वहां समस्या यह है कि बूढ़ों की संख्या बहुत ज्यादा है और बच्चों की संख्या बहुत कम।

पश्चिमी देशों में स्थिति इतनी बुरी नहीं है, लेकिन हालात इसी तरफ बढ़ रहे हैं। एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर देश ही हैं, जो आबादी बढ़ने से परेशान हैं और इस पर नियंत्रण के लिए अपने बहुत-से संसाधन और अपनी बहुत-सी ऊर्जा खर्च करते हैं। और इन्हीं देशों की वजह से पूरी दुनिया की कुल जमा आबादी भी बढ़ रही है।

लेकिन एक चीज है, जो बढ़ती आबादी के इन आंकड़ों को मात देने जा रही है। वह चीज है, मोबाइल फोन की संख्या। इंसान की आबादी और मोबाइल फोन की संख्या का अंतर बहुत तेजी से घट रहा है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि आबादी की तुलना में मोबाइल फोन की संख्या 87 फीसदी तक पहुंच गई है। अनुमान है कि इस साल के अंत तक दुनिया में मानव आबादी से ज्यादा मोबाइल फोन होंगे। और सन 2017 तक तो इनकी संख्या मानव आबादी की 140 फीसदी होगी।

यानी औसतन पांच लोगों के परिवार के पास कम से कम सात मोबाइल फोन तो होंगे ही। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन चीन में हैं और उसके बाद भारत का नंबर आता है। अमेरिका इस मामले में तीसरे नंबर पर है। हमारे देश के ताजा आंकड़े बताते हैं कि देश में इस समय 89 करोड़ से भी ज्यादा सक्रिय मोबाइल फोन हैं, जबकि देश की आबादी 1.26 अरब के आस-पास है।

यानी औसत के हिसाब से हम यह मान सकते हैं कि देश में जितने भी वयस्क लोग हैं, उनमें से ज्यादातर के पास मोबाइल फोन है। पर क्या वास्तव में ऐसा है? हमें पता है कि यह सच नहीं है। देश में अब भी दूर-दराज के बहुत से इलाके ऐसे हैं, जहां मोबाइल फोन के सिग्नल नहीं पहुंचते। इन इलाकों की आबादी कितनी भी कम क्यों न हो, पर उनके लिए अब भी मोबाइल फोन रखने का कोई अर्थ नहीं है। यह सच है कि मोबाइल फोन की तकनीक पिछले कुछ साल में काफी तेजी से सस्ती हुई है, जिसकी वजह से बहुत गरीब लोगों के हाथों में भी मोबाइल फोन पहुंच गए हैं।

मोबाइल फोन अब शहरी ही नहीं, ग्रामीण जीवन का भी एक जरूरी हिस्सा बन गए हैं। लेकिन ये अभी इतने भी सस्ते नहीं हुए कि गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले करोड़ों परिवारों के सभी वयस्क सदस्यों के हाथों में ये पहुंच सकें। यह जरूर है कि आपको शहरों और कस्बों में ऐसे लोग मिल जाएंगे, जो एक से ज्यादा फोन रखते हैं और इनकी वजह से ही औसत गड़बड़ा जाता है। इसे हम मोबाइल फोन की विषमता या गैर-बराबरी भी कह सकते हैं (कंप्यूटर और इंटरनेट के मामले में इसे डिजिटल डिवाइड भी कहा जाता है)– यानी एक तरफ ऐसे लोग हैं, जिनके पास एक से ज्यादा मोबाइल फोन हैं और दूसरी तरफ, ऐसे लोग हैं, जिनके लिए मोबाइल फोन अब भी एक सपना बना हुआ है। यह हालत कम या ज्यादा दुनिया के उन सभी देशों की है, जिन्हें हम विकासशील देश कहते हैं और जो अभी मानव आबादी को नियंत्रित करने की समस्या से जूझ रहे हैं।

कल्याणकारी राज्य की अपनी परंपरागत परिकल्पना में हम लोगों को भोजन और शिक्षा जैसे अधिकार देकर उनके सशक्तीकरण की कोशिश करते हैं। इस फेहरिस्त में अब मोबाइल फोन को जोड़ने का भी वक्त आ गया है। लोगों को पूरी दुनिया की मुख्यधारा से जोड़ना भी उनके सशक्तीकरण का ही एक हिस्सा है, और मोबाइल फोन इसी का औजार है।

आम कामकाज में थोड़ी सक्रियता दिखाना डायबिटीज और हृदय रोगों से बचाव के लिए जिम जाने से बेहतर तरीका है। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे व्यायाम से कोई फायदा नहीं है। जाहिर है, जोड़ों की मजबूती या मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए अलग से व्यायाम जरूरी होंगे।

सलमान खान की तरह बॉडी बनाने के लिए और भी ज्यादा व्यायाम की जरूरत होगी, लेकिन आम सेहत के लिए रोजमर्रा के कामकाज में सक्रिय रहना ही बेहतर है। आमतौर पर आजकल सलाह यही दी जाती है कि दिन में बस आधे घंटा तक व्यायाम करना सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन इससे बेहतर सलाह यह होगी कि आप अपना काम खुद करें, दिन भर कुरसी पर न बैठे रहें।

अगर घर में बगीचा हो, तो उसमें कुछ काम करें, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां इस्तेमाल करें और पास के बाजार तक पैदल जाएं। ऐसे ही एक और शोध में महिलाओं के तीन समूह बनाए गए। एक समूह को हफ्ते में दो दिन व्यायाम करने को कहा गया, दूसरे समूह को चार दिन और तीसरे समूह को हफ्ते में छह दिन उतना ही व्यायाम करने को कहा गया।

कुछ दिनों बाद जब जांच की गई, तो यह पाया गया कि तीनों ही समूहों की महिलाओं को कुछ फायदा हुआ, लेकिन रोजाना कैलोरी की खपत चार दिन व्यायाम करने वाले समूह की सबसे ज्यादा थी, दो दिन व्यायाम करने वाले समूह की उनसे कम थी और छह दिन व्यायाम करने वाले समूह की कैलोरी की खपत तो कम हो गई थी।

इसकी एक वजह तो यह थी कि जब शरीर व्यायाम करके थक जाता है, तो बाकी वक्त में गतिविधियां कम हो जाती हैं, यानी व्यायाम करने के बाद थके हुए आदमी का आराम कुछ ज्यादा हो जाता है और कैलोरी की खपत बढ़ने की बजाय कम हो जाती है।

शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि शरीर में थकान के लक्षण न हों, तब भी व्यक्ति यह सोचता है कि व्यायाम में एक घंटा खर्च कर दिया, इसलिए समय बचाने के लिए वह सीढ़ियों की बजाय लिफ्ट ले लेता है और पैदल चलने की बजाय कार से जाना पसंद करता है। यह भी देखा गया कि अक्सर व्यायाम करने वालों का वजन घटने की बजाय बढ़ गया, क्योंकि एक घंटा व्यायाम करने के बाद उन्होंने मान लिया कि अब 23 घंटे आराम करने और कुछ भी खाने की छूट है।

इसीलिए लोगों के जिम जाने से अक्सर जिम के मालिकों को फायदा होता है। केंद्र सरकार को यह लगता है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 'गेम चेंजर' बन सकता है, देश की गरीब जनता को भुखमरी और कुपोषण से निकालने में और अगले आम चुनाव में वोट दिलवाने में भी। सरकार इस नियम को संसद के बजट सत्र में पास करवाना चाहती है और इसीलिए उसने तमाम राज्यों की लगभग सारी शर्तें मान ली हैं।

राज्यों की आपत्तियां मुख्यतः दो मुद्दों पर थीं, राज्य नहीं चाहते कि वे केंद्र सरकार की शर्तों पर इस कानून पर अमल करें, वे अपने तरीके से उसमें बदलाव की छूट चाहते थे, इसके अलावा वे अनाज का मौजूदा कोटा बनाए रखना चाहते थे।

वे यह भी चाहते हैं कि इस अधिनियम को लागू करने में जो अतिरिक्त खर्च आए, वह केंद्र सरकार उन्हें दे। केंद्र सरकार का कहना है कि इस मद में उसके 20,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे। सरकार की मौजूदा आर्थिक स्थिति जैसी है और बजट घाटा जिस तरह नियंत्रण के बाहर जा रहा है, उसमें ये 20,000 करोड़ रुपये काफी भारी पड़ेंगे और यह भार इसी शर्त पर स्वीकार किया जा सकता है, जब इस योजना का फायदा सचमुच देश की गरीब आबादी को मिल पाए और इसमें पैसे की बरबादी न हो।

ऐसा नहीं है कि जन-कल्याणकारी योजनाओं में बरबादी होना अनिवार्य है और इस पैसे को वोट खरीदने का जरिया मात्र मान लिया जाए। इस बात के उदाहरण मौजूद हैं कि अगर सरकार की दिलचस्पी हो और वह ध्यान दे, तो ऐसी योजनाएं सफल हो सकती हैं।

चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ है। रूप में या वर्दी के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता था। पर पांच जुलाई 2005, को भारत सरकार ने संहिता में संशोधन किया और ध्वज को एक पोशाक के रूप में या वर्दी के रूप में प्रयोग किये जाने की अनुमति दी। हालांकि इसका प्रयोग कमर के नीचे वाले कपड़े के रूप में या जांघिये के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

राष्ट्रीय ध्वज को तकिये के रूप में या रूमाल के रूप में करने पर निषेध है। झंडे को जानबूझकर उल्टा, रखा नहीं जा सकता, किसी में डुबाया नहीं जा सकता, या फूलों की पंखुडियों के अलावा अन्य वस्तु नहीं रखी जा सकती। किसी प्रकार का सरनामा झंडे पर अंकित नहीं किया जा सकता है। सँभालने की विधि झंडे का सही प्रदर्शन झंडे को सँभालने और प्रदर्शित करने के अनेक परंपरागत नियमों का पालन करना चाहिए।

यदि खुले में झंडा फहराया जा रहा है तो हमेशा सूर्योदय पर फहराया जाना चाहिए और सूर्यास्त पर उतार देना चाहिए चाहे मौसम की स्थिति कैसी भी हो। कुछ विशेष परिस्थितियों में ध्वज को रात के समय सरकारी इमारत पर फहराया जा सकता है। झंडे का चित्रण, प्रदर्शन, उल्टा नहीं हो सकता ना ही इसे उल्टा फहराया जा सकता है। संहिता परंपरा में यह भी बताया गया है कि इसे लंब रूप में लटकाया भी नहीं जा सकता। झंडे को 90 अंश में घुमाया नहीं जा सकता या उल्टा नहीं किया जा सकता।

कोई भी व्यक्ति ध्वज को एक किताब के समान ऊपर से नीचे और बाएँ से दाएँ पढ़ सकता है, यदि इसे घुमाया जाए तो परिणाम भी एक ही होना चाहिए। झंडे को बुरी और गंदी स्थिति में प्रदर्शित करना भी अपमान है। यही नियम ध्वज फहराते समय ध्वज स्तंभों या रस्सियों के लिए है। इन का रख रखाव अच्छा होना चाहिए। दीवार पर प्रदर्शन झंडे को सही रूप में प्रदर्शित करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है।

यदि ये किसी भी मंच के पीछे दीवार पर समानान्तर रूप से फैला दिए गए हैं तो उनका फहराव एक दूसरे के पास होने चाहिए और भगवा रंग सबसे ऊपर होना चाहिए। यदि ध्वज दीवार पर एक छोटे से ध्वज स्तम्भ पर प्रदर्शित है तो उसे एक कोण पर रख कर लटकाना चाहिए। यदि दो राष्ट्रीय झंडे प्रदर्शित किए जा रहे हैं तो उल्टी दिशा में रखना चाहिए, उनके फहराव करीब होना चाहिए और उन्हें पूरी तरह फैलाना चाहिए। झंडे का प्रयोग किसी भी मेज, मंच या भवनों, या किसी घेराव को ढकने के लिए नहीं करना चाहिए।

अन्य देशों के साथ जब राष्ट्रीय ध्वज किसी कम्पनी में अन्य देशों के ध्वजों के साथ बाहर खुले में फहराया जा रहा हो तो उसके लिए भी अनेक नियमों का पालन करना होगा। उसे हमेशा सम्मान दिया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि झंडा सबसे दाईं ओर प्रेक्षकों के लिए बाईं ओर हो। लाटिन वर्णमाला के अनुसार अन्य देशों के झंडे व्यवस्थित होने चाहिए।

सभी झंडे लगभग एक ही आकार के होने चाहिए, कोई भी ध्वज भारतीय ध्वज की तुलना में बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक देश का झंडा एक अलग स्तम्भ पर होना चाहिए, किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज एक के ऊपर एक, एक ही स्तम्भ पर फहराना नहीं चाहिए। ऐसे समय में भारतीय ध्वज को शुरु में, अंत में रखा जाए और वर्णक्रम में अन्य देशों के साथ भी रखा जाए। यदि झंडों को गोलाकार में फहराना हो तो राष्ट्रीय ध्वज को चक्र के शुरुआत में रख कर अन्य देशों के झंडे को दक्षिणावर्त तरीके से रखा जाना चाहिए, जब तक कि कोई ध्वज राष्ट्रीय ध्वज के बगल में न आ जाए।

भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमेशा पहले फहराया जाना चाहिए और सबसे बाद में उतारा जाना चाहिए। जब झंडे को गुणा चिन्ह के आकार में रखा जाता है तो भारतीय ध्वज को सामने रखना चाहिए और अन्य ध्वजों को दाईं ओर प्रेक्षकों के लिए बाईं ओर होना चाहिए। जब संयुक्त राष्ट्र का ध्वज भारतीय ध्वज के साथ फहराया जा रहा है, तो उसे दोनों तरफ प्रदर्शित किया जा सकता है।

सामान्य तौर पर ध्वज को दिशा के अनुसार सबसे दाईं ओर फहराया जाता है। गैर राष्ट्रीय झंडों के साथ जब झंडा अन्य झंडों के साथ फहराया जा रहा हो, जैसे कॉर्पोरेट झंडे, विज्ञापन के बैनर हों तो नियमानुसार अन्य झंडे अलग स्तंभों पर हैं तो राष्ट्रीय झंडा बीच में होना चाहिए, या प्रेक्षकों के लिए सबसे बाईं ओर होना चाहिए या अन्य झंडों से एक चौड़ाई ऊंची होनी चाहिए।

आज जब सुबह लिखने को बैठा ही था तो लम्बे अर्से के बाद अमृता की उसी नज्म को एक दर्द भरी आवाज में फिजां में गूँजते पाया। मैं उस नज्म को बड़ा प्यार करता हूँ। कई बार लिखता हूँ और आंखें भर आती हैं। चंद बोल देखें, अज्ज सब कैदी हो गए हुस्न इश्क दे चोर कित्थों लभ के ल्याहीये वारसशाह इक होर अज आखां वारसशाह नू, कितों कब्रा विच बोल, ते अज्ज किताबे इश्क दा कोई दूजा वर्का खोल।

इन पंक्तियों में नारी पीड़ा ही नहीं, उसका इतिहास बोल रहा है। लोगों ने लाख चालाकियां कीं, षड्यंत्र किये। विभाजन की त्रासदी को बिना खडग, बिना ढाल की जीत बताते अहिंसकों की वाहवाही की पर काश, कोई दुख की नगरी में प्रवेश कर पाता। कोई आंसुओं की जाति का पता पूछने की हिम्मत जुटा पाता।

बार-बार अमृता प्रीतम के बोल सारे वजूद को झकझोरते रहे और पूछते रहे क्या तुम्हें पता है कि तब भारत-पाक विभाजन के समय 1947 में सारी चिनाब का पानी खून की लाली में क्यों सराबोर हो गया था? क्या तुम्हें पता है कि हिन्दू और सिख औरतों ने कुएं छलांग लगाकर क्यों भर दिए थे? इस राष्ट्र ने तब से लेकर आज तक नारी गरिमा को नहीं जाना, नारी व्यथा को नहीं समझा, इसलिए यह राष्ट्र चाहे जितनी तरक्की करे, वह कभी शांति से नहीं रह सकता। ऐसा मेरा सोचना है।

सचमुच यह बेहद दुख और शर्म की बात है। आज अमृता को याद करते नारी दुर्दशा पर मन भर आया और सोचता रहा कि हर वर्ष नारी को महामाई, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा के रूप में पूजने वाले इस देश के लोगों से क्या बात करूं? दुनिया भर में देश का सिर शर्म से झुका देने वाले निर्भया कांड के दोषियों की फांसी पर मुहर लगाई जा चुकी है। जब अदालत ने दोषियों की फांसी बरकरार रखने का फैसला सुनाया तो लोगों ने अदालत में तालियां बजाकर इस फैसले का स्वागत किया।

देश की सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला काफी भावुक कर देने वाली टिप्पणियों के साथ सुनाया था लेकिन क्या सख्त कानून और फांसी की सजा हवस के दरिन्दों में कोई खौफ पैदा कर पाया? निर्भया कांड के बाद जबर्दस्त सामाजिक क्रांति हुई लेकिन क्या कुछ बदला? रोहतक में भी निर्भया कांड जैसी जघन्य घटना हुई। दरिन्दों ने 23 वर्ष की युवती को अगवा करके गैंगरेप के बाद हत्या कर दी थी। बलात्कारियों ने फिर क्रूरता की हद पार कर दी।

दिल्ली हाइवे के पास लड़की की सिर कुचली लाश मिली तो घर वालों ने कपड़ों से उसकी पहचान की। अभी यह घटना अतीत में नहीं गई कि एक और घटना सामने आ गई। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पूर्वोत्तर की 22 वर्ष की लड़की से चलती कार में गैंगरेप किया गया। इस घटना को अंजाम देने वाले अभी तक कानूनी शिकंजे से बाहर हैं।

दोनों घटनाओं में हैवान घरों के बाहर के हैं लेकिन अफसोस इस बात का है कि घर के भीतर भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। रोहतक में ही एक और शर्मनाक मामला सामने आ गया जिसने रिश्तों को तार-तार कर दिया। 10 वर्ष की मासूम से उसके सौतेले बाप ने हवस का खेल खेला जिससे वह गर्भवती हो गई। मासूम की मां को जब यह पता चला तो उसने अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आज खून होना आम बात है। रिश्तों का खून तो हो ही चुका है।

इंसान की हैवानियत इस कदर बढ़ गई है कि वह कुछ भी करने को तैयार है, फिर चाहे मामला बलात्कार का हो या अवैध संबंधों का, फिर पकड़े जाने पर जान से मार देने का हो या आत्महत्या करने का हो, इंसानी भूख बढ़ती जा रही है। जल्दी से जल्दी सब कुछ हासिल करने वाली इस पीढ़ी ने सामाजिक ताने-बाने को तोड़ दिया है। क्या कानून की बात करूं, क्या महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर बात करूं।

जब फांसी की सजा खौफ पैदा नहीं कर रही तो ऐसी घटनाएं रुकेंगी कैसे? नारी शक्ति का घोर अपमान हो रहा है, जिन्होंने नारी का अपमान किया है वे नरपशु और धनपशु प्रकृति से ही वह सजा पाएंगे कि पुश्तों तक की गर्मी शायद शांत हो जाए। समाज को खुद अपनी मानसिकता के बारे में सोचना होगा। महिलाएं उत्पीड़न से नहीं बच पा रहीं।

हंसो को कछुए का धीमे-धीमे चलना और उसका भोलापन बहुत अच्छा लगा। हंस बहुत ज्ञानी भी थे। वे कछुए को अदभुत बातें बताते। मुनियों की कहानियां सुनाते। हंस तो दूर-दूर तक घूमकर आते थे, इसलिए दूसरी जगहों की अनोखी बातें कछुए को बताते। कछुआ मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुनता। बाकी तो सब ठीक था, पर कछुए को बीच में टोका-टाकी करने की बहुत आदत थी। अपने सज्जन स्वभाव के कारण हंस उसकी इस आदत का बुरा नहीं मानते थे।

उन तीनों की घनिष्टता बढ़ती गई। दिन गुजरते गए। एक बार बड़े जोर का सुखा पड़ा। बरसात के मौसम में भी एक बूंद पानी नहीं बरसा। उस तालाब का पानी सूखने लगा। प्राणी मरने लगे, मछलियां तो तड़प-तड़पकर मर गईं। तालाब का पानी और तेजी से सूखने लगा। एक समय ऐसा भी आया कि तालाब में खाली कीचड़ रह गया। कछुआ बड़े संकट में पड़ गया। जीवन-मरण का प्रश्न खड़ा हो गया। वहीं पड़ा रहता तो कछुए का अंत निश्चित था। हंस अपने मित्र पर आए संकट को दूर करने का उपाय सोचने लगे।

वे अपने मित्र कछुए को ढाडस बंधाने का प्रयत्न करते और हिम्मत न हारने की सलाह देते। हंस केवल झूठा दिलासा नहीं दे रहे थे। वे दूर-दूर तक उड़कर समस्या का हल ढूँढते। एक दिन लौटकर हंसो ने कहा मित्र, यहां से पचास कोस दूर एक झील हैं। उसमें काफी पानी हैं तुम वहां मजे से रहोगे। कछुआ रोनी आवाज में बोला पचास कोस? इतनी दूर जाने में मुझे महीनों लगेंगे। तब तक तो मैं मर जाऊंगा। कछुए की बात भी ठीक थी। हंसो ने अक्ल लड़ाई और एक तरीका सोच निकाला।

वे एक लकड़ी उठाकर लाए और बोले मित्र, हम दोनों अपनी चोंच में इस लकड़ी के सिरे पकड़कर एक साथ उड़ेंगे। तुम इस लकड़ी को बीच में से मुंह से थामे रहना। इस प्रकार हम उस झील तक तुम्हें पहुंचा देंगे उसके बाद तुम्हें कोई चिन्ता नहीं रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी पर याद रखना, उड़ान के दौरान अपना मुंह न खोलना। वरना गिर पडोगे। कछुए ने हामी में सिर हिलाया। बस, लकड़ी पकड़कर हंस उड़ चले। उनके बीच में लकड़ी मुंह दाबे कछुआ। वे एक कस्बे के ऊपर से उड़ रहे थे कि नीचे खड़े लोगों ने आकाश में अदभुत नजारा देखा। सब एक दूसरे को ऊपर आकाश का दिखाने लगे। लोग दौड़-दौड़कर अपने छज्जों पर निकल आए।

कुछ अपने मकानों की छतों की ओर दौड़े। बच्चे बूढ़े औरतें व जवान सब ऊपर देखने लगे। खूब शोर मचा। कछुए की नजर नीचे उन लोगों पर पड़ी। उसे आश्चर्य हुआ कि उन्हें इतने लोग देख रहे हैं। वह अपने मित्रों की चेतावनी भूल गया और चिल्लाया देखो, कितने लोग हमें देख रहे हैं! मुंह के खुलते ही वह नीचे गिर पड़ा।

नीचे उसकी हड्डी-पसली का भी पता नहीं लगा। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें कोई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत-सी मछलियां आकर रहती थी। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियां उस जलाशय में आती थी। वह जलाशय लम्बी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में तीन मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी।

प्रत्यु कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। यही का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है करने कराने से कुछ नहीं होता जो किस्मत में लिखा है, वह होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थी। अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड जाता दिकाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थी।

वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया दोस्तो! लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है, जहां इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला अहा! इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी हैं। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहां हमें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। दूसरा बोला। तीसरे ने कहा आज तो शाम घिरने वाली है। कल सुबह ही आकर यहां जाल डालेंगे।

किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुँचती, वह खिड़की से निकलकर आँगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुँच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक-एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता।

काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता।

सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे-नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले-हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता।

गरमियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गरमी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया।

रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उँगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतारकर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नयी पीढ़ी जाली के उस पार चिक-चिक करती ही रहती है और सोनजुही पर बसंत आता ही रहता है।

सोनजुही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है—इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी—इसलिए भी कि उस लघुगात का, किसी वासंती दिन, जुही के पीताभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास, मुझे संतोष देता है। राजनेता की सराहना की। भूटान सरकार ने कलाम की मौत के शोक के लिए देश के झंडे को आधी ऊंचाई पर फहराने के लिए आदेश दिया, और श्रद्धांजलि में मक्खन के दीपक भेंट किए। भूटान के प्रधानमंत्री ने कलाम के प्रति अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा, कि वे एक महान नेता थे जिनकी सभी ने प्रशंसा की विशेषकर भारत के युवाओं के वे प्रशंसनीय नेता थे जिन्हें वे जनता का राष्ट्रपति बुलाते थे।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनकी व्याख्या करते हुए कहा, कि एक महान राजनेता प्रशंसित वैज्ञानिक और दक्षिण एशिया के युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत के संयोग उन्होंने कलाम की मृत्यु को भारत के लिए अपूरणीय क्षति से भी परे बताया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के सबसे प्रसिद्ध बेटे, पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर हमें गहरा झटका लगा है। डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम अपने समय के सबसे महान ज्ञानियों में से एक थे। वह बांग्लादेश में भी बहुत सम्मानित थे।

उनकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वृद्धि करने के लिए अमूल्य योगदान के लिए वे सभी के द्वारा हमेशा याद किये जायेंगे। वे दक्षिण एशिया की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत थे जो उनके सपनों को पंख देते थे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया ने कहा, कि एक परमाणु वैज्ञानिक के रूप में, उन्होंने लोगों के कल्याण में स्वयं को समर्पित किया।

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, ने कलाम को, लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणादायक शख्सियत बताया ये नोट करते हुए हमें अपने जीवन से बहुत कुछ सीखना है।

यह उपन्यास जमींदार, अफसर, पटवारी, साहूकार, पुरोहित के आतंक में फंसे होरी की लाचारी का मार्मिक बिंब है। महाजनी सभ्यता के क्रूर पंजों में फंसे होरी की कहानी किसी भी गरीब और शोषित भारतीय किसान की भांति ही है जो गरीबी की मार, बंटवारे का दर्द, कर्ज की मार, बैलों की जोड़ी के बिक जाने या मर जाने का सदमा, आधा खेत साझे की खेती का अपमान और अपने खेतों की नीलामी का दंश सहता हुआ आखिरकार मजदूरी करने को बाध्य हो जाता है।

होरी के चरित्र में विद्रोह और क्रांति की इच्छा न दिखाकर प्रेमचंद ने होरी को एक आम किसान का प्रतिनिधि बनाए रखा। यह लेखक का यथार्थवादी नजरिया है जिसके चलते होरी को महान क्रांतिकारी नायक न दिखाकर या शोषण करने वालों का हृदय परिवर्तन न दिखाकर कथा को दुखांत रूप दिया है। इस शिल्प को अपनाकर लेखक ने पाठक पर गहरा त्रासद प्रभाव छोड़ने का उपक्रम किया है और कथा को यथार्थ के निकटतम बनाए रखा है। प्रेमचंद ने गोदान को संक्रमण की पीड़ा का दस्ताखवेज बनाया है।

इस उपन्यास में होरी ही एकमात्र ऐसा पात्र है जो युग के साथ बदलता नहीं है। यही न बदलना होरी की शख्सियत का अहम पक्ष है। सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर बदलते युग में होरी का बेटा गोबर किसान से मजदूर बन जाता है। गोबर का शोषण बरकरार रहता है लेकिन वो बच जाता है और उसमें प्रतिरोध का स्वर बना रहता है। यहाँ तक कि धनिया भी विद्रोहिणी है, वह गाँव भर के सामने सबसे लोहा लेती है।

किंतु केवल होरी ही है जो संक्रमण को समझ नहीं पाता वह सामंतवाद के मूल्यों को ही ढोता रहता है, न मरजाद को छोड़ पाता है न गाँव को, नजमीन को और न किसानों को ही। अंततः वो मरता भी है गाँव को शहर से जोड़ने वाली सड़क को बनाते हुए, वही सड़क जो अंततः गाँव पर शहर के अधिपत्य की घोषणा है।

यह सड़क सामंतवाद के पतन की और पूंजीवाद की जीत की निशानी है। वह अपना जीवन मर्यादा के परम्परागत मिथ को पाने के लिए झोंक देता है और अपनी मृत्यु के समय भी गाय के दान जैसे काम को न कर पाने के दुख से भरा हुआ है, ये तो विद्रोहिणी धनिया ही है जो मजदूरी के सिक्के को मृत होरी के हाथ में दबा घोषणा करती है कि यही होरी का गोदान है।

होरी कितने भी कष्ट सहकर मरजाद का मोह नहीं छोड़ पाता है। उसका जीवन मरजाद के मिथ से घिरा हुआ है। उस पर धर्म, संस्कारों, नैतिकता और आदर्शों का दबाव गहरा है। एकाध स्थान पर जब वह अपनी नैतिकता से उगमगाता भी है तब भी वह द्वंद्व और दर्द का अनुभव करता है। होरी जैसे मामूली से किसान को भी लेखक ने मध्यवर्गीय नैतिकता का शिकार दिखाया है। इस द्वंद्व के कारण न तो वह नैतिकता का पूरी तरह से पालन कर पाता है और न अपने स्वार्थों की पूर्ति कर पाता है।

यह व्यवहार एक आम आदमी की अपरिभाषित और ओढी हुई नैतिकता की देन है जो इंसान को भीरु बनाए रखती है। गोदान के होरी की जिंदगी की यही नैतिकताजन्य नियति आज भी आम भारतीय किसानों की नियति है। गरीबी और शोषण के बावजूद मर्यादा से जीवन जीने की तमन्ना और जिद में पिसता हुआ होरी। सारे गाँव के सामने अपनी पत्नी को पीटने में उसकी इज्जत नहीं जाती किंतु पुलिस द्वारा घर की तलाशी से जाती है।

ठाकुर जी की आरती के लिए वह इसलिए नहीं उठता क्योंकि उसके पास चढ़ावे के लिए तांबे का पैसा नहीं है और ऐसे में वह सबकी आंखों के सामने हेठा बन जाएगा। इस मर्यादा के चलते ही विपन्नावस्था में भी कुश कन्या नहीं देना चाहता है। अपनी जान पर खेलकर कुल मर्यादा की रक्षा करने वाला होरी परम्पराओं, रुढ़ियों और धार्मिक कुरीतियों का निरीह शिकार दिखाई देता है।

शोभा द्वारा पूछे गए सवाल कि इन महाजनों से कभी पीछा छूटेगा या नहीं के उत्तर में होरी कहता है—इस जनम में तो आशा नहीं है भाई। हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा खाना और मरजाद के साथ रहना चाहते हैं। होरी का मनाना है कि जिसके पास जमीन नहीं वह गृहस्थ नहीं अपने भाइयों से और फिर अपने बेटे गोबर से अलगोझे का आघात भी उस जैसे मरजाद पालक के लिए बहुत बड़ा आघात है। होरी के शोषण के ऐतिहासिक कारण हैं।

राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र नामांकन की प्रक्रिया पर सवाल उठाने का हक न तो किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी को है और न ही सत्ता पर काबिज सरकार के किसी भी व्यक्ति को क्योंकि यह पार्टी के अपने भीतर की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है जिसके लिए बाकायदा चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षक तैनात हैं।

उनके चुनाव को वंशवाद के आवरण में देखना भी पूरी तरह गलत है क्योंकि उन्हें कांग्रेस पार्टी के चार करोड़ से अधिक कार्यकर्ता इस पद पर देखना चाहते हैं। लोकतन्त्र में वंशवाद बिना आम जनता या मतदाताओं की सहमति और उनकी तसदीक के नहीं चल सकता अतः जब भी हम वंशवाद का उलाहना कांग्रेस पार्टी को देने की कोशिश करते हैं तो उस जनता को सीधे निशाने पर ले लेते हैं जो इस परंपरा से आये नेताओं को अपना समर्थन देती है और उन्हें जननायक बना देती है।

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक दल वंश के वशीभूत होकर अपनी प्रणाली में किसी व्यक्ति को पद पर तो बिठा सकता है मगर उसे नेता नहीं बना सकता। यह काम सिर्फ भारत की महान जनता ही कर सकती है और वह तभी करती है जब उसे तसल्ली हो जाती है कि बेटे या बेटे में अपने बाप के बराबर की काबलियत है या नहीं।

मोती लाल नेहरू के पुत्र जवाहर लाल नेहरू में इस देश की जनता ने स्वतन्त्रता से पहले यही गुण नहीं देखा था बल्कि यह भी यकीन पा लिया था कि जवाहर लाल अपने पिता से भी बढ़कर काबिल हैं, तभी जाकर वह आजादी से पहले के भारत में युवा हृदय सम्राट और जननेता बने थे। इसी प्रकार इन्दिरा गांधी को भी भारत के लोगों ने हर कसौटी पर कसा और जब देख लिया कि वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए भारत को बुलन्दियों तक पहुंचा सकती हैं तो उन्होंने इंदिरा जी को प्रियदर्शनी बना दिया।

राजीव गांधी पर भी लोगों ने भरोसा किया था परन्तु जनापेक्षाओं पर पूरा नहीं उतर पाये मगर उन्होंने अपने शासनकाल में भारत को 21वीं सदी की दहलीज पर ले जाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी और कम्प्यूटर क्रान्ति करके इस देश की युवा पीढ़ी को पूरी दुनिया में अपने ज्ञान का आलोक फैलाने का अवसर प्रदान किया। इतना ही नहीं दूरसंचार क्रान्ति की नींव भी उन्होंने ही डाली और सी-डॉट संचार प्रणाली के जरिये सीधे ग्रामीण भारत को जोड़ डाला था।

दरअसल नेहरू की वंश बेल को हम भारत की जनता के आशीर्वाद से ही फलीदृफूली पायेंगे। अतः हम इसे दायरे में वंशवाद नहीं कहेंगे बल्कि विरासत कहेंगे।

विरासत और वंश में मूलभूत अन्तर वह होता है जो जन्म और कर्म में होता है। लोकतन्त्र में व्यक्ति किसी वंश में जन्म लेने से ही उसकी विरासत का हकदार तभी बन सकता है जबकि आम जनता उसे इस योग्य समझे। श्री राहुल गांधी अपने परिवार की इसी विरासत के हकदार अब जाकर बनने की प्रक्रिया में पहुंचे हैं क्योंकि वह इस देश की जनता के मन की बातें खुलकर बेधड़क होकर कह रहे हैं।

वास्तव में कोई भी राजनीतिज्ञ तभी नेता बन सकता है जब जनता उसके बताये मार्ग पर चलना शुरू कर देती है और जनता तभी उसके बताये मार्ग पर चलने का फैसला करती है जब उसे अपने दिल की आवाज नेता के मुंह से सुनाई पड़ती है। किसी भी देश में जननायकों का उदय केवल इसी रास्ते से होता है। भारत इसका सबूत है कि यह समयानुसार अपने जननायक बदलता रहा है।

1974 में केन्द्र में इंदिरा जी जैसी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री के रहते जयप्रकाश नारायण का उदय हुआ, मगर यह खुमार 1980 में ही उतर गया और इंदिरा जी पुनः भारत के लोगों की आवाज बन गईं। कांग्रेस पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनावों में भारी हार का मुंह देखना पड़ा। श्री नरेन्द्र मोदी राजनीति में नये नायक के रूप में उभरे। उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देकर इसे साकार करने का ख्वाब देखा। इसमें कहीं कुछ भी गलत नहीं था।

लोकतन्त्र में हर राजनीतिक दल अपना वर्चस्व सब तरफ देखना चाहता है, मगर इसके विरोध में निशाने पर आये राजनीतिक दल में भी ऐसे राजनीतिज्ञ होते हैं

लेकिन क्या संसद के कामकाज को इस राजनैतिक लड़ाई का बंधक बनाना ठीक है? सरकार पर आरोप तो हमेशा से लगते रहते हैं और लगते रहेंगे, लेकिन क्या उनका राजनैतिक लाभ लेने के लिए संसद की कार्यवाही रोकना ही एकमात्र रास्ता है? विपक्ष यह कह सकता है कि जिन आरोपों पर उसने संसद का कामकाज रोका है, वे बहुत गंभीर हैं, लेकिन इस तर्क का जवाब यह है कि संसद का हर सत्र ही इस तरह की रुकावट का शिकार बना है।

एक रपट यह बताती है कि लोकसभा के इस कार्यकाल में संसद का कामकाज आज तक के संसदीय इतिहास में सबसे कम हुआ। संसद का कामकाज रोकना महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों पर संसदीय बहस न होने देना या ऐसे कानूनों का लटके रहना है। अब वक्त आ गया है कि हम संसद के कामकाज और राजनैतिक लड़ाइयों को अलग करें।

प्रधानमंत्री या कानून मंत्री या रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और खाद्य सुरक्षा बिल व जमीन अधिग्रहण बिल पास हों या न हों, ये सवाल एक दूसरे से संबद्ध नहीं हैं। शायद विपक्ष की यह गलतफहमी ही है कि संसद का कामकाज रोकने का ज्यादा राजनैतिक असर होता है। इससे विपक्ष की छवि बेहतर नहीं बनती। अगर विपक्ष संसद में आकर बहस करे, तो संभव है कि उससे ज्यादा असर पड़े और जनता में उसके पक्ष में माहौल बने।

अगर विपक्ष को यह लग रहा है कि खाद्य सुरक्षा बिल से सरकार को राजनैतिक फायदा होगा, इसलिए उसे रोकना चाहिए, तो फिर यह भी तय है कि इसे रोकने का राजनैतिक नुकसान विपक्ष को ही होगा। अमर्त्य सेन और कई विशेषज्ञ भी विपक्ष से कह चुके हैं कि वे खाद्य सुरक्षा बिल को पास होने दें। अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे का असर जनता पर पड़ना है, तो वह इस बिल के बावजूद पड़ेगा और सरकार की हठधर्मिता का नुकसान उसे तभी होगा, जब विपक्ष की हठधर्मिता उससे कम होगी।

प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों से इस्तीफा मांगने के लिए भाजपा और बाकी विपक्ष चाहे तो संसद के बाहर आंदोलन कर सकता है। भाजपा को यह लगता है कि सिर्फ अतिरिक्त आक्रामक होकर ही वह प्रभावशाली हो सकती है। बाकी पार्टियों की यह समस्या हो सकती है कि वे संख्या बल में कमी को शोर से पाटने की कोशिश करें। भाजपा के साथ यह भी समस्या नहीं है।

उसके पास पर्याप्त संख्या बल है और काफी प्रभावी वक्ता भी हैं। हो यह रहा है कि इन वक्ताओं का नजरिया टीवी पर दो-चार वाक्यों तक ही सुनने को मिलता है। संभव है कि भाजपा को कर्नाटक में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं है और वह नतीजों के पहले ऐसा माहौल बनाना चाहती है, जिससे ये नतीजे ज्यादा असर न छोड़ पाएं। लेकिन इसके लिए संसद के महत्वपूर्ण सत्र को क्यों सूली पर चढ़ाया जाए, खासकर तब, जब आपको अगले चुनावों के बाद सरकार बनाने की उम्मीद हो?

कुछ ही दिनों पहले के तमाम बुरे अनुभवों और तनावों के बाद विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की चीन यात्रा सद्भावपूर्ण माहौल में ही हुई है। जाहिर है, सीमा पर तीन हफ्ते चले गतिरोध को दोनों ही पक्षों ने पीछे छोड़ दिया है। खुर्शीद ने यह साफ तौर पर कहा कि सीमा पर गतिरोध का मामला बातचीत में नहीं उठा। सलमान खुर्शीद की यह यात्रा नए चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग की भारत यात्रा के सिलसिले में हुई है, जो इसी महीने प्रस्तावित है।

चीन में राजनीतिक परिवर्तन के बाद उसके प्रधानमंत्री की यह पहली आधिकारिक विदेश यात्रा है। इससे पता चलता है कि यह यात्रा राजनयिक रूप से कितनी महत्वपूर्ण है और यह भी साफ होता है कि तमाम शक-शुबहों के बावजूद भारत से संबंध चीन के लिए बहुत मायने रखता है। जब सीमा पर विवाद जारी था, तब भी यह उम्मीद थी कि भारतीय विदेश मंत्री की चीन यात्रा के पहले यह विवाद सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि चीनी प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा पर इस विवाद की छाया चीन नहीं पड़ने दे सकता। अगर भारत यह यात्रा रद्द करने का फैसला करता, तो दुनिया में चीनी हितों को बड़ा धक्का पहुंचता और चीन की बेइज्जती होती।

भारत का चीन से सीमा विवाद चलता रहेगा, लेकिन दोनों देशों में इतनी समझदारी है कि इस विवाद को वे उन क्षेत्रों से दूर रखें, जिनमें परस्पर सहयोग जरूरी है। तेजी से विकसित होते देशों के संगठन ब्रिक्स में ये दोनों साझीदार हैं

पंजाब में किसानों के कर्ज माफ करने को लेकर पिछले तीन माह से जमकर सियासत हो रही थी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा कर्ज माफी के ऐलान के बाद कई राज्यों से किसान ऋण माफी की मांग उठने लगी थी। दबाव में आकर महाराष्ट्र की फडनवीस सरकार को भी कर्ज माफी की घोषणा करनी पड़ी।

अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्द्र सिंह ने सत्ता सम्भालने के बाद थोड़ा वक्त जरूर लिया लेकिन किसानों का दो लाख तक का कर्ज माफ कर उन्होंने बड़ा सियासी शॉट मारा है। कैप्टन ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से न केवल दोगुना कर्ज माफ किया है अपितु कर्ज माफी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे विपक्षी दलों को करारा जवाब भी दे दिया है। विपक्ष भले ही इसे कैप्टन की नौटंकी करार दे कि उन्होंने सदन में 5 एकड़ तक भूमि वाले किसानों का पूरा कर्ज माफी का ऐलान किया था लेकिन कर्ज सिर्फ 2 लाख रुपए का ही माफ किया।

कैप्टन अमरिन्द्र सरकार ने कांग्रेस का चुनावी वादा पूरा कर दिया है क्योंकि कैप्टन साहब ने तो चुनाव प्रचार के दौरान ही किसानों से ऋण माफी के फार्म ले लिए थे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब के बाद अब हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर दबाव बढ़ गया है।

हरियाणा के 15 लाख किसानों में से साढ़े 13 लाख किसान लगभग 54 हजार करोड़ के ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं। हरियाणा के विपक्षी दल अब किसानों के कर्ज माफ करने के लिए दबाव बढ़ाएंगे। सवाल सबके सामने है कि यह कर्ज माफी का सिलसिला कब जाकर रुकेगा। उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के लिए योगी सरकार केन्द्र सरकार से 16 हजार करोड़ का कर्ज लेगी जबकि 20 हजार करोड़ अलग-अलग विभागों का बजट काट कर इकट्ठा किया जाएगा।

योगी सरकार को कुल 36 हजार करोड़ की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार को किसानों की कर्ज माफी की मांग के आगे झुकना पड़ा। छोटे एवं सीमांत किसानों की ऋण माफी के चलते महाराष्ट्र पर 30 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। उसकी भरपाई कैसे होगी इस बारे में फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं है। कर्ज माफी की घोषणाएं किसानों को फौरी राहत देने वाली हैं, राजनीतिक तौर पर भी ऐसी घोषणाएं लाभकारी हैं लेकिन यह वह रास्ता नहीं है जिस पर चलकर किसानों के संकट का सही तरह से समाधान किया जा सकता है।

अब मुसीबत उन राज्यों के लिए आ खड़ी हुई है जहां चुनाव होने वाले हैं। समस्या यह भी है कि किसानों के कर्ज माफी का मुद्दा अब सियासी दलों को सत्ता तक पहुंचने का शार्टकटरास्ते के तौर पर दिखने लगा है। इसकी शुरुआत भी तो राजनीतिक दलों ने ही की है। चुनाव से पहले राजनीतिक दल लोक लुभावने वायदे करते हैं।

इन्हीं वायदों के चलते आग में घी डलता रहा और जब आग भड़कती है तब भी सियासत होती है। स्थिति ऐसी हो गई है कि जो किसान कर्ज अदायगी में सक्षम होते हैं वह भी कर्ज अदा नहीं करते। वह इस उम्मीद में रहते हैं कि अगले चुनाव में राजनीतिक दल कर्ज माफ करने का वायदा करेंगे ही। अब कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कर्ज माफी के मुद्दे पर गेंद केन्द्र के पाले में डाल रहे हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण तो केन्द्र ही माफ कर सकता है। गुजरात में इसी साल के अंत तक चुनाव होने वाले हैं। गुजरात में कांग्रेस वादा कर रही है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार के सत्ता में आते ही किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। बैंक आफ अमेरिका की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 के आम चुनावों से पहले राज्य सरकारें 2 लाख 56 हजार करोड़ के किसानों के कर्ज माफ करने को मजबूर होंगी। उधर तमिलनाडु के किसान भी ऋण माफी के मुद्दे पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं।

ऋण माफी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो पहले से ही संकटग्रस्त बैंकिंग व्यवस्था और अधिक मुश्किलों में घिर जाएगी और अर्थव्यवस्था के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। किसानों की कर्ज माफी का बोझ अंततः जनता को ही सहना पड़ेगा। राज्यों को बोझ सहने के लिए अपने स्रोतों से धन जुटाना होगा।

इसी के साथ चीन ने यह नजर रखना शुरू किया कि दुनिया में कहां-कहां किस चीज की मांग है, समस्या तब हुई, जब विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई और निर्यात पर आधारित चीनी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। अब चीन घरेलू मांग बढ़ाने पर जोर दे रहा है और उसके नेता यह भी समझ रहे हैं कि उत्पादन का इतना विकास लगातार नहीं बनाए रखा जा सकता।

इस साल चीन सरकार ने लगभग सात करोड़ टन सीमेंट, 70 लाख टन इस्पात, तीन लाख टन अलम्युनियम और साढ़े छह लाख टन तांबे का उत्पादन कम करने का फैसला किया है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चीन की तरह हर काम सरकारी आदेश से नहीं हो सकता, फिर भी हम चीन से काफी कुछ सीख सकते हैं।

यह इसलिए भी जरूरी है कि लगातार ऊंची विकास दर के लिए हमें अपने औद्योगिक उत्पादन को बेहतर करना होगा, जबकि हमारे विकास में सेवा क्षेत्र ज्यादा वजनदार है। इस वक्त जब चीन अपनी औद्योगिक क्षमता कम कर रहा है, तब भारत के लिए बड़े अवसर हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी नीतियों को सुधारना होगा, ताकि हमारे यहां उद्योगों को, खासकर बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन मिले।

डॉलर के मुकाबले रुपया 62 रुपये प्रति डॉलर से भी नीचे आ गया और भारतीय शेयर बाजार में भी जबर्दस्त गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी में इतनी गिरावट सितंबर 2011 के बाद पहली बार हुई है।

भारतीय मुद्रा और भारतीय बाजार को संभालने की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय की तमाम कोशिशों के बावजूद यह गिरावट हुई है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि इन कोशिशों का असर उलटा हुआ है और इनकी वजह से गिरावट तेज हुई है। रुपये को गिरने से बचाने के लिए बाजार से नकदी कम करने के उपाय किए गए, इनसे विकास की संभावनाएं कम हुईं और निवेश का माहौल भी धीमा हुआ। इससे फिर रुपये पर दबाव बना और उसकी कीमत गिरी।

इसी तरह चालू खाते का घाटा कम करने के लिए सोने के आयात को कम करने के उपाय किए गए, लेकिन उनसे भी यही माहौल बना कि अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, इसलिए सरकार फिर से उदारीकरण के पहले की नियंत्रित अर्थव्यवस्था के युग में लौटना चाहती है। सबसे ज्यादा बुरा असर डॉलर बचाने के लिए विदेश में निवेश और खर्च पर नियंत्रण का हुआ। इससे संदेश यह गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में है और अर्थव्यवस्था के कर्ताधर्ता घबराहट में तरह-तरह के फैसले कर रहे हैं।

इससे निवेशकों का भारत से भागना तेज हो गया, नतीजतन रुपया और शेयर बाजार बुरी तरह गिर गया। बड़ी समस्या यह है कि रुपये की गिरावट को तुरंत रोकने के लिए सरकार के पास बहुत कम उपाय हैं और यह भी शक है कि उनका भी उलटा असर तो नहीं होगा। कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि रुपये को गिरने से रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह बात वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने भी कही कि रुपये की वास्तविक कीमत क्या है, यह किसी को नहीं मालूम, इसलिए इसे कृत्रिम उपायों से थामने की कोशिश करने की बजाय उसे अपनी वास्तविक कीमत पर आने देना चाहिए।

हो सकता है कि यह एकमात्र रास्ता हो, क्योंकि जिन वजहों से रुपया गिर रहा है, उन पर सरकार या रिजर्व बैंक का कोई नियंत्रण नहीं है। फिलहाल रुपये में तेजी से गिरावट इसलिए आई है कि अमेरिका की केंद्रीय बैंक के अध्ययन ने यह संकेत दिया है कि अमेरिका मंदी से काफी हद तक उबर गया है, इसलिए निवेश बढ़ाने के लिए जो उपाय किए जा रहे थे, उनमें कटौती की जा सकती है। इस घोषणा के बाद लोगों ने दुनिया भर में निवेश से हाथ खींचना शुरू कर दिया।

जब तक यह कटौती सचमुच नहीं हो जाती, तब तक डॉलर के मुकाबले रुपया गिर सकता है और जाहिर है कि इसमें भारत सरकार या रिजर्व बैंक कुछ नहीं कर सकता। इन मुद्राओं के मुकाबले रुपया इसलिए भी तेजी से गिर रहा है, क्योंकि भारत में तमाम वजहों से निवेश आकर्षक नहीं लग रहा है। यदि सरकार अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए कदम उठाए, तो रुपया फिर से मजबूत हो सकता है, पर यह सब होने में वक्त लगेगा। अर्थव्यवस्थाएं ठोस हकीकत से जितनी चलती हैं, उतनी ही माहौल से भी चलती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत उतनी खराब नहीं है, जितनी रुपये या बाजार की गिरावट से लग रही है। कई जानकार यह मान रहे हैं

ये निश्चय ही ऐसे शोक, ऐसे दुख हैं, जिनमें हम सांत्वना की अक्षमता का अनुभव करते हैं। कुछ देर बाद मैं गिरजे के प्रांगण से बाहर आया। घर की ओर लौटते समय मुझे वह औरत मिल गई, जो बुढ़िया को सांत्वना देने का काम कर रही थी। वह मां को उसके निर्जन आवास पर पहुंचा कर आ रही थीं उसने बताया कि मृतात्मा के मां-बाप उस गांव में बचपन से रहते आये थे।

उनकी बहुत ही साफ-सुथरी कुटीर थी और वे बड़े मान-सम्मान और आराम के साथ जीवन बिता रहे थे। उनके एक ही पुत्र था, जो बड़ा ही सुदर्शन, शीलवान, दयालु और माता-पिता के प्रति कर्तव्यशील था। दुर्भाग्य से दुष्काल और कृषि-संकट में एक साल लड़के ने प्रलोभन में आकर पास की नदी में चलने वाली नौका पर नौकरी कर ली।

वहां काम करते अधिक दिन नहीं हुए कि जल दस्युओं का गिरोह उसे पकड़ कर समुद्र की ओर ले गया। माता-पिता को इसकी सूचना-मात्र मिली, इससे अधिक पता नहीं चला। उनका मुख्य अवलम्ब छिन गया। पिता पहले से ही दुर्बल थे, उनका दिल बैठ गया, वह उदास रहने लगे और एक दिन मौत की गोद में सो गये। वृद्धावस्था और दुर्बलता के बीच विधवा अकेली रह गई।

वह अपनी जीविका नहीं चला पाई। सदा उपवास पर रहने लगी। एक दिन वह अपने खाने के लिए बगीचे में कुछ तरकारियां तोड़ रही थी कि सहसा उसके घर का दरवाजा किसी ने खोल दिया। आगन्तुक समुद्री पोशाक पहने था और सूखकर कांटा हो गया था, मुर्दे की तरह पीला पड़ गया था। उसकी मुद्रा ऐसी थी, जैसी बीमारी और कष्ट से टूटे आदमी की होती है।

उसकी निगाह बुढ़िया पर पड़ी और वह झपट कर उसके सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गया और बच्चे की तरह सुबकने लगा। बेचारी बुढ़िया शून्य एवं अस्थिर नयनों से उसे ताक रही थी। ओ मेरी प्यारी अम्मा, क्या तुम अपने बेटे को नहीं पहचान रही हो? अपने गरीब बेटे जार्ज को? वह पहले के श्रेष्ठ लड़के का ध्वंसावशेष मात्र था, जो घावों, बिमारियों और विदेशी कारावासों के प्रहारों के खंडित, अपने क्षति अंगों को घर की ओर घसीटते हुए बचने के दृश्यों के बीच विश्राम पाने आया था।

वह उस शैया पर पड़ गया, जिस पर उसकी विधवा मां ने जाने कितनी ही निद्राहीन रातें बिताई थीं। वह फिर उससे उठ नहीं सका। अभागा जार्ज अनुभव कर चुका था कि ऐसी बीमारी में पड़े रहना, जहां कोई सांत्वना देने वाला नहीं है अकेले, कारागार में, जहां कोई उससे मिलने आने वाला नहीं है, कैसा होता है। अब वह अपनी मां का आंखों से ओझल होना सहन नहीं कर सकता था।

बेचारी मां उसकी शैया के पास घंटों बैठी रहती। कभी-कभी जार्ज स्वप्न से चौंककर इधर-उधर देखने लगता और तब तक देखता रहता जब तक मां को अपने ऊपर झुके हुए न देख लेता। तब वह मां का हाथ अपने हाथ में ले लेता, उसे अपनी छाती पर रखता और एक बच्चे की शांति के साथ गहरी नींद में सो जाता। इसी तरह वह मर गया। दूसरे रविवार को जब मैं गिरजे में गया तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गरीब बुढ़िया लड़खड़ाती हुई उसी तरह वेदिका की सीढ़ियों पर अपने स्थान की ओर बढ़ी जा रही है।

उसने कुछ ऐसी चीज पहनने की चेष्टा की थी, जो अपने पुत्र के प्रति शोकार्तता की द्योतक हो। पवित्र अनुराग और नितान्त अकिंचनता के बीच के इस संघर्ष से अधिक करुणा की और क्या बात हो सकती थी? कुछ धनी सदस्यों ने उसकी कहानी सुनकर द्रवित हो उसकी सिथति को सुखदायी बनाने और उसका दुख हल्का करने का प्रयत्न किया, किन्तु यह सब कब्र की ओर बढ़ते हुए चन्द कदमों को सरल बनाना भर था। एक या दो रविवारों की अवधि में ही वह गिरजे के अपने आसन पर अनुपस्थित पाई गई।

उसने शांतिपूर्वक अपनी अंतिम सांसें छोड़ दीं और जिन्हें वह प्यार करती थी, उनसे मिलने को उस लोक में चली गई, जहां शोक का कहीं पता नहीं और जहां मित्रों से कभी बिछोड़ नहीं होता। आज बन्दी छूटकर घर आ रहा है। करुणा ने एक दिन पहले ही घर लीप-पोत रखा था। इन तीन वर्षों में उसने कठिन तपस्या करके जो दस-पाँच रूपये जमा कर रखे थे, वह सब पति के सत्कार और स्वागत की तैयारियों में खर्च कर दिए।

तेलंगाना में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन अक्सर ये संसाधन वरदान की बजाय अभिशाप साबित होते हैं क्योंकि उनकी लूट के लिए होड़ मच जाती है। यह डर है कि वहां फिर माओवादी अपने अड्डे न बनाने लगे। यह सब इस पर निर्भर करता है कि नए राज्य के नेता अपनी सत्ता का इस्तेमाल कितनी जिम्मेदारी से करते हैं।

हालांकि अभी इस प्रस्ताव को कई मंजिलों से गुजरना है, लेकिन इस शुरुआत ने बाकी देश में कई अलग राज्यों की मांग को फिर हवा दे दी है। जैसी कि सभी को उम्मीद थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मौद्रिक नीति में कोई बदलाव नहीं किया है।

उम्मीद इसलिए थी, क्योंकि रिजर्व बैंक को इस वक्त डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत और इसकी वजह से महंगाई के बढ़ने की फिक्र है। यह बात और है कि रिजर्व बैंक की घोषणा की वजह से रुपया फिर डॉलर के मुकाबले 60 की सीमा के पार चला गया। रुपये को थामने के लिए रिजर्व बैंक ने बाजार से नकदी घटाने के उपाय कुछ ही दिन पहले शुरू किए थे, जिनका कुछ असर रुपये की कीमत पर पड़ा।

लेकिन मौद्रिक नीति और उसके पहले अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट से यह जाहिर हो जाता है कि रिजर्व बैंक इससे आगे शायद कुछ भी न कर पाए, इसलिए अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वित्तीय संस्थानों ने कदम उठाने शुरू कर दिए, जिनसे रुपये का रुख फिर गिरावट का हो गया। मौजूदा रिजर्व बैंक गवर्नर डी सुब्बाराव के कार्यकाल की यह आखिरी मौद्रिक नीति की घोषणा है।

दो महीने बाद वह रिटायर हो रहे हैं। अपने उथल-पुथल भरे और विवादास्पद कार्यकाल में सुब्बाराव ने भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पर भी देखा और अपने कार्यकाल की अंतिम रिपोर्ट में विकास दर के अनुमान को 5.7 से 5.5 तक घटते भी देखा। लेकिन ताजा मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक की क्षमता और उसकी सीमाओं को भी बताती है। रिजर्व बैंक ने नकदी घटाने के जो उपाय पिछले दिनों किए हैं और नई मौद्रिक नीति से विकास की गति पर प्रतिकूल असर तो पड़ेगा ही, लेकिन रिजर्व बैंक की मुख्य फिक्र महंगाई फिर से उसके चिंतन के केंद्र में आ गई है।

थोक मूल्य सूचकांक तो फिलहाल ठीक स्थिति में है, लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 10 प्रतिशत से थोड़ा ही नीचे है। रुपये की कीमत गिरने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम भी बढ़े हैं, इससे आयात का बिल बढ़ गया है और महंगाई के बढ़ने की भी आशंका है। चालू खाते का घाटा भी आयात के महंगा होने से बढ़ गया है और इस मोर्चे पर रिजर्व बैंक बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है।

उम्मीद सिर्फ यही है कि इससे निर्यात कुछ बढ़ेगा और चालू खाते का घाटा कम होगा। कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि महंगाई घटाने को अपना एकमात्र लक्ष्य मानकर रिजर्व बैंक ने जो ताबड़तोड़ ब्याज दरें बढ़ाई थीं, उससे भारत की विकास दर को भारी नुकसान पहुंचा। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी एक ताजा वक्तव्य में यह कहा है कि रिजर्व बैंक का काम सिर्फ महंगाई पर नियंत्रण करना नहीं है, उसे विकास और रोजगार को भी अपनी नीतियों में महत्व देना चाहिए।

मौजूदा रिजर्व बैंक का पूरा कार्यकाल महंगाई पर नियंत्रण में ही बीत गया, हो सकता है कि रिजर्व बैंक के अगले गवर्नर ऐसे हों जो वित्त मंत्री की इस राय से इत्तफाक रखें। रिजर्व बैंक का कहना है कि विकास दर बढ़ाने के लिए सरकार को अपनी ओर से कोशिशें करने की जरूरत है। कल जारी की गई रिपोर्ट में उसने कहा है कि विकास के लिए कम और स्थिर महंगाई एक शर्त है और यह तभी हो सकता है जब सरकार खाद्य और बुनियादी ढांचे में सप्लाई को बढ़ाए।

रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि बाजार में नकदी घटाने के उसके उपाय तात्कालिक हैं और रुपए के स्थिर होने पर धीरे-धीरे इन्हें हटाया जाएगा लेकिन उसने कोई समय सीमा नहीं दी है। जानकारों को उम्मीद यह है कि अक्टूबर तक रुपए की और देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति अब के मुकाबले कुछ बेहतर हो सकती है और तब रिजर्व बैंक विकास दर बढ़ाने के लिए ब्याज दरें घटा सकता है, आखिर उम्मीद पर दुनिया और भारतीय अर्थव्यवस्था भी टिकी हुई है।

फिर महंगाई से आम जनता त्रस्त है। खुदरा बाजार में रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के दाम काफी बढ़ गए हैं। जिस मौसम में साग-सब्जियों का उत्पादन होता है उस समय इनकी कीमतें कम होती हैं लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। लगभग पिछले दो माह से प्याज और टमाटर की कीमतें काफी ऊंची बनी हुई हैं। बाजार में दोनों वस्तुएं 50 से 60 रुपए किलो बिक रही हैं।

यद्यपि सरकार महंगाई काबू में होने का आंकड़ा पेश करती है और इसे अपनी उपलब्धियों में शामिल करती है लेकिन व्यावहारिक धरातल पर महंगाई नियंत्रण से बाहर लगती है। इस मौसम में टमाटर के दाम तो बढ़ जाते हैं लेकिन प्याज क्यों महंगा है? प्याज को लेकर बाजार में आग क्यों लगी हुई है, यह समझ से बाहर है। प्याज और टमाटर जैसी वस्तुओं की कीमतों में संतुलन बिगड़ने की वजह भंडारण की पर्याप्त सुविधा न होना भी है और किसानों से खरीद नीति में भी व्यावहारिकता का अभाव है।

सर्दियों में अंडे के दामों का बढ़ना आम माना जाता है लेकिन इस बार इसके दाम आसमान को छू रहे हैं। अंडा 7 रुपए में बिक रहा है जो कि करीब-करीब चिकन की कीमत के बराबर माना जा रहा है। पुणे की अंडा मंडी में फिलहाल 100 अंडे 585 रुपए में बिक रहे हैं, जिनकी प्रति अंडा कीमत देखी जाए तो बाजार में 6.50 से 7.50 रुपए पहुंच गई है।

इस हिसाब से अंडा 120 से 135 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है जबकि चिकन की कीमत 130 से 150 रुपए है। इस बार अंडे के दामों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है वह पहली बार देखा गया है। सब्जियों की कीमतें काफी बढ़ी हुई हैं, इसलिए लोग इनके मुकाबले अंडे खाना ज्यादा पसन्द करते हैं। देश में अंडा जल्दी और भारी मात्रा में सप्लाई होता है।

लोगों के पास आसानी से पहुंच जाने की वजह से भी यह लोगों की पहली पसन्द बना हुआ है। देश में अंडों की दर नियंत्रण के लिए एनईसीसी की स्थापना की गई है। एनईसीसी की ओर से विगत दो सप्ताह में प्रति अंडे की कीमत में 40 पैसे की बढ़ोतरी की गई। देश में 17 स्थानों पर एनईसीसी की शाखाएं हैं।

गत माह थोक महंगाई 3.59 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई, जबकि सितम्बर में यह 2.6 प्रतिशत थी। एक माह में महंगाई के सूचकांक में लगभग एक फीसदी वृद्धि हुई। केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को इस सम्बन्ध में आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के अनुसार डब्ल्यूपीआई में खाद्य समूह का सूचकांक 2.23 प्रतिशत बढ़ा है।

फल एवं सब्जी के दाम लगभग 10 प्रतिशत बढ़े हैं। चाय, अंडा, चिकन सहित रोजमर्रा की वस्तुएं भी 2 से 5 प्रतिशत महंगी हुई हैं। अखाद्य वस्तुओं की कीमत में भी लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फल, सब्जी, चाय एवं खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। फुटकर महंगाई की दर भी पिछले 7 महीने के स्तर पर पहुंच गई है। महंगाई का असर खान-पान के साथ ही अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ा है। महंगाई ने सस्ते ऋण की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है।

पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं जिसका असर महंगाई पर पड़ा है। पेट्रोल-डीजल महंगा होने से माल की दुलाई भी बढ़ती है। जीएसटी लागू होने के बाद सरकार का दावा था कि इससे खुदरा बाजार में कीमतें नीचे आएंगी लेकिन हकीकत इसके विपरीत ही रही है। बड़ी कम्पनियां एमआरपी बढ़ा रही हैं और मुनाफाखोरी भी बढ़ रही है।

जीएसटी के मामले में बचने के लिए छोटे व्यापारी तो बिना बिल के माल बेच रहे हैं। आंकड़े बोलते हैं, हम सुनते हैं, भरोसा भी कर लेते हैं लेकिन आम लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। मुनाफाखोरी के कारण जीएसटी दरें तय होने से उपभोक्ताओं को होने वाला फायदा भी उन तक नहीं पहुंच पा रहा।

जिन भी कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, उन्हें इसका फायदा अपने ग्राहकों को देना होता है। जब कोई कारोबारी कच्चा माल या अन्य सामग्री खरीदता है तो उसे टैक्स भरना पड़ता है, यह इनपुट टैक्स होता है।

वही मेरे हृदय के कोने-कोने में, इन घाटियों में और इन पहाड़ों में व्यापक है। उन्होंने अपने उत्तेजित स्वर को और भी ऊंचा करके कहा, वास्तव में मैं जानता हूँ। वह तो मेरे अन्तःकरण की चीत्कार है।

मैं यहां रह रहा हूँ, किंतु मेरे अस्तित्व की गहराइयों में भूख और प्यास भरी हुई है, और अपने हाथों द्वारा बनाये तथा सजाये पात्रों में ही जीवन की मदिरा तथा रोटी लेकर खाने में मुझे आनंद मिलता तथा इसीलिए मैं मनुष्यों के निवास स्थान को छोड़कर यहां आया हूँ और अंत तक यहीं रहूंगा। वे उस कमरे में व्याकुलता से आगे पीछे घूमते रहे और मैं उनके कथन पर विचार करता रहा तथा समाज के गहरे घावों की व्याख्या का अध्ययन करता रहा।

तब मैंने यह कहकर ढंग से एक और चोट की, मैं आपके विचारों तथा आपकी इच्छाओं का पूर्णतः आदर करता हूँ और आपके एकान्तवास पर मैं श्रद्धा भी करता हूँ। और ईर्ष्या भी। किन्तु आपके अपने से अलग करके अभागे राष्ट्र ने काफी नुकसान उठाया है, उसे एक ऐसे समाज सुधारक की आवश्यकता है, जो कठिनाइयों में उसकी सहायता कर सके और सुप्त चेतना को जगा सके।

उन्होंने धीमे-से अपना सिर हिलाकर कहा, यह राष्ट्र भी दूसरे राष्ट्रों की तरह ही है, और यहां के लोग भी उन्हीं तत्वों से बने हैं, जिनसे शेष मानव। अंतर है तो मात्र बाह्य आकृतियों का, जो कोई अर्थ ही नहीं रखता। हमारे पूर्वीय राष्ट्रों की वेदना सम्पूर्ण संसार की वेदना है। और जिसे तुम पाश्चात्य सभ्यता कहते हो वह और कुछ नहीं, उन अनेक दुखान्त भ्रामक आभासों का एक और रूप है।

पाखण्ड तो सदैव ही पाखण्ड रहेगा, चाहे उसकी उंगलियों को रंग दिया जाये तथा चमकदार बना दिया जाये। जबान कभी न बदलेगी चाहे उसका स्पर्श कितना भी कोमल तथा मधुर क्यों न हो जाये। असत्यता कभी भी सत्यता में परिणत नहीं की जा सकती, चाहे तुम उसे रेशमी कपड़े पहनाकर महलों में ही क्यों न बिठा दो।

और लालसा कभी संतोष नहीं बन सकती है। रही अनंत गुलामी, चाहे वह सिद्धांतों की हो, रीति-रिवाजों की हो या इतिहास की हो सदैव गुलामी ही रहेगी, कितना ही वह अपने चेहरे को रंग ले और अपनी आवाज को बदल ले। गुलामी अपने डरावने रूप में गुलामी ही रहेगी, तुम चाहें उसे आजादी ही कहों। नहीं मेरे भाई, पश्चिम न तो पूर्व से जरा भी ऊंचा है और न जरा भी नीचा। दोनों में जो अंतर है वह शेर और शेर-बबर के अंतर से अधिक नहीं है।

समाज के बाह्य रूप के परे मैंने एक सर्वोचित और सम्पूर्ण विधान खोज निकाला है, जो सुख-दुख तथा अज्ञान सभी को एक समान बना देता है। वह विधान में एक जाति को दूसरी से बढ़कर मानता है और न एक को उभारने के लिए दूसरे को गिराने का प्रयत्न करता है। मैंने विस्मय से कहा, मनुष्यता का अभिमान झूठा है और उसमें जो कुछ भी है वह सभी निस्सार है। उन्होंने जल्दी से कहा, हां, मनुष्यता एक मिथ्या अभिमान है। मुक्त भाव से मुस्कराते, फिर भी चतुराई दिखाते उस रूसी ने बताया कि अपने घाव के कारण जब वह अस्पताल में था, उसने पूछा कि रूस किधर है? और उसे उसके घर की आम दिशा बात दी गई।

जैसे ही वह चलने लायक हुआ, वह वहां से निकल पड़ा और सूरज तथा सितारों से दिशा का अंदाज करता घर की ओर बढ़ा। वह रात को चला दिन को चला और गश्त करने वालों को चकमा देने के लिए घास के ढेर में छिपता रहा। खाने के लिए उसने कुछ फल इकट्ठे कर लिये। यहां-वहां से रोटी भी मांग लेता था। आखिर उस रात चलने के बाद वह इस झील पर पहुंचा।

अब आगे की कहानी फिर उलझ गई। वह साइबेरिया का किसान था। उसका घर बेकाल झील के पास था। वह जेनेवा झील के दूसरे किनारे की कल्पना कर सकता था। और उसने सोचा, वह जरूर रूस होगा। उसने एक झोंपड़ी से दो शहतीर चुराये और उनके ऊपर झील पार की और वहां आया, जहां मछुवे ने उसे उत्सुकता से यह पुछते हुए अपनी कहानी समाप्त की, क्या मैं कल घर पहुंच सकता हूँ? इस सवाल के तर्जुमें से वे लोग बड़े जोर से हंस पड़े, जिन्होंने पहले सोचा कि वह निरा बुद्ध है, लेकिन बाद में सोचने पर वे हमदर्दी से भर उठे और सबने थोड़ा-थोड़ा पैसा उस डरपोक और रुआंसे भगोड़े के लिए इकट्ठा कर दिया।

आखिर एक दिन उसने प्रकाश से कहा बेटा, अगर तुमने विलायत जाने की ठान ही ली है, तो चले जाओ। मना न करूँगी। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें रोका। अगर मैं जानती कि तुम्हें इतना आघात पहुँचेगा, तो कभी न रोकती। मैंने तो केवल इस विचार से रोका था कि तुम्हें जाति-सेवा में मग्न देखकर तुम्हारे बाबूजी की आत्मा प्रसन्न होगी। उन्होंने चलते समय यही वसीयत की थी। प्रकाश ने रूखाई से जवाब दिया अब क्या जाऊँगा। इनकारी-खत लिख चुका। मेरे लिए कोई अब तक बैठा थोड़े ही होगा।

कोई दूसरा लड़का चुन लिया होगा और फिर करना ही क्या है? जब आपकी मर्जी है कि गाँव-गाँव की खाक छानता फिरूँ, तो वही सही। करुणा का गर्व चूर-चूर हो गया। इस अनुमति से उसने बाधा का काम लेना चाहा था पर सफल न हुई। बोली अभी कोई न चुना गया होगा। लिख दो, मैं जाने को तैयार हूँ। प्रकाश ने झुंझलाकर कहा अब कुछ नहीं हो सकता।

लोग हँसी उड़ायेंगे। मैंने तय कर लिया है कि जीवन को आपकी इच्छा के अनुकूल बनाऊँगा। करुणा तुमने अगर शुद्ध मन से यह इरादा किया होता, तो यों न रहते। तुम मुझसे सत्याग्रह कर रहे हो अगर मन को दबाकर, मुझे अपनी राह का काँटा समझकर तुमने मेरी इच्छा पूरी भी की, तो क्या? मैं तो जब जानती कि तुम्हारे मन में आप-ही-आप सेवा का भाव उत्पन्न होता। तुम आप ही रजिस्ट्रार साहब को पत्र लिख दो। प्रकाश अब मैं नहीं लिख सकता। तो इसी शोक में तने बैठे रहोगे? लाचारी है।

करुणा ने और कुछ न कहा। जरा देर में प्रकाश ने देखा कि वह कहीं जा रही है मगर वह कुछ बोला नहीं। करुणा के लिए बाहर आना-जाना कोई असाधारण बात न थी लेकिन जब संध्या हो गई और करुणा न आयी, तो प्रकाश को चिन्ता होने लगी। अम्मा कहाँ गयीं? यह प्रश्न बार-बार उसके मन में उठने लगा। प्रकाश सारी रात द्वार पर बैठा रहा।

भाँति-भाँति की शंका मन में उठने लगीं। उसे अब याद आया, चलते समय करुणा कितनी उदास थी उसकी आंखें कितनी लाल थी। यह बातें प्रकाश को उस समय क्यों न नजर आई? वह क्यों स्वार्थ में अंधा हो गया था? हाँ, अब प्रकाश को याद आया माता ने साफ-सुथरे कपड़े पहने थे। उनके हाथ में छतरी भी थी। तो क्या वह कहीं बहुत दूर गयी हैं? किससे पूछे? अनिष्ट के भय से प्रकाश रोने लगा। श्रावण की अँधेरी भयानक रात थी। आकाश में श्याम मेघमाला भीषण स्वप्न की भाँति छाई हुई थी।

प्रकाश रह-रहकर आकाश की ओर देखता था, मानो करुणा उन्हीं मेघ मालाओं में छिपी बैठी है। उसने निश्चय किया, सवेरा होते ही माँ को खोजने चलेगा और किसी ने द्वार खटखटाया। प्रकाश ने दौड़कर खोल, तो देखा, करुणा खड़ी है। उसका मुख-मंडल इतना खोया हुआ, इतना करुण था, जैसे आज ही उसका सुहाग उठ गया है, जैसे संसार में अब उसके लिए कुछ नहीं रहा, जैसे वह नदी के किनारे खड़ी अपनी लदी हुई नाव को डूबते देख रही है और कुछ कर नहीं सकती।

प्रकाश ने अधीर होकर पूछा अम्मा कहाँ चली गई थीं? बहुत देर लगाई? करुणा ने भूमि की ओर ताकते हुए जवाब दिया एक काम से गई थी। देर हो गई। यह कहते हुए उसने प्रकाश के सामने एक बंद लिफाफा फेंक दिया। प्रकाश ने उत्सुक होकर लिफाफा उठा लिया। ऊपर ही विद्यालय की मुहर थी। तुरन्त ही लिफाफा खोलकर पढ़ा। हलकी-सी लालिमा चेहरे पर दौड़ गयी। पूछा यह तुम्हें कहाँ मिल गया अम्मा? करुणा तुम्हारे रजिस्ट्रार के पास से लाई हूँ। क्या तुम वहाँ चली गई थी? और क्या करती।

कल तो गाड़ी का समय न था? मोटर ले ली थी। प्रकाश एक क्षण तक मौन खड़ा रहा, फिर कुंठित स्वर में बोला जब तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मुझे क्यों भेज रही हो? करुणा ने विरक्त भाव से कहा कि तुम्हारी जाने की इच्छा है। तुम्हारा यह मलिन वेश नहीं देखा जाता। अपने जीवन के बीस वर्ष तुम्हारी हितकामना पर अर्पित कर दिए, अब तुम्हारी महत्त्वाकांक्षा की हत्या नहीं कर सकती। तुम्हारी यात्रा सफल हो, यही हमारी हार्दिक अभिलाषा है। करुणा का कंठ रूंध गया और कुछ न कह सकी।

प्रकाश उसी दिन से यात्रा की तैयारियाँ करने लगा। करुणा के पास जो कुछ था, वह सब खर्च हो गया। कुछ ऋण भी लेना पड़ा। नए सूट बने, सूटकेस लिए गए। प्रकाश अपनी धुन में मस्त था। कभी किसी चीज की फरमाइश लेकर आता, कभी किसी चीज का। करुणा इस एक सप्ताह में इतनी दुर्बल हो गयी है,

संतुलित तापमान की जो बीच की ऋतुएं थीं, खासकर वसंत गायब हो गया है। अब तेज सर्दी के बाद सीधे तेज गरमी पड़ने लगती है। इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। शायद काफी हद तक यह सच भी है, लेकिन प्रकृति के चक्र के बहुत कम रहस्य हमें अब तक पता चले हैं, इसलिए हो सकता है कि मौसम के बदलाव के कुछ और भी कारण हों।

आखिरकार लाखों साल से पृथ्वी पर मौसम बदलते रहे हैं और न जाने कितने बड़े छोटे हिम युग और गरमी के दौर आते-जाते रहे। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ भी हमेशा से नहीं थी और जो क्षेत्र आज रेगिस्तान हैं, वे भी हमेशा से रेगिस्तान नहीं थे। धरती की उम्र के मुकाबले हमारा समय का पैमाना बहुत छोटा है और विज्ञान की बड़ी तरक्की के बाद भी प्राकृतिक घटनाओं की हमारी जानकारी बहुत कम है। पिछले कुछ समय से हम इस सोच में उलझे हुए हैं कि मौसम का बदलाव हमारी किन्हीं गतिविधियों का नतीजा तो नहीं है।

पर यह भी संभव है कि ग्लोबल वार्मिंग मौसम में बदलाव के लिए जिम्मेदार हो, या यह भी हो सकता है कि पृथ्वी पर कोई नया हिमयुग या गरम दौर आने वाला हो। यह सही है कि प्रदूषण घटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग न हो, तब भी प्रदूषण मनुष्यों व दूसरे जीवों और वनस्पतियों के लिए खतरनाक है। इसके अलावा अब हमें मौसम की अनियमितता के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर हर बारिश के बाद शहरों में ट्रैफिक जाम हो जाएं, या कोहरे की वजह से ट्रेनें और हवाई जहाज ठिठक जाएं, तो बड़ी मुश्किल होगी।

ये दिक्कतें कुछ टेक्नोलॉजी और कुछ कार्य-कुशलता से खत्म की जा सकती हैं। इसके अलावा हमें अपनी खेती-बाड़ी के तौर-तरीकों में जरूरी बदलाव लाने होंगे। सबसे बड़ी जरूरत पानी के संग्रहण और उसके इस्तेमाल के तरीकों में बदलाव की है। बारिश किसी भी मौसम में हो, जरूरी यह है कि इस पानी को बह जाने से रोका जाए, ताकि बाढ़ न आए और बाद में पानी की किल्लत भी न हो। तालाबों और नदियों की देखभाल पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अनियमित बारिश के जमाने में पुराने अंदाज से अपनी गतिविधियां चलाने से काम नहीं चलेगा। फरवरी के महीने में मूसलाधार बारिश आज हमें आश्चर्यचकित कर रही है, लेकिन अब जिस तरह से बदलाव सामने आ रहे हैं, हमें मौसम के मिजाज में अप्रत्याशितता को ही प्रकृति का नियम मान लेना चाहिए।

लगभग तीन-चार साल बाद स्वाइन फ्लू फिर लौट आया है। तमाम राज्यों से स्वाइन फ्लू की खबरें आ रही हैं। कुछ लोग इससे मर भी चुके हैं। आधुनिक समय में परिवहन के साधन बहुत तेज हैं, लोग काफी दूर-दूर की यात्राएं करते हैं, इसलिए स्वाइन फ्लू एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा तेजी से पहुंचता है। यह संक्रमण कितना भयानक हो सकता है, इसका अंदाजा 1918-20 के दौरान हुए स्पैनिश फ्लू की तबाही से लगाया जा सकता है। इस महामारी ने लगभग 50 करोड़ लोगों को बीमार किया था और अंदाजन दो से पांच करोड़ लोग मारे गए थे। याद रखने की बात है कि उस समय दुनिया की जनसंख्या लगभग 200 करोड़ थी।

अब यह संक्रमण इस भयानक हद तक नहीं पहुंच पाता। वायरस से होने वाली तमाम बीमारियों की तरह फ्लू के वायरस का एक बार संक्रमण हो जाने के बाद उसके प्रति प्रतिरोध क्षमता पैदा हो जाती है, लेकिन फ्लू का वायरस कुछ वक्त बाद अपनी संरचना बदलकर वापस आ जाता है। फिलहाल जो वायरस संक्रमण फैला रहा है, वह वही एच1एन1 वायरस है, जो तीन-चार साल पहले फैला था, लेकिन उसकी संरचना में फेरबदल ज्यादा शोध के बाद ही पता चलेगा। यह भी बताना जरूरी है कि स्वाइन फ्लू नाम भले ही चलन में आ गया हो, लेकिन यह स्वाइन फ्लू है नहीं। स्वाइन फ्लू का वायरस सूअर से मनुष्यों में फैलता है, लेकिन एच1एन1 वायरस सिर्फ मनुष्यों पर आक्रमण करता है। इस गलतफहमी की वजह से पिछली बार कई देशों में बेचारे सूअरों को मार डाला गया था। एच1एन1 दरअसल इंसानी फ्लू का वायरस है, लेकिन इसमें कुछ जीन्स बर्ड फ्लू के और कुछ स्वाइन फ्लू के भी हैं, इसलिए इसे स्वाइन फ्लू कहा जा रहा है। आमतौर पर यह फ्लू जानलेवा नहीं होता, लेकिन बच्चों, बूढ़ों, कुपोषित लोगों में या जिनकी प्रतिरोधी क्षमता कम है, उनमें यह खतरनाक हो जाता है। यह इंसानों से इंसानों में पहुंचता है, इसलिए जो लोग भीड़ भरी जगहों में जाते हैं, उन्हें इसका खतरा हो सकता है। अगर संक्रमित लोगों से बचा जाए और सफाई का खास खयाल रखा जाए, तो इससे बचाव हो सकता है। फ्लू का संक्रमण एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है, जिसे हमने नियंत्रित तो कर लिया है,

जाहिर है, इतनी रचनात्मक और समृद्ध संस्कृति सभी समूहों के मिलने—जुलने से ही पैदा हो सकती है। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि वेदों के तमाम ऋषि अलग—अलग जातियों और पेशों का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रकृति की तरह ही संस्कृति का विकास भी मिश्रण से ही होता है।

जेनेटिक्स आधारित यह वैज्ञानिक शोध इस मायने में भी काफी महत्वपूर्ण है कि यह हमें अपनी परंपरागत सामाजिक—वैचारिक जकड़बंदियों से बाहर आकर ज्यादा उदार और प्रगतिशील होने में मदद कर सकता है। एक देश के रूप में हमारी बहुत सी उम्मीदें 66 साल पुरानी हैं, सपने तो शायद उससे भी ज्यादा पुराने हैं।

पूरी आजादी की लड़ाई में लक्ष्य सिर्फ राजनैतिक आजादी भर ही नहीं था। यह ठीक है कि अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने की तत्काल जरूरत उस समय बहुत बड़ी थी, लेकिन इसी के साथ जुड़ी एक सोच यह भी थी कि हमें उन बहुत सारी बेड़ियों से मुक्ति पानी है, जो सारे जहां से अच्छे इस देश को आगे बढ़ने से रोक रही हैं।

यह जरूर है कि उस दौर में भी देश की दिशा और उसकी राह को लेकर बहुत से लोगों की राय अलग—अलग थी। लेकिन एक साझा सपना भी था— एक ऐसा भारत बनाने का, जिसमें हर आंख का हर आंसू पोछा जाएगा। यह भी सच है कि आजादी के बाद आंसू पोछने की पक्की व्यवस्थाएं हम नहीं बना सके, हां आंसुओं की बाढ़ के मौके और कारण जरूर देश भर में जगह—जगह पैदा हो गए। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देखे गए वे सारे सपने हवाई थे, या आजादी से अतिशय उम्मीदों का नतीजा थे।

यह एहसास सपने देखने वालों को भी था कि इन्हें हकीकत में बदलने की कवायद लंबी होगी, रास्ता आसान नहीं होगा और तकलीफों से भरा होगा। वे जानते थे कि आजादी अपने साथ नई और काफी बड़ी चुनौतियों को लेकर आएगी। यही वजह है कि आजादी के बाद विभाजन के दर्द को सहने, और साथ ही देश को एक बनाए रखने के लिए उस दौर के लोगों ने काफी खून—पसीना भी बहाया था। इस उम्मीद के साथ कि नवजात आजादी के तत्काल बाद की तकलीफें खुशहाली के नए भविष्य का रास्ता तैयार करेंगी।

लेकिन आज 66 साल बाद लगता है कि तकलीफों का यह सिलसिला कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच गया। तमाम क्षेत्रों की ढेर सारी तरक्की के बावजूद सबकी खुशहाली की वह मंजिल अब भी बहुत दूर लगती है। इस बीच राजनीतिक भ्रष्टाचार से लेकर आम आदमी की सुरक्षा जैसी बहुत सी तकलीफें भी हमने साथ जोड़ ली हैं। अर्थव्यवस्था अब भी पूरी तरह अपने पांवों पर नहीं खड़ी है। चालू खाते के घाटे से लेकर महंगाई और बेरोजगारी जैसे न जाने कितने संकटों से हम जूझ रहे हैं। घटने—बढ़ने के तमाम तर्कों के साथ गरीबी बदस्तूर जारी है।

इस बीच देश की सीमाओं पर घटने वाली अनहोनी घटनाओं की खबरें भी लगातार आ रही हैं। आतंकवाद तो खैर एक बड़ी समस्या है ही। देश के भीतर के सामाजिक, राजनीतिक दबाव भी कुछ कम नहीं हैं। देश के लगभग हर कोने में एक नया प्रदेश बनाने की मांग उठ ही रही है। फिर पर्यावरण में बदलाव से लड़ने का काम कितना अहम है, इसे हम उत्तराखंड की त्रसदी से समझ ही चुके हैं। जिस संसद से सबसे ज्यादा उम्मीद की जा सकती थी, वह अपना कामकाज तक ठीक से नहीं चला पा रही। ऐसी तमाम समस्याओं के बावजूद अच्छी बात यह है कि हमारे पास उम्मीद की कई किरणें भी हैं।

हमारी न्यायपालिका तमाम खामियों के बावजूद कई तरह के बाहरी दबावों से मुक्त है। चुनाव आयोग के रूप में हमारे पास ऐसी संस्था है, जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। अपनी सरकार खुद चुनने की जनता की आजादी पर कोई खतरा नहीं है और यह जनता खुली अराजकता को बार—बार नकार चुकी है। दामिनी कांड और कुछ अन्य मौकों पर यह भी साफ हो गया कि जनता सरकार को सही राह चुनने को बाध्य करने की ताकत भी रखती है। आज स्वतंत्रता दिवस पर जरूरत है, ऐसी उम्मीदों को बढ़ाने की और तमाम निराशाओं को लगातार कम करने की। याद रखें कि हर आंख का हर आंसू पोछना अब भी हमारा सपना और संकल्प है। यही सबसे बड़ी चुनौती भी है।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर साल झंडों की बिक्री बढ़ जाती है, ऐसा दूसरा मौका गणतंत्र दिवस का होता है। जब से झंडा फहराने के बारे में नियमों में संशोधन करके उन्हें उदार बनाया गया है, तब से आम लोगों में झंडा फहराने का उत्साह बढ़ा है, और लगभग तभी से देश में आम तौर पर चीन में बने हुए झंडे ही बिकते हैं।

जम्मू-कश्मीर समस्या के समाधान के लिए बातचीत का जो प्रस्ताव गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया है उसका खुले दिल से स्वागत किया जाना चाहिए हालांकि यह तजवीज बहुत लम्बा समय व्यर्थ में गंवाने के बाद की गई है। यह सिवाय भुलावे के कुछ और नहीं हो सकता कि भारत के किसी राज्य की समस्याओं का हल सैनिक तरीके से निकाला जा सकता है।

सबसे पहले यह समझा जाना बहुत जरूरी है कि कश्मीरी जनता मूल रूप से भारत के पक्ष में रही है और यह पाकिस्तान विरोधी रही है। भारतीय संघ का हिस्सा रहते हुए ही यह प्रदेश कुछ खास रियायतों की मांग जरूर अपनी भौगोलिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखते हुए करता रहा है।

इस तथ्य का, इस सूबे का भारतीय संघ में विलय करते समय भी संज्ञान लिया गया था तभी 1947 में इस रियासत के तत्कालीन महाराजा हरिसिंह की वे शर्तें भारत की सरकार ने स्वीकार की थीं जिसके तहत इसे विशेष राज्य का दर्जा देते हुए इसके लिए पृथक संविधान की व्यवस्था की गई थी। जिस अनुच्छेद 370 पर विवाद शुरू से ही गर्माया जाता रहा है उसकी हकीकत केवल इतनी है कि यह भारत की आजादी के बाद भारतीय संघ का हिस्सा बनाए गए जम्मू-कश्मीर को नई दिल्ली से जोड़ने वाला मजबूत पुल है।

हम इस हकीकत को भूल जाते हैं कि भारत से पाकिस्तान के अलग होते समय जम्मू-कश्मीर एक स्वतन्त्र रियासत थी और इसका विलय 26 अक्टूबर 1947 को भारत में तब हुआ जब इस पर पाकिस्तानी फौजों ने कबायलियों का सहारा लेकर आक्रमण कर दिया था। पाकिस्तान शुरू से ही इसे विवादित क्षेत्र बनाना चाहता था और इसके लिए उसी मजहब को आगे कर रहा था जिसके आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था

मगर कश्मीरी जनता ने पाकिस्तान के इस मंसूबे को कभी स्वीकार नहीं किया और इस राज्य के सबसे लोकप्रिय नेता स्व. शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ने 1950 में राष्ट्र संघ में जाकर यह साफ किया कि कश्मीरी भारत के साथ ही पूरे सम्मान के साथ रह सकते हैं। यह ऐसा इतिहास है जिसे किसी भी तरह पलटा नहीं जा सकता।

बेशक कालान्तर में कश्मीर के पृथक संविधान को लेकर राजनीतिक आंदोलन जनसंघ के संस्थापक डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया और 1953 में पं. जवाहर लाल नेहरू को शेख साहब की सरकार को बर्खास्त करके नजरबंद करना पड़ा मगर यह भी हकीकत है कि चीन से युद्ध के बाद 1963 में जब स्वयं पं. नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा करके पाकिस्तान भेजा तो इस्लामाबाद पहुंचने पर पाक के तत्कालीन फौजी हुक्मरान जनरल अयूब ने शेख साहब का राजकीय स्वागत किया और उन पर पाकिस्तान के हक में आने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपनाये मगर जब शेख साहब ने इस्लामाबाद छोड़ा तो जनरल अयूब ने उन्हें नेहरू का गुर्गा कहकर विदा किया। अतः पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि कश्मीरी जनता किसी भी नुकते से कभी भी पाकिस्तान के हक में नहीं रही है। पाकिस्तान को शुरू से यही हकीकत फांस की तरह चुभती रही है और वह यहां की जनता को बरगलाने के लिए सारे दांवदुपेंच भिड़ाता रहा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनाने की जुगत भिड़ाता रहा है।

जनरल अयूब ने तो 1965 का युद्ध सिर्फ कश्मीर के मुद्दे पर ही बेवजह लड़ा था और कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की शह पर लड़ा था जिसके पीछे अमरीका का हाथ स्पष्ट था। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. लाल बहादुर शास्त्री ने ऐलान किया था कि समूचा जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके किसी हिस्से पर कोई चोट किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी लेकिन पाकिस्तान समूचे राज्य में राष्ट्र संघ के उस प्रस्ताव का रोना रोता रहता था जो 1948 में उसने पारित करके कहा था कि पूरे सूबे में जनमत संग्रह करके फैसला किया जाना चाहिए।

भारत ने इस प्रस्ताव को शुरू में ही कूड़ेदान में डाल दिया था और कहा था कि कश्मीर का फैसला तभी हो गया था जब इसके विलय पत्र पर महाराजा हरिसिंह ने 26 अक्टूबर को हस्ताक्षर किये थे और उसके बाद पं. नेहरू ने इस पर शेख अब्दुल्ला के भी हस्ताक्षर इसलिए कराये थे कि अकेले वही एकमात्र ऐसे नेता थे जो पूरे जम्मू-कश्मीर के नागरिकों का प्रतिनिधित्व अपनी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस के जरिये करते थे और इसमें हिन्दू-मुसलमान अपनी कश्मीरी पहचान की मार्फत प्रमुख थे।

गुजरात चुनावों की वजह से संसद का शीतकालीन सत्र टाल कर केन्द्र की भाजपा सरकार ने स्वयं ही आलोचना को निमन्त्रण दिया है। इसे विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी दल की कमजोरी के रूप में दिखाने का प्रयास कर रही है। हमने जिस लोकतान्त्रिक प्रणाली को अपनाया है उसमें संसद के सर्वोच्च होने में किसी प्रकार का सन्देह नहीं होना चाहिए क्योंकि केवल इसी में सत्ता पर काबिज सरकार की जवाब-तलबी की जा सकती है।

यह जवाबदेही जनता के उन चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति होती है जिन्हें आम जनता अपने वोट की ताकत पर चुनकर लोकसभा में भेजती है। यह बेवजह नहीं है कि हमारे संविधान में केवल लोकसभा को ही किसी सरकार को बनाने या हटाने का अधिकार दिया गया है जबकि दूसरे सदन राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, को केवल सरकार की नीतियों की समालोचना करने का अधिकार ही प्राप्त है। अतः किसी भी चुनी हुई सरकार का यह पहला कर्तव्य बनता है कि वह लोकसभा को अपने कामकाज का पूरा हिसाब-किताब दे।

सवाल यह नहीं होता है कि सरकार में विपक्ष की आलोचना सहने की क्षमता है या नहीं बल्कि असली सवाल यह होता है कि उसमें पांच वर्ष बाद होने वाले चुनावों से पूर्व ही बीच-बीच में जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की क्यूवत है या नहीं। यह कार्य संसद का सामना किये बिना किसी भी बड़ी से बड़ी जनसभा का आयोजन करके नहीं किया जा सकता है।

इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि संसद में सरकार की तरफ से जो भी जवाब दिया जायेगा वह पुख्ता तौर पर विश्वसनीय होगा, उसमें थोड़ा भी घालमेल होने पर सरकार के खिलाफ देश को गुमराह करने के लिए मानहानि का प्रस्ताव आ जायेगा जबकि जनसभाओं में किसी भी पार्टी का कोई भी नेता तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर सकता है। विपक्ष का मुख्य आरोप है कि सरकार नोटबन्दी और जीएसटी लागू होने से हुए परिणामों के डर से संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने से भाग रही है।

जाहिर है कि नोटबन्दी के परिणामों की सबूतों के साथ तसदीक केवल संसद के पटल पर ही हो सकती है क्योंकि सरकार जो भी आंकड़े पेश करेगी वे पुख्ता सबूतों के साथ ही होंगे। यह तर्क लोकतन्त्र में वाजिब कहा जायेगा कि जब पिछले वर्ष 8 नवम्बर को नोटबन्दी की घोषणा प्रधानमन्त्री ने की थी तो उसके एक सप्ताह बाद ही आयोजित संसद के सत्र में इस मुद्दे पर उनके बयान की मांग की गई थी मगर काफी शोर-शराबे के बाद ही यह काम हो सका था।

संसद में नोटबन्दी के बाद अपने नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगे 100 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए विपक्षी दल शोक प्रस्ताव भी लाना चाहते थे, यह भी संभव नहीं हो पाया था। इसके साथ ही जीएसटी लागू करने के लिए जब सरकार ने संसद में आधी रात को एक भव्य समारोह का आयोजन किया था तो भी कांग्रेस पार्टी ने इसका बहिष्कार किया था। दोनों ही मुद्दों पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार के इन कदमों से देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है और सकल विकास वृद्धि दर में दो प्रतिशत की कमी आने के साथ ही 15 लाख लोग बेरोजगार हो गये हैं।

ये आंकड़े सिर्फ मोटेदृमोटे आकलन पर ही हवा में तैर रहे हैं जिसकी वजह से आम आदमी गफलत में है। सरकार विपक्ष के इन आरोपों का मुकाबला अपने गोल-मोल विज्ञापन अभियान से देने की कोशिश कर रही है मगर इससे भ्रम का वातावरण ही बन रहा है परन्तु आर्थिक मोर्चे पर उभरे इन सवालों को दरकिनार करने के लिए सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने एक फिल्म पद्मावती पर अनावश्यक विवाद को तूल दे दिया है और इस पार्टी द्वारा शासित विभिन्न राज्यों के मुख्यमन्त्रियों ने इसके खिलाफ मोर्चा जैसा खोल दिया है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहान ने तो पद्मावती को राष्ट्रमाता तक की उपाधि से अलंकृत कर डाला है परन्तु गुजरात चुनावों को देखते हुए ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी अपने शासन के पंजाब के मुख्यमन्त्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह को भी इस विवाद में उतार दिया है और उन्होंने भी फिल्म की आलोचना कर डाली है मगर इससे इतना स्पष्ट हो ही गया है कि पद्मावती और गुजरात चुनाव गुथमगुथ्या हो गये हैं।

यह भी तर्क दिया जा सकता है कि पद्मावती विवाद संसद का सत्र चालू रहते भी उठाया जा सकता था? मगर यह फर्क जरूर रहता कि उस परिस्थिति में सरकार को अपनी नीति के बारे में दो-टूक घोषणा करनी पड़ती।

शशि थरूर विवादों के लिए अजनबी नहीं। संयुक्त राष्ट्र में पूर्व राजनयिक रहे और फिर राजनीति में आकर यूपीए सरकार में मंत्री बने शशि थरूर को इंडियन प्रीमियर लीग में एक टीम की नीलामी में अपनी भूमिका को लेकर विवाद के कारण विदेश राज्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

2009 में ट्विटर पर थरूर के एक लाख साठ हजार से ज्यादा फॉलोअर थे और बहुत से लोग मजाक में उन्हें ट्विटर मिनिस्टर कहते थे। 2009 के लोकसभा चुनावों में थरूर ने अपने राजनीतिक करियर का बहुत शानदार आगाज किया था और सरकार में शामिल हुए थे। उस समय भारत के बुजुर्ग राजनीतिक तंत्र में शशि थरूर का युवा, प्रतिभाशाली, ऊर्जावान नेता के तौर पर जनता ने भी स्वागत किया था।

शशि थरूर एक बार फिर चर्चा में हैं। इसका संबंध उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय हालात में हुई मौत से जुड़ा हुआ है। सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला इतनी परतों में उलझ चुका है कि अभी तक आधा सत्य ही सामने आया है।

पूर्ण सत्य क्या है, अभी इसकी परतें खुलना बाकी हैं। जब उनकी पत्नी और दुबई की कारोबारी रही सुनंदा पुष्कर ट्विटर पर हुए एक विवाद के बाद दिल्ली के एक होटल में मृत पाई गईं तो इस ट्विटर विवाद से ऐसा लगा था कि थरूर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के बीच अफेयर था। हालांकि थरूर और तरार दोनों ने ही अफेयर की बात का खंडन किया था। सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद सोशल मीडिया पर तूफान उठ खड़ा हुआ था। कभी कहा गया कि इन दोनों के रिश्ते खराब थे। विभिन्न बीमारियों के चलते सुनंदा पुष्कर का उपचार चल रहा था। वह गम्भीर अवसाद की स्थिति में थीं।

किसी ने तो यहां तक लिखा था कि जो लोग ट्विटर पर रहते हैं, वह ट्विटर पर ही मर जाते हैं। इसके बाद ही सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला उलझता ही गया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी काफी विवाद रहा। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डा. सुधीर गुप्ता ने आरोप लगाया था कि उन पर सुनंदा पुष्कर की मौत को सामान्य बनाने का दबाव था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि सुनंदा की मौत अचानक और अप्राकृतिक कारणों से हुई थी।

मेडिकल टीम ने खुलासा किया कि सुनंदा की मौत जहर देने से हुई। 20 मई, 2015 को ट्रायल कोर्ट ने मामले की जांच कर रही टीम को तीन लोगों के लाई डिटेक्टर टेस्ट की अनुमति दी थी। दिल्ली पुलिस के विशेष जांच दल ने अमरीकी जांच एजेंसी एफबीआई के अफसरों की मदद भी ली थी। नवम्बर 2015 में एफबीआई ने सुनंदा की मौत की वजह जहर होने की आशंका को खारिज कर दिया था। सुनंदा की विसरा रिपोर्ट में भी किसी तरह के रेडियो एक्टिव पदार्थ से मौत होने की पुष्टि नहीं हुई।

एफबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सुनंदा के विसरा के किसी सैम्पल में रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं था हालांकि रिपोर्ट में रेडियो एक्टिव पदार्थ की मौजूदगी से पूरी तरह इंकार भी नहीं किया गया था। एफबीआई ने कहा कि विसरा सैम्पल के डिग्रेड होने की वजह से ऐसे पदार्थों की मौजूदगी स्पष्ट नहीं हो सकी।

इस सारे घटनाक्रम के बीच शशि थरूर पर शक की सुई उठने लगी थी। अब एक निजी टीवी चैनल रिपब्लिक ने इस मामले में नया खुलासा करते हुए दावा किया कि सुनंदा की मौत के बाद शशि थरूर होटल के कमरा नम्बर 309 में सुबह और शाम को वापस आए थे। चैनल ने दावा किया कि शशि थरूर के कमरे में आने के बाद सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी। यहां तक कि सुनंदा के शव को हटाया गया था। चैनल ने दावा किया कि इस सच को साबित करने के लिए उसके पास 19 आडियो रिकार्डिंग हैं। सुनंदा की मौत की वजह का पता लगाने के लिए छठे मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था।

उसकी भी रिपोर्ट अभी आनी है। इसके अलावा सीबीआई की रिपोर्ट और अमेरिका से भी एक रिपोर्ट आनी है। इस मामले में सुनंदा के नौकर नरेन्द्र का नाम भी सामने आ रहा है। सुनंदा की मौत के बाद शशि थरूर के ब्लैकबेरी फोन से चौट रिकार्ड भी मिटा दिए गए थे। इस चौट को रिकवर करने के लिए कनाडा में जाकर भी कोशिश की गई लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि इतनी उलझी हुई गुत्थियां क्या कभी सुलझ सकेंगी? हालांकि शशि थरूर ने चैनल के दावों को नकारा है लेकिन अब यह पुलिस और जांच एजेंसियों का काम है कि वह इस रहस्यमय मौत को कैसे सुलझाती है।

किसी भी प्रजाति के लिए प्रकृति की कोशिश यह होती है कि उसकी वंश परंपरा चलती रहे और इसके लिए जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी को वे गुण मिलें, जो उसे दीर्घजीवी और स्वस्थ बनाए रखें। ऐसा तब हो सकता है, जब अगली पीढ़ियों को जन्म देने वाले माता-पिता अपनी प्रजाति के बेहतर नमूनों में से हों।

जब बेहतर जीवन-शैली, चिकित्सा सुविधाओं और जनसंख्या नियंत्रण की वजह से यह तय हो गया कि ज्यादा स्वस्थ और दीर्घजीवी वे महिलाएं हैं, जो लंबी और छरहरी हैं, तो प्रकृति ने भी अपना मानदंड बदल दिया, अब उसने संतान पैदा करने के लिए लंबी और छरहरी महिलाओं को तरजीह दी। जब जीवन ज्यादा कष्टप्रद था, तब महिलाओं का अपेक्षाकृत नाटा और स्थूल होना प्रजनन के लिए फायदेमंद था।

उनकी हड्डियों की बनावट प्रसव को आसान बनाती थीं और शरीर में अतिरिक्त चर्बी यह सुनिश्चित करती थी कि पोषण की कमी होने पर भी वे संतान को दूध पिला सकेंगी। अब इन शर्तों का कोई अर्थ नहीं रहा, इसलिए प्रकृति ने भी अपने नियम बदल दिए। इससे एक सीख तो हम ले ही सकते हैं कि महिलाओं को बेहतर जीवन-स्तर, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं मिलना, न सिर्फ मौजूदा समाज के लिए अच्छा है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी बेहतर है। इस सूची में सम्मान और सुरक्षा भी जोड़ लें, तो अच्छा है, क्योंकि तब ये गुण आने वाली पीढ़ियों में भी पहुंचेंगे।

दूसरी सीख यह है कि प्रकृति हमेशा हमारा भला चाहती है। हम उसके साथ सहयोग करें, इसी में हमारा भला है। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी से चीनी सेना की टुकड़ी की वापसी से तीन हफ्ते से चल रहा विवाद खत्म हो गया है। अब विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की चीन यात्रा भी निर्विघ्न हो पाएगी और चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग की भारत यात्रा से भी उत्साह और दोस्ती का माहौल बनेगा। इसके बावजूद ये सवाल बने रहेंगे कि चीनी सेना भारत की सीमा में इतने अंदर तक क्यों डटी रही और उसके बाद क्यों वापस चली गई?

खासकर किन शर्तों पर या किन दबावों में चीनी सेना वापस गई? यह साफ है कि वापसी के लिए कोई समझौता हुआ होगा और दोनों पक्ष कुछ न कुछ झुके होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी सीमा पर इस नोकझोंक के खत्म होने की शर्तों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। देश की जनता में यह जानने की दिलचस्पी बनी रहेगी कि आखिर इस लेन-देन में भारत ने क्या खोया-पाया? चीनी सेना ने यह घुसपैठ क्यों की थी, यह तो काफी कुछ बताया जा सकता है। भारतीय सेना ने सीमा के पास अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कुछ इंतजाम किए थे।

इनमें दौलत बेग ओल्डी में एक हवाई पट्टी को फिर से काम के लायक बनाना और एक निगरानी बंकर बनाना शामिल है। दौलत बेग ओल्डी काफी संवेदनशील जगह है, जिसके आसपास भारत, चीन और पाकिस्तान, तीनों के अधिकार क्षेत्र मिलते हैं। चीन ने अपने इलाके में काफी सारा निर्माण कर रखा है। उसने सीमा के बहुत पास तक हाई वे बना लिया है, जिससे उसकी सेना का आना-जाना आसान हो सके और पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में भी पहुंचा जा सके। चीन को यह लग रहा था कि भारतीय निर्माण उसके हाई वे पर नजर रखने और उसे नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे हैं। चीन का विशेष आग्रह यह था कि निगरानी बंकर को भारत नष्ट कर दे।

चीन भारतीय सीमा के अंदर अपने तंबू लगाकर यही दबाव बनाना चाहता था। यह बता पाना मुश्किल है कि भारत ने चीन के इस दबाव का कैसे सामना किया या बातचीत में इस बात को कैसे सुलझाया। शुरु में भारत सरकार का रुख काफी कमजोर था और वह इस बात से ही इनकार करती रही कि भारतीय सीमा का उल्लंघन कोई गंभीर समस्या है। भारत सरकार ने इसे एक स्थानीय मसला कहकर टालने की कोशिश की। यह बात और है कि इस दौरान देश के अंदर उग्र राष्ट्रवादी शोर शुरू हो गया और चीन को सबक सिखाने और मुंहतोड़ जवाब देने की बात होने लगी। अंतरराष्ट्रीय संबंध ऐसे भावनात्मक अंदाज में नहीं बनाए-बिगाड़े जाते, लेकिन यह भी साफ था कि अगर यह विवाद लंबा खिंचा, तो आपसी रिश्तों पर असर डालेगा।

इस नजरिये से इसे सुलझाने की जरूरत दोनों ही पक्षों को थी। भारत और चीन के रिश्ते खासकर सीमा को लेकर, इतने रहस्यों से उलझे हैं कि इसमें काफी गलतफहमी की गुंजाइश बनी रहती है। चीन लोकतांत्रिक देश नहीं है, इसलिए वह बहुत सारी चीजों को गुप्त रख लेता है,

ऐसे हालात में, भाजपा के लिए मतदान में भाग लेना अपनी पोल खुलवाने की ही तरह था। यह भी खबर आई कि पार्टी के कुछ विधायक तो व्हिप जारी होने के बावजूद सदन में नहीं आए। अब एक ही विकल्प बचा था— मतदान का बहिष्कार। इसके बाद विश्वास प्रस्ताव का गणित बेमतलब ही हो गया।

सरकार तो खैर बचनी ही थी, लेकिन विश्वास प्रस्ताव की सारी कवायद से नीतीश कुमार को एक और फायदा मिला। इस प्रस्ताव ने उन्हें जनता तक अपनी बात पहुंचाने का एक और मौका दे दिया। उन्होंने इस मौके का पूरा लाभ भी उठाया। नरेंद्र मोदी से लेकर मंगलवार की हिंसा और कांग्रेस के समर्थन तक वह सभी विषयों पर बोले।

उन्होंने यह स्वीकार किया कि आज के दौर में कोई भी पार्टी अपने बूते पर सरकार बनाने के मुगालते में नहीं रह सकती, क्योंकि यह गठबंधन का दौर है। एक ही साथ उन्होंने भाजपा की सीमा और अपनी रणनीति के बारे में भी साफ कर दिया। बायकॉट की रणनीति के कारण भाजपा इस मंच का सही इस्तेमाल नहीं कर सकी। इसके बाद जब मतदान हुआ, तो प्रस्ताव के पक्ष में 126 मत पड़े। जाहिर है, ये उससे कहीं ज्यादा मत थे, जितने की नीतीश कुमार को जरूरत थी।

पर इससे भी बड़ी बात है कि यह उससे भी ज्यादा मत थे, जितने की उम्मीद लगाई जा रही थी। भाजपा और जद (यू) अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जहां दोनों को अलग-अलग मंजिल दिखाई दे रही है। भाजपा की नजर सिर्फ अगले आम चुनाव पर है। वह इस चुनाव को नरेंद्र मोदी की 'लहर' पर सवार होकर जीत लेना चाहती है।

अभी तक की राजनीति को देखकर नहीं लगता कि भाजपा इसके पहले या इसके आगे की कोई बात फिलहाल सोच रही है। हालांकि यह भी सच है कि बिहार में जो हुआ, वह भाजपा नहीं चाहती थी। उसे पता था कि नीतीश कुमार से गठजोड़ उसके लिए चुनावी फायदे का सौदा है। गठजोड़ को तोड़ने की पहल नीतीश कुमार ने ही की, क्योंकि उनके सामने जो चुनौती है, वह भाजपा से कहीं अलग है। उनकी नजर दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव पर है और वह नहीं चाहते हैं कि भाजपा की राजनीति की वजह से उनका वोट बैंक कमजोर पड़े।

जिसे मोदी 'लहर' कहा जा रहा है, उसमें यह खतरा छिपा हुआ है। वह जानते हैं कि इस राजनीति की वजह से अगर आम चुनाव में अल्पसंख्यक मतदाता उनसे दूर चले गए, तो उन्हें बाद में फिर जोड़ना मुश्किल होगा। भाजपा 2014 की लड़ाई लड़ रही है, जबकि नीतीश 2015 की भूमिका लिख रहे हैं। दर्शनशास्त्र काफी नीरस विषय है, पर कभी-कभी यह काफी दिलचस्प हो जाता है। इन दिनों उसमें अचानक ही लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है, क्योंकि प्रख्यात भौतिकशास्त्री स्टीफन हॉकिंग ने कह दिया है कि दर्शनशास्त्र अब मर चुका है।

पिछले दिनों गूगल की एक कांफ्रेंस में हॉकिंग ने दर्शनशास्त्र के बारे में जो कहा, वह बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने दो बातें कहीं— पहली यह कि भौतिक विज्ञान अब इतना विस्तार पा चुका है कि इस जगत की व्याख्या करने के लिए दर्शनशास्त्र जैसे किसी विषय की आवश्यकता ही नहीं रह गई है, और दूसरी बात दर्शनशास्त्र से जुड़े लोग भौतिक विज्ञान की नई स्थापनाओं से बिल्कुल अनजान रहते हैं। स्टीफन हॉकिंग के इस भाषण के बाद दर्शनशास्त्र से जुड़े दुनिया भर के विशेषज्ञ अचानक ही उठ खड़े हुए हैं।

किताबें खंगाली जा रही हैं। परिभाषाएं निकाली जा रही हैं। तर्क पर तर्क पेश किए जा रहे हैं। एक-एक शब्द और वाक्य का विश्लेषण हो रहा है। तरह-तरह की व्याख्याएं, टीका-टिप्पणियां और इसके बाद जैसा कि हरदम होता है, कुछ मोर्चों पर बातचीत तू-तू मैं-मैं के स्तर पर उतर आई है। चंद दार्शनिक यह याद दिलाना नहीं भूल रहे हैं कि कुछ ही साल पहले तक यह कहा जाने लगा था कि जल्द ही भौतिक विज्ञान सारे सवालियों के जवाब दे देगा और उसके बाद उसका विकास खत्म हो जाएगा।

इस मामले में सही और गलत से अलग हमें एक मामले में तो स्टीफन हॉकिंग का शुक्रगुजार होना पड़ेगा कि उन्होंने एक विवादास्पद बात कहकर दार्शनिकों के सोए हुए समुदाय को जगा दिया है, वरना लोग यह भूलने लग गए थे

उनका कहना है कि अगर आम चुनाव के बाद देश को स्थिर सरकार मिली, तो अर्थव्यवस्था में निवेशकों का हौसला बहाल होगा, किंतु अगर दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली सरकार स्थिर नहीं हुई, तो इसका असर निवेश और अर्थव्यवस्था, दोनों पर ही पड़ेगा।

रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जो कहा है, उसमें कुछ नया नहीं है, इस तरह की बातें देश और दुनिया के अर्थशास्त्री अक्सर करते रहते हैं। लेकिन क्या अर्थव्यवस्था का मामला इतना सीधा है? अगर हम देश के मौजूदा हालात की बात करें, तो इस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की जो सरकार है, वह पिछले दस साल से निरंतर बनी हुई है।

यह ठीक है कि समय-समय पर इस सरकार को कई राजनीतिक संकटों से गुजरना पड़ा है, लेकिन यह तो तकरीबन सभी सरकारों के साथ होता रहा है। दस साल की निरंतरता एक ही चीज बताती है कि और कुछ भले ही हुआ या न हुआ हो, लेकिन सरकार तो स्थायी रही ही।

फिर भी देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। पिछले कुछ साल में आर्थिक विकास की दर मुंह के बल गिरी है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और निवेशकों के हौसले पस्त हैं। महंगाई के चलते देश की मुद्रानीति और वित्तीय स्थिति पर किस तरह के संकट हैं, इसका जिक्र तो खुद रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2013 में ही है। देश का पिछले कुछ साल का इतिहास तो यही बताता है कि देश ने अस्थिरता के दौर में भी काफी तरक्की की है।

देश में उदारीकरण का मौजूदा दौर जिस सरकार ने शुरू किया, वह अस्थिर ही नहीं थी, लगातार राजनीतिक संकटों से भी घिरी रही। और अपने आखिरी दौर में तो नरसिंह राव की वह सरकार लगभग अल्पमत में ही थी। फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने चली सरकार को किसी भी पैमाने पर स्थायी सरकार नहीं कहा जा सकता था।

वह हमेशा ही तलवार की धार पर चलती रही, लेकिन उदारीकरण और तरक्की के मामले में उस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दिलचस्प बात यह है कि उस समय तमाम अर्थशास्त्री यह कहने लगे थे कि सरकार कैसी भी हो, किसी की भी हो, लेकिन अब उदारीकरण और तेज तरक्की को रोका नहीं जा सकेगा। लेकिन अब रघुराम राजन जो कह रहे हैं, वह बिल्कुल ही उल्टी बात है।

पूरे देश ने, देश की राजनीति ने और यहां तक कि राजनीतिज्ञों ने एक बात अब ठीक से समझ ली है कि साझा सरकार फिलहाल देश की हकीकत है। अब सभी राजनीतिक दल यही सोचकर चुनाव लड़ते हैं और अपनी रणनीति तय करते हैं। कहीं न कहीं देश के औद्योगिक घरानों ने भी हकीकत को स्वीकार कर लिया है। लेकिन रघुराम राजन के बयान से लगता है कि कुछ अर्थशास्त्री शायद इस हकीकत को अभी तक स्वीकार नहीं पाए हैं।

रिजर्व बैंक के गवर्नर की चिंता में कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है, यह भी सच है कि लोक-लुभावन आर्थिक नीतियों ने अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन हमें अपने आगे बढ़ने का रास्ता भी इसी राजनीतिक हकीकत से निकालना है। आम आदमी पार्टी के गठन से लेकर अब तक के उसके संक्षिप्त सफर में परंपरागत राजनीति की कई परिपाटियां टूटी हैं, इसी तरह दिल्ली विधानसभा में उसके विश्वास मत में भी काफी कुछ अलग है।

‘आप’ ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच संबंध कतई मधुर नहीं हैं। ऐसा पहले भी होता आया है कि घोर विरोधी पार्टियों ने एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के बावजूद मिलकर सरकार बनाई। लेकिन इस गठबंधन में खास बात यह है कि साथ आने के बावजूद दोनों पार्टियों ने अपना परस्पर विरोध न खत्म किया है, न ही इसे छिपाया है।

‘आप’ की सरकार ने विश्वास मत पाने के पहले जो एक-दो बड़े फैसले किए हैं, उनमें दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली निजी कंपनियों का सीएजी से ऑडिट करवाना सबसे महत्वपूर्ण है। मुमकिन है कि इस ऑडिट में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर कुछ आरोप सामने आ जाएं,

इसी प्रक्रिया में परंपरागत राजनीतिक पार्टियां यह समझेंगी कि सिद्धांतवादिता और ईमानदारी हर वक्त घाटे का सौदा नहीं होता। यह एक प्रयोग है, और यह उम्मीद की जा सकती है कि इसके नतीजे जनता के हित में होंगे। माना तो यही जाता है कि अर्थव्यवस्था की लगाम हमेशा राजनीति के हाथ में होती है। अर्थव्यवस्था कहां जाएगी, कैसे जाएगी, यह राजनेता ही तय करते हैं। आमतौर पर ऐसी शास्त्रीय धारणाएं आदर्श स्थितियों की सोच और तर्क पर आधारित होती हैं। हकीकत में इसके कई रूप और विद्रूप हमारे सामने आते हैं। बिजली के बिल को लेकर इस समय देश में जो राजनीति चल रही है, उससे लोगों को फौरी राहत भले ही मिल जाए, लेकिन उसमें कई बातें ऐसी भी हैं, जो भविष्य को लेकर डराती हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नए साल का तोहफा देते हुए जब विद्युत दरों को आधा कर दिया, तो यह अकेली ऐसी घटना नहीं थी। इसी के साथ हरियाणा सरकार ने भी बिजली के बिल में विशेष छूट की घोषणा कर दी। यह सिलसिला जारी रहा, तो जल्दी ही दूसरे राज्य भी यही करते दिखाई देंगे। लोगों को सस्ती बिजली मिले, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दिक्कत यह है कि यह राहत तर्कसंगत कम और चुनावी राजनीति का नतीजा ज्यादा है। यह सच है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यह वायदा किया था कि वह बिजली बिलों को आधा कर देगी। यह वायदा इस धारणा पर आधारित था कि बिजली कंपनियां गड़बड़ी करती हैं, विद्युत मीटर काफी तेज चलते हैं और बिलों में हेराफेरी होती है। मुमकिन है कि इसमें सच्चाई भी हो। इसकी जांच के लिए अरविंद केजरीवाल ने बिजली कंपनियों के लेखा परीक्षण का जो फैसला किया, वह स्वागत योग्य है। इसी तरह विद्युत मीटरों की जांच भी जरूरी है और ट्रांसमिशन में होने वाले नुकसान की भी। यह ऐसा काम है, जो पिछली सरकार को भी करना चाहिए था। लेकिन ऐसी किसी जांच के नतीजे आने के पहले सिर्फ चुनावी वायदा निभाने के नाम पर बिजली की दरों को आधा करने का फैसला किसी भी तरह से तार्किक नहीं कहा जा सकता। खासकर इसलिए भी कि अभी हमें यह नहीं मालूम कि यह जो सब्सिडी दी जा रही है, उसका पैसा आएगा कहाँ से? वैसे यहां यह भी याद रखना जरूरी है कि दिल्ली ऐसा राज्य है, जहां के निवासियों को देश में सबसे सस्ती बिजली मिलती है। बाकी कई राज्यों में तो न सिर्फ बिजली महंगी है, बल्कि इसके वितरण का काम दिल्ली की तरह निजी कंपनियों के हवाले नहीं, बल्कि राज्य विद्युत बोर्ड के हवाले है। महंगी बिजली देने के बावजूद ऐसे सभी बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। दरअसल, मामला सस्ती या महंगी बिजली का नहीं, यह विद्युत क्षेत्र में बड़े सुधार का है। ताकि एक तरफ तो बिजली का उत्पादन बढ़े और दूसरी तरफ लोगों को सस्ती बिजली नियमित रूप से मिले। यह एक लंबा रास्ता है और इसके लिए जिस धैर्य की जरूरत होगी, उसकी चिंता फिलहाल किसी को नहीं। अलबत्ता, सस्ती बिजली देकर चुनावी लाभ उठाने की राह ज्यादा आसान है। लेकिन ऐसा करने वाले उस आर्थिक जवाबदेही को धता बता देते हैं, जिसे निभाने की उनसे उम्मीद की जाती है। इस तरह की लोक-लुभावन राजनीति यह भी बताती है कि हमने भले ही कई मजबूरियों में आर्थिक उदारवाद को अपना लिया है, लेकिन हमारी राजनीति के मन, वचन और कर्म में उसके लिए कोई जगह नहीं है। यहां तक कि हमने संतुलन के लिए जो नियामक संस्थाएं बनाई हैं, वे भी बस औपचारिकता हैं। निजी कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में बाकायदा एक नियामक संगठन काम करता है, लेकिन यह संगठन भी हेराफेरी के आरोपों पर दिल्ली वासियों को आश्वस्त करने में नाकाम रहा है। सिर्फ विद्युत दरें नहीं, बहुत कुछ बदला जाना शेष है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अगर विश्व क्रिकेट पर अपनी तानाशाही चला पाता है, तो इसकी वजह यही है कि वह दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। उसकी अमीरी की वजह यही है कि क्रिकेट भारत में सबसे लोकप्रिय खेल है, जिसे देखने के लिए दर्शक पैसा और वक्त लगाने को तैयार हैं। क्रिकेट अब मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप का खेल है, जिसके बारे में समाजशास्त्री आशीष नंदी ने लिखा है कि क्रिकेट एक भारतीय खेल है, जिसका अविष्कार संयोगवश इंग्लैंड में हुआ। इस बात की समाजशास्त्रीय, राजनीतिक व्याख्याएं करने की बहुत कोशिशें हुई हैं कि कोई खेल किसी देश विशेष में क्यों लोकप्रिय होता है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल यह भी है कि किसी खास देश में किसी खास खेल के शानदार खिलाड़ी क्यों निकलते हैं? सुविधाएं और प्रोत्साहन का अपना महत्व है, लेकिन बात इससे गहरी है। ब्राजील की गंदी बस्तियों से निकले कुपोषित बच्चों में से नामी फुटबाल खिलाड़ी निकले और इथियोपिया जैसे देश नियमित रूप से मैराथन दौड़ाक पैदा करते हैं। जमैका दक्षिण अमेरिका का एक छोटा-सा द्वीप है और इस देश की जनसंख्या तीस लाख भी नहीं है, लेकिन यहां से कितने सारे दौड़ाक निकले हैं। उसने बोल्ट जैसा जादूगर इसी देश से आया है। यह भी ध्यान देने की बात है कि जमैका से मुख्य रूप से छोटी दूरी के तेज धावक निकले हैं। कुछ वैज्ञानिक पिछले करीब बीस साल से जमैका के नौजवानों का अध्ययन कर रहे हैं, वे जानना चाहते हैं कि जमैका के नौजवानों की रफ्तार का राज क्या है? उन्होंने 1996 में कुछ बच्चों को चुना और उनकी दौड़ने में दिलचस्पी और रफ्तार का 2010 तक लेखा-जोखा रखा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरुशलम को इस्राइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देकर न केवल मध्य एशिया की स्थिति को और विस्फोटक बना दिया है, साथ ही अमेरिका को भी भारी जोखिम में डाल दिया है। यद्यपि वर्ष 1980 में इस्राइल ने पूर्वोत्तर हिस्से पर कब्जा जमाने के साथ ही यरुशलम को अपनी सनातन राजधानी करार देने में देरी नहीं की थी लेकिन न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस्राइल के इस कदम के प्रति कभी सहमति नहीं दी थी।

संयुक्त राष्ट्र ने यरुशलम के पूर्वी हिस्सों को हड़पने पर आपत्ति जताई थी और इस विकल्प को एक सिरे से खारिज कर दिया था कि आंशिक या पूर्ण रूप से यह इलाका कभी इस्राइल की राजधानी भी बन सकता है। तब संयुक्त राष्ट्र ने इस्राइल को चेतावनी तक दी थी कि ऐसा कोई भी दावा अवैध करार दिया जाएगा। इस गंभीर मुद्दे पर ट्रंप ने एकतरफा ऐलान करके पूरी दुनिया से चुनौती मोल ले ली है।

फलस्तीन में लोग इसे जंग की शुरुआत के तौर पर देख रहे हैं और चरमपंथी समूह हमास पहले ही कह चुका है कि वह हिंसा के लिए तैयारी कर रहा है। तुर्की के नेता कह रहे हैं कि यह इलाका रिंग ऑफ फायर में तब्दील हो चुका है। मौजूदा संघर्ष के चलते मध्य एशिया अब एक ऐसे बम का सामना कर रहा है जिसकी पिन निकाली जा चुकी है। विश्व के सबसे दुर्दान्त आतंकी संगठन आईएस ने खून की नदियां बहाने की धमकी दे डाली है।

फ्रांस और ब्रिटेन भी यरुशलम को बतौर राजधानी मान्यता देने के ट्रंप के फैसले की आलोचना कर रहे हैं जबकि अमेरिका का खास दोस्त सऊदी अरब भी इसे गैर-जिम्मेदाराना बता रहा है। इराक और ईरान समेत अरब लीग इस फैसले को मुसलमानों को उकसाने वाला कदम मान रहे हैं। वे मानते हैं कि इसके चलते कट्टर और हिंसात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा। स्थिति बहुत विस्फोटक हो चुकी है, शांति प्रक्रिया की आवाज खामोश हो चुकी है। यरुशलम को लेकर विवाद बहुत पुराना है। उसके मशहूर होने की दो वजह हैं। एक धार्मिक वजह है और दूसरी राजनीतिक। धार्मिक वजह यह है कि यह तीन धर्मों के लिए असीम श्रद्धा का केन्द्र है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम।

टेम्पल माउंट पर ही सुलेमानी मन्दिर बना है, जिसे यहूदी भी काफी पवित्र मानते हैं, कई बार उसे ध्वस्त किया गया। उसके अवशेष ही बचे हैं तो मुसलमानों की अल अक्सा मस्जिद भी यहीं बनी है। मुसलमानों का मानना है कि मोहम्मद साहब का अन्तिम समय इसी शहर में बीता और यहीं से वो जन्म गए थे।

सुन्नी मुस्लिमों के लिए मक्का और मदीना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे पवित्र जगह है। दूसरे यहूदी मन्दिर को गिराकर बनाया गया डोम ऑफ रॉक भी इस्लाम मानने वालों के लिए श्रद्धा का केन्द्र है। यरुशलम में 73 मस्जिदें हैं तो 158 चर्च हैं। ईसाई मानते हैं कि यही वो शहर है जहां कभी ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। इस शहर का जिक्र बाइबल में भी है। ईसाई सपुखर चर्च को काफी पवित्र मानते हैं क्योंकि इसी जगह ईसा को सूली पर लटकाया गया था।

पहले यहूदी, फिर ईसाई और उसके बाद मुस्लिमों के कब्जे ने शहर को हर शताब्दी में अलग-अलग रंग में रंग दिया था। अब अहम सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? ट्रंप की मुस्लिम विरोधी बयानबाजी जगजाहिर है। इससे पहले भी वे सभी अमेरिकी मुस्लिमों के लिए धर्म के आधार पर अलग से पहचान पत्र बनवाने और अमेरिका में स्थित सभी मस्जिदों की निगरानी किए जाने की बात कह चुके हैं। कई मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका प्रवेश पर पाबंदी लगा चुके हैं।

ट्रंप जिस रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं उसे वैसे भी दक्षिणपंथी सोच वाली पार्टी माना जाता है, जो अमेरिकी राष्ट्रवाद को लेकर काफी मुखर है लेकिन पेरिस और कैलिफोर्निया में हुए हमले से आईएस के प्रति अमेरिकी लोगों के मन में इस्लाम के प्रति नफरत बढ़नी शुरू हो गई।

यही वजह है कि ट्रंप ने मुस्लिमों के खिलाफ जुबानी हमले तेज कर दिए और इस्राइल के पक्ष में फैसला करना उसी रणनीति का हिस्सा है। ट्रंप के फैसले से इस्राइल-फलस्तीन विवाद में अमेरिका की निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका खत्म हो गई है। 1993 के ओस्लो समझौते में इस्राइल ने यह भी स्वीकार किया था कि यरुशलम की स्थिति का फैसला वार्ता से होगा। ट्रंप ने एक तरह से इस्राइल के अवैध कब्जे को वैध मान लिया है।

बोफोर्स तोप कांड स्वतन्त्र भारत का ऐसा अकेला कांड कहा जा सकता है जिसने इस देश की राजनीति को बदल कर रख दिया और लम्बे समय से देश पर राज करने वाली पार्टी कांग्रेस की प्रतिष्ठा को जबर्दस्त धक्का लगाया। यह राष्ट्रीय स्मिता का सवाल भी था। मगर यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि यह कार्य स्वयं कांग्रेस पार्टी की सत्ता में शामिल उन लोगों द्वारा ही किया गया जो इसी पार्टी की बदौलत नेता कहलाने लगे थे।

निश्चित रूप से यह स्व. विश्वनाथ प्रताप सिंह ही थे जिन्होंने 1986 में स्व. राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में इस कांड को पकड़ कर अपनी राजनीति चमकाई और इस कदर चमकाई कि वह इसी की बदौलत देश के प्रधानमंत्री तक बन बैठे, मगर उन्होंने बोफोर्स की हकीकत बाहर लाने के लिए न कोई परिश्रम किया और न इसके उन साक्ष्यों को उजागर किया जो वह कांग्रेस पार्टी छोड़ने पर राजीव गांधी मंत्रिमंडल से बाहर आने के बाद अपनी सार्वजनिक सभाओं में दिखाते फिर रहे थे।

जब 1989 में भारत में लोकसभा के चुनाव हुए तो आम जनता ने विश्वनाथ प्रताप सिंह पर भरोसा करते हुए यह समझा कि जब राजीव गांधी का वित्तमंत्री रहा और रक्षामंत्री रहा व्यक्ति खुद कह रहा है कि बोफोर्स तोपों की खरीदारी में दलाली खाई गई थी तो जरूर कुछ सच होगा।

मगर सत्ता पर बैठने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने खुद को बचाये रखने के लिए जो शतरंज बिछाई उसका नतीजा आरक्षण का पिटारा खुलना रहा और यह देश ऐसे जंजाल में उलझ गया जिसमें एक ही वर्ग के लोग जाति-पाति के नाम पर आपस में ही लड़ने लगे। दरअसल विश्वनाथ प्रताप सिंह को स्वतन्त्र भारत का ऐसा बेइमान राजनीतिज्ञ कहा जा सकता है जिसने लोगों को अपने ही बताए हुए तथ्य की सच्चाई जानने से महरूम रखा और भारत की सुरक्षा सेनाओं का मनोबल तोड़ने का ऐसा उपक्रम कर डाला जिससे यह देश अभी तक उबरने में सक्षम नहीं हो सका है।

ऐसा पहली बार हुआ जब देश के किसी प्रधानमंत्री के नाम को दलाली लेने के मामले में घसीटा गया हो। इसने पूरे देश को बुरी तरह हिला कर रख दिया और इसका प्रभाव केवल राजनीतिक माहौल पर ही नहीं पड़ा बल्कि समूचे प्रशासकीय तन्त्र पर भी पड़ा लेकिन केन्द्र में भाजपा नीत श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के सत्ता में रहते इस मामले में पहली चार्जशीट दायर कराई गई जिसका फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2002 में दिया और इसमें साफ किया गया कि बोफोर्स तोप कांड में स्व. राजीव गांधी पर सन्देह करने का रंज मात्र भी कारण नहीं बनता है।

इसके बाद इस मामले को बन्द कर दिया गया और मुकद्दमा चलाने वाली सरकारी एजेंसी सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की हिम्मत वाजपेयी जी के सत्ता में रहने के बावजूद नहीं दिखाई। यह इस मुल्क की हकीकत है कि भारत के लोगों ने इस कांड की पूरे देश में भारी गूंज के समय भी कभी हृदय से यह स्वीकार नहीं किया कि राजीव गांधी जैसे नेहरू-इंदिरा परिवार की विरासत संभालने वाले व्यक्ति का इस मामले में सीधा हाथ होगा।

यह लोगों के मन में शंका रही कि शुरू में राजनीति से भागने वाले राजीव गांधी को जब 1984 में इंदिरा जी की असमय मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री बनाया गया तो वह इस जिम्मेदारी को उठाने में अधकचरे थे जिसकी वजह से उन्होंने अपने सलाहकार चुनने में भारी गलती की थी और राजनीति के उलझे दांव-पेंचों को सीधी नजर से देखा था। उस समय उनके सबसे निकट के लोगों में स्व. अरुण नेहरू और अरुण सिंह जैसे लोग थे जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की नौकरी छोड़ कर सीधे राजनीति में प्रवेश पा गए थे।

बोफोर्स कांड के गंभीर हो जाने पर ये लोग ही वी.पी. सिंह के बाद सबसे पहले उनका साथ छोड़ कर गए जिसकी वजह से कांग्रेस की प्रतिष्ठा लगातार नीचे गिरती चली गई। मगर आज सवाल यह है कि यदि संसदीय समिति की नजर में 2016 में यह आया है कि सीबीआई को इस मामले में आगे कार्रवाई करनी चाहिए तो वह वे साक्ष्य कहां से लायेगी जो 2002 में मौजूद थे? इस 64 करोड़ रुपए की दलाली के मामले में जांच की प्रक्रिया के पेंच इतने बेतरतीब हैं कि सिवाय राजनीतिक हो के कोई दूसरा निष्कर्ष निकालना असंभव है।

इस कांड का मुख्य अभियुक्त क्वात्रोच्ची दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। ऐसा नहीं है कि यह अकेला ही ऐसा मामला था जो रक्षा सामग्री की खरीद से जुड़ा था।

साढ़े तीन लाख लोगों को विस्थापित करना पड़ा था। इन्फ्रास्ट्रक्चर वगैरह का नुकसान तो बहुत ही बड़ा था। जाहिर है कि हादसे से गुजरे लोग उसके बहुत सारे दुख अब भी नहीं भूल सकें होंगे। लेकिन यह भी सच है कि जब जापान की सुनामी की भयावह तस्वीरों की यादें हमारे दिमाग में ताजा थीं, तभी पता चला कि जापान में सब कुछ सामान्य हो गया है।

लोगों को बचाने से लेकर विस्थापित करने का काम तो हुआ ही, सड़कों वगैरह का निर्माण भी तुरंत ही शुरू हो गया। अब जरा उत्तराखंड को देखें। हादसा गुजरे हुए पांच दिन हो चुके हैं, लेकिन लगता है कि हम अब भी हर रोज न जाने कितने हादसों से गुजर रहे हैं। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले से आने वाली हर खबर सिहरन पैदा करने वाली एक नई कहानी कह रही है। ये कहानियां व्यवस्था के निकम्मेपन की पोल भी खोलती हैं। बेशक यह हादसा कुदरत का एक कहर था, जो हमारी कई गलतियों के कारण और भी भयावह हो गया।

लेकिन इससे निपटने के लिए जिस पैमाने पर काम होना चाहिए था, वह अभी कहीं नहीं दिख रहा। पांच दिन में जितने तीर्थयात्रियों को बचाया गया है, उससे कहीं ज्यादा लोग अब भी भूखे-प्यासे वहां फंसे हैं। इसके अलावा, स्थानीय निवासी भी हैं, जिनकी फिलहाल कोई सुध भी नहीं ले रहा। हैरत तो इस बात की है कि हर साल लाखों लोग इन तीर्थयात्राओं पर जाते हैं, लेकिन कितने लोग, कौन लोग, कहां गए इसका कहीं कोई रिकॉर्ड तक नहीं रखा जाता। इसलिए हमें अभी पूरे तौर पर पता ही नहीं है कि कितने लोग कहां फंसे हुए राहत का इंतजार कर रहे हैं।

यह जरूर है कि 20 हेलीकाप्टरों के अलावा सेना और आईटीबीपी के जवान दिन-रात लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। उनकी कोशिशों और उनके जब्बे में कोई मीन-मेख नहीं निकाला जा सकता। लेकिन हमें यह तो स्वीकार करना ही होगा कि लोगों की संख्या और समस्या की गंभीरता को देखते हुए इससे कहीं ज्यादा संसाधन लगाने की जरूरत थी। इस बीच कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं, जो स्थानीय प्रशासन की आपराधिक लापरवाही को उजागर करती हैं।

इन खबरों में बताया गया है कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के नाम पर कोई तैयारी ही नहीं थी। सरकार ने इसके लिए छह साल पहले जो संस्था बनाई थी, उसकी आज तक कोई बैठक ही नहीं हुई और इसके बही-खाते सही न होने के कारण केंद्र सरकार ने इसके लिए पैसा देना भी बंद कर दिया था। यह हाल उस राज्य का है, जो भूगोल और पर्यावरण की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। खैर, फिलहाल जरूरत है लोगों को बचाने की और पुनर्निर्माण में मदद की।

मदद के लिए कई लोग आगे भी आ रहे हैं। केंद्र सरकार के अलावा, कई राज्य सरकारों ने भी मदद की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी लोगों से मदद की अपील की है। यहां एक बार फिर जापान पर लौटते हैं। जापान की सुनामी के वक्त सरकार के अलावा वहां की निजी कंपनियों ने बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक और कई तरह की मदद की थी।

क्या भारत के उद्योगपति भी इसके लिए आगे आएंगे? जम्मू क्षेत्र में बनिहाल और कश्मीर घाटी में काजीगुंड के बीच रेल लाइन का उद्घाटन इस मायने में ऐतिहासिक घटना है कि इससे पहली बार कश्मीर घाटी का शेष भारत से रेलवे संपर्क स्थापित हुआ है। तकनीकी नजरिये से भी यह एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में रेल लाइन बिछाना आधुनिकतम तकनीक के बावजूद टेढ़ी खीर है। इस लाइन में 11 किलोमीटर एक लंबी सुरंग है। देश की इस सबसे लंबी सुरंग को बनाने के लिए भारत में पहली बार नई ऑस्ट्रियन तकनीक का सहारा लिया गया है। इसके बावजूद अभी उधमपुर से कटरा और वहां से बनिहाल तक की रेल लाइन बनना बाकी है।

अगर यह पूरी लाइन बन जाती है, तो सही अर्थों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की रेल यात्रा संभव होगी। लेकिन अब बनिहाल से काजीगुंड तक रेल लाइन के उद्घाटन से कश्मीर घाटी से हर मौसम में संपर्क मुमकिन होगा। अब तक भारी बर्फबारी के दिनों में सड़क व हवाई संपर्क अक्सर मुमकिन नहीं होता था। यह घटना जितनी बड़ी और ऐतिहासिक है, उतनी इसकी चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इसके उद्घाटन में पहुंचे, इसी से इसका महत्व जाहिर होता है,

पाकिस्तान व अमेरिका को लेकर भारत की मौजूदा सरकार की कूटनीति व विदेश नीति जब बहस का मुख्य मुद्दा बनी हुई है उसी समय यह हकीकत सामने आयी है कि पिछले दो महीने अक्टूबर व नवम्बर के दौरान चीन ने 31 बार भारतीय सीमा में अतिक्रमण किया। तीन महीने पहले ही सिक्किम की सीमा पर स्थित तिराहे डोकलाम इलाके में दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के बाद यह माना जा रहा था कि चीन भारतीय सीमा का सम्मान करते हुए अपनी हेकड़ी दिखाने से बाज आयेगा परन्तु यह अपेक्षा खरी नहीं उतरी।

सीमा अतिक्रमण के ये आंकड़े भारत— तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा ही रिकार्ड किये गये हैं अतः इस मामले में किसी प्रकार की राजनीति की गुंजाइश नहीं है। दरअसल यह आत्म विश्लेषण का समय है कि सरकार सोचे कि उसकी कूटनीति में कहां खामी है और किस स्तर पर उसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में चीन के इस रवैये के प्रति विरोध का माहौल बनाना चाहिए।

हमें लगातार यह ध्यान में रखना होगा कि चीन हमारा ऐतिहासिक रूप से ऐसा सबसे निकट का पड़ोसी है जिसकी सीमाएं हमारे भौगोलिक भाग से छह तरफ से खुली हुई हैं। इसके साथ ही चीन के साथ हमारे देश की सीमाओं का अन्तिम फैसला लटका हुआ है मगर यह वास्तव में चिन्ता की बात है कि डोकलाम विवाद के खत्म हो जाने के बाद 31 बार चीनी सेनाओं ने भारत की सीमा में प्रवेश करके यह सन्देश देने की कोशिश की है कि सीमा विवाद पर उनका नजरिया बदलने वाला नहीं है। असल में चीन कूटनीतिक रूप से यह लगातार भारत को जताता रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अमरीका के साथ जितना ज्यादा भारत जाने की कोशिश करेगा उतनी ही ज्यादा वह अपनी नजर टेढ़ी करता जायेगा।

चीन की कूटनीति का यह प्रमुख हिस्सा बन चुका है कि वह दक्षिण एशिया समेत पूरे एशिया व हिन्द महासागर से लेकर प्रशान्त सागर क्षेत्र तक में अमरीकी प्रभाव और चौधराहट को चुनौती देने की स्थिति में आये।

भारत की कूटनीतिक सफलता यही होगी कि वह इन दो शक्तियों की रंजिश में खुद को महफूज रखने के तरीके खोजे और उन पर अमल करता हुआ हिन्द महासागर क्षेत्र को किसी भी स्तर पर जंग का अखाड़ा न बनने दे मगर भारत में ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जाती है कि यदि आसियान सम्मेलन में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशान्त महासागर से छूते इलाके को हिन्द महासागर क्षेत्र कह दें तो हम बांस पर चढ़कर उछलने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय प्राप्त कर ली है मगर यह कोरा भ्रम है क्योंकि अमरीका का आज तक रिकार्ड है कि वह दोस्ती तभी तक निभाता है जब तक उसके हित सध रहे हों। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पाकिस्तान है।

अमरीका एक तरफ इस मुल्क को दहशतगर्दी का अखाड़ा भी बताता रहता है और दूसरी तरफ उसकी फौजी और वित्तीय मदद भी करता रहता है। मुम्बई हमले के मुख्य साजिशकार हाफिज सईद पर उसने इनाम भी घोषित कर रखा है और दूसरी तरफ हाफिज सईद पाकिस्तान में अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी गठित कर रहा है।

अमरीका के विदेशमंत्री इस्लामाबाद में जाकर हल्की सी ताईद करके आ जाते हैं कि दहशतगर्द तंजीमों पर लगाम लगनी चाहिए और वाशिंगटन पहुंच कर फिर से पाकिस्तान को इमदाद देने के मसले पर नरमी अख्तियार कर लेते हैं जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तानी फौज ही दहशतगर्दों की समानान्तर फौज खड़ी करती रही है।

डोनाल्ड ट्रम्प किसी एक वाकये से प्रभावित होकर घोषणा कर देते हैं कि पाकिस्तान से उनके सम्बन्ध सुधर रहे हैं। इसी से जाहिर है कि हमारा अमरीकी ताकत पर कूदना फिजूल है। ऐसा नहीं है कि अमरीका के इस रंग बदलने के चरित्र से भारतवासी वाकिफ न हों। 1965 का भारतदृपाक युद्ध तब के पाकिस्तानी फौजी हुक्मरान ने सिर्फ अमरीकी मदद से ही लड़ा था जिसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को तहसदूनहस करना था।

1971 में जब बंगलादेश का उदय हुआ तो अमरीका ने ही अपना सातवां एटमी जंगी जहाजी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में लाकर खड़ा कर दिया था और परमाणु युद्ध का संकट पैदा कर दिया था वरना उसी समय स्व. इन्दिरा गांधी ने पूरे कश्मीर की समस्या को एक ही झटके में सुलटा दिया होता और पंजाब को भी इससे अलग कर दिया होता।

यदि आजादी के 70 वर्ष बाद भी भारत के किसी राज्य के सरकारी स्कूल में दलित बच्चों को अलग जानवर बांधने के बाड़े में बिठाकर देश के प्रधानमंत्री के सम्बोधन को सुनने के लिए बाध्य किया जाता है तो उस आजादी का कोई मतलब नहीं है जिसे प्राप्त करके हमने अपना वह संविधान लागू किया जिसमें प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार उसकी जाति, धर्म व लिंग को परे रखकर दिये गये हैं। ऐसे राज्य की सत्ता पर काबिज सरकार पूरे राष्ट्र के माथे पर बदनूमा दाग के अलावा और कुछ नहीं कही जा सकती।

ऐसी सरकार को हम लोकतन्त्र में लोगों की सरकार किस आधार पर कह सकते हैं? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू इलाके में पड़ने वाली चेष्टा ग्राम पंचायत के सरकारी स्कूल में विगत 16 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को सुनने के लिए छात्र-छात्राओं को स्कूल की प्रबन्ध समिति के मुखिया के घर बुलाया गया और उनमें से दलित छात्रों को छांटकर उन्हें टीवी लगे कमरे से बाहर ही गाय व घोड़े आदि बांधने के बाड़े में बिठा दिया गया।

दलित छात्रों ने अपने कथित ऊंची जाति वाले छात्रों से अलग जानवरों के स्थान पर बैठकर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सुना। यह स्वयं में भारत की उस सामाजिक व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी है जिसे हम रातदृदिन बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम ले-लेकर दलितों को रिझाने का प्रयास करते रहते हैं मगर देखिये क्या सितम ढहाया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अभी पिछले दिनों ही भारी बहुमत से लोगों ने सत्ता बदल किया है और भाजपा की सरकार गठित की है।

जाहिर तौर पर भाजपा को जो दो तिहाई बहुमत इन चुनावों में मिला था उसमें सभी वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी थी। वोट देते समय यहां के लोगों ने यह नहीं सोचा होगा कि उनके दलित होने से उनके वोट की गिनती अलग खाने में रखकर होगी मगर सरकार बनने पर उन लोगों की पहचान अलग खाने में रखकर होने लगी जिनके एक वोट से सरकार का गठन हुआ था।

दलितों की नई पीढ़ी को जो लोग आज भी अहसास करा रहे हैं कि उनकी हैसियत उन बाबा साहेब से आज भी अलग नहीं है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई कक्षा से बाहर बैठकर सिर्फ दलित होने की वजह से पूरी की थी, उन्हें इस देश की राजनैतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी करने की छूट किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती।

स्कूल की प्रबन्ध समिति के जिस मुखिया के घर पर यह धिनौना कार्य हुआ है, सर्वप्रथम उसे कानून के फन्दे में फंसना ही होगा। जरा हिम्मत तो देखिये इन गुनहगारों की कि वे भारत के लोकतन्त्र के सबसे बड़े कार्यकारी अधिकारी प्रधानमंत्री की आवाज सुनने तक पर विद्यार्थियों पर अपनी जातिवादी मानसिकता थोपकर ऐलान कर रहे हैं कि देश की सरकार चाहे कुछ भी कहती रहे और प्रधानमंत्री परीक्षा को निर्भय व बिना डर के साथ देने की ताकीद छात्रों से बेशक करते रहें मगर उन्हें अपनी जाति के दायरे के डर के घेरे में रहकर ही उनकी बातें सुननी होंगी।

उनके लिए स्वतन्त्रता के मायने अन्य कथित ऊंची जाति वाले लोगों से अलग ही रहेंगे। ऐसे लोगों की सोच और मानसिकता पर खाक डालने के अलावा और क्या किया जा सकता है, जिन्हें यह तक मालूम नहीं है कि अगर बाबा साहेब ने आजादी की लड़ाई में दलितों की सहभागिता कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाये जा रहे आजादी के आन्दोलन में तय न की होती तो अंग्रेजों ने हिन्दुओं को ही बीच से बांटकर भारत को खंडदृखंड कर दिया होता मगर देखिये एक तरफ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दो दिन पहले ही एक अंग्रेजी अखबार से यह कहते हैं कि पूरा देश नरेन्द्र मोदी के नाम पर संचालित होना चाहता है और दूसरी तरफ उन्हीं की नाक के नीचे कुल्लू में उन्हीं की पार्टी के कुछ कारिन्दे नरेन्द्र मोदी के सम्बोधन को ही दलित व सवर्ण में बांटने की हिमाकत कर देते हैं। इससे जाहिर यही होता है कि सरकार का रुतबा उन लोगों की हठधर्मिता और बर-जोरी के आगे पानी भर रहा है जो अपनी हैसियत समाज के ठेकेदारों के रूप में आंकते हैं।

संविधान की मर्यादा दलगत राजनीति का विषय किसी भी सूरत में नहीं हो सकती मगर राजनीति के लिए दलितों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की घटना ने रास्ता जरूर बना दिया है। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेकर जबानी जमा खर्च करने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहती।

गृह-निर्माण क्षेत्र कुछ ऐसे दुष्चक्र में फंस गया है कि न यह उद्योग तरक्की कर पा रहा है और न ही आम लोगों को अपनी हैसियत के दायरे में मकान मिल पा रहे हैं। काले पैसे के प्रभुत्व और जमीन के अनाप-शनाप दामों के चलते भारी मंदी के बावजूद मकानों के दाम नहीं गिर पा रहे हैं।

लाखों मकानों के अनबिके रहने के बावजूद बिल्डर दाम कम करके ग्राहकों को नहीं आकर्षित कर पा रहे हैं। इसकी काफी कुछ जवाबदेही तो सरकारी नीतियों और योजनाओं में गड़बड़ी की है, जिसकी वजह से यह क्षेत्र फंसा हुआ है। यह स्थिति काफी हद तक पूरी अर्थव्यवस्था की है, जिसके विकास के लिए ब्याज दरों में कमी सिर्फ एक तरीका है।

ब्याज दरों में कमी अच्छी शुरुआत है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अगला बजट भी अच्छी खबरें लाएगा। प्याज आम इस्तेमाल की सब्जी है, लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा उन राजनेताओं को है, जिनको इसने चुनाव हरवाया था। कम से कम दो चुनावों में प्याज के दाम अहम मुद्दा बन गए थे और दोनों में तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी को हारना पड़ा था। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अगर राजधानी में प्याज के बढ़ते दाम से फिक्रमंद हैं, तो यह समझा जा सकता है। उन्हें इस साल विधानसभा चुनावों का सामना करना है।

बहरहाल, प्याज के दाम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस साल इसका उत्पादन कम हुआ है। प्याज की खेती मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात में होती है और इन दोनों ही राज्यों में बारिश कम हुई है, जिसकी वजह से प्याज कम क्षेत्र में बोया गया। साल 2012 में 40,000 हेक्टेयर जमीन पर खरीफ के मौसम में और 10,000 हेक्टेयर में रबी के मौसम में प्याज बोया गया था, इस साल यह 22,000 हेक्टेयर खरीफ में और 8,000 हेक्टेयर रबी में बोया गया है। कुछ प्याज सिंचित जमीन पर बोया जाता है और कुछ ऐसी जमीन पर, जिसकी सिंचाई बारिश पर निर्भर होती है। इस साल सिर्फ सिंचित जमीन पर प्याज बोया जा सका और बारिश की कमी की वजह से असिंचित जमीन पर किसानों ने प्याज नहीं बोया। उत्पादन में कमी की वजह से मंडियों में आवक भी लगभग एक तिहाई घट गई है।

उत्पादन कम होने से दाम बढ़ना तो लाजिमी है, लेकिन होता यह है कि जब कमी होती है, तो बड़े व्यापारी जमाखोरी करने लगते हैं और हर स्तर पर मुनाफाखोरी बढ़ने लगती है, इससे ज्यादा दाम बढ़ जाते हैं। दाम बढ़ने का सिलसिला जब शुरू होता है, तो वह लगभग अवास्तविक स्तर पर पहुंच जाता है। कुछ खास ब्राह्मण-वणिक जाति के लोगों के अलावा प्याज समूचे भारत के रसोईघरों का अनिवार्य हिस्सा है और रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल होता है।

परंपरागत रूप से रोटी-प्याज को गरीबों का भोजन माना जाता है और प्याज के दाम सब्जियों में काफी कम होते हैं। इसलिए जब प्याज के दाम बढ़ते हैं, तो इसे लोग सरकार की अकर्मण्यता का प्रमाण मानते हैं और अक्सर इसका नतीजा चुनावों में देखने को मिलता है। यही वजह है कि दिल्ली में प्याज के दाम बढ़ने पर राज्य सरकार तुरंत हरकत में आ गई और उसने अपनी ओर से प्याज की सप्लाई बढ़ाने के उपाय शुरू कर दिए।

मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कृषि मंत्री शरद पवार को भी चिट्ठी लिखी है कि कृषि मंत्रालय प्याज की सप्लाई बढ़ाने के लिए उपाय करे, जिनमें प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगाना भी शामिल है, हालांकि कृषि मंत्रालय ने फिलहाल प्याज का निर्यात रोकने से मना कर दिया है।

प्याज या अन्य कृषि उत्पादों के दाम स्थिर रहें, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि खेती में अनियमितता घटाई जाए, इसके लिए सिंचाई और दूसरे इंतजाम बेहतर किए जाएं। जिन फसलों का समर्थन मूल्य सरकार तय करती है, उन्हें छोड़ बाकी फसलों के दामों में भी बड़ी अनिश्चितता रहती है। जब फसल ज्यादा होती है, तो दाम गिरते हैं। दाम गिरते हैं, तो किसान अगली बार उस फसल को कम उगाते हैं और तब दाम बढ़ जाते हैं।

यह चक्र हर दो-चार साल में पूरा घूम जाता है। अगर इस स्तर पर स्थिरता लानी है, तो कृषि उत्पादों की दुलाई और भंडारण का व्यवस्थित तंत्र होना चाहिए, ताकि ज्यादा फसल होने पर वे सड़ें नहीं और कम फसल होने पर कालाबाजारी न हो।

मामला ऊपर तक जाएगा और ऊंची अदालतें यह समझती हैं कि उनके फैसले के बाद आरोपी के पास बहुत कम बचने के मौके हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था का रवैया आम तौर पर यही है कि जहां तक हो सके, किसी के प्राण लेने से बचा जाए।

ऐसा लग सकता है कि अलग-अलग राष्ट्रपतियों का रवैया भी फांसी को लेकर अलग-अलग रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि राष्ट्रपति का फैसला पूरी तरह गृह मंत्रालय की राय पर निर्भर होता है, इसके बावजूद जो राष्ट्रपति दया याचिका खारिज करने के खिलाफ होते हैं, वे अक्सर गृह मंत्रालय की राय पर फैसला टालने का तरीका अपनाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का वीरप्पन के साथियों के मामले में फैसला ऐसा ही मानवीय आधार पर हुआ फैसला है। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के पहले रेल बजट से क्रांतिकारी उम्मीदें नहीं थीं क्योंकि उनके पास कोई लंबी अवधि की योजना बनाने का वक्त नहीं था। उन्हें रेलमंत्री बने कुछ ही महीने हुए हैं और अगले साल चुनाव होने हैं। पिछले लगभग 20 वर्षों से रेलवे सार्वजनिक परिवहन और माल ढुलाई की सबसे महत्वपूर्ण सेवा की बजाय वोट पैदा करने की मशीन बन गई है।

इससे आर्थिक उदारीकरण के दौर में रेलवे का जैसा विस्तार होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ बल्कि कई मायनों में रेलवे पीछे चली गई। पवन कुमार बंसल के सामने विकल्प इसलिए सीमित थे कि रेलवे की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है और अगले साल चुनाव के मद्देनजर भी उनके हाथ बंधे हुए थे। इस मुश्किल संतुलन को साधने की उनकी कोशिश नाकाम हुई या कामयाब हुई इसके बारे में राय अलग-अलग हो सकती है लेकिन एक बात साफ है कि 2014 के चुनावों के बाद जो भी सरकार बने वह अगर रेलवे की सचमुच बेहतरी के बजाय वोटों की राजनीति में ही उलझती रही तो रेलवे के सचमुच बुरे दिन आ सकते हैं।

जो रेलवे हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन बन सकती है वह एयर इंडिया की तरह बोझ बन जाएगी। बंसल का यह बजट एक किस्म का तदर्थ बजट है यानी यह रेलवे को अगले चुनावों तक चलते रहने की ऊर्जा देता रहेगा लेकिन भविष्य में रेलवे बजट पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। रेल मंत्री कुछ दिनों पहले ही यात्री किराया बढ़ा चुके थे और यह चुनावी बजट है इसलिए यह तो मुमकिन ही नहीं था कि वे यात्री किराया बढ़ाते।

लेकिन अतिरिक्त पैसा जुटाने की जरूरत उन्हें थी इसलिए उन्होंने वह चतुराई अपनाई जिसके इस्तेमाल में लालू प्रसाद यादव माहिर थे। उन्होंने तरह-तरह के अधिभार लगा दिए जिससे कि रेलवे के खजाने में कुछ ज्यादा पैसा जाए। जैसे पिछले बजट में जो भी आकलन किए गए थे, रेलवे का प्रदर्शन उनके मुताबिक नहीं रहा है। इस बात का अंदाजा था भी कि बजट में काफी ज्यादा उदारता से आकलन दिखाए गए हैं लेकिन यह भी मालूम पड़ता है कि रेलवे की कार्यकुशलता घटी है और उसकी सेवाओं का स्तर भी नीचा हुआ है।

जाहिर है मौजूदा रेलवे मंत्री को इसका दोषी नहीं माना जा सकता लेकिन यह देखना होगा कि इस गिरावट को थामने की कितनी कोशिश उन्होंने की है। रेलवे पर एक बड़ा बोझ राजनैतिक वजहों से नई रेलगाड़ियां चलाने या नई योजनाओं की घोषणा से पड़ता है। कोई भी रेल मंत्री इससे बच नहीं पाता और बंसल भी इसके शिकार हुए हैं। पवन कुमार बंसल ने 67 नई एक्सप्रेस गाड़ियां और कई पैसंजर, लोकल ट्रेनें चलाने और कुछ मौजूदा गाड़ियों के रूट बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। जरूरी यह है कि पहले मौजूदा ढांचे को बेहतर किया जाए, सेवाओं को सुधारा जाए और तब तक नई ट्रेनें न चलाई जाएं, लेकिन राजनैतिक दबावों से कौन बच पाया है? बिना ढांचे के सुधार के नई गाड़ियां चलाने से चरमराते ढांचे पर और ज्यादा बोझ पड़ता है और न पुरानी सेवाएं ठीक हो पाती हैं, न ही नई ट्रेनें पूरी तरह फायदेमंद हो पाती हैं।

इसी तरह दूसरी योजनाओं की भी स्थिति होती है। यह जानना दिलचस्प होगा कि पिछले बजटों में घोषित योजनाओं की फिलहाल क्या स्थिति है? कितनी योजनाएं कागजों के बाहर आ पाईं और जो आ पाईं क्या वे वक्त पर पूरी हुईं हैं। लेकिन यह भी मानना होगा कि बंसल ने अपनी सीमाओं के भीतर रेलवे के कामकाज को बेहतर बनाने की कोशिश की है और कार्यकुशलता बढ़ाने के भी उपाय इसमें दिखते हैं।

वैज्ञानिकों ने पाया कि भले ही जेनेटिक संरचना लगभग एक जैसी हो, कुछ जीन्स एक कहते हैं, यानी बाहरी प्रभावों से कुछ जीन्स का प्रभावशाली हो जाना और कुछ का निष्क्रिय हो जाना, जैसे विद्युत बल्बों की एक सीरीज में कुछ बल्ब बुझा दिए जाएं और कुछ जलाए जाएं।

यह सही है कि हम अपनी जेनेटिक संरचना नहीं बदल सकते, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि हम अपने जीन्स को 'स्विच ऑन' और 'स्विच ऑफ' कर सकते हैं, यानी काफी हद तक हमें विरासत में जो जेनेटिक संरचना मिली है, उसे हम चाहें तो नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा बाहरी प्रभावों, सामाजिक—सांस्कृतिक वजहों से हो सकता है और चाहें, तो कोशिश करके हम खुद भी कुछ बदलाव ला सकते हैं।

वैज्ञानिकों ने एक और बात मार्क की कही है कि हमारे स्वभाव पर इस बात का बहुत प्रभाव पड़ता है कि मां ने हमारी परवरिश कैसे की या बचपन में मां का प्यार कितना नसीब हुआ। अगर मां आशावादी और तनाव रहित है, तो उसके प्यार और सुरक्षा से दिमाग में ग्लूको कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर ज्यादा सक्रिय होते हैं। ये रिसेप्टर तय करते हैं कि कोई व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में कितना तनाव झेल सकता है।

आशावादी होना अच्छा है, यह हम सभी मानते हैं और जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं कि हम चाहें, तो अपनी कोशिशों से ऐसा बन सकते हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिक हमें यह भी बताते हैं कि आशावादी लोग निराशावादी लोगों के मुकाबले ज्यादा जीते हैं। कई अध्ययनों में इस बात की पुष्टि हुई है। अगर जिंदगी के प्रति अपना नजरिया बदलने की सायास कोशिश की जाए, तो जिंदगी को बेहतर बनाना भी मुमकिन है। चिकित्सक इसके लिए कई मनोवैज्ञानिक तरीके भी बताते हैं।

ध्यान करने से भी दिमाग को शांत और प्रसन्न बनाने में मदद मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने आसपास क्या गलत है, उससे ज्यादा क्या सही है, यह देखने की आदत डालें। शिकायत करने और हर चीज को गलत बताने का अपना मजा है, अपने आप को 'गर्दिश में आसमान का तारा' बताने से भी कहीं न कहीं आपका अहंकार तुष्ट होता है, लेकिन जिंदगी के उजालों को देखना अपने और अपने आसपास के लिए ज्यादा अच्छा है। विज्ञान कहता है कि आप चाहें, तो ऐसा कर सकते हैं।

बिहार के सारण जिले में जहरीला मिड डे मील खाने से बच्चों की मौत सिर्फ दुखद नहीं, शर्मनाक है। यह सिर्फ स्थानीय प्रशासन के लिए ही शर्मनाक नहीं है, बल्कि समूचे देश के लिए ग्लानि का विषय है। भारत में तमाम सरकारी कामकाज में लापरवाही आम है और हम इसके आदी हो गए हैं। जो लोग आर्थिक रूप से बेहतर हैं, वे अपने लिए इस तंत्र के बाहर बेहतर सुविधाएं पा लेते हैं, इसलिए इस तंत्र की लापरवाही और संवेदनहीनता की मार सबसे गरीब लोगों पर ही पड़ती है।

स्कूलों में मिड डे मील खाने वाले बच्चे आम तौर पर समाज के सबसे कमजोर तबकों से आते हैं, इसलिए वे ही इसे खाने का खतरा उठाते हैं। अगर यह योजना बच्चों का सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए अच्छा पोषण सुनिश्चित करने के लिए है, तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान खाने की गुणवत्ता पर दिया जाना चाहिए। लेकिन स्थिति यह है कि इसमें इतना भ्रष्टाचार और लापरवाही है कि कहीं अगर अच्छा और साफ—सुथरा खाना बच्चों को मिल रहा हो, तो यह अपवाद है।

जो हुआ है, वह निश्चय ही बड़ी दुर्घटना है, लेकिन खाने के बुरे स्तर के बारे में लगातार खबरें आती रहती हैं। ऐसी खबरें भी आई हैं कि मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मिड डे मील कार्यक्रम की गड़बड़ियों को सुधारने की कोशिशें नहीं की गईं। ये कोशिशें इसलिए अपर्याप्त साबित हुईं, क्योंकि इस कार्यक्रम का दारोमदार जिन लोगों पर है, उन्हें ही इस कार्यक्रम पर यकीन नहीं है। हमारे देश में अच्छी योजनाएं बनती हैं, उनके पीछे मंशा भी अच्छी होती है, लेकिन उन पर अमल इसलिए नहीं हो पाता, क्योंकि जिस सरकारी तंत्र को उन्हें लागू करना है, वह हर योजना को सिर्फ नौकरी का हिस्सा मानता है और उस तंत्र को जवाबदेह बनाने की कोई कोशिश नहीं होती।

जिन अधिकारियों और शिक्षकों को ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने या उन्हें मिड डे मील देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, वे यह मानकर चलते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले और मिड डे मील खाने वाले बच्चे समाज के अशक्त वर्गों के हैं, इसलिए उपेक्षा के पात्र हैं।

देश को आपराधिक मामलों की विशेषज्ञ जांच एजेंसी की कितनी जरूरत है। हम यह देख-सुन रहे हैं कि औसत आयु बढ़ रही है, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जानकारी भी बढ़ रही है, पर यह भी सच है कि आजकल के बच्चे अपने माता-पिता की तुलना में कम फिट हैं। दुनिया के 28 देशों के आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद विशेषज्ञ इस नतीजे पर पहुंचे हैं।

पिछले 50 वर्षों में ढाई करोड़ लोगों के फिटनेस-आंकड़ों की तुलना करने के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि हर साल बच्चों में फिटनेस का स्तर पांच प्रतिशत गिर रहा है। एक मोटे अनुमान से आजकल के बच्चे एक मील दौड़ने में जितना वक्त लगाते हैं, उनके माता-पिता अपने बचपन में उससे औसतन 90 सेकंड कम वक्त में एक मील दौड़ लेते थे, यानी अंदाजन बच्चों की रफ्तार में प्रति किलोमीटर एक मिनट बढ़ गया है। अध्ययन करने वाले लोगों का कहना है कि इसकी मुख्य वजह बच्चों में बढ़ता मोटापा है।

ज्यादा खाना, फास्ट फूड का चलन और व्यायाम की कमी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। बचपन में फिटनेस की कमी वयस्क होने पर जीवनशैली की बीमारियां पैदा होने का खतरा बढ़ा देती है। दुनिया भर में फास्ट फूड के खिलाफ काफी जोरदार अभियान छिड़ा है, लेकिन उसका आकर्षण कम नहीं हो रहा। फास्ट फूड जितना चटपटा और स्वादिष्ट होता है, वह उतना पौष्टिक आहार नहीं हो सकता। उसका स्वादिष्ट होना ही सेहत के लिए उसके ठीक न होने का कारण है, क्योंकि उसे चटपटा बनाने के लिए उसमें नमक, चीनी और फैट जरूरत से ज्यादा मात्र में इस्तेमाल किए जाते हैं।

इससे भी बड़ी समस्या व्यायाम की कमी है। जानकार बताते हैं कि व्यायाम का अर्थ जिम जाना या स्कूल की किसी खेल टीम का हिस्सा होना नहीं है। उनका कहना है कि इस तरह के व्यायाम के मुकाबले बच्चे दौड़-भाग करें, खुले में खेलें और ज्यादा देर बैठे न रहें, तो बचपन के मोटापे से और फिटनेस की कमी से मुकाबला किया जा सकता है। एक तथ्य यह है कि इंसान की औसत लंबाई बढ़ रही है। उन्नीसवीं शताब्दी के मुकाबले इंसान की औसत लंबाई अब लगभग छह इंच ज्यादा है। उन्नीसवीं शताब्दी में साढ़े पांच फीट की लंबाई अच्छी-खासी मानी जाती थी।

लंबाई के साथ औसत वजन भी बढ़ा है और खासकर बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद दुनिया के कई हिस्सों में समृद्धि के बढ़ने व फास्ट फूड उद्योग के पनपने की वजह से मोटापा बढ़ा है। इन सब वजहों से भी फिटनेस पर असर हुआ है। परिवहन के साधनों की वजह से चलना और दौड़ना कम हो गया है। टेक्नोलॉजी ने वजन उठाने की जरूरत कम कर दी है। इसीलिए मध्ययुग के साढ़े पांच फीट के लोग जिन हथियारों से लड़ सकते थे, उनमें से कई आज के साढ़े छह फीट के हट्टे-कट्टे लोग उठा नहीं पाते। इनमें से कुछ बातों का तो कोई उपाय नहीं है, पर बच्चों को घर में टीवी व वीडियो गेम से हटाकर खुले में खेलने भेजना तो मुमकिन है।

पुराने जमाने के लोगों में फिटनेस का स्तर बेहतर था, लेकिन चिकित्सा सुविधाएं न होने से औसत उम्र कम थी। अब अगर कोई व्यक्ति अपनी दो-तिहाई उम्र किसी लंबी बीमारी के साये में परहेज करते हुए और दवाएं खाते गुजारे, तो यह कितना कष्टप्रद होगा। आधुनिक विज्ञान ने बीमारियों के इलाज तो ढूंढ़े हैं, किंतु फिटनेस के तरीके वही पुराने हैं। अब खुली जगह भी कम है, सड़कें भी सुरक्षित नहीं, इसलिए बच्चों के खेलने और दौड़ने के लिए खुली जगहें छोड़ना शहरी नियोजन में अनिवार्य किया जाना चाहिए। साथ ही स्कूलों के लिए बच्चों की फिटनेस पर ध्यान देना जरूरी किया जाना चाहिए।

बच्चा जिंदगी की राह पर तंदुरुस्ती के साथ चल सके, इसलिए बचपन में उसे दौड़ने-कूदने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। तालिबान ने एक वीडियो के जरिये पाकिस्तानी मीडिया को धमकाया है कि वह सचिन तेंदुलकर की तारीफ करना बंद करे। तालिबान का कहना है कि सचिन कितने ही बड़े खिलाड़ी हों, आखिरकार वह भारतीय हैं और उन्हें पाकिस्तानी टीवी और अखबारों में इतनी जगह नहीं दी जानी चाहिए। तालिबान ने क्रिकेट के अपने ज्ञान का परिचय देते हुए बताया है कि पाकिस्तानी टीम हालांकि हार रही है, लेकिन कप्तान मिस्बाह-उल-हक अच्छा खेल रहे हैं, इसलिए उनकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए।

तालिबान ने क्रिकेट पर इतना ध्यान दिया है, यह उनकी उदारता है, क्योंकि कई कट्टरपंथी नेता यह भी मानते हैं कि क्रिकेट इस्लामी संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति का हमला है,

चीन लगातार भारत की घेराबंदी में जुटा हुआ है। यह भी सत्य है कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र चीन की अनदेखी नहीं कर सकता। यहां तक कि सबसे बड़ी ताकत अमेरिका भी नहीं। चीन हर दृष्टि से ताकतवर बन रहा है और भारत के संदर्भ में उसकी ताकत को गम्भीरता से लेना ही होगा। चीन लगातार भारत पर इस बात के लिए दबाव बना रहा था कि वह उसकी महत्वाकांक्षी वन बैल्ट वन रोड परियोजना में शामिल हो।

यह परियोजना तीन महाद्वीपों एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सीधे तौर पर जोड़ेगी। किसी एक देश का दुनिया में यह सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है लेकिन इसके साथ ही यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि इस परियोजना के जरिये चीन सम्पर्क बढ़ाना चाहता है या फिर वैश्विक राजनीति में अपनी हैसियत बढ़ाना चाहता है। ड्रैगन के इरादों से पूरी दुनिया वाकिफ है, भारत की अपनी चिंताएं हैं। इसीलिए भारत ने आज से शुरू हुए वन बैल्ट वन रोड सम्मेलन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।

भारत का तर्क बिल्कुल सही है कि कोई भी देश ऐसी किसी परियोजना को स्वीकार नहीं कर सकता, जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर उसकी मुख्य चिंता की उपेक्षा करती हो। सम्पर्क परियोजनाओं को इस तरह आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिससे संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हो। वास्तव में इस परियोजना का एक हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। इसे चीन और पाकिस्तान के बीच आर्थिक कॉरिडोर भी कहा जाता है।

भारत शुरू से ही इसका विरोध करता रहा है क्योंकि भारत का स्टैंड यह है कि पीओके पाकिस्तान का नहीं भारत का हिस्सा है। नेपाल चीन में शुरू हुए फोरम में हिस्सा ले रहा है। पाकिस्तान तो चीन का पहले से ही सखा बना हुआ है। नेपाल ने तो फोरम शुरू होने से पहले ही चीन के साथ करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारत के लिए स्थिति और भी जटिल हो गई है क्योंकि अमेरिका भी यू-टर्न लेते हुए इसमें भाग ले रहा है। रूस भी इस बैठक में भाग ले रहा है।

मोदी सरकार के बाद से अमेरिका और भारत के रिश्तों में नए बदलाव आए हैं लेकिन आपत्तियों के बावजूद अमेरिका का इस सम्मेलन में भाग लेना भारत के लिए बड़ा झटका है। परम्परागत रूप से नेपाल के साथ अच्छे आर्थिक और राजनीतिक संबंध रखने वाला भारत पिछले कुछ वर्षों से चीन से लगातार स्पर्धा का सामना कर रहा है।

चारों तरफ जमीनी सीमा से घिरा नेपाल आयात के मामले में प्रमुखता से भारत पर निर्भर है और समुद्री सम्पर्क के लिए पूरी तरह भारतीय बंदरगाहों पर आश्रित है। बंगलादेश भी इस फोरम में शामिल हो चुका है। चीन लगातार दोस्त खरीद रहा है। ओबीओआर लगभग 1400 अरब डालर की परियोजना है, जिसे 2049 में पूरा किए जाने की उम्मीद है।

चीन इस परियोजना की मदद से हान शासन के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले सिल्क रूट को फिर से जिंदा करने की जुगत में है। करीब 2000 वर्ष पहले सिल्क रूट के जरिये पश्चिमी और पूर्वी देशों के बीच कारोबार होता था।

चीन इस रूट की मदद से यूरोप में अपना सिल्क बेचता था और बदले में धातुओं का आयात करता था। तब भारत भी इस रूट का हिस्सा था लेकिन इस बार चीन की महत्वाकांक्षा दूसरी है। यह परियोजना उसकी सामरिक नीति का हिस्सा है लेकिन इसका मुखौटा आर्थिक है। भारत की परेशानी यह भी है कि क्योंकि यह परियोजना चीन की है इसलिए टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसका ही नियंत्रण होगा जिसका सीधा लाभ चीन को मिलेगा।

भारत की अर्थव्यवस्था चीन की तरह निर्यात आधारित नहीं है। डर तो इस बात का भी है कि चीन सिल्क रूट के जरिये हिन्द महासागर में शक्ति के वर्तमान संतुलन को चुनौती देगा। उसकी कोशिश महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों के साथ-साथ बंदरगाह परियोजनाओं को हासिल करना, म्यांमार और पाकिस्तान के जरिये चीन तक ऊर्जा और परिवहन गलियारा बनाना और बड़े व्यापार रास्तों के जरिये ईंधन भरने वाले स्टेशन और सामुद्रिक नियंत्रण वाले आउटपोस्ट के रूप में मोतियों की माला गूंथना है।

कि चमड़ी के रंग से इंसान की श्रेष्ठता तय होती है, तो उसकी अक्ल पर ही शक किया जाना चाहिए, चाहे वह अमेरिका के किसी नस्लवादी संगठन का हो या भारत में गोरेपन की क्रीम की बिक्री बढ़ाने वाला हो। संभव है कि उसके इस दुराग्रह का फायदा उठाने वाला कोई बहुत चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति हो। दरअसल, कम समझ वाला इंसान हर चीज की निहायत सरल व्याख्या और निदान चाहता है। वह मानवीय परिस्थितियों की जटिलता व व्यापकता नहीं समझ सकता।

वह सिर्फ इतना सोच और समझ सकता है कि किसी व्यक्ति या समूह को खत्म कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह भी प्रमाणित तथ्य है कि दूसरों को भी अपने ही जैसा समझने और उनकी तकलीफों को अपनी तकलीफ समझने की संवेदनशीलता ऊंचे दर्जे की मानसिक क्षमता से आती है। इसलिए कम संज्ञान वाले लोगों को हिंसा या विध्वंस से भी दिक्कत नहीं होती।

यानी हम तरह-तरह के कट्टरवादियों की अक्ल पर तरस खाते हैं, तो यह वैज्ञानिक नजरिये से भी सही है। कुछ ही दिनों पहले के तमाम बुरे अनुभवों और तनावों के बाद विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की चीन यात्रा सद्भावपूर्ण माहौल में ही हुई है। जाहिर है, सीमा पर तीन हफ्ते चले गतिरोध को दोनों ही पक्षों ने पीछे छोड़ दिया है। खुर्शीद ने यह साफ तौर पर कहा कि सीमा पर गतिरोध का मामला बातचीत में नहीं उठा।

सलमान खुर्शीद की यह यात्रा नए चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग की भारत यात्रा के सिलसिले में हुई है, जो इसी महीने प्रस्तावित है। चीन में राजनीतिक परिवर्तन के बाद उसके प्रधानमंत्री की यह पहली आधिकारिक विदेश यात्रा है। इससे पता चलता है कि यह यात्रा राजनयिक रूप से कितनी महत्वपूर्ण है और यह भी साफ होता है कि तमाम शक-शुबहों के बावजूद भारत से संबंध चीन के लिए बहुत मायने रखता है।

जब सीमा पर विवाद जारी था, तब भी यह उम्मीद थी कि भारतीय विदेश मंत्री की चीन यात्रा के पहले यह विवाद सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि चीनी प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा पर इस विवाद की छाया चीन नहीं पड़ने दे सकता। अगर भारत यह यात्रा रद्द करने का फैसला करता, तो दुनिया में चीनी हितों को बड़ा धक्का पहुंचता और चीन की बेइज्जती होती। भारत का चीन से सीमा विवाद चलता रहेगा, लेकिन दोनों देशों में इतनी समझदारी है कि इस विवाद को वे उन क्षेत्रों से दूर रखें, जिनमें परस्पर सहयोग जरूरी है।

तेजी से विकसित होते देशों के संगठन ब्रिक्स में ये दोनों साडीदार हैं और कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी विश्व व्यापार संगठन और पर्यावरण के मुद्दों पर ये दोनों साथ रहे हैं। इन मामलों में भारत व चीन के हित एक जैसे ही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देशों का आपसी व्यापार लगातार तेजी से बढ़ रहा है। सन 2001 के बाद से अब तक द्विपक्षीय व्यापार में लगभग 30 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इस दशक के तीन ही वर्षों में यह डेढ़ गुना हो गया है।

भारत में चीन का निवेश भी बढ़ता जा रहा है, वैसे ही चीन में भारतीय उद्योग-व्यापार ने भारी निवेश किया है। कई बड़े और मंझले आकार के भारतीय उद्योग इन दिनों चीन में मौजूद हैं। जाहिर है, जब खरबों रुपये का निवेश एक-दूसरे के यहां हो और आर्थिक हित इतने जुड़े हों, तो कोई भी देश सीमा विवाद को इतना नहीं खींचना चाहेगा कि उसका असर आर्थिक संबंधों पर पड़े। चीन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा में सीमा विवाद पर बातचीत तो होगी, लेकिन मुख्य मुद्दा आपसी आर्थिक संबंधों को बेहतर करने का ही होगा। यह तो सभी जानते हैं कि चीन औद्योगिक उत्पादन के मामले में एक बहुत बड़ी ताकत है और दुनिया के बाजार चीनी सामान से अटे पड़े हैं।

साल 2007 के बाद आई वैश्विक मंदी की वजह से चीन के निर्यात पर फर्क पड़ा है और अब वह अपनी आर्थिक रणनीति बदल रहा है। सबसे पहले तो चीन अपने यहां घरेलू खपत बढ़ाना चाहता है, ताकि जनता का जीवन स्तर भी ऊंचा हो और निर्यात पर उसकी निर्भरता कम हो। दूसरी ओर, चीनी माल और चीनी निवेश के लिए भारत एक बड़ा और आकर्षक बाजार है, जहां मांग जल्दी घटने वाली नहीं है। भारत की खासियत सेवा क्षेत्र और आईटी क्षेत्र है, अब भारत की कोशिश औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की है, क्योंकि बिना इसके स्थायी विकास और रोजगारों की बढ़ोतरी मुमकिन नहीं है।

लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई हैं, जिनके नतीजे देर तक भुगतने पड़ सकते हैं। बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुरक्षा की पिछले दिनों बहुत उपेक्षा हुई है, अब अगर स्थायी विकास होना है, तो इन क्षेत्रों में बुनियादी सुधारों के बिना काम चल नहीं सकता।

भारत का विकास अब औद्योगिक उत्पादन और खेती के सहारे ही हो सकता है और इन क्षेत्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देने वाली नीतियों व बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री के भाषण में दूसरा मुख्य मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर था, क्योंकि अभी-अभी सीमा पर पांच भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं।

मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार की पाकिस्तान और चीन नीति सही राह पर है, लेकिन अपने देश की जनता को यह संदेश देने में वह विफल रही है। रक्षा मंत्री ए के एंटनी का संसद में पहले एक बयान देना और फिर अगले दिन दूसरा बयान देना मूलतः संवाद और संप्रेषण की विफलता है। इस सरकार के कार्यकाल में यह विफलता बार-बार देखने में आई।

प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की कई सफलताएं गिनाई हैं और आजकल भारतीय जनता का मूड इन बातों को सुनने का नहीं है। फिर भी यह सच है कि तमाम विफलताओं के बीच भारत ने तरक्की की है, भले ही कोई इन्हें सरकार की उपलब्धि न माने।

गरीबी के किन्हीं मानकों को हम मानें, लेकिन यह सच है कि देश में गरीबी कम हुई है, साक्षरता और शिक्षा की दर बढ़ी है, ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का इंतजाम पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है।

अगर जनता में असंतोष बढ़ा है, तो वह उसकी उम्मीदों और उपलब्धियों के बीच की खाई को लेकर है। यह भी अच्छा लक्षण है कि जनता की उम्मीदें बढ़ी हैं और जनता ज्यादा बेहतर स्थितियां चाहती है। अगली बार कौन लाल किले से भाषण देगा, यह तो 2014 के चुनावों के बाद पता चलेगा, लेकिन देश का भविष्य बेहतर होने की पूरी-पूरी उम्मीद है। डबिहार के धमारा घाट स्टेशन पर भयानक रेल दुर्घटना में अनेक लोगों की मौत हो गई है और जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं, उनमें से कई जीवन भर के लिए विकलांग हो जाएंगे।

अगर लोगों की बड़ी भीड़ 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही ट्रेन की चपेट में आ जाए, तो दुर्घटना की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आक्रोशित भीड़ की मारपीट व तोड़फोड़ से और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। भीड़ की हिंसा की वजह से स्थानीय प्रशासन और रेलवे विभाग वक्त पर राहत के इंतजाम न कर सका, इससे भी समस्या बढ़ी है।

ये तमाम लोग एक पैसेंजर ट्रेन से उतरकर स्टेशन की दूसरी तरफ के एक मंदिर में दर्शन के लिए पटरी पार करके जा रहे थे। मरने वालों में ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं, जाहिर है, ये लोग परिवार के पुरुषों के बताए रास्ते से रेलवे पटरी पार कर रहे थे। इन लोगों को शायद रेलवे यात्रा और पटरी पार करने का ज्यादा अनुभव भी नहीं रहा होगा, जैसा रोज या आम तौर पर सफर करने वालों को होता है। मोटे तौर पर यह लग सकता है कि रेलवे प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं थी।

जिस तेज रफ्तार ट्रेन के नीचे ये लोग कुचले गए, उसे उस स्टेशन पर रुकना नहीं था, इसलिए उसे हरा सिग्नल दिया गया था और उस ट्रेन ड्राइवर की तो शायद कोई भी गलती नहीं थी, जिसे भीड़ ने बुरी तरह पीट दिया। इस घटना को हम अगर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो यह लगता है कि यह दुर्घटना के शिकारों की गलती नहीं थी, बल्कि भारतीय रेलवे का जो हाल हमने बना दिया है, वही इसका जिम्मेदार है। सिर्फ बिहार के इस दुर्गम इलाके में ही लोग पटरी पार नहीं करते, दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में उससे ज्यादा लोग हर साल मरते हैं और हम इसे रोक नहीं पाए हैं।

यह भी गौरतलब है कि पिछले दो दशकों में तीन रेलवे मंत्री बिहार से आए हैं। जब से राजनेताओं ने रेलवे की वोट दिलाऊ क्षमता को पहचाना है, तब से भारतीय रेलवे राजनेताओं के लिए सिर्फ वोट दिलाने वाली मशीन है और रेलवे को सिर्फ लोकप्रिय, लोक-लुभावन तरीके से चलाया जाता है। इसका नतीजा यह हुआ कि रेलवे की आय नहीं बढ़ी और उसका आधुनिकीकरण नहीं हुआ।

इस उम्र में भी वह अभ्यास में सबसे पहले पहुंचने वाले और सबसे बाद में मैदान से निकलने वाले खिलाड़ी थे। क्रिकेट उनकी रग-रग में और हर सांस में है। इसलिए वह अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो क्या करेंगे, यह सवाल जरूर उनके मन में रहा होगा। यह बात वह भी एकाध बार कह चुके हैं कि वह क्रिकेट के बिना जीवन के बारे में सोच नहीं सकते।

खिलाड़ियों को छोटी उम्र में ही बहुत यश और पैसा मिलता है, लेकिन यह भी एक समस्या है कि जब दूसरे पेशे में लोगों की रचनात्मकता परिपक्व होने लगती है, तब उनके रिटायरमेंट का वक्त आ जाता है। 40 की उम्र किसी अन्य पेशे में अपने सवरेत्कृष्ट की ओर कदम बढ़ाने की होती है। खिलाड़ियों की समस्या यह होती है कि जब उन्हें अनुभव हासिल होता है, खेल की समझ परिपक्व होती है, तब शरीर साथ देना छोड़ देता है।

लगभग आधी युवावस्था और आधे से ज्यादा जीवन सामने होता है और आप अपने सबसे प्रिय काम को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। यह देखने में आया है कि काफी सारे खिलाड़ी इस खालीपन की वजह से भटक जाते हैं, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जो खेल से संबंधित किसी काम में लग जाते हैं, कुछ कोचिंग करने लगते हैं, कुछ कमेंटरी करने लगते हैं, कुछ खेल से जुड़े रहते हैं और अपने लिए रोजगार का भी इंतजाम कर लेते हैं।

सचिन जिस तरह के संस्कारी और अनुशासित व्यक्ति हैं, उसके चलते उनके बहकने की आशंका तो नहीं है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्रिकेट के प्रति इस कदर समर्पित सचिन अब क्या करेंगे? सचिन का बड़प्पन सिर्फ एक खिलाड़ी की सफलता की कथा नहीं है, वह इस बात का भी उदाहरण है कि खेल में इतने आक्रामक और प्रतिस्पर्धी होते हुए भी वह विनम्रता और शालीनता की मिसाल रहे। बहुत छोटी उम्र में ग्लैमर और पैसा खिलाड़ियों को अक्सर अहंकारी बना देता है, लेकिन अपने जमाने के सबसे लोकप्रिय और सफल खिलाड़ी होते हुए भी वह मैदान में और बाहर ऊंचे आचरण की मिसाल रहे।

यह स्वभाव और उनकी एकाग्रता, लगन और मेहनत करने की क्षमता रिटायरमेंट के बाद भी उनकी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देगी, इसकी हम उम्मीद करते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि रिटायरमेंट के बाद सचिन युग की समाप्ति हो जाए, बल्कि हम यह चाहते हैं कि अब उनकी दूसरी पारी शुरू हो। एक आम मध्यमवर्गीय परिवार में बढ़े-पले सचिन नए जमाने की युवा भारतीय प्रतिभा के प्रतीक पुरुष बन गए हैं। अब उम्मीद है कि यह प्रतिभा अपनी परिपक्व समझ और अनुभव के साथ नए शिखर छुएगी।

राजनीतिक पार्टियां आमतौर पर लोकलाज का लिहाज तभी करती हैं, जब ऐसा करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जब चुनाव का माहौल होता है, तो अक्सर लोकलाज की कीमत वोटों के तराजू में ही तौली जाती है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों पर पिछले दिनों हुए सांप्रदायिक दंगों के सिलसिले में मामले दर्ज हुए हैं और वे कुछ दिन जेल भी काट आए हैं।

यह कोई ऐसा गौरवपूर्ण कार्य नहीं है, जिसके लिए किसी का सम्मान किया जाए। लेकिन भाजपा ने दो विधायकों का विशेष रूप से सम्मान करना जरूरी समझा और आगरा में अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली में बाकायदा उनका सम्मान किया गया। इन विधायकों में से एक संगीत सोम पर वह फर्जी वीडियो प्रसारित करने का आरोप है, जिसकी वजह से दंगे भड़क गए थे। दूसरे विधायक सुरेश राणा पर तो एक और मामला सम्मान वाले दिन ही दर्ज हुआ, जिसमें उन पर आरोप है कि जून माह में उन्होंने शामली के एक दंगे में दंगाई भीड़ का नेतृत्व किया था।

जहां भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, वहां दंगों के काफी वक्त बाद तक लोगों में वैमनस्य, नफरत और शक बने रहते हैं। एक जिम्मेदार नेतृत्व की कोशिश होनी चाहिए कि नफरत मिटे व दंगों के शिकार संप्रदायों में फिर सौहार्द के रिश्ते कायम हों। यहां कोशिश यह दिखती है कि इन विधायकों को गौरवान्वित करके नफरत व अलगाव को कायम रखा जाए। यह माना जा सकता है कि जब तक किसी पर आरोप साबित न हो जाए, तब तक उसे अपराधी न माना जाए।

इन विधायकों पर आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं, फिर भी इस बात के भी कोई सबूत नहीं हैं कि इन जन-प्रतिनिधियों ने दंगों को रोकने और हिंसा न होने देने की कोई कोशिश की थी,

वह रंगून भाग गया था, और वहीं उसका देहान्त हो गया था। उसके पाशविक व्यवहारों को याद करके मैं उन्मत्त हो उठता था। उसे जीता पा जाता तो शायद उसका खून पी जाता, पर इस समय स्मृति—मूर्ति को देखकर मेरा मन जैसे मुखरित हो उठा। उसे आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो गया। उसने मेरे साथ, मेरी स्त्री के साथ, माता के साथ मेरे बच्चे के साथ जो—जो कटु, नीच और घृणास्पद व्यवहार किये थे, वह सब मुझे याद आ गए।

मन में केवल यही भावना थी मेरा भैया कितना दुखी है। मुझे इस भाई के प्रति कभी इतनी ममता न हुई थी, फिर तो मन की वह दशा हो गई, जिसे विह्वलता कह सकते हैं। शत्रु—भाव जैसे मन से मिट गया था। जिन—जिन प्राणियों से मेरा बैर—भाव था, जिनसे गाली—गलौज, मार—पीट मुकदमाबाजी सब कुछ हो चुकी थी, वह सभी जैसे मेरे गले में लिपट—लिपटकर हँस रहे थे।

फिर विद्या (पत्नी) की मूर्ति मेरे सामने आ खड़ी हुई वह मूर्ति जिसे दस साल पहले मैंने देखा था उन आंखों में वही विकल कम्पन था, वहीं संदिग्ध विश्वास, कपोलों पर वही लज्जा—लालिमा, जैसे प्रेम सरोवर से निकला हुआ कमल पुष्प हो। वही अनुराग, वही आवेश, वही याचना—भरी उत्सुकता, जिसमें मैंने उसे न भूलने वाली रात को उसका स्वागत किया था, एक बार फिर मेरे हृदय में जाग उठी।

मधुर स्मृतियों का जैसे स्रोत—सा खुल गया। विद्या के चरणों पर सिर रगड़कर रोऊँ और रोते—रोते बेसुध हो जाऊँ। मेरी आंखें सजल हो गईं। मेरे मुँह से जो कटु शब्द निकले थे, वह सब जैसे ही हृदय में गड़ने लगे। इसी दशा में, जैसे ममतामयी माता ने आकर मुझे गोद में उठा लिया। बालपन में जिस वात्सल्य का आनंद उठाने की मुझमें शक्ति न थी, वह आनंद आज मैं उठाया। गाना बन्द हो गया।

सब लोग उठ—उठकर जाने लगे। मैं कल्पना—सागर में ही डूबा रहा। सहसा जयदेव ने पुकारा चलते हो, या बैठे ही रहोगे? हल्कू ने आकर स्त्री से कहा—सहना आया है। लाओ, जो रुपये रखे हैं, उसे दे दूँ, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिरकर बोली—तीन ही रुपये हैं, दे दोगे तो कमल कहाँ से आवेगा? मास—पौष की रात राह में कैसे कटेगी? उससे कह दो, फसल पर दे देंगे। अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा।

पौष सिर पर आ गया, कम्बल के बिना रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी—भरकम डील लिए हुए (जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था) स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला—दे दे, गला तो छूटे। कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूँगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली—कर चुके दूसरा उपाय।

जरा सुनूँ तो कौन—सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कम्बल? न जाने कितनी बाकी है, जों किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर—मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो। ऐसी खेती से बाज आयें।

मैं रुपये न दूँगी, न दूँगी। हल्कू उदास होकर बोला—तो क्या गाली खाऊँ? मुन्नी ने तड़पकर कहा—गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भाँति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए।

फिर बोली—तुम छोड़ दो अबकी से खेती। मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी। किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है। मजूरी करके लाओं, वह भी उसी में झाँक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपये लिये और इस तरह बाहर चला, मानो अपना हृदय निकालकर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक—एक पैसा काट—काटकर तीन रुपये कम्बल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे।

दूसरी तरफ, अमेरिका का फेडरल रिजर्व भी कह रहा है कि आर्थिक मंदी से उबरने की गति अभी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। ऐसे हालात में शेयर कीमतों का इस कदर उछल जाना हैरत की बात भी है और एक पहेली भी।

शेयर बाजार के इस उछाल में एक बात तो साफ है कि पिछले कुछ समय में विदेशी निवेशक बाजार में लौटे हैं और उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी है। रुपये का मजबूत होना भी यही बताता है। लेकिन बाजार के कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मामला सिर्फ इतना नहीं है।

कहा जाता है कि शेयर बाजार का उतार-चढ़ाव सिर्फ अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के भरोसे नहीं चलता। ये आंकड़े आमतौर पर अतीत के होते हैं। शेयर बाजार आने वाले समय की ओर देखता है। अगर उम्मीदें बेहतरी की बात कह रही हों, तो बाजार तेजी से उछलता है, लेकिन अगर निराशा की जरा सी भी महक हो, तो वह तेजी से गोता लगाता है। इस तर्क को अगर सही मान लिया जाए, तो भी शेयर बाजार को भविष्य में कौन-सी उम्मीद दिखाई दी?

बाजार का जो विश्लेषण सामने आया है, वह बताता है कि कुछ तकनीकी कंपनियों, उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियों और दवा कंपनियों के शेयरों में तेजी के कारण शेयर बाजार ने यह बुलंदी हासिल की है। इसमें खासकर उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियों के शेयरों का बढ़ना एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। इस दिवाली से यह उम्मीद की जा रही थी कि महंगाई के बावजूद उपभोक्ता सामान के कारोबार में तेजी दिखाई देगी।

इस उम्मीद के पीछे का अनुमान यह था कि रबी की फसल अच्छी रहने के कारण इस समय ग्रामीण समाज के पास जो धन आया है, उसे वह त्योहार के मौके पर उपभोक्ता सामान पर खर्च करेगा। अगर ऐसा हुआ, तो विकास दर भी कुछ ऊपर जाएगी। लेकिन अभी यह कहना मुश्किल है कि यह सब चार दिन की चांदनी जैसा ही होगा या इसका कोई दूरगामी असर भी बनेगा।

एक तो अभी हमें पता नहीं है कि अगर बाजार में मामूली-सा सुधार हुआ भी, तो उसका पूरी अर्थव्यवस्था पर कोई सीधा असर पड़ेगा या नहीं। दूसरे, पिछले कुछ साल का अनुभव यही बताता है कि इस तरह से उत्पादों की मांग और आपूर्ति बढ़ने से रोजगार के नए अवसर बहुत ज्यादा नहीं पैदा होते। अर्थशास्त्रियों के मन में यह डर तो है ही कि अब आम चुनाव बहुत दूर नहीं है।

ऐसे में, यह उम्मीद बहुत कम है कि सरकारें अर्थव्यवस्था के मूल आधार को मजबूत बनाने की कोशिश गंभीरता से करेंगी। यह वोट बटोरने का समय है, अर्थव्यवस्था की सुध लेने का नहीं। अगर शेयर बाजार को भी गौर से देखें, तो बाजार इस समय उससे आगे की यात्रा कर रहा है, जहां से वह साल 2008 में पीछे लौट गया था। यानी इस पांच साल का हासिल कुछ नहीं है।

लेकिन उसका आगे बढ़ना अच्छी खबर जरूर है। कोई चार दशकों से, जब भी चुनाव आता है, तो अधिकतर राजनीतिक पार्टियां और उनके दिग्गज नेता देश के सामने विकास का कोई नया व अनोखा मॉडल न रखकर, कांग्रेस के वंशवाद पर हमला बोलने लगते हैं। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने, जो इन दिनों लोगों के दिल-ओ-दिमाग पर छाने की कोशिश कर रहे हैं, वंशवाद की राजनीति को एक नया शब्द दिया है यानी राहुल गांधी। जब इस शब्द पर कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि शहजादा कहना छोड़ दूंगा, यदि कांग्रेस वंशवाद छोड़ दे।

नरेंद्र मोदी के इस अंदाज-ए-बयां पर चुनावी सभाओं में तालियां भी खूब बजती हैं, ठीक उसी तरह, जैसे कोई राहुल को बबुआ या युवराज कहता था, तो वे बजती थीं। मगर शायद मोदी को यह पता नहीं है कि वंशवाद की राजनीति पर कांग्रेस का कोई कॉपीराइट नहीं है। हो सकता है कि मोदी जान-बूझकर अनजान बन रहे हैं। पहली बार 1967 में समाजवादी चिंतक राममनोहर लोहिया ने उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में 'नेहरू वंश' के तर्क के जरिये जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित के खिलाफ जनेश्वर मिश्र की तरफ से मोर्चा खोला था।

दिल्ली जैसे राजधानी के स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराना एक बहुत मुश्किल काम है जो हर मां-बाप को करना पड़ता है। नर्सरी से पीएचडी तक मिशन एडमिशन के लिए माता-पिता को तरह-तरह की कठिनाइयों से रूबरू होना पड़ता है।

पिछले दिनों प्राइवेट स्कूलों के मामले में फीस वृद्धि को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक जबरदस्त स्टैंड लिया और कहा कि जो स्कूल बढ़ी हुई फीस माता-पिता को वापस नहीं करेगा दिल्ली सरकार उसका टेकओवर कर लेगी। पहली बार दिल्ली में सत्ता के सर्वोच्च केन्द्र उपराज्यपाल ने भी इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही 449 स्कूलों के नाम भी सामने आ गए जिनका नियंत्रण दिल्ली सरकार को लेना था। खैर यह तस्वीर का एक वह पक्ष था जिसके बारे में हर कोई जानता है।

मैं पिछले दिनों के जिस मामले का उल्लेख करने जा रहा हूँ वो प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट की तानाशाही की पोल खोल रहा है। हालांकि मेरा बेटा अभी प्ले स्कूल में है। आप जानते ही हैं कि दिल्ली में प्ले स्कूलों का प्रचलन बढ़ रहा है। मेरे बेटे का 10 अगस्त को जन्मदिन था तो मैंने पत्नी को कहा कि उसके प्ले स्कूल में बच्चों को टॉफियां, चॉकलेट और स्वीट्स बांट दी जाएं तो बच्चों की दुनिया में खुशी की लहर दौड़ेगी परन्तु ऐसा नहीं हुआ।

मेरी पत्नी ने प्ले स्कूल में फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। आप हमें 30 हजार रुपए दे दो और वो भी नकद। हम खुद बच्चों को यह सब कुछ बांटेंगे साथ में टीचर्स को गिफ्ट भी देंगे। सारा बन्दोबस्त हम करेंगे। एक पिता होने के नाते मैंने ये सब कुछ किया। उन्होंने 30 हजार कैश मांगे थे।

मैंने जानबूझकर और रिकॉर्ड रखने के लिए उन्हें 30 हजार का चौक दिया। अपने बच्चे की खुशी की खातिर मैंने सब कुछ वही किया जो प्ले स्कूल के प्रबन्धक चाहते थे। तस्वीर का यह पहलू आपके सामने है लेकिन मेरे सामने सारे वो पहलू हैं जो एक आम नौकरी-पेशा वाले इन्सान से जुड़े हैं और वे अपने बच्चों को अगर प्ले स्कूल में भेजना चाहते हैं तो कितनी मुश्किलें पेश आती होंगी।

सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली के बच्चों को लेकर शिक्षा से जुड़े उस मुद्दे का पहली बार हल निकाला है जिसके बारे में राजनीतिक पार्टियों ने आज तक उन लोगों का साथ दिया था जो आज शिक्षा के माफिया बने बैठे हैं।

दिल्ली सरकार के इस सीएम ने जिस तरह से मजबूत स्टैंड लेकर प्राइवेट स्कूल वालों की नकेल कसी है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ कह दिया है कि दिल्ली की जनता को अगर स्कूल प्रबन्धक यूँ ही तंग करते रहेंगे तो फिर वह दिन दूर नहीं जब उन्हें और भी सख्त कार्रवाई करनी होगी। केजरीवाल की इस चेतावनी का हम स्वागत करते हैं।

दरअसल दिल्ली में स्कूल माफिया ने जिस तरह से अपना तंत्र बढ़ाया है उन पर शिकंजा बहुत पहले कसा जाना चाहिए था लेकिन तीन साल के शासन में केजरीवाल सरकार ने वो सब कुछ करके दिखाया जिसकी एक गरीब आम आदमी को दरकार थी। प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस के तहत केजरीवाल ने अपने शिक्षा मंत्री मनीष सिंसौदिया को खास निर्देश दे रखे थे कि इस कोटे के तहत अमीरों के बच्चों को डोनेशन के बदले दाखिला देने स्कूल प्रबन्धकों पर नजर रखी जाए। केजरीवाल ने जो झा व्यवस्था की उससे आम आदमी को फायदा हुआ। इसे ही शिक्षा व्यवस्था की खूबी माना जाता है। केजरीवाल ने शिक्षा को लेकर कानून सख्ती से लागू किया है।

दरअसल प्राइवेट स्कूल वाले जब सरकार से जमीन लेने के लिए एजुकेशन सोसायटी बनाकर अपना आवेदन देते हैं तो अनेक अधिकारियों के साथ पैसे का खिलवाड़ करते हैं। कानून यह कहता है कि जब उन्हें डीडीए से लगभग एक से सौ रुपए गज के हिसाब से चौरिटी के लिए जमीन मिलती है तो बदले में वे एक एफिडेविट भरते हैं जिसमें वे शपथ लेते हैं कि निर्धन और कमजोर वर्ग के बच्चों को 25 प्रतिशत तक दाखिला सुनिश्चित करेंगे परन्तु ये स्कूल वाले ऐसा न करके अमीरों से गुलाबी नोट लेकर उनके बच्चों को डोनेशन के बदले दाखिला दे देते हैं। केजरीवाल ने इस मामले पर अब प्राइवेट स्कूल प्रबन्धकों की नस दबाते हुए सही चोट की है।

अक्सर सुनने में यही आता है कि सुनार (ज्वैलर्स) और वकील अपनी मां के भी सगे नहीं होते। इनको अपना पेशा अपने रिश्तों और नैतिक मूल्य से अधिक प्रिय होता है, परन्तु मेरे सामने ऐसी 2 बड़ी मिसाल हैं, एक अरुण जेतली जी और दूसरा भारत मां का वकील हरीश साल्वे जी जो आज सारी दुनिया देख रही है।

कुछ साल पहले हमारे एक फ़ैमिली केस में (जो आज घर-घर की कहानी खास करके है, बड़े घरानों में) अरुण जेतली जी को पेश होना था या अपने साथी वकील को भेजना था तो अश्विनी जी ने उन्हें किसी के द्वारा चौक भेजा, उन्होंने देखा और वापस भेज दिया।

फिर उन्होंने बड़े प्यार से अश्विनी जी को हंसकर बोला मिन्ना (अश्विनी का प्यार का नाम) जो तुमने किया वो तुम्हारा फर्ज था और जो मैंने किया मेरा फर्ज (यानी मैं किरण का भाई तुमसे कैसे फीस ले सकता हूँ) मतलब पेशे के सामने उनके लिए रिश्ता ज्यादा मायने रखता है। हम अन्दर ही अन्दर से उनके प्रति और भावुक और नजदीक हो गए।

दूसरा हरीश साल्वे जी का है, जिनके पिता एन.के.पी. साल्वे जो कांग्रेस के बड़े नेता, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे, वह अश्विनी जी को तब से प्यार करते थे, जब अश्विनी जी रणजी, ईरानी और रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम में खेलते थे। जब हम दिल्ली आए वह अक्सर हमें अपने घर बुलाते, हमारे यहां आते, हमें बच्चों की तरह स्नेह देते थे और जब उनके घर जाते तो इतने खुश होते थे कि उन्हें बिठाने के लिए जगह नहीं मिलती थी, कभी कुछ खिलाने के लिए मंगाते और लास्ट टाइम जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने गले में कॉलर पहन रखा था, उन्हें सरवाइकल था।

एनडीए शासन में सॉलिसिटर जनरल बनने के वक्त उनकी उम्र महज 43 साल थी और उन्होंने ट्रेजडी किंग दिलीप कुमार से लेकर अंबानी, महिन्द्रा, टाटा, भोपाल गैस त्रासदी और नीरा राडिया तथा हिट एंड रन केस में बालीवुड स्टार सलमान खान की पैरवी भी की थी। एक पेशेवर तरीका हमेशा सफलता दिलाता है।

देश की मिट्टी को समझना और जमीन पर रहना यह अंदाज पैसे वाले लोग नहीं रखते लेकिन हरीश साल्वे बहुत रिजर्व रहते हैं। बातचीत में वह अक्सर कहते हैं कि वकालत मेरा पेशा है परन्तु सच बात यह है कि मैं वकील नहीं इंजीनियर बनना चाहता था। वह बहुत कम बोलते हैं लेकिन अपनी दलील बहुत सुंदर तरीके से बनाते हैं, जिसे पढ़कर जज पर असर पड़ता है।

फिर भी हम तो यही कहेंगे कि वह इंजीनियर या वकील से भी बढ़कर एक सच्चे भारतीय और भारत मां के ऐसे बेटे हैं कि जिन पर पूरे देश को नाज होगा। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ढीठता के मामले में बहुत ही निकृष्ट किस्म का आचरण रखता है और अगर कोई इसके बारे में जाने और समझे तो सचमुच शर्मसारी भी आंसू बहाने लगे।

एक भारतीय नागरिक और नौसेना के पूर्व कर्मचारी कुलभूषण जाधव को अपने यहां गिरफ्तार करके उसने उसे जासूस घोषित करते हुए अपनी फौज के कोर्ट मार्शल के तहत उन्हें फांसी दिलवा दी। आईसीजे अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत ने इस फांसी के खिलाफ अपील की और आईसीजे ने पाकिस्तान को आदेश दिया है कि अंतिम फैसला आने तक वह कुलभूषण जाधव को फांसी न दे।

सारा देश और सारी दुनिया इस फैसले से खुश है और पाकिस्तान एक बार फिर अपनी पाप भरी फितरत को लेकर बेनकाब हो गया है, लेकिन इस स्थिति को जश्न तक ले जाने में देश के एक ऐसे हीरो को सिर-आंखों पर बैठाना चाहिए, जिन्होंने अपनी शानदार दलीलों के दम पर यह केस भारत को जिताने में मदद की।

भारत माता के इस सपूत श्री हरीश साल्वे को कोटि-कोटि नमन है, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण केस में केवल एक रुपया फीस लेकर यह केस लड़ा और आईसीजे में भारत को इतनी बड़ी सफलता कूटनीतिक तौर पर दिलाई। पेशे से पिछले 40 साल से वकालत कर रहे श्री हरीश साल्वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही केस लड़ते हैं और इतने पारंगत और सशक्त हैं कि अपनी हर दलील तौल-तौल कर रखते हैं।

जब आरक्षण बराबरी की बजाय गैर बराबरी या वर्चस्व का औजार बना दिया जाएगा, तो फिर विभिन्न समूहों में टकराव भी स्वाभाविक ही है। इस राजनीतिक टकराव से समाज में गैर बराबरी खत्म करने के लिए आम सहमति मुश्किल हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी विशेष समूह के सत्कारुढ़ होने पर उसके अपने लोगों को विशेष रियायतें मिलें और दूसरे वंचितों के साथ अन्याय हो।

आम सहमति की राजनीति तभी होगी, जब वंचित समूहों के उत्थान के लिए आरक्षण का अचूक इस्तेमाल हो, वरना फिर बराबरी की समूची प्रक्रिया राजनीतिक चतुराई और पाखंड के जाल में अटक जाएगी। वि पाब्लो नेरुदा ने लिखा है कि 'समय को कैंची से नहीं काटा जा सकता।' समय के अनवरत प्रवाह से हम नए साल में पिछले साल की उम्मीदें, सुख-दुख, सफलताएं और असफलताएं लेकर ही प्रवेश करते हैं।

2012 के आखिरी महीने में दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार-हत्या की ऐसी छाया रही कि नए साल का स्वागत भी कुछ दबा-दबा सा रहा। यह स्वाभाविक भी है और सही भी, किसी भी समाज को इतना संवेदनहीन नहीं होना चाहिए कि ऐसी अमानवीय घटना को भूलकर जोर शोर से उत्सव मनाने खड़ा हो जाए। भूलना इसलिए भी नहीं चाहिए कि इसे याद रखने में ही यह उम्मीद भी है कि आइंदा किसी महिला के साथ ऐसा अत्याचार न हो। यह उम्मीद इसलिए भी बनती है क्योंकि सारा भारतीय समाज इस कांड के विरोध में एकजुट हो गया है। यह एकता और यह विरोध बना रहे तो हम सरकार और अपने समाज में व्याप्त सामंती और महिला विरोधी तत्वों से निपटने की सोच सकते हैं।

कई मायनों में यह अच्छा है कि नए साल की शुरुआत बड़े जोर शोर से नहीं हो रही है क्योंकि अपने दुखों, शर्म और तकलीफ को याद रखकर ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी और हमारी नई पीढ़ी के भविष्य पर ऐसी वीभत्स छाया नहीं होगी। इसके रास्ते में दिक्कतें बहुत हैं जो इस कांड के अभियुक्तों को सजा मिलने या कड़ा कानून बनाने भर से हल नहीं होंगी। अब भी बलात्कार पीड़ित कई महिलाएं हैं जिनकी शिकायत तक पुलिस दर्ज नहीं कर रही है। अभी-अभी भारत के दो ग्रामीण या अर्धशहरी इलाकों से खबरें आई हैं कि बलात्कार पीड़िताओं को शिकायत दर्ज करने का साहस करने पर समाज या गांव से बेदखल कर दिया गया। कई ऐसे मामले हैं जिनमें पुलिस और अदालत की नर्मी की वजह से सालों में फैसला नहीं हुआ है और आरोपी जमानत पर खुले घूम रहे हैं। हमारे समाज को भी बहुत ज्यादा सुधरने की जरूरत है, सिर्फ सरकार या पुलिस को कसने से कुछ नहीं होगा।

लेकिन समाज के बड़े तबके की स्वयंस्फूर्त सक्रियता और मुखरता से उम्मीद तो बंधती है। समाज में सक्रियता होना इस मायने में अच्छा है कि इससे यह पता लगता है कि नई पीढ़ी सिर्फ करियर, फिल्म, मनोरंजन और तेज बाइक के बारे में नहीं सोचती, वह समाज को बेहतर बनाने के लिए सड़कों पर आ सकती है। विभिन्न मुद्दों पर यह सक्रियता और मुखरता देखने में आई। एक बात बहुत साफ है कि यह पीढ़ी पिछली पीढ़ियों की तरह यह मानने को तैयार नहीं है कि भारतीय जनता दायम दर्ज की चीजों की ही हकदार है। यह पीढ़ी उस पीढ़ी से अलग है जो राशन की लाइन में लगती थी और एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीद पाने को सबसे बड़ी उपलब्धि मानती थी।

यह पीढ़ी उदारीकरण के बाद जवान हुई पीढ़ी है और इनमें जो साधनहीन तबकों के नौजवान हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं। वे यह मानते हैं कि अगर विकसित देशों के नौजवान जवाबदेह और पारदर्शी तंत्र के हकदार हैं तो वे क्यों नहीं। भारतीय तंत्र को चलाने वाले राजनेता और नौकरशाह इस पीढ़ी से संवाद करने में इसलिए ही असहज हो जाते हैं। इस साल भी इसलिए इस पीढ़ी की मुखर सक्रियता और असंतोष के लिए हमारे तंत्र और समाज के कर्ताधर्ताओं को तैयार रहना चाहिए। नए जमाने के नए भारतीयों को न पुलिस के डंडे से डराना मुमकिन है, न विदेशी पूंजी के हौवे से।

हम उम्मीद यह करते हैं कि अगले साल हम सरकार, अर्थव्यवस्था और समाज में काफी व्यापक सुधार देखेंगे। हमें भारत की नई पीढ़ी से उम्मीद है इसलिए नए साल के बेहतर होने की भी उम्मीद है। रतन टाटा आज अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। वे 21 साल तक टाटा समूह के अध्यक्ष रहे और कई मायनों में उनका कार्यकाल ऐतिहासिक है। टाटा के लिए यह पद संभालना एक चुनौती थी क्योंकि उनके पहले जेआरडी टाटा जैसा विराट व्यक्तित्व टाटा समूह पर छाया हुआ था।

आम धारणा यह है कि किसी का शरीर सुगठित और सुझौल है, तो वह स्वस्थ तो होगा ही। लेकिन जिन लोगों की तस्वीरें जिम में लगी होती हैं, उनमें से ज्यादातर ने ऐसा शरीर अपनी सेहत से खिलवाड़ करके बनाया होता है। प्राकृतिक तरीकों से ऐसा शरीर बनाना तकरीबन असंभव है।

बाजार में शरीर सौष्ठव के लिए सैकड़ों किस्म के सप्लीमेंट मिलते हैं। इनमें से कुछ तो आहार सप्लीमेंट हैं और एक हद तक सुरक्षित हैं। जो रासायनिक दवाएं बाजार में मिलती हैं, उनमें से ज्यादातर खतरनाक हैं। इनमें से कई पर यह जानकारी नहीं होती कि वे स्टेरॉइड हैं या खतरनाक हैं।

उनके साथ दी गई जानकारी ध्यान से पढ़ी जाए, तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके निर्माता क्या छिपा रहे हैं। वैसे तो एक हद से ज्यादा प्रोटीन या विटामिन भी खतरनाक हो सकते हैं, या फैंट को आहार से पूरी तरह हटा देना कई बीमारियों की वजह बन सकता है।

बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाए, तो पता लगता है कि ऐसा दर्शनीय शरीर बनाना और उसका प्रदर्शन करना अक्सर सेहत की कीमत पर ही संभव है। शाहरुख खान की तरह सिक्स पैक बनाना या सलमान खान की तरह बाईसेप्स से ज्यादा शरीर का सामान्य बने रहना बेहतर है। फिल्म स्टार भले ही परदे पर दर्जनों लोगों को पीट देते हैं, लेकिन वे सचमुच उतने ताकतवर और स्वस्थ नहीं होते।

उनके दर्शनीय शरीर के पीछे मेकअप, कैमरा और लाइटिंग का खेल होता है। दिखावटी शरीर का मोह कितना खतरनाक हो सकता है, इसका प्रमाण सरमद अलादिन है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली की जासूसी के मामले में जांच अभी अपनी तार्किक परिणति पर नहीं पहुंची, लेकिन समूचे प्रसंग से यह पता चलता है कि हमारे देश में नियमों का गंभीर उल्लंघन कर पाना कितना आसान है।

गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के राज्यसभा में बयान से पता चलता है कि वह अरुण जेटली की जासूसी के आरोप को गंभीरता से ले रहे हैं। शिंदे का कहना है कि अरुण जेटली का फोन टैप नहीं किया गया, यानी उनकी बातचीत नहीं सुनी गई, लेकिन उनका कॉल रिकॉर्ड निकलवाया गया है। यानी वह किस-किस से कितनी देर तक फोन पर बात करते हैं, इसका रिकॉर्ड निकाला गया।

गृह मंत्री का कहना है कि निजी जासूस के कहने पर दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने यह काम किया, जो साल भर से ड्यूटी पर नहीं गया है। यह एक अजीब बात है कि पुलिस का एक कांस्टेबल इतनी आसानी से एक वरिष्ठ राजनेता के बारे में गोपनीय जानकारी हासिल कर सकता है। यह प्रसंग बताता है कि कितनी कम रिश्तत में पुलिस के एक कांस्टेबल से ऐसा गंभीर अपराध करवाया जा सकता है।

किसी व्यक्ति की निजता की रक्षा की अवधारणा हमारे यहां बहुत ढीली-ढाली है। सरकारी या रसूखदार लोगों को यह नहीं बताया जाता कि भारत के नागरिक होने के नाते ही किसी व्यक्ति को कुछ अधिकार हासिल हैं और उनका सम्मान करना जरूरी है। पुलिस का एक सिपाही भी किसी को धमकाना, अपशब्द बोलना या पीटना अपना सहज अधिकार मानता है, ऐसे में किसी के फोन रिकॉर्ड को हासिल करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है।

यहां एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की निजता पर आक्रमण हुआ है, इसलिए इतना शोर मच रहा है। आम नागरिक तो अक्सर अपने सम्मान या निजता का उल्लंघन सरकारी कर्मचारियों के हाथों होता देखता रहता है। एक सबक तो इससे यह लिया जा सकता है कि कोई कितने ही बड़े वीवीआईपी क्यों न हों, अगर देश में नियमों और कानूनों का सम्मान नहीं है, तो वे भी सुरक्षित नहीं हैं। एक पुलिस का कांस्टेबल सौ रुपये के लिए किसी पटरीवाले को डंडा मार सकता है, तो 1,500 रुपये के लिए किसी वीआईपी के कॉल रिकॉर्ड भी हासिल कर सकता है।

दूसरा मुद्दा यह है कि तकनीक की दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है और हमारा तंत्र उसके अनुरूप अपने को चुस्त-दुरुस्त नहीं बना पा रहा है। जिस वक्त में मोबाइल फोन हमारे रोजमर्रा के कामकाज के इतने बड़े हिस्से हो गए हैं, उस दौर में किसी का कॉल रिकॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण व गोपनीय सूचनाएं दे सकता है। जो भी अरुण जेटली के बारे में ये सूचनाएं हासिल कर रहा था, वह इसीलिए इस काम में पैसा और श्रम लगा रहा था।

उससे जीन्स की गतिविधियों में अलग किस्म का परिवर्तन आया और किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा काम करने से या व्यापक हित वाला सार्थक काम करने से अलग किस्म का बदलाव आया। शोधकर्ताओं का कहना है कि पहले किस्म के यानी स्वार्थी सुख से जेनेटिक स्तर पर बुरा असर देखने में आया, यानी अस्वस्थता से जुड़े जीन्स की प्रबलता देखी गई और एंटीवायरल एंटीबॉडी वाले जीन्स कम सक्रिय हो गए।

दूसरी ओर, किसी सार्थक व बड़े उद्देश्य के लिए काम करने से जो सुख मिलता है, उससे अस्वस्थता से जुड़े जीन्स कम सक्रिय हो गए और एंटीवायरल एंटीबॉडी वाले जीन्स ज्यादा सक्रिय हो गए। यानी स्वास्थ्य इस पर निर्भर करता है कि खुशी किस किस्म की है। खुशी की वजह या उसकी किस्म किस तरह से जेनेटिक स्तर पर पहुंचती है, यह और ज्यादा गहरे शोध का विषय है।

लेकिन इस बीच हुए कुछ अन्य शोध भी बताते हैं कि तात्कालिक और स्वार्थपरक खुशी ही नहीं, परदुख कातरता और बड़े उद्देश्य के लिए काम करना भी जैविक लक्षण है और जैविक विकास क्रम में उसका होना जरूरी है, यानी वह हमारी जेनेटिक संरचना का हिस्सा है। इसीलिए प्रकृति उन लोगों की जैविक संरचना को ज्यादा स्वस्थ और टिकाऊ बनाती है, जिनका सुख सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है। विज्ञान यही बताता है कि किसी तात्कालिक लाभ को छोड़कर किसी बड़े उद्देश्य या अच्छे इरादे से काम करने वाले लोग प्रकृति को ज्यादा प्रिय हैं।

अंतरराष्ट्रीय निवेश बैंक गोल्डमैन सैश ने भारतीय बाजार में निवेश को 'कमजोर' की श्रेणी में दर्ज किया है। गोल्डमैन सैश का कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के आंकड़ों से यही लगता है कि निवेश में बढ़ोतरी के आसार नहीं हैं। उसका यह भी कयास है कि आने वाले दिनों में विकास दर धीमी रहेगी और रुपये को गिरने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक बाजार में नकदी पर नियंत्रण की कोशिश करेगा। ऐसे में, भारतीय शेयर बाजार में निवेश बहुत आकर्षक नहीं है।

गोल्डमैन सैश का अनुमान है कि रुपया इस वर्ष 60 रुपये प्रति डॉलर के आसपास ही रहेगा, लेकिन 2016 तक यह कीमत 65 रुपये तक जा सकती है। 2016 तक भारतीय और विश्व अर्थव्यवस्था का क्या होगा, यह अंदाजा लगाना कुछ जोखिम भरा है, लेकिन गोल्डमैन सैश के आकलन का प्रभाव भारत में निवेश के माहौल पर जरूर होगा। भारत सरकार जिस आतुरता से भारतीय बाजार में निवेश चाह रही है, उसे इससे कुछ झटका लगेगा।

गोल्डमैन सैश का अनुमान कुछ तथ्यों पर आधारित है, पहला यह है कि 2014 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सरकार आर्थिक मोर्चे पर गंभीरता से सक्रिय नहीं रह सकती। दूसरी और सबसे बड़ी समस्या चालू खाते का घाटा है, जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 4.8 प्रतिशत तक पहुंच गया है। अर्थव्यवस्था की दशा-दिशा भविष्य में नई सरकार पर निर्भर करेगी। इस बीच या इसके बाद भी चालू खाते का घाटा कम करने के लिए सरकार बहुत कुछ नहीं कर सकती।

क्योंकि हमारा ज्यादातर आयात का खर्च खनिज तेल के मद में होता है, जिसे कम करना तकरीबन नामुमकिन है। अगर किसी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम हुए, तो शायद इस मोर्चे पर राहत मिले। रुपये को सहारा देने के लिहाज से रिजर्व बैंक के पास भी बहुत विकल्प नहीं है। उसने नकदी घटाने की कवायद की है और एक तरह से ब्याज दरें भी बढ़ा दी हैं। ज्यादा ब्याज दरें बढ़ाने से जो विकास दर में थोड़ा-बहुत सुधार हो रहा है, वह भी रुक जाएगा, इससे निवेश की उम्मीद और कम हो जाएगी। इससे भी रुपये पर दबाव बढ़ जाएगा।

अब रुपये की स्थिति में सुधार की उम्मीद यही है कि गिरते हुए रुपये की वजह से निर्यात आधारित उद्योगों को कुछ फायदा हो, जैसा गोल्डमैन सैश का भी कहना है। अगर रुपया 65 रुपये प्रति डॉलर तक गिरता है, तो फिलहाल उसे बचाने का कोई खास उपाय मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिन वजहों से ऐसा हुआ है, वे हालात एक दिन में पैदा नहीं हुए हैं। सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में विकास को बनाए रखने में जो दिक्कतें थीं, उन्हें हटाने का काम नहीं किया है।

यह सही है कि रुपये का ताजा संकट अमेरिकी अर्थव्यवस्था के सुधरने और अमेरिका में नकदी पर नियंत्रण के संकेतों से है,

अशोक ने बुद्ध की स्मृति में एक स्तम्भ बनाया था। सिद्धार्थ के पिता शाक्यों के राजा शुद्धोदन थे। परंपरागत कथा के अनुसार, सिद्धार्थ की माता महामाया उनके जन्म के कुछ देर बाद मर गयी थी। कहा जाता है कि उनका नाम रखने के लिये 8 ऋषियों को आमन्त्रित किया गया था, सभी ने 2 सम्भावनायें बताई थी, (1) वे एक महान राजा बनेंगे (2) वे एक साधु या परिव्राजक बनेंगे।

इस भविष्य वाणी को सुनकर राजा शुद्धोदन ने अपनी योग्यता की हद तक सिद्धार्थ को साधु न बनने देने की बहुत कोशिशें की। शाक्यों का अपना एक संघ था। बीस वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण को शाक्यसंघ में दीक्षित होकर संघ का सदस्य बनना होता था। सिद्धार्थ गौतम जब बीस वर्ष के हुये तो उन्होंने भी शाक्यसंघ की सदस्यता ग्रहण की और शाक्यसंघ के नियमानुसार सिद्धार्थ को शाक्यसंघ का सदस्य बने हुये आठ वर्ष व्यतीत हो चुके थे। वे संघ के अत्यन्त समर्पित और पक्के सदस्य थे।

संघ के मामलों में वे बहुत रूचि रखते थे। संघ के सदस्य के रूप में उनका आचरण एक उदाहरण था और उन्होंने स्वयं को सबका प्रिय बना लिया था। संघ की सदस्यता के आठवें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो शुद्धोदन के परिवार के लिये दुखद बन गयी और सिद्धार्थ के जीवन में संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो गयी। शाक्यों के राज्य की सीमा से सटा हुआ कोलियों का राज्य था। रोहणी नदी दोनों राज्यों की विभाजक रेखा थी। शाक्य और कोलिय दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने-अपने खेत सींचते थे।

हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि कौन रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग करेगा। ये विवाद कभी-कभी झगड़े और लड़ाइयों में बदल जाते थे। जब सिद्धार्थ 28 वर्ष के थे, रोहणी के पानी को लेकर शाक्य और कोलियों के नौकरों में झगड़ा हुआ जिसमें दोनों ओर के लोग घायल हुये। झगड़े का पता चलने पर शाक्यों और कोलियों ने सोचा कि क्यों न इस विवाद को युद्ध द्वारा हमेशा के लिये हल कर लिया जाये। शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रश्न पर विचार करने के लिये शाक्यसंघ का एक अधिवेशन बुलाया और संघ के समक्ष युद्ध का प्रस्ताव रखा।

वे उचित ध्यान हासिल कर पाए, परंतु उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। फिर उन्होंने तपस्या करने की कोशिश की। वे इस कार्य में भी वे अपने गुरुओं से भी ज्यादा, निपुण निकले, परंतु उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर फिर भी नहीं मिले। फिर उन्होंने कुछ साथी इकट्ठे किये और चल दिये अधिक कठोर तपस्या करने। ऐसे करते करते छः वर्ष बाद, बिना अपने प्रश्नों के उत्तर पाए, भूख के कारण मृत्यु के करीब से गुजरे, वे फिर कुछ और करने के बारे में सोचने लगे।

इस समय, उन्हें अपने बचपन का एक पल याद आया, जब उनके पिता खेत तैयार करना शुरू कर रहे थे। उस समय वे एक आनंद भरे ध्यान में पड़ गये थे और उन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि समय स्थिर हो गया है। कठोर तपस्या छोड़कर उन्होंने अष्टांगिक मार्ग ढूँढ़ निकाला, जो बीच का मार्ग भी कहलाया जाता है क्योंकि यह मार्ग दोनों तपस्या और असंयम की पराकाष्ठाओं के बीच में है। अपने बदन में कुछ शक्ति डालने के लिये, उन्होंने एक बकरी-वाले से कुछ दूध ले लिया।

वे एक पीपल के पेड़ (जो अब बोधि पेड़ कहलाता है) के नीचे बैठ गये प्रतिज्ञा करके कि वे सत्य जाने बिना उठेंगे नहीं। 35 की उम्र पर, उन्होंने बोधि पाई और वे बुद्ध बन गये। उनका पहिला धर्मोपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में था। अपने बाकी के 45 वर्ष के लिये, गौतम बुद्ध ने गंगा नदी के आस-पास अपना धर्मोपदेश दिया, धनवान और कंगाल दोनों लोगों को। उन्होंने दो सन्यासियों के संघ की भी स्थापना जिन्होंने बुद्ध के धर्मोपदेश को फैलाना जारी रखा।

त्रिपिटक (तिपिटक) बुद्ध धर्म का मुख्य ग्रन्थ है। यह पालिभाषा में लिखा गया है। यह ग्रन्थ बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेशों को सूत्रबद्ध करने का सबसे वृहद प्रयास है। बुद्ध के उपदेश को इस ग्रन्थ में सूत्र (सुत्त) के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सूत्रों को वर्ग (वग्ग) में बांधा गया है। वर्ग को निकाय (सुत्तपिटक) में वा खण्ड में समाहित किया गया है। निकायों को पिटक (अथरू टोकरी) में एकिकृत किया गया है। इस प्रकार से तीन पिटक निर्मित है जिन के संयोजन को त्रि-पिटक कहा जाता है।

कोरोना के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन के खिलाफ पनप रहे असंतोष को भी भारत ने भुनाया। इससे भी चीन के रुख पर असर पड़ा, लेकिन इसमें सबसे निर्णायक भूमिका निभाई भारत द्वारा चीन पर कसे आर्थिक शिकंजे ने। चीन जल्द से जल्द दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनना चाहता है।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह उसी अनुपात में अपना आर्थिक रुतबा बढ़ाने में लगा हुआ है। ऐसे में भारत ने आर्थिक प्रतिबंधों के जरिये चीन की दुखती रग पर चोट करने का काम किया। इस कड़ी में भारत ने चीन से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआइ को लेकर नए प्रविधान बनाए, चीनी दूरसंचार कंपनियों के लिए राह मुश्किल की और कई चीनी एप्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। इन कदमों पर चीन की बौखलाहट भरी प्रतिक्रिया ने स्वाभाविक रूप से संकेत किया कि भारत का निशाना एकदम सटीक लगा है।

भारत के सैन्य रुख ने भी चीन को अपनी उस रणनीति पर नए सिरे से विचार करने पर विवश किया, जिसमें वह अपनी ताकत का रौब दिखाकर पड़ोसियों पर मानसिक बढ़त बनाकर अपने हित साधने का काम करता है। दोनों देशों के सैन्य नेतृत्व के बीच नौ दौर की वार्ता में भारत ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक चीन अपेक्षित कदम नहीं उठाता, तब तक इस गतिरोध का कोई हल निकलने से रहा। इस मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि सीमा पर शांति स्थापित हुए बिना द्विपक्षीय संबंधों का आगे बढ़ना मुश्किल है।

ध्यान रहे कि चीन से संबंध तब बिगड़ गए थे जब गलवन घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच बिना हथियारों के खूनी संघर्ष हुआ था और जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस संघर्ष में चीनी सैनिक भी हताहत हुए, लेकिन उसने कभी यह स्वीकार नहीं किया। हाल में एक रूसी एजेंसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उस झड़प में चीन के 45 सैनिकों के मरने की बात सामने आई है।

इस नुकसान से चीन को स्पष्ट संदेश मिला कि भारत से उसे करारा जवाब मिलना तय है। वह इस तथ्य से भी भलीभांति परिचित है कि ऊंचे रण क्षेत्र में भारतीय सैनिकों जैसा अनुभव और रणकौशल उसके सैन्य बलों के पास नहीं। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वह पहले पलक नहीं झपकाने वाला। भारत का रुख साफ था कि अगर चीन इस गतिरोध को लंबा खींचना चाहता है तो भारत को इससे भी गुरेज नहीं। इससे उन अन्य पड़ोसी देशों को भी संबल मिला, जो चीन की दादागिरी से परेशान हैं।

अंतरराष्ट्रीय रुख और दबाव ने भी चीन को प्रभावित किया। इन दिनों दुनिया भर में भारत की वैक्सीन मैत्री वाली कूटनीति की धूम मची है। भारत उन देशों को भी कोरोना टीका उपलब्ध करा रहा है, जिनमें से कई के नाम आम भारतीयों ने सुने भी नहीं होंगे। अक्सर भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान को कुपित करने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो तक ने वैक्सीन के लिए भारत के आगे झोली फैलाई और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें पूरी तरह आश्वस्त किया।

इस मामले में दुनिया चीन को समस्या बढ़ाने वाले और भारत को समाधान मुहैया कराने वाले देश के रूप में देख रही है। इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रति अच्छी भावनाएं और माहौल बनाया है।

चीन अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद अपने प्रति रुख में बदलाव की उम्मीद कर रहा था, लेकिन बाइडन प्रशासन के रुख से उसे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडन ने तकनीक, व्यापार और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के साथ सख्ती से निपटने के संकेत दिए।

चीन से निपटने के लिए भारत के पास ऐसे विकल्प पहले भी थे, लेकिन वैसी राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव था, जो इन विकल्पों को आजमाने के लिए आवश्यक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वह इच्छाशक्ति दिखाई। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि चीन से शक्ति और संसाधनों में कम होने के बावजूद भारत उसकी आंख में आंख डालकर खड़ा हो सकता है। मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से इस चुनौती को अवसर बना दिया। उनके नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति ने नए तेवरों वाली नई करवट ली है।

अब चीन भले ही पीछे हटने को तैयार हो गया है, लेकिन एक बात तय है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर अभी हालात अस्थिर बने रहेंगे। बीते एक साल से दोनों देशों के बीच जो दरार बढ़ी है,

लोकतंत्र की सीधी सी परिभाषा यही है कि जहां लोगों की चलती है, लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। भारत के लोकतंत्र को दुनिया में सबसे विशाल माना गया है तो यह भी सच है कि अच्छे-अच्छे नेताओं को भारतीय लोकतंत्र ने अर्श से फर्श पर पटका है। जब लोगों ने चाहा तो किसी को भी जमीन से आसमान की बुलंदी पर भी पहुंचाया है।

आम आदमी पार्टी यानी कि आप ने दिल्ली में जिस तरह से इतिहास रचा उसके उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। यह भी सच है कि ऐतिहासिक सफलता के बाद यह पार्टी अब जिस तरह से अपने अंदरूनी लोकतंत्र को भंग कर रही है वैसी मिसाल भी कहीं और नहीं मिलेगी। लोगों का एक पार्टी के प्रति अंध विश्वास और उसकी पार्टी के कर्णधारों का अपनी ही पार्टी के लोगों के प्रति अविश्वास क्यों पैदा हुआ कि आज यही आम आदमी पार्टी अंदरूनी जंग की इस कदर शिकार हुई है कि लोग इससे दूरियां बढ़ाने लगे हैं।

मुख्यमंत्री केजरीवाल को इस मामले में संगठन और सरकार के बीच तालमेल बनाना होगा। पार्टी के जल्दी विस्तारके चक्कर में और दिल्ली जैसा इतिहास हर जगह दोहराने की होड़ में संगठन और सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल गच्चा खा गए। पंजाब और गोवा की छलांग उन्हें महंगी पड़ी।

पंजाब और गोवा के चुनावों में उतरना बुरी बात तो नहीं थी परन्तु जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने लोगों के बीच में खुद को प्रस्तुत किया यह बात लोगों को जंची नहीं और उन्होंने पार्टी को करारा जवाब दिया। हार-जीत हर पार्टी के साथ होती है परन्तु आम आदमी पार्टी ने हर मंच पर, हर जमीन पर उस आदमी से रिश्ता जोड़ा जिसका जमीनी आधार था और फिर ऐसे ही लोगों को नेता बनाया लेकिन उनके पांवों की जमीन जब बड़े नेता छीन लेंगे तो आपकी आपसी जंग को देखकर जनता आपके पैर भी जमीन से उखाड़ देगी। यह क्यूं हुआ, कैसे हुआ अब इस पर मंथन करने का समय आ गया है।

जो झंडा और जो डंडा लेकर कल तक केजरीवाल ने केन्द्र सरकार के खिलाफ या राज्यों में अन्य सरकारों के खिलाफ आंदोलन किए आज इसी पार्टी की लोकप्रिय सरकार के लोकप्रिय मंत्री और कई अन्य नेतागण आंदोलन कर रहे हैं। कितने ही संस्थापक सदस्य आम आदमी पार्टी को छोड़कर चले गए।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग को लेकर चलाए गए गांधीवादी नेता अन्ना हजारे के आंदोलन से उत्पन्न आम आदमी पार्टी की नीयत और नीतियों में पारदर्शिता दिखाई नहीं देने पर लोगों ने जिस पार्टी को विधानसभा में 70 में से 67 सीटें दी उसे एमसीडी चुनावों में धूल चटा दी तो यकीनन अब केजरीवाल को कुछ करना होगा।

हर समय नकारात्मकता नहीं चल सकती। केजरीवाल को इस मुद्दे पर न सिर्फ खुद चलना होगा बल्कि अपने साथियों के बीच यह स्पष्टझु करना होगा कि हम सब ईमानदार हैं और भ्रष्टाचार से दूर हैं लेकिन जब आपके लोग ही आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे तो आप को शीशे की तरह सब कुछ साफ करना होगा।

दुर्भाग्य से आप ऐसा नहीं कर पा रही और अभी तक नकारात्मकता की ही राजनीति कर रही है। इसी नकारात्मकता के चलते अब आप खुद निशाने पर आ गए हैं। हालत यह है कि लाभ के पद को लेकर आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों पर निलम्बन की तलवार लटकी हुई है। मामला दिल्ली हाईकोर्ट में है, कुछ भी हो सकता है।

उधर पार्टी में जबर्दस्त तोड़फोड़ के बीच आपसी अविश्वास की भावना परवान चढ़ी हुई है। ऊपर से एमसीडी चुनावों में पराजय ने तबाही मचा रखी है। पंजाब की हार इतनी दुखदायी नहीं थी जितना इस हार को लेकर आम आदमी पार्टी के बीच घमासान मचा। पुरानों की छुट्टी के बाद नए नेताओं के चयन के बाद जो कुछ हो रहा है वह आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा नहीं हो रहा।

आम आदमी पार्टी ने अगर जनता के बीच अपना विश्वास बनाकर कांग्रेस और भाजपा को सबक सिखाया था और नया उदाहरण लिखा था तो अब इसे जनता के दिलों पर राज करना है तो कुछ ऐसा करना होगा कि उनकी आपसी जंग पहले खत्म हो। एक लोकप्रिय पार्टी का इतनी जल्दी ऐसा हथ्र यह कल्पना न तो दिल्ली वालों ने की थी जिसने उसे 24 कैरेट का सोना समझा था और न ही खुद आम आदमी पार्टी को यह उम्मीद थी।

जिस कांग्रेस पार्टी की कमान श्री राहुल गांधी संभालने जा रहे हैं उस पार्टी का इतिहास भारत की गौरव-गाथा के समानान्तर रहा है और देश की आजादी के लिए इसके नेताओं द्वारा दी गई कुर्बानियों से लेकर आजादी के बाद भारत के विकास के नवयुग में प्रवेश करने का प्रमुख जरिया रहा है मगर सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का भारत में लोकतन्त्र की मजबूत नींव रखने का रहा है और इस कदर रहा है कि इसने हर संकट की घड़ी तक में भी कभी भी लोकतन्त्र पर आंच नहीं आने दी।

बेशक इमरजेंसी का 18 महीने का समय इसके विपरीत कांग्रेस की महान परंपरा का उल्लंघन कहा जा सकता है मगर इस हकीकत को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि इमरजेंसी समाप्त करके लोकतन्त्र बहाली करने का काम भी उसी नेता ने किया था जिसने इसे लागू किया था और वह श्रीमती इंदिरा गांधी थीं।

दरअसल लोकतन्त्र, भारत और कांग्रेस एक-दूसरे के पर्याय के रूप में ही स्वतन्त्र भारत में देखे जाते रहे और यही वजह थी कि इंदिरा जी को भी अपने फैसले पर पुनर्विचार करके आपातकाल को हटाकर देश में चुनाव कराने का निर्णय करना पड़ा था। यह भारत के इतिहास में खींची गई पत्थर की लकीर है कि आजादी मिलने के बाद पं. जवाहर लाल नेहरू ने भारत के लोगों के विकास की जो योजना तैयार की वह प्राचीन भारत की नवीन मान्यताओं की उन अपेक्षाओं को पूरी करती थी जिनमें दरिद्र नारायण को केन्द्र में रखा गया था।

नेहरू की सभी योजनाओं के केन्द्र में लगातार समाज का सबसे गरीब व्यक्ति इस प्रकार रहा कि वह आजाद भारत की खुली हवा का अहसास कर सके और समझ सके कि उसकी आने वाली के लिए विकास की संभावनाओं पर किसी एक विशेष वर्ग का कब्जा नहीं रह सकता। नेहरू की यही सोच आजाद भारत की कांग्रेस की विचारधारा की आत्मा बनी और इसी के बूते पर यह पार्टी देश के आम लोगों का विश्वास जीतती रही परन्तु नेहरू ने कभी भी अपनी विचारधारा को दूसरों पर लादने की कोशिश नहीं की और इसके समानान्तर खुली आलोचना को दावत देकर उन्होंने उसमें और सुधार किया।

इसके लिए उन्होंने संसद को सबसे कारगर मंच बनाया और इसकी गरिमा स्थापित करने में कोई कमी नहीं आने दी। यहां तक कि संसद के भीतर ही अपनी ही पार्टी के सांसदों की आलोचना का भी स्वागत किया। कांग्रेस द्वारा स्थापित की गई इस परंपरा का सबसे बड़ा उदाहरण हमें 1958 में देखने को तब मिला जब पं. नेहरू के ही दामाद स्व. फिरोज गांधी ने उनकी सरकार के वित्तमन्त्री टी.टी.के. कृष्णमाचारी पर एक उद्योगपति के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया।

पं. नेहरू ने बिना किसी देरी के कृष्णमाचारी का इस्तीफा लेकर जांच आयोग का गठन कर दिया। दरअसल कांग्रेस के भीतर आन्तरिक लोकतन्त्र का भी यह जबर्दस्त उदाहरण था। यह भी कैसे भूला जा सकता है कि आन्तरिक लोकतन्त्र की वजह से ही 1969 में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था और फिर 1978 में भी इसकी पुनरावृत्ति हुई थी। दोनों ही बार यह कार्य इंदिरा जी ने किया था।

बेशक यह कहा जा सकता है कि स्व. इंदिरा गांधी ने अपने पिता पं. नेहरू के रास्ते से हटकर अपनी पार्टी में लोकतन्त्र को सीमित किया मगर इसके बावजूद उन्होंने पार्टी के भीतर इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाये रखा। इस बाबत हुई आलोचना पर भी उन्होंने एतराज नहीं किया बल्कि लोकतन्त्र का जरूरी हिस्सा बताया।

इसकी यही वजह थी कि कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद स्थापित हुई कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जिसे अपना वजूद बनाये रखने के लिए आन्तरिक मतभेदों को छिपाने की जरूरत हो बल्कि वह पार्टी थी जिसके भीतर मार्क्सवादी विचारों से लेकर हिन्दूवादी विचारों तक के लोग काम कर चुके थे। यह पार्टी भारत की विविधता का प्रतिबिम्ब बनकर ही भारतीयों का प्रतिनिधित्व धर्म, जाति, सम्प्रदाय व वर्ग की दीवारों को तोड़कर करती रही और यह कार्य इसने मुस्लिम कट्टरवाद के पनपने के बावजूद किया। इसका सबूत धर्म के आधार पर भारत के दो टुकड़े हो जाने के बाद हिन्दोस्तानियों द्वारा दिया गया इसे प्रचंड समर्थन था।

हिन्दोस्तानियों की यह एकता कांग्रेस का आधार बनी और यही आधार भारत की मजबूती की बुनियाद बना लेकिन इस बुनियाद की नींव शुरू से ही गरीब आदमी के उत्थान का सिद्धान्त रहा और इसी को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने भारत की शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति व खाद्य नीति तैयार की।

देश के मौजूदा हालात और खास तौर से दिल्ली के आसपास किसान संगठनों के धरना-प्रदर्शन को देखते हुए यह माना जा रहा था कि संसद का बजट सत्र हंगामे के चलते बर्बाद हो सकता है, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने विपक्ष को साधते हुए संसद की कार्यवाही को कामकाज लायक बनाए रखा।

इसके चलते दोनों सदनों में बखूबी कामकाज हुआ। उत्पादकता के लिहाज से बजट सत्र का पहला हिस्सा खासा सफल कहा जा सकता है। थोड़ा-बहुत शोर-शराबा और हंगामा तो संसद में होता ही है। ऐसा ही इस बार भी हुआ, लेकिन वह मुख्यतरु लोकसभा तक अधिक सीमित दिखा।

लोकसभा में हंगामा करके विपक्ष ने अपने को बेनकाब ही किया, क्योंकि राष्ट्रपति के जिस अभिभाषण पर राज्यसभा में चर्चा शुरू हो गई थी, उस पर लोकसभा में कई दिनों तक हंगामा होता रहा। पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में विपक्ष की ओर से कृषि कानूनों और किसानों पर बातें तो बहुत की गईं, लेकिन लगता है वह तैयारी से नहीं आया या फिर उसके पास इन कानूनों के खिलाफ कहने के लिए कुछ ठोस नहीं था।

वह कुल मिलाकर वही निराधार आरोप दोहराता रहा, जो किसान नेता उछालने में लगे हुए हैं। जैसे राज्यसभा में विपक्ष कृषि मंत्री के इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया कि आखिर कथित काले कानूनों में काला क्या है, वैसे ही वह लोकसभा में प्रधानमंत्री के इस प्रश्न पर अनुत्तरित रहा कि कोई यह बताए कि इन कानूनों में कमी क्या है? प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कहा कि अगर विचार करने लायक कोई कमी होगी तो उस पर गौर किया जाएगा।

इसके बाद भी विपक्षी दल यह नहीं बता सके कि आखिर इन कानूनों में खराबी क्या है और है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है? विपक्ष ने आरोप तो खूब लगाए, लेकिन किसी मसले पर ऐसा कुछ नहीं कहा, जिससे देश का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता।

कृषि कानूनों पर किसानों को उकसाने में लगी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा में तो भाग नहीं लिया, लेकिन बजट पर अपने विचार रखते समय कृषि कानूनों पर बोले। इस दौरान भी वह इन कानूनों की कथित खामियों पर प्रकाश नहीं डाल पाए। इसके बजाय उन्होंने हम दो हमारे दो का नारा उछालकर सरकार पर कटाक्ष किया और कृषि कानूनों को लेकर हास्यास्पद आरोप लगाए।

उनकी मानें तो सरकार इन कानूनों के जरिये किसानों को उनकी उपज का मूल्य नहीं देना चाहती, अनाज की जमाखोरी कराना चाहती है और उद्योगपतियों की जेब भरना चाहती है। ये सब वही बेतुकी बातें हैं, जो वह न जाने कब से दोहरा रहे हैं। ऐसी बातें करके राहुल अपनी खोखली सोच को ही उजागर कर रहे हैं।

यह निराशाजनक है कि जब विपक्ष से तर्क और तुक की बात करने की अपेक्षा की जाती है, तब वह निराधार और मनगढ़ंत आरोप उछालता है। ऐसा करने से वह चर्चा में तो आ जाता है, लेकिन इससे विमर्श का स्तर गिरता है और जनता को कुछ हासिल नहीं होता। भाजपा और मोदी सरकार विपक्ष से लगातार पूछ रही है कि आखिर लोकसभा चुनावों के समय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उसी तरह के कृषि कानूनों का वादा क्यों किया था, जैसे कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसका कोई जवाब सामने नहीं आ रहा है। खुद राहुल भी जवाब देने से इन्कार कर रहे हैं। इसके बजाय वह यह जुमला दोहराने में लगे हैं कि यह सरकार चंद उद्यमियों के फायदे के लिए चलाई जा रही है।

यह सुखद है कि एक ऐसे समय जब राहुल गांधी उद्यमियों को गाली देने और उन्हें खलनायक की तरह पेश करने में लगे हुए हैं, तब प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बिना किसी लाग-लपेट यह कहा कि निजी क्षेत्र के सहयोग से अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ है, उसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए और देश को ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना होगा जो धन अर्जन करते हैं। आखिर जब धन होगा तभी तो उसे गरीबों तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सोच गुजरे जमाने की है कि सब कुछ सरकार करे। जैसी उम्मीद थी, प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद राहुल नए सिरे से उद्योगपतियों को बुरा बताने लगे। उनकी बातों से यही पता चलता है कि अति वामपंथ से ग्रस्त कांग्रेस यह समझने को तैयार नहीं कि आज के दौर में कोई भी देश निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता।

आज 14 नवम्बर स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू को श्रद्धा से स्मरण करने का ऐसा दिन है जिसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में संसदीय लोकतन्त्र की जड़ें जमाकर उन्होंने पूरी दुनिया के विकासशील और नव स्वतन्त्र तथा अपनी स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे देशों के सामने भारत को जनाधिकार की शक्ति से सम्पन्न राष्ट्र के रूप में पेश करके खुद को विकसित कहे जाने वाले पश्चिमी देशों के सामने चुनौती फेंक दी थी कि विश्व की आर्थिक व राजनीतिक दिशा को वे अपने इशारे पर नहीं घुमा सकते।

यह नेहरू का विशाल व्यक्तित्व ही था जिसने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को जन्म दिया था और दुनिया के धनी देशों को चेतावनी दी थी कि वे पिछड़े राष्ट्रों को वैश्विक आय स्रोतों से दूर न रखें मगर इसके साथ ही पं. नेहरू ने भारत के विकास के लिए जो ढांचा तैयार किया वह राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय रहे सभी विचारों के नेताओं का पंचामृत था।

स्वतन्त्र होने पर उन्होंने जो पंचवर्षीय योजना का खाका तैयार किया वह नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का वह मूल विचार था जो 1937 में नेताजी ने कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए इसके महाधिवेशन में पेश किया था। उन्होंने इस सम्मेलन में भारत के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय योजना समिति का विचार रखा था।

अतः यह भ्रम फैलाना कि नेताजी व नेहरू के व्यक्तित्वों में किसी प्रकार का टकराव था, पूरी तरह सत्य से परे है। यहां तक कि आजादी मिलने पर 15 अगस्त 1947 को जब भारतीय सेना ने राष्ट्रगान की धुन बजाई तो पं. नेहरू ने नेताजी की आजाद हिन्द फौज का कदमदृकदम बढ़ाये जा खुशी के गीत गाये जादृये जिन्दगी है कौम की तू कौम पर लुटाये जा गीत भी गवाया और इसे आजाद भारत के सैनिक बैंड की धुन बना दिया।

नेहरू के व्यक्तित्व को जो लोग संकीर्ण नजरिये से देखकर उनके धर्मनिरपेक्षता के वृहद नजरिये की आलोचना करते हैं वे भारत की उस संस्कृति का निरादर करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुम्बकम् में बसती है और जिसका व्यावहारिक निर्धारण सर्वे भवन्तु सुखिनः से होता है। बेशक नेहरू जी की पढ़ाई ब्रिटेन में और लालनदृपालन राजकुमारों की तरह हुआ था मगर उन्होंने भारत को कभी भी यूरोपीय चश्मे से देखने की कोशिश नहीं की।

यदि नेहरू ने ऐसा किया होता तो वह आजादी मिलने से पहले ही भारत के लोगों के जननायक न बनते और तब के युवा हृदय सम्राट न कहलाते। उनका राष्ट्रवाद उन्हीं की लिखी पुस्तक डिस्कवरी आफ इंडिया (भारत की खोज) में मुखर होकर बोलता है और कहता है कि सोने की चिड़िया कहलाये जाने वाले इस देश ने ज्ञान के क्षेत्र में भी दुनिया में उजाला फैलाया था।

महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नेहरू ने यह पुस्तक भारत छोड़ो आदोलन के तहत अहमद नगर जेल में बन्द रहते हुए लिखी थी और अपनी तरुणी पुत्री इन्दिरा को लिखे खतों के माध्यम से लिखी थी। आज के दौर में यह कल्पना से परे की बात लगती है मगर ऐसा कार्य केवल वही व्यक्ति कर सकता था जिसके दिल में अपने देश और इसके लोगों के लिए उनके अतीत के सच को बाहर लाने की ललक हो। वरना अंग्रेजी दासता में जकड़े हुए भारत को तो सपेरों और बाजीगरों का देश ही दिखाया जाता था।

नेहरू की यह पुस्तक भारत की ऐसी महान कृति है जिसने आम भारतीयों में स्वतन्त्र होने की इच्छा को और तेज किया था। नेहरू की भारत के उच्च आदर्शों और इसकी संस्कृति में निष्ठा की कोई सीमा नहीं थी। इसके लिए केवल एक ही उदाहरण काफी है कि जब 1956 में वह चीन की यात्रा करके लौटे तो इलाहाबाद में उनकी एक गोष्ठी सभा हुई।

इसमें नेहरू जी ने अपनी चीन यात्रा से जुड़ी एक कहानी बताई कि एक राजा के दो बेटे थे। एक बहुत कुशाग्र और बुद्धिमान था, दूसरा थोड़ा मोटी अकल का था। जब राजा से पूछा गया कि उसका उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए तो उसने मोटी अकल के लड़के का नाम लिया और दूसरे बुद्धिमान व कुशाग्र बेटे के लिए कहा कि यह बड़ा होकर कवि बनेगा और दुनिया को रास्ता बतायेगा।

उस सभा में हिन्दी के महान कवि महाप्राण सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला भी पहुंच गये थे। फक्कड़ और मनमौजी किस्म के निराला को पहलवानी का भी शौक था। वह छह फुट लम्बे-चौड़े बलिष्ठ दिखने वाले व्यक्ति थे।

आजकल व्यायाम विशेषज्ञ परंपरागत ढंग से अलग-अलग मांसपेशियों, जैसे वाइसैप्स, सीना, कंधे वगैरह के व्यायाम की बजाय ऐसे व्यायाम पर जोर देते हैं, जिनमें तमाम अंगों का व्यायाम साथ-साथ हो। बहरहाल, स्ट्रेचिंग के बारे में यह सलाह विशेषज्ञों ने दी है, तो उस पर गंभीरता से सोचना जरूरी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चीनी उद्योग पर सरकारी नियंत्रण घटा दिया है।

इस फैसले के मुताबिक, अब चीनी मिलों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कम दाम पर लेवी की चीनी नहीं देनी होगी। राशन की दुकानों के लिए सरकार खुले बाजार के दाम पर चीनी खरीदेगी और कम दाम पर बेचेगी। इसके अलावा अभी सरकार यह भी तय करती है कि चीनी मिलें किस वक्त खुले बाजार में कितनी चीनी ला सकती हैं। सरकार ने यह नियंत्रण भी छोड़ दिया है।

गन्ने के दाम या करीब की चीनी मिल को चीनी बेचने की बाध्यता वगैरह राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। इसका अर्थ है कि दशकों से सरकार का जो नियंत्रण था, वह खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कम हो गया है और संभव है कि इससे चीनी उद्योग की तरक्की तेज हो सके। चीनी पर सरकारी नियंत्रण पुराने जमाने की एक विरासत है, जो अब तक इसलिए चली आई है, क्योंकि इसकी कीमत सियासी रूप से संवेदनशील मुद्दा बनती है। कई चुनावों में चीनी की बढ़ती कीमतों का मुद्दा महत्वपूर्ण रहा है।

सरकार ने अब यह खतरा मोल लिया है, क्योंकि चीनी के खुले बाजार के दामों में अब ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे और सरकार के पास इन उतार-चढ़ावों को रोकने का कोई उपाय नहीं रहेगा। चीनी के दामों में हर तीन-चार साल में तेजी-मंदी का सिलसिला चलता रहता है, इसके अलावा त्योहारों के मौके पर जब चीनी की खपत बढ़ती है, तो दामों में तेजी हो सकती है। दूरगामी नजरिये से सरकारी फैसले की वजह से चीनी के दाम कम होने चाहिए, क्योंकि अब मिलों को लेवी की सस्ती चीनी बेचने की बाध्यता नहीं है, लेकिन तुरंत चीनी के भावों पर इसका असर नहीं पड़ेगा।

गन्ने की खेती और चीनी उत्पादन के लिहाज से महाराष्ट्र एक महत्वपूर्ण राज्य है और इस साल कम बारिश की वजह से महाराष्ट्र में गन्ने की फसल पर असर पड़ा है। महाराष्ट्र में ज्यादातर चीनी मिलें सहकारिता क्षेत्र में हैं और भले ही इन सहकारी मिलों पर ताकतवर राजनेताओं का कब्जा हो, गन्ना किसानों के हितों की उपेक्षा वे नहीं कर पातीं, क्योंकि गन्ना किसान एक बड़ा व ताकतवर वोट बैंक बनाते हैं। हालांकि, सरकार ने यह फैसला पिछले साल बनाई गई रंगराजन कमेटी की सिफारिश पर किया है, पर महाराष्ट्र की चीनी मिलों की लॉबी का दबाव भी जरूर काम कर रहा होगा।

कृषि मंत्री शरद पवार गन्ना किसानों और सहकारी मिलों के इलाके से आते हैं, जो बारिश की कमी की वजह से मुश्किल में हैं। भारत में चीनी उद्योग लगभग 80,000 करोड़ रुपए का है और जानकार यह मानते हैं कि यह उद्योग अब 25-30 प्रतिशत प्रति वर्ष की गति से तरक्की कर सकता है। उद्योग की तरक्की अर्थव्यवस्था के लिए और गन्ना किसानों के लिए भी अच्छी होगी, लेकिन इसमें एक खतरा छिपा हुआ है। चीनी उद्योग का विकास गन्ने की खेती को भी बढ़ाएगा।

गन्ना आम तौर पर उन फसलों की जगह उगाया जा रहा है, जो व्यापारिक फसलें नहीं हैं, लेकिन जिन्हें पानी की कम जरूरत पड़ती है। गन्ना सबसे ज्यादा पानी मांगने वाली फसल है और जैसा महाराष्ट्र में इस वर्ष के अकाल ने साबित किया कि कम या अनिश्चित वर्षा वाले इलाकों में गन्ना उगाना अकाल को ज्यादा भयावह बना देता है। गन्ने के लिए भूमिगत या दूसरे पानी के स्रोतों का अंधाधुंध उपयोग पर्यावरण और खेती के लिए खतरनाक साबित होता है।

दूसरी ओर जब गन्ने की फसल ज्यादा हो जाती है तो मिलें गन्ना उठाने से इंकार कर देती हैं और किसान उसका खामियाजा भुगतता है। इसका इलाज सरकारी नियंत्रण नहीं है लेकिन किसानों की सहायता और उन्हें सलाह लिए जरूर सरकार को आगे आना चाहिए। इन दिनों मीडिया में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी छा गए हैं। भारतीय मध्य वर्ग के कुछ हिस्सों और उद्योग-व्यापार के क्षेत्र में निस्संदेह मोदी काफी लोकप्रिय हो गए हैं। जगह-जगह घूमकर वह जो भाषण दे रहे हैं,

शिक्षा को जब हम अतीत से जोड़ते हैं तो संस्कार की ध्वनि सुनाई देती है लेकिन जब शिक्षा को वर्तमान में देखते हैं तो विकार और व्यापार ही दिखाई देता है। शिक्षा पूरी तरह बाजारवाद के शिकंजे में है। शिक्षा को संस्कार से उखाड़ कर बाजारू व्यापार बनाने का काम प्राइवेट सैक्टर ने तो किया ही, साथ ही इसमें शिक्षकों की भी बड़ी भूमिका रही। शिक्षा का रुझान पूरी तरह बदल गया है।

पूँजीपतियों को एयरकंडीशंड मॉलनुमा भव्य स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भारी-भरकम फीस चुकाने में कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि उनके बच्चों को तो चमचमाती गाड़ियां छोड़ने और ले जाने आती हैं। सवाल मध्यम वर्ग का है, या तो वे ऐसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का स्वप्न देखते हैं या फिर हद से ज्यादा बचत करके ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। दिल्ली जैसे महानगर में तो बच्चों को पढ़ाना बच्चों का खेल नहीं। मध्यम वर्ग के माता-पिता को तो अपने बच्चों की स्कूल फीस को लेकर हर समय चिन्ता लगी रहती है।

दूसरी तरफ स्कूल हैं कि हर बढ़ती क्लास के साथ फीस में 20 से 30 फीसदी की बढ़ौतरी कर दी जाती है। इतना ही नहीं, सालभर किसी न किसी नाम पर स्कूल माता-पिता की जेब काटते ही रहते हैं। शिक्षा के केन्द्र भव्य शोरूम का रूप ले चुके हैं। स्कूलों की ज्यादा फीस अभिभावकों के लिए मुसीबत बन रही है।

दिल्ली के प्ले स्कूलों की फीस देखकर तो हैरानी होने लगती है कि जब प्ले स्कूल की इतनी अधिक फीस है तो फिर नर्सरी से लेकर प्राइमरी तक की फीस कितनी होगी। कभी डोनेशन के नाम पर तो कभी बैग, जूते, कपड़ों के मनमाने दाम लगाए जाते हैं। अधिकतर स्कूलों ने किताबों की दुकानें खोल रखी हैं या फिर बाजार की कोई दुकान तय कर रखी है, उसमें से भी कमीशन खाई जाती है।

इसी वर्ष 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए दिल्ली के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के मां-बाप को बड़ी राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते।

दिल्ली सरकार के वकील ने कहा था कि फीस बढ़ौतरी को लेकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिल देव डेक्ससह कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने कहा था कि विशेष स्थितियों में प्राइवेट स्कूल अधिकतम 10 फीसदी तक फीस बढ़ा सकते हैं लेकिन ज्यादातर स्कूल सामान्य स्थितियों में भी 10 फीसदी तक फीस वृद्धि करते आ रहे हैं।

दिल्ली में 400 से अधिक स्कूल डीडीए की जमीन पर चल रहे हैं। अदालत के आदेशों के बावजूद स्कूलों ने फीस में बढ़ौतरी कर दी। दिल्ली सरकार को स्कूलों के सम्बन्ध में बहुत सारी शिकायतें मिली थीं। दिल्ली सरकार ने पिछले वर्ष भी एक प्राइवेट स्कूल के खिलाफ अभिभावकों की शिकायत पर उसे टेकओवर किया था हालांकि बाद में अदालत लड़ाई भी चली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने 449 निजी स्कूलों से दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बढ़ी हुई फीस अभिभावकों को वापस करने की अपील की है।

साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर स्कूल ऐसा नहीं करते तो सरकार अन्तिम विकल्प के तौर पर स्कूलों का प्रबन्धन और संचालन अपने हाथों में ले सकती है। निजी स्कूलों ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के नाम पर फीस बढ़ाई थी, जिसे अदालत ने जस्टिस अनिल देव समिति की जांच के आधार पर गलत पाते हुए सरकार से इस दिशा में की गई कार्रवाई का जवाब मांगा था।

दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। एक तरफ वह सरकारी स्कूलों को बेहतर बना रही है, दूसरी ओर निजी स्कूलों को अनुशासित करने में जुटी है। अगर कोई निजी स्कूल अभिभावकों को लूटता है तो सरकार चुप नहीं बैठ सकती। राज्य सरकार को ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकना नहीं चाहिए। गुणवत्ता की जो मृग-मरीचिका निजी विद्यालयों की छांव में खोजी जा रही है उससे भी कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं।

निजी विद्यालयों ने सरकारी स्कूलों की तुलना में एक ऐसा आभामंडल तैयार कर लिया है जिसमें लोगों को गुण ही गुण दिखाई देते हैं लेकिन इसी आभामंडल की आड़ में मनमानी लूट भी है।

वे बहुत देर तक खाने से परहेज रखते थे, और राजनैतिक विरोध के रूप में उपवास रखते थे उन्होंने अपनी मृत्यु तक खाने से इनकार किया जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती उनकी आत्मकथा में यह नोट किया गया है कि शाकाहारी होना गहरी प्रतिबद्धता होने की शुरुआती सीढ़ी है, बिना कुछ नियंत्रण में किये उनकी सफलता लगभग असफल हैं गाँधी जी शुरु से फलाहार करते थे लेकिन अपने चिकित्सक की सलाह से बकरी का दूध पीना शुरु किया था।

वे कभी भी दुग्ध—उत्पाद का सेवन नहीं करते थे क्योंकि पहले उनका मानना था की दूध मनुष्य का प्राकृतिक आहार नहीं होता और उन्हें गाय के चीत्कार से घृणा थी और सबसे महत्वपूर्ण कारण था शपथ जो उन्होंने अपनी स्वर्गीय माँ से किया था ब्रह्मचर्य जब गाँधी जी सोलह साल के हुए तब उनके पिताश्री की तबियत बहुत खराब थी।

उनके पिता की बीमारी के दौरान वे हमेशा उपस्थित रहते थे क्योंकि वे अपने माता—पिता के प्रति अत्यंत समर्पित थे यद्यपि, गाँधी जी को कुछ समय की राहत देने के लिए एक दिन उनके चाचा जी आए वे आराम के लिए शयनकक्ष पहुंचे जहाँ उनकी शारीरिक अभिलाषाएं जागृत हुईं और उन्होंने अपनी पत्नी से प्रेम किया नौकर के जाने के पश्चात् थोड़ी ही देर में खबर आई की गाँधी के पिता का अभी अभी देहांत हो गया है, गाँधी जी को जबरदस्त अपराध महसूस हुआ और इसके लिए वे अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकते थे

उन्होंने इस घटना का जिक्र दोहरी शर्म में किया इस घटना का गाँधी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और वे ब्रह्मचर्य की ओर मुड़ने लगे, जबकि उनकी शादी हो चुकी थी, यह निर्णय ब्रह्मचर्य के दर्शन से पूरी तरह प्रभावित था आध्यात्मिक और व्यवहारिक शुद्धता बड़े पैमाने पर ब्रह्मचर्य और वैराग्यवाद से जुदा होती है।

गाँधी ने ब्रह्मचर्य को भगवान् के करीब आने और अपने को पहचानने का प्राथमिक आधार के रूप में देखा था अपनी आत्मकथा में वे अपनी बचपन की दुल्हन कस्तूरबा के साथ अपनी कामेच्छा के संघर्षों को बताते हैं उन्होंने महसूस किया कि यह उनका व्यक्तिगत दायित्व है की उन्हें ब्रह्मचर्य रहना है ताकि वे बजाय हवस के प्रेम को सिख पायें गाँधी के लिए, ब्रह्मचर्य का अर्थ था इन्द्रियों के अंतर्गत विचारों, शब्द और कर्म पर नियंत्रण, सादगी गाँधी जी का मानना था कि अगर एक व्यक्ति समाज सेवा में कार्यरत है तो उसे साधारण जीवन की ओर ही बढ़ना चाहिए जिसे वे ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक मानते थे।

उनकी सादगी ने पश्चिमी जीवन शैली को त्यागने पर मजबूर करने लगा और वे दक्षिण अफ्रीका में फैलने लगे थे इसे वे खुद को शुन्य के स्थिति में लाना कहते हैं जिसमें अनावश्यक खर्च, साधारण जीवन शैली को अपनाना और अपने वस्त्र स्वयं धोना आवश्यक है, एक अवसर पर जन्मदार की ओर से सम्मुदय के लिए उनकी अनवरत सेवा के लिए प्रदान किए गए उपहार को भी वापस कर देते हैं, गाँधी सप्ताह में एक दिन मौन धारण करते थे, उनका मानना था कि बोलने के परहेज से उन्हें आंतरिक शान्ति मिलती है।

उन पर यह प्रभाव हिन्दू मौन सिद्धांत का है, और शान्ति जैसे दिनों में वे कागज पर लिखकर दूसरों के साथ संपर्क करते थे 37 वर्ष की आयु से साढ़े तीन वर्षों तक गांधी जी ने अखबारों को पढ़ने से इंकार कर दिया जिसके जवाब में उनका कहना था कि जगत की आज जो स्थिर अवस्था है उसने उसे अपनी स्वयं की आंतरिक अशांति की तुलना में अधिक भ्रमित किया है।

जॉन रस्कन की अन्टू दिस लास्ट पढ़ने के बाद उन्होंने अपने जीवन शैली में परिवर्तन करने का फैसला किया तथा एक समुदाय बनाया जिसे अमरपक्षी अवस्थापन कहा जाता था। दक्षिण अफ्रीका, जहाँ से उन्होंने वकालत पूरी की थी तथा धन और सफलता के साथ जुड़े थे वहां से लौटने के पश्चात् उन्होंने पश्चिमी शैली के वस्त्रों का त्याग किया

उन्होंने भारत के सबसे गरीब इंसान के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं उसे स्वीकार किया, तथा घर में बने हुए कपड़े खादी पहनने की वकालत भी की गाँधी और उनके अनुयायियों ने अपने कपड़े सूत के द्वारा खुद बुनने के अभ्यास को अपनाया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया हालाँकि भारतीय श्रमिक बेरोजगारी के कारण बहुधा आलसी थे, वे अक्सर अपने कपड़े उन औद्योगिक निर्माताओं से खरीदते थे जिसका उद्देश्य ब्रिटिश हितों को पुरा करना था

वे जानना चाहते हैं कि फ्लू के वायरस कितने खतरनाक हो सकते हैं और उनको नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाए। इसी खबर के साथ एक दूसरी खबर आई है कि चीन में एक नए किस्म का बर्ड फ्लू एच7 एन9 फैल रहा है। इससे 124 लोगों के बीमार पड़ने की खबर है, जिनमें से 24 मर चुके हैं।

यह काफी गंभीर बीमारी है, लेकिन यह वायरस भी सिर्फ मुर्गियों के संपर्क में आने वाले लोगों को ही संक्रमित करता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर यह वायरस अपनी जेनेटिक संरचना में पांच परिवर्तन कर ले, तो यह इंसानों से इंसानों में फैलने के काबिल हो जाएगा।

एक परिवर्तन तो वह कर भी चुका है। सौभाग्य से अभी तक बर्ड फ्लू वायरस के ऐसा करने के उदाहरण नहीं मिलते, सिवाय चीन की उस प्रयोगशाला के। रासायनिक हथियारों के साथ जैव हथियारों के इस्तेमाल पर 1972 में एक अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत पाबंदी लगा दी गई थी, हालांकि चोरी-छिपे कुछ देश ऐसे हथियारों के साथ प्रयोग करते रहे थे।

चेचक के अलावा जितनी भी बीमारियों के सूक्ष्मजीवियों को जैव हथियारों के लिए आजमाया गया था, वे सभी ऐसे थे, जो जानवरों में भी फैलते थे। ऐसा इसलिए था कि ऐसे वायरस या बैक्टीरिया के साथ प्रयोग करना आसान था। ऐसे प्रयोगों से दुर्घटनाएं भी हुईं। ऐसी सबसे बड़ी दुर्घटना तत्कालीन सोवियत संघ में घटी थी, जब 1979 में एक जैव हथियार प्रयोगशाला से गलती से एंथ्रेक्स के वायरस बाहर आ गए थे और उनसे 200 किलोमीटर के दायरे में भेड़ों को यह संक्रमण हो गया था।

यानी प्रयोगशाला से वायरस व बैक्टीरिया निकल सकते हैं और एक बार बाहर निकलकर वे बेकाबू हो सकते हैं। अफवाह तो यह भी उड़ी थी कि एडस का वायरस ऐसी ही किसी दुर्घटना का नतीजा था, लेकिन सबूत बताते हैं कि वह अफवाह ही थी। जेनेटिक विज्ञान के फायदे बहुत बड़े हैं, आने वाले वक्त में तो शायद यह चिकित्सा विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष बन सकता है, लेकिन इसके खतरे भी कम नहीं हैं। हो सकता है कि देवताओं और राक्षसों की जेनेटिक संरचना में शायद थोड़ा-सा फर्क हो, लेकिन इस हेराफेरी का नतीजा कितना बड़ा होगा।

किसी चुनाव के नतीजे के बारे में भविष्यवाणी करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन कर्नाटक के विधानसभा चुनावों के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसके नतीजे पहले ही तय थे। यह बहुत पहले ही सबको पता चल गया था कि भाजपा इन चुनावों में हारने वाली है, सिर्फ यह तय होना था कि हार कितनी बड़ी होगी। अब नतीजे आ गए हैं और यह भी पता चल गया है कि मतदाता इन दिनों बख्खाने के मूड में नहीं हैं। भाजपा को बहुमत तो छोड़िए, दूसरे नंबर के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई ऐसी करामात की है कि जिससे खुश होकर मतदाता ने उसे बहुमत दे दिया है।

यह जनादेश भाजपा के भ्रष्टाचार, कुशासन और अंदरूनी झगड़ों के खिलाफ है। यह भी आजकल देखने में आ रहा है कि जनता कम से कम राज्यों में तो किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत देती है, ताकि स्थिर सरकार बने और अगले चुनावों में उसकी जवाबदेही तय हो सके। जिन राज्यों में अच्छा और अपेक्षाकृत साफ-सुथरा प्रशासन होता है, वहां सत्तारूढ़ पार्टी के फिर से सत्ता में आने की पूरी-पूरी संभावना होती है, वरना जनता उसे अर्श से फर्श पर ला देती है।

भाजपा 2014 के लोकसभा चुनावों में भ्रष्टाचार और कुशासन को मुख्य मुद्दे बनाना चाहती है और वह इन नतीजों से यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि ये मुद्दे प्रभावी हो सकते हैं। लेकिन भाजपा को यह भी याद रखना होगा कि पिछले दिनों कम से कम दो विधानसभा चुनावों में, पहले उत्तराखंड और अब कर्नाटक में, वह इन्हीं मुद्दों पर चुनाव हारी है। ऐसे में, केंद्रीय स्तर पर इन मुद्दों को उठाने में अपनी विश्वसनीयता पर भी उसे विचार करना चाहिए।

शायद भाजपा एक और निष्कर्ष निकालना न चाहे कि किसी तरह से तमाम समझौते करके सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन दूरगामी नजरिये से उसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। कर्नाटक में भाजपा सरकार जब बनी थी, तभी उसका नाकामयाब होना तय था।

जब देश में विगत वर्ष 8 नवम्बर को रात्रि आठ बजे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक हजार और पांच सौ रुपए के बड़े नोटों को बंद करने की घोषणा की थी तो देश के 80 प्रतिशत गरीब लोगों के मन में यह धारणा थी कि सरकार के इस कदम से व्याप्त सर्वत्र भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी और जिन लोगों ने कालाधन तिजोरियों में छुपा रखा है वह रातों-रात रद्दी हो जाएगा।

सरकार ने पचास दिन का समय आम लोगों को दिया कि वे अपने पुराने नोट नए नोटों में बदलवा लें मगर इसके लिए मारामारी न करें, सरकार धीरे-धीरे उनके सभी पुराने नोट इस अवधि में बदल देगी। वे कम से कम जरूरी नकदी बैंकों से बदलवा कर अपना रोजमर्रा का काम चलाएं। इस काम में थोड़ी दिक्कत लोगों को उठानी पड़ेगी मगर अर्थव्यवस्था की सफाई हो जाएगी।

जो कालाधन छिपाए बैठे हैं वे अपने अवैध नोटों को बदलवाने के लिए फर्जी लोगों का इस्तेमाल न करें। स्वयं प्रधानमंत्री ने अपील की कि अगर कोई धनवान व्यक्ति अपने नोट बदलवाने के लिए गरीबों को लालच दे तो उसके चक्कर में मत और उसके पुराने नोट बदल कर उसे मत दी जाए।

इसके लिए जन-धन खातों की दो लाख रु. की सीमा भी निर्धारित कर दी गई। भारत के हर शहर की दरो-दीवार गवाह है कि आम लोगों ने सरकार की हर बात पर यकीन किया और पूरी ईमानदारी के साथ सैकड़ों मुश्किलें सहते हुए भी बैंकों के आगे लम्बी-लम्बी लाइनें लगाकर अपनी गाढ़ी कमाई के पुराने नोट पूरे इंतजार के साथ बदलें।

मध्यम व सामान्य वर्ग के परिवारों के लोगों ने अपने जीवनभर की कमाई बैंकों में जमा कराकर सोचा अब संभवतः उनके दिन बदलेंगे और भ्रष्टाचार की कमाई से कोठियां खड़ी करने वालों को कानून के सामने पूरा हिसाबदृकिताब देना पड़ेगा कि उन्होंने नोट जमा करने के लिए कौन से तरीके अपनाए थे मगर अफसोस बैंकों में जितने भी पुराने नोट प्रचलन में थे या तिजोरियों में रखे हुए थे, सभी जमा हो गए और इस यकीन के साथ जमा हुए कि सारा का सारा धन वैध है।

रिजर्व बैंक पूरे नौ महीने तक ये आंकड़े देने से हिचकता रहा कि कितने पुराने नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं। वह ये आंकड़े तो देता रहा कि उसने कितनी नई मुद्रा के नोट छाप कर बाजार में उतार दिए हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने के लिए जरूरी है कि कम से कम लेनदृदेन नकद रोकड़ा में हो। छोटे-छोटे काम धंधा करने वालों से कहा जाने लगा कि वे रुपए का लेनदृदेन नकद की जगह इलेक्ट्रॉनिक विधि से करें मगर भारत की इस हकीकत को भुला दिया गया कि इसका 80 प्रतिशत हिस्सा इंडिया नहीं बल्कि भारत है।

इस भारत के रहने वाले लोग गांवों या छोटे कस्बों से आते हैं और छोटादृमोटा रोजगार करके अपना जीवनयापन करते हैं। बुरे वक्तों के लिए दो पैसे जोड़ कर रखते हैं। बचत करने की इनकी वंशानुगत आदत होती है और उस बचत को ये हवा भी लगने नहीं देते। सरकार नोटबन्दी का एक साल पूरे होने पर जश्न मनाना चाहती है।

ऐसा करके वह उन गरीब लोगों को चिढ़ाने का काम कर रही है जिन्होंने इस कदम का सहर्ष स्वागत किया था और सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव भी उन्हें ही झेलना पड़ा। गांवों में मजदूरी करने वालों के काम ठप्प हो गए। छोटेदृछोटे दुकानदारों से लेकर रेहड़ी व फड़ लगाने वालों की आमदनी आधी रह गई। लघु उद्यमियों ने अपने कर्मचारियों की छंटनी कर डाली, बेरोजगारी बढ़ गई।

दूसरी तरफ बैंकों के पास जितने भी नोट आये उनकी नए नोटों में परिवर्तनीयता (सकल धनराशि के हिसाब में) वैधानिक मजबूरी बन गई क्योंकि सरकार प्रत्येक पुराने नोट के बराबर की धनराशि को चुकाने को लेकर कानूनन बाध्य है। हर नोट पर लिखा होता है कि रिजर्व बैंक का गवर्नर धारक को उतनी ही राशि चुकाने की गारंटी लेता है, बेशक इसमें से कुछ धनराशि नोटों की शक्ल में न होकर बैंकों में जमा हो, या इलेक्ट्रॉनिक दायरे में घूम रही हो।

मनमोहन सरकार में द्रमुक के कोटे से बने सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्री श्री ए. राजा का यह तर्क जनता के गले नहीं उतर रहा था कि 2-जी स्पैक्ट्रम का आवंटन निजी कम्पनियों को सस्ते दामों पर इसलिए किया गया है जिससे मोबाइल फोनों की पहुंच आम जनता तक ज्यादा से ज्यादा हो सके और यह तभी होगी जबकि मोबाइल फोन का उपयोग बहुत कम खर्च भरा होगा।

उन्होंने 2-जी स्पैक्ट्रम को राशन के चावल बताते हुए कहा था कि सरकार का यह कदम गरीबों तक मोबाइल फोन पहुंचाने की नीति का अंग है किन्तु तब पूरे भारत में यह प्रचार हो गया था कि 2-जी स्पैक्ट्रम आवंटन से सरकार को एक लाख 80 हजार करोड़ रु. के राजस्व की हानि हुई है।

इसकी जांच सीबीआई से कराने की मनमोहन सरकार ने ही घोषणा की थी और इसी सीबीआई अदालत ने पिछले साल ही अपने फैसले में कहा कि कहीं किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ परन्तु कांग्रेस अधिवेशन के मंच से तब प्रधानमन्त्री ने परोक्ष रूप से कबूल कर लिया था कि उनकी सरकार के कामकाज में शक की गुंजाइश पैदा हो गई है।

यह डा. मनमोहन सिंह की स्वीकारोक्ति भी थी कि वह राजनीतिक दांवपेंचों में माहिर नहीं हैं जबकि प्रणव दा चैतावनी दे चुके थे कि हमें संसदीय प्रणाली के लचीलेपन का गैर वाजिब लाभ उठाने के प्रयासों का मुकाबला करना चाहिए। इस घटना को हुए कई साल बीत चुके हैं और कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ से विपक्षी दल की हैसियत में आ चुकी है मगर मूल सवाल जहां का तहां खड़ा हुआ है कि हमारी संसदीय प्रणाली की विश्वसनीयता में लगातार क्षरण हो रहा है और इसकी भूमिका लगातार हाशिये पर खिसकती जा रही है।

कांग्रेस पार्टी के लिए यह मुद्दा सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय होना चाहिए क्योंकि इसी पार्टी को भारत में मजबूत संसदीय व्यवस्था देने का श्रेय दिया जा सकता है जिसके निर्विवाद रूप से पं. जवाहर लाल नेहरू प्रणेता थे। उन्हीं के सतत चिन्तनशील गंभीर प्रयासों से भारत में संसदीय प्रणाली की नींव पड़ी थी।

यह बेवजह नहीं था कि भारत के पहले 1952 के आम चुनावों में पं. नेहरू ने देशभर में घूम-घूम कर लगातार छह महीने तक चुनाव प्रचार करके लोगों को समझाया था कि वे चुनावों में अपने मत का उपयोग जरूर करें क्योंकि केवल ऐसा करके ही वे आजाद भारत की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अतः यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह खूबसूरत प्रणाली हमें सौगात में नहीं मिली है बल्कि इसके लिए हमारे पुरखों ने अपनी जवानी अंग्रेजों की जेलों में होम की है।

आगामी 16 से 18 मार्च को दिल्ली में ही कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन होने जा रहा है, वह देश के समक्ष खड़ी नई चुनौतियों के सन्दर्भ में होगा। इसमें सबसे बड़ी चुनौती देश में ऐसे वैकल्पिक राजनीतिक सूत्र की स्थापना करने की होगी जिसका सीधा सम्बन्ध भारत की दरिद्र नारायण संस्कृति से सीधा संवाद करना हो। यह संवाद तभी संभव है जब भारत के लोगों को धार्मिक उन्माद के घेरे से बाहर राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में सर्व भवन्तु सुखिनः के दायरे में लाकर दीक्षित किया जाये।

यह कार्य किसी भी तरीके से दुष्कर नहीं है क्योंकि भारत की संस्कृति में ही यह भाव रचादृबसा है। इसके साथ ही यह पहला अधिवेशन होगा जिसमें युवा श्री राहुल गांधी अध्यक्ष की हैसियत से शिरकत करेंगे। उन्हें यह स्वयं ही सिद्ध करना होगा कि इतिहास ने उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी डाली है, उसे वह किस विश्वास के साथ आगे ले जा सकते हैं। उन पर वंशवाद की राजनीति का आरोप लगता रहता है मगर लोकतन्त्र में यह अपराध किसी भी तरह नहीं होता है क्योंकि राजनैतिक विचारधारा स्वयं में पूरा वंश होती है। देखना केवल यह होता है कि उस विचारधारा को कौन व्यक्ति आगे बढ़ाकर अपना वंश फैलाता है।

यदि कांग्रेस को उनके नेतृत्व पर भरोसा है और उनकी क्षमता कांग्रेस को आगे ले जाने की है तो विचारधारा के वंश में तब्दील होने से कौन रोक सकता है? बेशक कांग्रेस के होने वाले अधिवेशन में मौजूदा सरकार के कथित घोटाले केन्द्र में रहेंगे मगर इन्हें लेकर भारत को कमजोर दिखाने की पिछली विपक्षी पार्टी की नीति का अनुसरण किसी भी तौर पर नहीं किया जाना चाहिए बल्कि भारत को मजबूत बनाने के लिए वैकल्पिक नीतियों को सप्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

मैं अतीत की बात कर रहा हूँ तो आपको ले चलना चाहता हूँ उस अतीत की ओर जो भारत और रूस की मैत्री का सुनहरा अतीत है। एक ऐसा अतीत, जिसकी डोर हम सफलतापूर्वक बढ़ा नहीं सके। अगर हम ऐसा कर पाते तो भारत-रूस मैत्री की फिजां कुछ और ही होती। बात 20 दिसम्बर 1955 की है। यह भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर था। ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूँ कि उस दिन पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति बुल्गानिन और प्रधानमंत्री खरुश्चेव दोनों ही भारत आए थे।

दोनों ने ही उस दिन यादगार भाषण दिए। तब भारत को आजाद हुए मात्र 8 वर्ष हुए थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा था आज आपके महान राष्ट्र द्वारा हमारा जो स्वागत किया जा रहा है उसे हम इस रूप में नहीं लेते कि यह एक देश द्वारा दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के प्रति दिखाई गई एक औपचारिकता मात्र है। हम सचमुच इसे इस रूप में नहीं लेते।

हम भारत और सोवियत संघ की मैत्री को एक ऐसे अटूट बन्धन के रूप में लेते हैं जो बन्धन शाश्वत है और सदा के लिए है। यह महज औपचारिक स्वागत या रस्म अदायगी नहीं। धीरे-धीरे दिल्ली और मास्को की दूरियां कम होती जा रही हैं और हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी मित्रता और एक-दूसरे के प्रति समझ दिनोंदिन प्रगाढ़ होती जा रही है। हम यह मानते हैं कि जहां तक सरकारों और राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रश्न है, हमारे सोचने के ढंग और हमारी कार्यशैली अलग-अलग हो सकती हैं, परन्तु इससे बढ़कर हम दोनों ही राष्ट्र मानवीय संवेदनाओं को ही सर्वोपरि मानते हैं।

हम एक-दूसरे के पड़ोसी देश हैं और एक अच्छे पड़ोसी के क्या मायने होते हैं, हम दोनों देश अच्छी तरह समझते हैं। हमारी मित्रता ऐसी होनी चाहिए और इसका विकास इस भांति होना चाहिए कि दोनों देशों के नागरिक इसका फायदा उठा सकें और सुख तथा दुरुख में हम दोनों देश एक-दूसरे के काम आ सकें। हम दोनों देश न केवल पारस्परिक सहयोग और मित्रता के अर्थ ही समझते हैं, अपितु पूरे और खुले दिल से यह महसूस करते हैं कि हमारी मित्रता का सबसे व्यापक लक्ष्य है-विश्व शांति!

भारत और रूस के पास एक महान विरासत है जिस प्रकार से हमने आजादी हासिल की है, दोनों ही देश विश्व शांति का महत्व इस परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। उसके बाद तो सोवियत संघ भारत का विश्वसनीय दोस्त बन गया। 1971 में भारत-पाक के दौरान जब अमेरिका ने अरब सागर की तरफ अपने सबसे बड़े नौवें बेड़े को रवाना कर दिया तो यह रूस ही था जिसने अमेरिका के जंगी बेड़े इंडीपेंडेंट को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपने युद्धपोत को भेजा था।

रूस ने भारत में औद्योगिक संरचना की बुनियाद को स्थापित किया। एक-एक करके उसने स्टील कारखाने स्थापित किए। जब भारत ने कहा कि हम सेटेलाइट बनाएंगे तो अमेरिका ने हमारा मजाक उड़ाया था और कहा था कि जरूरी है आप धान उगाओ क्योंकि हिन्दुस्तानी भूखे हैं। उसने ऐसा कहकर सार्वभौमिक देश पर फूहड़ मजाक किया था। तब भी रूस ने न सिर्फ भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी दी बल्कि अकेले भारतीय राकेश शर्मा को अंतरिक्ष भ्रमण का मौका दिया।

स्वर्गीय इन्दिरा गांधी ने 1971 युद्ध के बाद रूस से 20 वर्षीय सामरिक संधि की थी। इस संधि में उल्लेख था कि अगर कोई देश भारत पर आक्रमण करता है तो रूस भारत की मदद करेगा। इस संधि की वजह से भारत को ऐसा सुरक्षा कवच मिला जिससे हम अपनी आर्थिक प्रगति भी निर्बाध रूप से करते रहे और पूरी दुनिया भी हमारी तरफ नजरें उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकी। इस संधि को दो बार आगे बढ़ा चुके हैं।

अब कहा जा रहा है कि भारत-रूस सम्बन्धों में वो बात नहीं जो पहले थी। यह बात सही है कि सोवियत संघ का विघटन रूस के लिए जितना दर्दनाक साबित हुआ, उससे कम भारत के लिए भी नहीं हुआ। इस विघटन के बाद रूस कमजोर पड़ा और भारत की ऊर्जा अमेरिका की तरफ प्रवाहित हुई तो अमेरिका ने भी भारत से कूटनीतिक सम्बन्ध ही रखे। भारत-अमेरिका के सम्बन्ध तो भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु करार के बाद जाकर सहज हुए हैं।

रूस ने भी इस करार का सबसे पहले स्वागत किया था। भारत को याद रखना होगा कि जब हमारे परमाणु रिएक्टर परमाणु ईंधन की कमी के चलते बन्द होने के कगार पर थे

उन्होंने मेरी ओर से पीठ फेर ली और बोले, तुम अपने बाप-दादों से क्यों नहीं पूछते, जो मुझसे अधिक बूढ़े हैं और जो इन घाटियों के इतिहास से मुझसे कहीं अधिक परिचित हैं? अपने प्रयास को बिल्कुल ही व्यर्थ समझकर मैं लौट आया।

इस प्रकार दो वर्ष व्यतीत हो गये। उस निराले मनुष्य की झक्की जिन्दगी ने मेरे मस्तिष्क में घर कर लिया और वह बार-बार मेरे सपनों में आ-आकर मुझे तंग करने लगा। शरद ऋतु में एक दिन, जब मैं यूसुफ-अल फाखरी के आश्रम के पास की पहाड़ियों तथा घाटियों में घूमता फिर रहा था, अचानक एक प्रचण्ड आंधी और मूसलाधार वर्षा ने मुझे घेर लिया और तूफान मुझे एक ऐसी नाव की भांति इधर-से-उधर भटकाने लगा, जिसकी पतवार टूट गई हो और जिसका मस्तूल सागर के तूफानी झकोरों से छिन्न-भिन्न हो गया हो।

बड़ी कठिनाई से मैंने अपने पैरों को यूसुफ साहब के आश्रम की ओर बढ़ाया और मन-ही-मन सोचने लगा, बड़े दिनों की प्रतीक्षा के बाद यह एक अवसर हाथ लगा है। मेरे वहां घुसने के लिए तूफान एक बहाना बन जायेगा और अपने भीगे हुए वस्त्रों के कारण मैं वहां काफी समय तक टिक सकूंगा। जब मैं आश्रम में पहुंचा तो मेरी स्थिति अत्यन्त ही दयनीय हो गई थी।

मैंने आश्रम के द्वार को खटखटाया तो जिनकी खोज में मैं था, उन्होंने ही द्वार खोला। अपने एक हाथ में वह ऐसे मरणासन्न पक्षी को लिये हुए थे, जिसके सिर में चोट आई थी और पंख कट गये थे। मैंने यह कहकर उनकी अभ्यर्थना की, कृपया मेरे इस बिना आज्ञा के प्रवेश और कष्ट के लिए क्षमा करें। अपने घर से बहुत दूर तूफान में मैं बुरी तरह फंस गया था।

त्यूरी चढ़ाकर उन्होंने कहा, इस निर्जन वन में अनेक गुफाएं हैं, जहां तुम शरण ले सकते थे। किन्तु जो भी हो, उन्होंने द्वार बन्द नहीं किया। मेरे हृदय की धड़कन पहले से ही बढ़ने लगी क्योंकि शीघ्र ही मेरी सबसे बड़ी तमन्ना पूर्ण होने जा रही थी। उन्होंने पक्षी के सिर को अत्यन्त ही सावधानी से सहलाना शुरू किया और इस प्रकार अपने एक ऐसे गुण को प्रकट करने लगे, जो मुझे अति प्रिय था। मुझे इस मनुष्य के दो प्रकार के परस्पर विरोधी गुण-दया और निष्ठुरता-को एक साथ देखकर आश्चर्य हो रहा था। हमें ज्ञात हुआ कि हम गहरी निस्तब्धता के बीच खड़े हैं। उन्हें मेरी उपस्थिति पर क्रोध आ रहा था और मैं वहां ठहरे रहना चाहता था।

ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने मेरे विचारों को भांप लिया, क्योंकि उन्होंने ऊपर (आकाश) की ओर देखा और कहा, तूफान साफ है और खट्टा (बुरे मनुष्य का) मांस खाना नहीं चाहता। तुम इससे बचना क्यों चाहते हो? कुछ व्यंग्य से मैंने कहा, हो सकता है, तूफान खट्टी और नमकीन वस्तुएं न खाना चाहता हो, किन्तु प्रत्येक पदार्थ को वह ठण्डा तथा शक्तिहीन बना देने पर तुला है और निःसंदेह यह वह मुझे फिर से पकड़ लेगा तो अपने में समाये बिना न छोड़ेगा। उनके चेहरे का भाव यह कहते-कहते अत्यन्त कठोर हो गया, यदि तूफान ने तुम्हें निगल लिया होता तो तुम्हारा बड़ा सम्मान किया होता, जिसके तुम योग्य भी नहीं हो।

मैंने स्वीकारते हुए कहा, हां श्रीमान। मैं इसीलिए तूफान से छिप गया कि कहीं ऐसा सम्मान न पा जाऊं, जिसके कि मैं योग्य ही नहीं हूँ। इस चेष्टा में कि वे अपने चेहरे पर की मुस्कान मुझसे छिपा सकें, उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। तब वे अंगीठी के पास रखी हुई एक लकड़ी की बेंच की ओर बढ़े और मुझसे कहा कि मैं विश्राम करूं और अपने वस्त्रों को सूखा लूं।

अपने उल्लास को मैं बड़ी कठिनाई से छिपा सका। मैंने उन्हें धन्यावाद दिया और स्थान ग्रहण किया। वे भी मेरे सामने ही एक बेंच पर, जो पत्थर को काटकर बनाई गई थी, बैठ गये। वे अपनी उंगलियों को एक मिट्टी के बरतन में, जिसमें एक प्रकार का तेल रखा हुआ था, बार-बार डुबोने लगे और उस पक्षी के सिर तथा पंखों पर मलने लगे। बिना ऊपर को देखे ही बोले, शक्तिशाली वायु ने इस पक्षी को जीवन-मृत्यु के बीच पत्थरों पर दे मारा था।, तुलना-सी करते हुए मैंने उत्तर दिया, और भयानक तूफान ने इससे पहले कि मेरा सिर चकनाचूर हो जाये और मेरे पैर टूट जायें मुझे भटकाकर आपके द्वार पर भेज दिया।

गम्भीरतापूर्वक उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, मेरी तो यही चाह है कि मनुष्य पक्षियों का स्वभाव अपनाये और तूफान मनुष्य के पैर तोड़ डाले मनुष्य का झुकाव भय और कायरता की ओर है और जैसे ही वह अनुभव करता है कि तूफान जाग गया है, यह रेंगते-रेंगते गुफाओं और खाइयों में घुस जाता है। अपने को छिपा लेता है।

लेकिन, मैं निराश नहीं हुई, लगी रही और 2012 के स्कूल गेम्स में हाई जंप में मैंने पहला स्थान हासिल किया तो सुभाष सरकार सर ने मुझे ट्रेनिंग के लिए चुन लिया लेकिन, फिर भी मुझे कोई खास ट्रेनिंग नहीं दी गई। 2013 में सर ने मुझे कोलकाता स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) के नेताजी सुभाष ईस्टर्न सेंटर में शिफ्ट होने के लिए कहा।

यहां आना मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जब तक गांव में थी और सारा दिन मैदान में प्रैक्टिस करती थी तो गांव वाले बोलते, घर में रहाकर, काली हो जाएगी, कोई शादी भी नहीं करेगा। और ये पक्की बात है कि यदि गांव में रहती तो मेरे मां-बाप मेरा कितना भी सपोर्ट करते लेकिन, फिर भी समाज के दबाव में अब तक मेरी शादी कर दी गई होती।

कोलकाता सेंटर में आकर मुझे अहसास हुआ कि एक लड़की भी खेल को फुलटाइम कैरियर चुन सकती है। इसका तत्काल फायदा यह हुआ कि मेरी ट्रेनिंग सहित सभी खर्चों का बोझ मेरी मां के कंधों से हट गया। भारतीय खेल प्राधिकरण के परिसर में आने पर सर ने मुझे हाई जंप से हैप्ताथलॉन में आने का सुझाव दिया।

मैंने नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और हैप्ताथलॉन में दूसरे स्थान पर रही। कभी पीठ, कभी टखने, कभी घुटने की चोट मुझे परेशान करती रही और पैर का स्थायी दर्द तो मेरे जीवन का हिस्सा ही बन गया लेकिन, मुझे ऐसे दर्द की आदत-सी हो गई। पैर की समस्या तो बहुत विचित्र है, मेरे दोनों पैरों में छह-छह अंगुलियां हैं। मैंने तमाम ब्रांड के जूते ट्राय किए पर कोई भी मुझे फिट नहीं आता। पांच नंबर का जूता फंसता है और छह नंबर का जूता ढीला आता है।

छठी अंगुली के फंसे रहने से पैर में दर्द बना रहता है। मैंने भी तय किया है कि छठी अंगुली को हटाने के लिए सर्जरी नहीं कराऊंगी, बल्कि प्रयास करूंगी कि कोई मेरे लिए कस्टमाइज्ड जूते बना दे। अभी तो मेरे जूते दर्द तो देते ही हैं, जल्दी फट भी जाते हैं। बहरहाल, इसी कश्मकश के बीच 2014 में इंचियान, साउथ कोरिया में हुए एशियन गेम्स में सबसे छोटी हैप्ताथलॉन एथलीट के रूप में मैंने हिस्सा लिया और पांचवें पायदान पर आई।

पिछले साल एशियन चैंपियनशिप और फेडरेशन कप दोनों में मैंने गोल्ड हासिल किया। बीच-बीच में चोट लगती रही और मैं उससे उबरती रही। इसी दौरान मैंने कोलकाता यूनिवर्सिटी में बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई शुरू कर दी। अभी मेरे थर्ड ईयर का रिजल्ट आने वाला है। मुझे दो महीने पहले जून से पीठ और टखने में नई इंजरी आ गई। मुंबई-दिल्ली तक इलाज के लिए गई, दर्द कुछ कम हुआ पर हटा नहीं।

मेरे संगी-साथी कहने लगे थे कि अब क्या मेडल लाएगी? कभी-कभी मेरा मनोबल भी कमजोर होने लगता लेकिन, फिर मुझे अपने घर के हालात और मां-बाबा की याद आती कि यदि मैंने हिम्मत तोड़ दी तो उनका दर्द मैं कभी खत्म नहीं कर पाऊंगी। मुझे इस जिम्मेदारी का अहसास होता कि मैं ही अपने परिवार की आधार हूँ। कुछ भी हो, मुझे अपना बेस्ट करना है।

मुझे अपने कोच सर के भरोसे पर भी खरा उतरना था जो मुझे अधिक इंजरी होने पर भी कहते रहते कि तुम कर लोगी। मन ज्यादा भारी होता, तो अकेले में कमरे में कुछ देर रोकर अपना दिल हल्का कर लेती थी। कभी-कभी हिंदी और बंगाली के गाने गुनगुनाकर अपना मन बहलाती, जीवन को ऊर्जा देने वाले गीत सुनती। लगातार यह सोचती रहती थी कि अभी नहीं तो कभी नहीं।

अगर अब चूक गई तो अगले एशियन गेम्स चार साल बाद आएंगे, इतने लंबे वक्त में क्या होगा, कौन कह सकता है? इंडोनेशिया पहुंचते ही मेरे दांत में असहनीय दर्द शुरू हो गया। दाहिना गाल सूज गया। एक बार फिर ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि शायद हिस्सा नहीं ले सकूंगी, लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय करके अपने दर्द की अनदेखी की। पहले दिन हैप्ताथलॉन के चार इवेंट में मैं पिछड़ गई, लेकिन मेरे दिमाग में था कि उसे भूलकर बचे तीन इवेंट में बेस्ट देना है।

मेडल वितरण के समय जब भारत का तिरंगा सबसे ऊपर लहराया तो वह मेरे जीवन में सबसे गौरव का क्षण था। अब मेरी नजर 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक पर है, वहां से देश के लिए पद लाने का सपना है।

विधि का चक्र कहते हैं जो तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ की लाट से लिया गया है। इस चक्र में 24 आरे या तीलियों का अर्थ है कि दिन— रात्रि के 24 घंटे जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। भारतीय ध्वज में निम्न अनुमानित रंगों के अंतरण प्रयोग होते हैं। ध्वज में जो केसरिया, श्वेत, हरा तथा नीला रंग है वह एचटीएमएल आर.जी.बी व वेब रंगों में सीएमवाइके के समकक्ष डाई रंग और पेन्टोन के बराबर संख्या हल है।

भारत के गणतंत्र बनने के उपरांत, भारतीय मानक ब्यूरो ने 1951 में पहली बार ध्वज की कुछ विशिष्टताएँ बताईं। ये फिर संशोधित की गयी, जो भारत में मीट्रिक प्रणाली के अनुरूप थी। इन निर्देशों को आगे चलकर संशोधित किया गया। ये दिशा निर्देश अत्यंत कड़े हैं और झंडे के विनिर्माण में कोई दोष एक गंभीर अपराध समझा जाता है, जिसके लिए जुर्माना या जेल या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस द्वारा राष्ट्रध्वज को तैयार करने के तीन दस्तावेज जारी किए गए हैं।

इसमें कहा गया है कि सभी झंडे खादी के सिल्क या कॉटन के होंगे। झंडे बनाने का मानक 1968 में तय किया गया जिसे 2008 में पुनः संशोधित किया गया। तिरंगे के लिए नौ मानक साइज तय किए गए हैं। सबसे बड़ा झंडा 21 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा होता है। सबसे पहले बेंगलुरु स्थित बगालकोट जिले के खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ में कपड़े को बहुत ध्यान से काता और बुना जाता है। इसके बाद कपड़े को तीन अलग—अलग लॉट बनाए जाते हैं। इन को तिरंगे के तीन अलग—अलग रंगों में डाई किया जाता है।

डाई किए हुए कपड़े बेंगलुरु स्थित हुबली इकाई में भेज दिए जाते हैं। यहां इन्हें अलग—अलग साइज के अनुसार काटा जाता है। कटे हुए कपड़े को हुबली में ही सिला जाता। यहां लगभग 40 महिलाएं प्रतिदिन 100 के करीब झंडे सिलती हैं। कटे हुए सफेद कपड़े पर चक्र प्रिंट किया जाता है। इसके बाद तिरंगे की तीनों रंग के कपड़े की सिलाई की जाती है। सिलाई के बाद कपड़े को प्रेस किया जाता है। केवल खादी या हाथ से काता गया कपड़ा ही झंडे के लिए उपयुक्त माना जाता है।

खादी के लिए कच्चा माल केवल कपास, रेशम और ऊन हैं। झंडा बनाने में दो तरह के खादी का उपयोग किया जाता है, एक वह खादी, जिससे कपड़ा बनता है और दूसरा है खादी—टाट, जो बेज रंग का होता है और खम्भे में पहनाया जाता है। खादी टाट एक असामान्य प्रकार की बुनाई है जिसमें तीन धागों के जाल जैसे बनते हैं। यह परम्परागत बुनाई से भिन्न है, जहां दो धागों को बुना जाता है। इस प्रकार की बुनाई अत्यंत दुर्लभ है, इस कौशल को बनाए रखने वाले बुनकर भारत में एक दर्जन से भी कम हैं।

दिशा निर्देश में यह भी बताया गया है कि प्रति वर्ग सेंटी मीटर में 150 सूत्र होने चाहिए, इसके साथ ही कपड़े में प्रति चार सूत्र और एक वर्ग फुट का शुद्ध भार 205 ग्राम ही होना चाहिये। इस बुनी खादी को दो इकाइयों से प्राप्त किया जाता है, वर्तमान में, हुबली में स्थित कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ को ही एक मात्र लाइसेंस प्राप्त है जो झंडा उत्पादन और आपूर्ति करता है।

यद्यपि भारत में झंडा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की अनुमति खादी विकास और ग्रामीण उद्योग आयोग द्वारा दिया जाता है परन्तु यदि दिशा—निर्देशों की अवज्ञा की गयी तो बीआईएस को इन्हें रद्द करने के सारे अधिकार प्राप्त हैं। बुनाई पूरी होने के बाद, सामग्री को परीक्षण के लिए बीआईएस प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है। कड़े गुणवत्ता परीक्षण करने के बाद, यदि झंडा अनुमोदित हो जाता है तो उसे कारखाने वापस भेज दिया जाता है। तब उसे प्रक्षालित कर संबंधित रंगों में रंग दिया जाता है।

केंद्र में अशोक चक्र को स्क्रीन मुद्रित, काढा जाता है। विशेष ध्यान इस बात को दिया जाना चाहिए कि चक्र अच्छी तरह से मिलता हो और दोनों तरफ ठीक से दिखाई देता हो। बीआईएस झंडे की जांच करता है और तभी वह बेचा जा सकता है। भारत में सालाना लगभग चार करोड़ झंडे बिकते हैं। भारत में सबसे बड़ा झंडा राज्य प्रशासनिक मुख्यालय, महाराष्ट्र के मंत्रालय भवन से फहराया जाता है।

भारतीय ध्वज संहिता भारत के राष्ट्रीय प्रतीक ध्वज तिरंगा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट राष्ट्र गान जन गण मन राष्ट्र गीत वन्दे मातरम पशु बाघ जलीय जीव गंगा डालफिन पक्षी मोर पुष्प कमल वृक्ष बरगद फल आम खेल मैदानी हॉकी राष्ट्रीय प्रतीक भारतीय दूतावास, लन्दन को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया

अगर ऐसा होता, तो यह एक गलत उदारण बनता। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी तीस्ता नदी के मुद्दे पर बांग्लादेश के साथ संबंधों के मामले में राजनीतिक दबाव बनाती रहती हैं। हालांकि, यह भी सच है कि क्षेत्रीय राजनीति जितनी भारत में हो रही है, उससे कहीं ज्यादा श्रीलंका के भीतर हो रही है। श्रीलंका की सरकार ने बहुमत सिंघलियों की राजनीति करते हुए अल्पसंख्यक तमिलों की उपेक्षा की नीति को नहीं छोड़ा है।

तमिलों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच की मांग को उसने कभी ठीक ढंग से पूरा नहीं किया। तमिल समस्या के राजनीतिक समाधान को लेकर तो वहां की सरकार कतई गंभीर नहीं दिख रही। इन हालात से नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे विदेश नीति के नियामक अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्हें यह भी पता है कि श्रीलंका जिस तरह का पड़ोसी है और उसका जो सामरिक महत्व है, उसमें उससे सारे रिश्ते सिर्फ एक मुद्दे के आधार पर बनाए या बिगाड़े नहीं जा सकते।

वे ये भी देख रहे हैं कि श्रीलंका काफी तेजी से चीन की ओर खिसक रहा है। ऐसे में, भारत के पूरी तरह श्रीलंका के खिलाफ खड़े होने का अर्थ है, उसे चीन के पाले में धकेल देना। पाकिस्तान तो जैसे इसी का इंतजार कर रहा है। दूसरे, भारत श्रीलंका के खिलाफ ऐसा कोई रवैया नहीं अपनाना चाहेगा, जो कश्मीर पर उसके रवैये के उलट जाता हो। जिन इतालवी नौसैनिकों पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोप है, उनकी वापसी से एक राजनयिक संकट निपट गया है।

यह संकट अभूतपूर्व इस मायने में था कि ऐसी नजीर ताजा इतिहास में कहीं नहीं मिलती, जिसमें कोई देश दूसरे देश के सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई वायदा करे और फिर उससे मुकर जाए। ऐसे में भारत को अंदाजा नहीं हो सकता था कि इस स्थिति का कैसे सामना किया जाए। भारत और इटली के संबंध कभी खराब नहीं रहे हैं, लेकिन इस प्रसंग से बेमतलब की कड़वाहट रिश्तों में स्थायी रूप से आ जाती।

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में इटली के राजदूत डेनियल मेनसिनी के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी थी, हालांकि विशेषज्ञों में ऐसे कदम पर भी मतभेद थे। अगर राजनयिक स्तर पर बातचीत का यह नतीजा निकला है कि दोनों नौसैनिक भारत आ रहे हैं, तो यह एक अच्छी बात है, क्योंकि आपसी बातचीत से ही कोई हल मुमकिन भी था। इसके अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आ रहा था। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के बयान से यह मालूम होता है कि इटली की सरकार को यह आश्वासन दिया गया है कि दोनों नौसैनिकों को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा और मुकदमा पूरा होने तक उन्हें गिरफ्तार न करने का भी आश्वासन दिया गया है, यानी जब तक मुकदमा चलता रहेगा, वे दोनों जहाजी इटली के दूतावास की छत्रछाया में रहेंगे।

लेकिन यह साफ है कि दोनों भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने पेश होंगे और उनके दोषी या निर्दोष होने का फैसला भारतीय अदालतें ही करेंगी। अगर मृत्युदंड न देने की बात है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। दुनिया के अधिकांश देशों में मृत्युदंड का प्रावधान खत्म किया जा चुका है और ये देश यह भी चाहते हैं कि उनके नागरिकों को किसी और देश में भी मृत्युदंड नहीं मिले। जब माफिया डॉन अबू सलेम का पुर्तगाल से प्रत्यर्पण हुआ था, तब यही आश्वासन पुर्तगाल सरकार को भी दिया गया था।

मुमकिन है कि इटली ने आरोपी नौसैनिकों को पहले न भेजने का फैसला इसीलिए किया हो, ताकि दबाव बनाकर कुछ शर्तें मंजूर करा ली जाएं। हमारे सोचने के लिए एक मुद्दा तो इसमें यह है कि भारतीय तंत्र की, जिसमें कानून—व्यवस्था को संभालने वाली संस्थाएं व न्याय प्रणाली शामिल हैं, ऐसी छवि क्यों है कि किसी विदेशी सरकार को अपने नागरिकों को भेजने के पहले कुछ आश्वासनों की जरूरत महसूस होती है। क्यों हमारे तंत्र में यह सहज आश्वासन शामिल नहीं है कि इसका सामना करने वाले व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी? भारतीय पुलिस की छवि, अदालतों में लगने वाला समय और जेलों की हालत ऐसी है कि कम से कम यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि किसी अभियुक्त के साथ मानवीय व्यवहार के साथ न्याय होगा। इतालवी सरकार तो अपने नागरिकों के लिए यह आश्वासन ले सकती है, लेकिन जो लाखों—करोड़ों भारतीय इस तंत्र की मार झेलते हैं, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन गारंटी लेगा?

उनकी नजर में देश के बहुत सारे वर्ग और समूह हैं भी नहीं। जिस तरह की उदारता देश चलाने के लिए चाहिए, वह भी उनके वक्तव्यों में नहीं दिखती। भारत में सबको साथ लेकर चलना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब समाज के तमाम वर्ग अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा मुखर हो रहे हैं।

मोदी ने निश्चय ही गुजरात में एक अच्छे प्रशासक होने का सबूत दिया है, लेकिन वह सबूत अधूरा है, क्योंकि अब भी वह समाज के सभी तबकों को साथ लेने की उदारता नहीं दिखा पाए हैं। देश सिर्फ अच्छे प्रशासन से नहीं, अच्छे लोकतांत्रिक नेतृत्व से चलता है और इसका पहला सबूत उन्हें अपनी पार्टी और गठबंधन में ही देना होगा, तभी वह देश पर राज कर पाएंगे।

मीडिया में छा जाना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन प्रचार और वाहवाही को सचमुच राष्ट्रीय सत्ता में बदलना बहुत जटिल और कठिन काम है। कहा जाता है कि लक्ष्य पर हमला करने वाले मानव रहित अमेरिकी विमान ड्रोन ने अब तक जितने लोगों को मारा है, उसने कई विवादों को जन्म दिया है।

ड्रोन हमलों को लेकर कभी संप्रभुता का मामला उठता है और कभी बेकसूर नागरिकों को निशाना बनाए जाने का। ड्रोन हमले हमेशा से ही इस वजह से विवाद में आते रहे कि उनसे किसको निशाना बनाकर मारा गया। लेकिन इस बार ड्रोन हमले आतंकवादियों को देखकर उनकी तरफ से आंख मूंद लेने के लिए विवाद में आए हैं। इसे लेकर सामने आया नया खुलासा भारत के लिए बहुत बड़ा अर्थ रखता है। हालांकि, अमेरिकी मीडिया इस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा।

द वे ऑफ द नाइफ नाम की किताब में बताया गया है कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों में आतंकवादियों के ठिकानों और प्रशिक्षण शिविरों पर ड्रोन हमलों के लिए पाकिस्तान और अमेरिका में बाकायदा एक समझौता हुआ था। अमेरिकी सेना को ड्रोन हमलों की इजाजत देने के लिए पाकिस्तान सरकार ने यह शर्त रखी कि ये हमले उन प्रशिक्षण शिविरों पर नहीं किए जाएंगे, जो पाक अधिकृत कश्मीर में चलाए जा रहे हैं। ये वही शिविर हैं, जहां पाकिस्तान भारतीय कश्मीर में भेजने के लिए आतंकवादी तैयार करता है। यह खुलासा एक साथ कई चीजें बताता है।

एक तो यह कि पाकिस्तानी इलाके में हर ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान इस बात पर हंगामा करता है कि यह उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। जाहिर है कि यह हंगामा एक नाटक है। लेकिन यह कोई नई बात नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इस कला में महारत हासिल कर चुका है। असली बात यह है कि समझौता बताता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी शिविर अब भी बाकायदा काम कर रहे हैं और इसकी जानकारी पाकिस्तान ने अमेरिका को दे दी है।

दुनिया भर से आतंकवाद का खात्मा करने की कसमें खाने वाला अमेरिका उसे जानकर आंखें मूंदने का वायदा कर चुका है। यह वही अमेरिका है, जिसने भारत से आग्रह किया था कि वह उत्तरी सीमा से तनाव कम करे, ताकि पाकिस्तानी सेना अफगान सीमा से सटे इलाके पर ध्यान दे सके। यानी वह तनाव कम करने का दबाव भारत पर तो डाल रहा था, लेकिन उसने हालात का सच जानते हुए भी पाकिस्तान को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया था। वैसे कोई बड़ी बात नहीं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तालिबान को प्रशिक्षण देने वाले कुछ शिविर ड्रोन हमलों से बचाने के लिए कबायली इलाकों से हटाकर पाक अधिकृत कश्मीर में स्थानांतरित भी कर दिए हैं।

यह अमेरिका जानता है कि तालिबान पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार रहे हैं, भारत के खिलाफ भी, अफगानिस्तान के खिलाफ भी और खुद अमेरिका के खिलाफ भी। यह सब तब है, जब भारत ने अफगानिस्तान में नाटो देशों के बाद अमेरिका को सबसे ज्यादा मदद दी है। अमेरिका चाहे कहे कुछ भी, लेकिन एक बात सच है कि वह अफगानिस्तान में अपनी और सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। पहले वह अल कायदा के खात्मे की लड़ाई लड़ रहा था और अब वह खुद को इस पचड़े से बाहर निकालने की लड़ाई लड़ रहा है। और अपने असर के चलते उसने इन दोनों ही चरणों में भारत समेत दुनिया के कई देशों का इस्तेमाल किया है। हालांकि, भारत ने अफगानिस्तान से संबंधित जो भी नीति अपनाई या वहां जो कुछ भी किया,

भारत में बैंकों को पहली बार निजी और खुदरा कर्ज का फायदा समझ में आया और उन्होंने वाहनों के लिए कर्जों की खूब मार्केटिंग की। पिछले दो-तीन सालों में स्थिति उलट गई, यानी लगातार कर्ज महंगे होते चले गए। बढ़ती ब्याज दरों से महंगाई पर असर हुआ हो या न हुआ हो, उपभोक्ताओं की मांग जरूर घट गई।

तेजी से बढ़ती ब्याज दरों ने आम लोगों का आत्मविश्वास घटा दिया। महंगे कर्जों से उद्योग की लागत भी बढ़ गई, साथ ही कच्चे माल, जैसे इस्पात की कीमत ज्यादा हो गई। बाकी कसर पेट्रोल के आसमान छूते दामों ने पूरी कर दी।

इससे कारों, खासकर आम मध्यवर्गीय परिवारों के इस्तेमाल वाली कारों की मांग घटती चली गई। ऐसे में, दिलचस्प बात ऐसे हालात में एसयूवी की खपत बढ़ना है। यह अजीब है कि जब विकसित देशों में लोग एसयूवी छोड़कर छोटी कारों की ओर लौट रहे हैं, तब भारत में एसयूवी का बाजार गरम हो रहा है।

शायद इसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले एक-दो सालों में कई कंपनियों ने एसयूवी के नए मॉडल बाजार में लाए हैं, जिनकी कीमत एक मध्यम श्रेणी की कार के आसपास है। अब तक एसयूवी अमीरों, खासकर नवधनाढ्यों और काले पैसे वालों का वाहन होता था, अब जो लोग मध्यम श्रेणी की कार खरीद सकते थे, एसयूवी उनकी जद में आ गई, इसलिए काफी लोगों ने एसयूवी खरीदना पसंद किया। एसयूवी चलाना फिलहाल किसी ठीक-ठाक पेट्रोल कार से भी सस्ता पड़ सकता है, क्योंकि अब भी पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी अंतर है।

अब अगर कुल जमा अर्थव्यवस्था सुधरी और आम जनता का आत्मविश्वास लौटा, तो धीरे-धीरे इस उद्योग में भी तेजी लौटेगी। पिछले कुछ वर्षों से कार भारतीयों के लिए सिर्फ वाहन नहीं है, बल्कि नई अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बना लेने का प्रतीक रहा है। निजी कार उदारीकरण के बाद फैलते हुए भारतीय मध्यवर्ग की पहचान है, और इस उद्योग के नतीजों से आम भारतीयों के मिजाज का भी पता चलता है। पटना की जुड़े सिर वाली दो बहनों को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है।

अदालत ने कहा है कि उनका परिवार सजरी के जरिये दोनों को अलग करने का खतरा नहीं उठाना चाहता, इसलिए उनकी इच्छा का सम्मान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से उन दोनों बहनों की देखभाल के लिए पांच हजार रुपये महीना देने को कहा है और यह भी कहा है कि हर महीने पटना के एक वरिष्ठ डॉक्टर उनकी जांच करें। इन बहनों के परिवार की आर्थिक स्थिति निम्न मध्यमवर्गीय है। ऐसे में, उन्हें आर्थिक सहायता एक अच्छा मानवीय फैसला है।

17 वर्ष की इन दोनों बहनों की सजरी हो सकती है और इसके लिए आर्थिक सहायता भी मिल जाएगी, लेकिन इस सजरी के खतरों की वजह से परिवार यह नहीं चाहता। सबसे बड़ा खतरा यह है कि दोनों बहनों में से एक ही बच पाए और यह विकल्प किसी भी परिवार को मंजूर नहीं हो सकता। दोनों बहनों के दिमाग अलग-अलग हैं, लेकिन गुर्दे सिर्फ एक बहन के हैं। अगर इन्हें सजरी करके अलग किया गया, तो वह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि इनके शरीर के तमाम कार्य-व्यापार जुड़े हुए हैं।

इनके सिरों की हड्डियां भी जुड़ी हुई हैं और उन्हें अलग करने से दिमाग को खतरा हो सकता है। मौजूदा स्थिति में उनका जीवन सामान्य तो नहीं है, लेकिन कोशिश यही की जा सकती है कि वह यथासंभव सामान्य-सा बना रहे। आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था की आलोचना में एक बात यह कही जाती है कि यह व्यवस्था मरीज या उसके परिजनों की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करती। यह तंत्र इतना ताकतवर है कि वह तय करता है कि कौन बीमार है और कौन स्वस्थ और किसका, क्या इलाज करना चाहिए। महात्मा गांधी शायद पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने कहा था कि अपना स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी और अधिकार है और आधुनिक चिकित्सा तंत्र इसका हनन करता है। जिन समृद्ध समाजों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ज्यादा मजबूत है, वहां कभी-कभी तंत्र का यह हस्तक्षेप और व्यक्ति की असहायता अक्सर दिक्कत भी पैदा करती है।

अगर आपको लगता है कि आप बीमार हैं और डॉक्टर इसे नहीं मानता, तो आपका इलाज नहीं हो सकता और अगर आप खुद को स्वस्थ मानते हैं और डॉक्टर सोचता है कि आपको एक महीना अस्पताल में रहना चाहिए, तो आपको जबर्दस्ती अस्पताल में भरती करवा दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुस्साहस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन किसान आंदोलन के बीच में किसानों के मुद्दे पर इतना बड़ा दुस्साहस करने की कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। सोमवार को राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि कृषि कर्ज माफी किसानों के भले का नहीं, केवल चुनावी कार्यक्रम है।

माना जाता है कि 2009 में यूपीए के दोबारा सत्ता में आने की सबसे बड़ी वजह 2008 के बजट में की गई कृषि कर्ज माफी ही रही और सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट बिगाड़ने में 2008 के बजट में तब के वित्त मंत्री पी चिदंबरम की कर्ज माफी का एलान भी महत्वपूर्ण रहा और कमाल की बात कि इससे छोटे और सीमांत किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ।

इसके बाद उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने भी कृषि कर्ज माफी कर दी और दूसरे राज्यों में भी किसानों ने कर्ज माफी के लिए सरकारों पर दबाव बनाया, जो अभी भी गाहे-बगाहे दिखता रहता है। इसका मतलब अगर चार करोड़ किसानों को कर्ज माफी का लाभ हुआ मान लें तो भी देश का करीब 10 करोड़ किसान इस लाभ से वंचित रह गया। इसी का जिक्र सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर बात करते हुए किया था।

देश में किसानों और बैंकों की दशा बिगाड़ने वाले 2008 के बजट से जुड़ा एक अत्यावश्यक संदर्भ याद आ रहा है, जिसका जिक्र जरूरी है। एक समाचार टीवी चैनल पर उसके प्रबंध संपादक प्रतिवर्ष बजट के बाद वित्त मंत्री का साक्षात्कार किया करते थे या यूँ कहें कि वह सालाना केवल एक ही साक्षात्कार करते थे, जिसका इंतजार सबको रहता था।

खासकर बजट में की गई घोषणा को ठीक से समझने के लिए। 28 फरवरी 2008 के बजट के बाद तब के वित्त मंत्री पी चिदंबरम का साक्षात्कार वह संपादक कर रहे थे। साक्षात्कार लाइव चल रहा था। साक्षात्कार शुरू ही हुआ था कि पी चिदंबरम उठकर खड़े हो गए। तमतमाए हुए चिदंबरम को संपादक ने संभालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे।

दरअसल, उस संपादक ने पी चिदंबरम से बजट में कर्ज माफी से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव और बैंकों को होने वाले घाटे की भरपाई के इंतजाम से सवाल की शुरुआत कर दी थी और दो बार चिदंबरम ने उस सवाल को टालने की कोशिश की, लेकिन तीसरी बार घुमाकर सवाल पूछने पर चिदंबरम बुरी तरह से नाराज हो गए और उठकर चल दिए। इसके बाद बड़ी मुश्किल से चिदंबरम दोबारा साक्षात्कार देने को तैयार हुए और उस प्रश्न को बाहर रखने की शर्त पर ही तैयार हुए।

देश का हर अर्थशास्त्री लगातार कहता रहा कि कृषि कर्ज माफी से किसानों का भला नहीं होने वाला और इससे बैंकिंग तंत्र भी ध्वस्त हो जाता है। इसी से समझा जा सकता है कि कृषि कर्ज माफी कितना बड़ा चुनावी कार्यक्रम था और इससे किसानों का कतई भला नहीं होता था। वरना तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम तो खुश होते कि इस पर तीन प्रश्न ही क्यों, पूरा साक्षात्कार इसी पर होना चाहिए।

इस संदर्भ के बाद यह समझना और आसान हो गया है कि प्रधानमंत्री का कृषि कर्ज माफी को किसानों के हितों के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बताना कितना खतरनाक है, लेकिन राजनीतिक दुस्साहस के लिए जाने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवालय से पहले शौचालय की बात करके स्वच्छता अभियान को सफल बना दिया।

एक और छोटा सा संदर्भ याद दिलाने से बात ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने 10 लाख रुपये से ज्यादा सालाना कमाई करने वालों को सब्सिडी खत्म करने का सुझाव मनमोहन सरकार को दिया था और वह प्रस्ताव औपचारिक तौर पर पेश होने से पहले ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। इन संदर्भों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमवार को राज्यसभा में बोलते हुए कृषि कर्ज माफी को खत्म करने की बात कहना अतुलनीय साहस का प्रदर्शन है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ दिल्ली की सीमाओं को किसान घेरकर बैठे हुए हैं।

मालदीव की सबसे बड़ी अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को आतंकवाद के आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट के इस अभूतपूर्व फैसले से लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे नशीद के लिए मालदीव लौटने का रास्ता आसान हो गया है। मालदीव की सर्वोच्च अदालत ने सभी राजनीतिक बंदियों को भी रिहा करने के आदेश दिए हैं।

अदालत के इस निर्णय से मालदीव की राजनीति में तूफान आना तय है। अदालत के इस फैसले से मौजूदा राष्ट्रपति यामीन अब्दुल को झटका लगा है। अब नशीद और उनके समर्थक यामीन का इस्तीफा मांग रहे हैं। राजधानी माले में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को भारत समर्थक माना जाता है। नशीद को 2012 में तख्तापलट कर राष्ट्रपति पद से अपदस्थ कर दिया गया था।

नशीद को 2005 में आतंकवाद के आरोपों में 13 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद वह पिछले वर्ष अपना इलाज कराने लंदन गए थे और उन्होंने वहां शरण ले ली थी। उसके बाद से ही वह स्व-निर्वासन में रह रहे थे। मालदीव के राष्ट्रपति यामीन ने लगभग सभी प्रतिद्वंद्वियों को जेलों में ठूस दिया था।

अगर कोर्ट के आदेश को स्वीकार करते हुए वह राजनीतिक बंदियों को रिहा करते हैं तो विपक्ष को संसद में बहुमत प्राप्त हो जाएगा और ऐसे में राष्ट्रपति यामीन को पद छोड़ना पड़ सकता है। मालदीव की जनता यामीन के मनमाने शासन को खत्म करने की मांग कर रही है। नशीद ने खुद भी सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई और राष्ट्रपति यामीन से इस्तीफे की मांग की है।

भारत और मालदीव के संबंध काफी प्राचीन हैं। मालदीव का भारत के लिए सामरिक महत्व बहुत अधिक है। हिन्द महासागर और प्रशांत महासागर में मालदीव चीन की रणनीति का केन्द्र बना हुआ है। मालदीव पर भारत की ढीली पकड़ मालदीव से ज्यादा भारत के लिए खतरनाक हो सकती है।

अब सवाल यह है कि मालदीव को भारत विरोधी शक्तियों का अड्डा नहीं बनने देने के लिए भारत को कैसी भूमिका निभानी होगी? पहले तो भारत सिर्फ धमकी से ही मालदीव के लोकतंत्र की रक्षा कर लेता था लेकिन नशीद के तख्ता पलट के बाद हालात काफी बदल गए। क्या भारत तटस्थ रह सकता है? यह सवाल उचित है लेकिन ऐसी तटस्थता का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि इससे भारत को ही नुकसान हो सकता है। मालदीव की वर्तमान सत्ता इस समय चीन के चंगुल में है। चीन पड़ोस में भारत को घेर चुका है। हाल ही में मालदीव ने चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जो भारत के लिए बड़ा झटका है।

पाकिस्तान के बाद मालदीव दक्षिण एशिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। वहां चीन के बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं और मालदीव को कर्ज का तीन चौथाई हिस्सा चीन के हाथों मिला है। मालदीव के एक सरकार समर्थक समाचार पत्र में भारत की जबरदस्त आलोचना की गई थी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मुस्लिम विरोधी करार दिया था।

यहां तक कि भारत को दुश्मन देश बताया था। भारत और मालदीव में तनाव तो नशीद के तख्तापलट के बाद से ही चल रहा था। हालांकि मालदीव के विदेश मंत्री ने पिछले माह भारत आकर विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से भेंट की और भारत की चिन्ताओं को दूर करने का प्रयास किया।

भारत बीते एक दशक से मालदीव के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने से बच रहा है, इसका सीधा फायदा चीन ने उठाया। एक दौर था जब दक्षिण एशिया को लेकर भारत की विदेश नीति बेहद आक्रामक थी। यह स्थिति राजीव गांधी सरकार से लेकर नरसिम्हा राव सरकार तक रही। भारत ने वर्ष 1988 में मालदीव में तख्ता पलट की कोशिशों को नाकाम किया था लेकिन इसके बाद से भारत का प्रभाव बेहद कम होता गया। मालदीव एक ऐसा देश है जिसकी चीन के लिए भौगोलिक स्थिति सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चीन के मैरी टाईम सिल्क रूट में मालदीव एक अहम सांझेदार है।

भारत ने मालदीव सरकार से वहां के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने के लिए कहा है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मोहम्मद नशीद मालदीव में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रपति बनने की उपलब्धि पा चुके हैं।

चुनावों के दबाव में वह ज्यादा कठोर फैसले भी नहीं सुना सकते थे। यह प्रतिगामी बजट भी नहीं है। जान-बूझकर चिदंबरम ने इस बार के बजट में कोई बड़ी घोषणा या फैसला करने से परहेज किया है, ताकि विवाद न हो। दरअसल, पिछले साल वित्त मंत्री बनने के बाद ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले कर डाले थे। उसके बाद वह लगातार वित्त मंत्रालय के कामकाज में कुछ न कुछ बदलाव करते रहे हैं।

मसलन, उन्होंने बड़े स्तर पर सरकारी खर्च घटाने की मुहिम चलाई। इसका नतीजा यह हुआ कि वित्तीय घाटा अपेक्षित स्तर पर ही रहा। इससे यह भी उम्मीद मजबूत होती है कि अगले साल घाटा 4.8 प्रतिशत रखने का इरादा भी पूरा किया जाएगा। अगर ये आंकड़े धीरे-धीरे सामने आते हैं, तो निवेशकों का विश्वास लौटेगा और अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकेगी। निवेश अलाउंस बहाल करने का फैसला भी बड़े निवेशकों को आकर्षित करेगा।

विदेशी निवेश को बढ़ाने में 'गार' के बारे में वित्त मंत्री का रवैया फायदेमंद होगा। इसके अलावा, कई छोटे-छोटे फैसले हैं, जो निवेशकों की दिक्कतें कम करेंगे। अगर ब्याज दरें कुछ और गिरती हैं, तो यह उम्मीद की जा सकती है कि निवेश बढ़ेगा और विकास की गति भी तेज होगी। कुछ बड़े कदम खेती के बारे में उठाने जरूरी थे, क्योंकि वित्त मंत्री ने खुद कहा कि खाद्य पदार्थों की महंगाई एक बड़ा मुद्दा है।

बाकी क्षेत्रों में महंगाई काफी कम हुई है, लेकिन खाने-पीने की चीजों में यह बढ़ रही है। जैसा कि बार-बार कहा जा रहा है कि यह महंगाई मांग और पूर्ति के बीच असंतुलन से है, यानी इसको ठीक करने के लिए उत्पादन व वितरण बेहतर करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी हरित क्रांति की चर्चा तो कब से चल रही है, लेकिन देश के कई इलाके अभी पहली हरित क्रांति का ही इंतजार कर रहे हैं।

इस बजट में खाद्य सुरक्षा को लागू करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वह ठीक से लागू हो, ताकि सचमुच वह 'गेम चेंजर' साबित हो सके। मध्यवर्ग का ध्यान मुख्यतः महंगाई और टैक्स दरों पर होता है। इन दिनों टैक्स दरों में बहुत बड़ा फर्क नहीं होता, लेकिन अगर हजार-दो हजार रुपये भी बचते हैं, तो मध्यवर्ग के लिए कुछ राहत होती है। इस बजट में थोड़ी-बहुत राहत तो है ही, इसके अलावा मकान के लिए मिलने वाले कर्ज पर भी छूट की सीमा बढ़ा दी गई है।

वित्त मंत्री ने न सरकार की आय बढ़ाने की कोई बड़ी योजना दी है, न ही इस बजट में खर्च का कोई बहुत बड़ा मद घोषित किया है। उम्मीद यही है कि बजट की तमाम छोटी-छोटी बातों और कदमों का जोड़ अर्थव्यवस्था को मजबूत कर पाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बांग्लादेश यात्रा ऐसे वक्त पर हुई है, जब बांग्लादेश एक ऐतिहासिक किस्म की उथल-पुथल से गुजर रहा है। पड़ोसी देश में एक ऐसा विशाल जन-आंदोलन खड़ा हो गया है, जिसे कट्टर तत्वों के खिलाफ किसी भी मुस्लिम देश में पहला जनतांत्रिक आंदोलन कहा जा सकता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी सुरक्षा वजहों से यह यात्रा रद्द करने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे नहीं माना।

राष्ट्रपति ढाका के जिस होटल में रुके थे, उसके बाहर हुआ विस्फोट यह बताता है कि यात्रा में जोखिम कम नहीं था। बांग्लादेश में अपने भाषणों और इंटरव्यू में प्रणब मुखर्जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह लोकतंत्र समर्थक और कट्टरवाद विरोधी ताकतों के साथ हैं। अब तक भारत ने बांग्लादेश के आंदोलन के बारे में तटस्थ रवैया अपना रखा था और इसकी आलोचना भी हुई। इस रवैये के समर्थकों का कहना है कि भारत का मुखर समर्थन लोकतंत्र विरोधी ताकतों को यह दुष्प्रचार करने का मौका देगा कि इस आंदोलन के पीछे भारत है। लेकिन प्रणब मुखर्जी की ऐसे वक्त पर यात्रा और उनके बयानों से अब भारत का पक्ष स्पष्ट हो गया है।

प्रणब मुखर्जी की यात्रा रद्द न करने के पीछे तर्क यह भी हो सकता है कि संप्रग-2 के पास बांग्लादेश के साथ कुछ जरूरी कामकाज निपटाने के लिए अब बहुत कम वक्त बचा है, और अगर अब भी इन मुद्दों को छोड़ दिया गया, तो फिर इन्हें सुलझाने की जिम्मेदारी 2014 के बाद बनी नई सरकार पर आ जाएगी। दो सबसे बड़े मुद्दों का जिक्र राष्ट्रपति ने किया है। पहला बड़ा मुद्दा नदी जल बंटवारे का है। इस मामले में भारत सरकार पिछले साल ही पहल करना चाहती थी,

इसलिए वह भी लगभग बीस साल नंबर एक गायक बने रहे। इन सब वजहों से मन्ना डे ने किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के मुकाबले कम गीत गाए, लेकिन उनके गीतों में चलताऊ गीत कम हैं। जितने भी गीत उन्होंने गाए हैं, लगभग सभी यादगार हैं।

फिल्मी गीत किसी एक आदमी की रचना नहीं होता, उसमें गीतकार, संगीतकार, गायक, सभी की मिली-जुली प्रतिभा और रचनात्मकता होती है, लेकिन उस दौर के गीतों में हर व्यक्ति की अलग रचनात्मक पहचान दिखती थी।

गाना सुनकर यह बताया जा सकता था कि इसका गीतकार कौन होगा, संगीत किसका होगा और कौन गायक है। गाने कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम से निकले और एक जैसे नहीं होते थे, जैसे आजकल होते हैं, जिनमें किसी कलाकार की कोई पहचान नहीं होती।

ऐसे दौर में अत्यंत प्रतिभाशाली गायकों के बीच मन्ना डे ने अपनी पहचान बनाई, जिसके चलते संगीतकार उनकी आवाज के अनुकूल धुनें बनाते थे या कठिन रचनाएं गाने के लिए उन्हीं पर भरोसा करते थे। सत्तर के दशक के बाद फिल्मी संगीत में किसी कारखाने के उत्पाद की तरह की एकरसता आने लगी और ऐसे संगीतकार भी कम होते गए, जो मन्ना डे के गाने लायक संगीत रचना बना सकें।

उनके गाने दिनोंदिन कम होते गए, हालांकि यह नहीं कह सकते कि उनकी लोकप्रियता कम हुई। पिछले लंबे दौर से उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह रहा था और वह बंगलुरु में अपनी बेटी के घर रहने लगे थे। मन्ना डे बहुत अनुशासित और मेहनती कलाकार थे और कभी किसी विवाद में उनका नाम नहीं आया। आजादी के तुरंत बाद जिस पीढ़ी ने नए भारत की रचना की और तमाम क्षेत्रों में अपने सृजन की छाप छोड़ी, मन्ना डे उस पीढ़ी के गौरवशाली प्रतिनिधि थे और उन्हें हर संगीत प्रेमी हमेशा याद करता रहेगा। सरदार पटेल को लेकर जिस तरह का वाक्युद्ध कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रहा है, उसके पीछे कई राजनीतिक कारण हैं।

कुछ लोगों को लगता है कि जैसे जवाहरलाल नेहरू कुछ वामपंथ की ओर झुके हुए थे, वैसे सरदार पटेल का झुकाव हिंदुत्व की ओर था। नेहरू और पटेल के बीच मतभेद किसी से छिपे नहीं हैं, इसलिए कुछ लोग यह मानते हैं कि अगर पटेल प्रधानमंत्री बने होते, तो देश की स्थिति बेहतर होती। भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी चूंकि गुजरात से हैं, इसलिए भी वह पटेल को ज्यादा जोर-शोर से अपनाने में लगे हुए हैं। एक मायने में यह अच्छा भी है, क्योंकि इस बहाने सरदार पटेल पर फिर से चर्चा शुरू हुई है।

नई पीढ़ी सरदार पटेल के बारे में कम ही जानती है और जिस स्तर पर यह विवाद चल रहा है, उसे देखते हुए यह भी लगता है कि आजकल के नेता भी उस दौर के नेताओं को कम जानते हैं। एक बात नेहरू और पटेल के मतभेदों के बारे में जानना जरूरी है। ये दोनों नेता आदर्शवादी और सुसंस्कृत लोग थे और तमाम मतभेदों के बावजूद दोनों का उद्देश्य एक मजबूत और लोकतांत्रिक देश बनाना था। महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल के बीच हुए पत्र-व्यवहार को पढ़ने से यह समझ में आता है कि ये नेता एक-दूसरे का कितना सम्मान करते थे और मतभेदों को हमेशा संयत और विनम्र ढंग से ही पेश करते थे।

सरदार पटेल कांग्रेस के उन बड़े नेताओं में से एक थे, जिन्हें महात्मा गांधी राजनीति में लाए। वकालत की शानदार प्रैक्टिस कर रहे व आलीशान जिंदगी जी रहे पटेल की प्रतिभा को गांधीजी ने पहचाना और उन्हें राजनीतिक कर्म का प्रशिक्षण दिया। ऐसे ही एक अन्य नेता राजेंद्र प्रसाद थे। इसलिए इन दोनों नेताओं के जीवन और कर्म पर गांधीजी का गहरा असर था। ऐसे में, वे सांप्रदायिक दुराग्रहों से ग्रस्त नहीं हो सकते थे।

यह सही है कि जवाहरलाल नेहरू ज्यादा आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे और कुछ मामलों में कम व्यावहारिक थे, उनके मुकाबले पटेल ज्यादा जमीनी, व्यावहारिक और कुछ सख्त व्यक्तित्व के नेता थे, लेकिन इसी वजह से ये दोनों परस्पर पूरक थे। बतौर गृह मंत्री पटेल की स्वायत्तता का नेहरू ने हमेशा खयाल किया और बतौर प्रधानमंत्री नेहरू का पटेल ने हमेशा सम्मान किया।

इनके मतभेदों के अतिरिक्त और काल्पनिक किस्सों के जरिये समाज में झगड़ा बढ़ाने की बजाय आज की राजनीति में इन महापुरुषों से कुछ सीख ली जाए, तो बेहतर होगा। सबसे बड़ी सीख तो यही ली जा सकती है

भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर जो बहस खड़ी की नरेंद्र मोदी को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें उनके साथ हर वक्त एनएसजी यानी नेशनल सिक्युरिटी गार्ड के 36 कमांडो होते हैं। विवाद यह है कि भाजपा उन्हें प्रधानमंत्री के स्तर की सुरक्षा देने की मांग कर रही है और सरकार का कहना है कि जितनी सुरक्षा उन्हें मिली हुई है, वह काफी है।

एनएसजी सुरक्षा के अलावा गुजरात पुलिस के 25 जवान भी नरेंद्र मोदी को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। नरेंद्र मोदी बेशक उन लोगों में से हैं, जिन्हें जान का खतरा है और पटना में उनकी जनसभा में बम विस्फोट के बाद तो यह ज्यादा साफ हो गया है। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि वे कई आतंकवादी संगठनों के निशाने पर हैं। लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री स्तर की सुरक्षा देने की मांग उनका राजनीतिक कद बढ़ाने व सरकार के साथ एक और विवाद खड़ा करने की कोशिश ज्यादा लगती है।

सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि अगर जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा भी किसी के लिए कम है, तो फिर एसपीजी सुरक्षा से उसमें कितना फर्क आ जाएगा? या तो हम यह मानें कि राजनीति और रसूख के लिए इस्तेमाल से हमारे सुरक्षा तंत्र की इतनी बुरी हालत हो गई है कि जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, सिर्फ एसपीजी सुरक्षा ही भरोसे के काबिल है।

पटना में जो घटना हुई, उसके संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि वह सुरक्षा इंतजामों में चूक की वजह से हुई है, इसका सुरक्षा की श्रेणी से उतना संबंध नहीं है। बड़ी जनसभा भले ही किसी भी नेता या संगठन की हो, उसमें सुरक्षा के जो भी जरूरी इंतजाम किए जाने चाहिए, वे उस मौके पर नहीं किए गए थे। सामान्य तलाशी और मेटल डिटेक्टर का इंतजाम भी वहां नहीं था। उसी दिन रेलवे स्टेशन पर बम फटने के बावजूद पुलिस ने अपनी चौकसी नहीं बढ़ाई।

इन सबके पीछे भी वही वजह है कि सुरक्षा के लिए राजनीति और रसूख को आधार बनाया जाता है, जमीनी वास्तविकता को नहीं। इसका सबसे बुरा असर आम आदमी की सुरक्षा पर पड़ता है, क्योंकि उसकी राजनीतिक हैसियत और रसूख तो कुछ नहीं होता, इसलिए उसकी सुरक्षा लगभग नहीं की श्रेणी में आती है। पटना में हुए बम विस्फोटों का शिकार भी आम लोग ही बने थे।

नेताओं की सुरक्षा का स्तर बढ़ाते जाने की प्रवृत्ति का एक असर यह भी हुआ है कि सामान्य कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति बदतर होती जा रही है। नेताओं की सुरक्षा की बुनियादी शर्त यह है कि आम तौर पर देश में कानून व्यवस्था का इंतजाम चौकस रहे। अगर ऐसा हुआ, तो नेताओं को इतने तामझम की जरूरत ही नहीं रहेगी। नरेंद्र मोदी की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और उस पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन इसे प्रतिष्ठा का सवाल बनाने से उसी प्रवृत्ति को बल मिलेगा, जिसने हमारे देश के सुरक्षा तंत्र को तटस्थ और पेशेवर नहीं बनने दिया।

सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों को ही ऐसे मामलों में कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। रेशमा के निधन के साथ भारतीय उपमहाद्वीप ने एक महान कलाकार और असाधारण व्यक्तित्व को खो दिया है। रेशमा जितनी पाकिस्तान में लोकप्रिय थीं, उतनी ही भारत में भी उनकी लोकप्रियता थी। उनकी लोकप्रियता और श्रोताओं तक पहुंच राजनीतिक बंटवारे के बावजूद हमारी साझा संस्कृति की ताकत को दिखाती है। रेशमा का जन्म देश के बंटवारे के आसपास ही राजस्थान के बीकानेर जिले में हुआ था।

वह घुमंतू बंजारा जनजाति समुदाय की थीं और बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान के लाहौर में बस गया। वह अशिक्षित थीं और संगीत की औपचारिक शिक्षा भी उन्हें नहीं हासिल हुई थी। कुछ ही दिनों पहले दिवंगत हुए गायक मेंहदी हसन भी राजस्थान में पैदा हुए थे। रेशमा की असाधारण प्रतिभा को दरगाहों पर गाते-गाते पहचान मिली और इसमें कोई शक नहीं कि वह हमारे जमाने की सबसे बड़ी संगीत प्रतिभाओं में से एक थीं।

भारत में फिल्म संगीत की असाधारण पहुंच और शास्त्रीय संगीत के विकास के बीच संगीत की अन्य विधाएं पनप नहीं पाईं।

दूसरी बड़ी समस्या यह है कि एकाध बार किसी छोटे-मोटे अपराध में पकड़े गए बच्चों और बार-बार गंभीर अपराध करने वाले बच्चों में फर्क करना और उन्हें अलग-अलग रखना जरूरी है, जो मौजूदा हालात में नहीं होता। ऐसे में शातिर अपराधी बच्चे दूसरे बच्चों पर वैसे ही अत्याचार करते हैं जैसे जेलों में बड़े अपराधी छोटे मोटे अपराधियों पर करते हैं।

कभी कभी बाल सुधार गृह बच्चों को सुधारने की बजाय उन्हें शातिर अपराधियों की संगत में पक्के अपराधी बना डालते हैं। इसलिए कोई छोटा-मोटा अपराध किए बच्चों और गंभीर अपराध करने वाले बच्चों में फर्क करना जरूरी है वैसे ही एकाध अपराध किए बच्चों और आपराधिक रिकॉर्ड वाले बच्चों में फर्क करना भी जरूरी है।

किसी अपराधी की उम्र तय करने के मानकों पर भी विचार किया जाना चाहिए। स्कूल प्रमाणपत्र को निस्संदेह प्रमाण मानना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि हमारे देश में जन्म प्रमाणपत्र लेने का चलन अब बढ़ा है, आम तौर पर स्कूल में भर्ती के वक्त जो उम्र बता दी जाती है, वही सच मान ली जाती है और भारत में उम्र कम दर्ज करने का चलन बहुत आम है।

अगर बच्चे अपराधी बनते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी समाज की भी है। यह भी समाज और सरकार की जिम्मेदारी है कि एकाध अपराध किए बच्चे शातिर अपराधी न बनें बल्कि अच्छे नागरिक बनें। निर्भया और शक्ति मिल मामले में जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उनमें से बहुत सी गुस्से और बदले की भावना से भी आई हैं लेकिन यह भी सच है कि गंभीर अपराध करने वाले बच्चों के मामले में पुनर्विचार की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा कानून से कई समस्याएं भी पैदा हो रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने संसद से कहा है कि वह घरेलू हिंसा अधिनियम में ऐसी तब्दीलियां करे, जिनसे 'लिव इन' रिश्तों में बंधी महिलाओं और उनके बच्चों को भी उसके तहत सुरक्षा मिल सके। अब तक लिव इन रिश्ते का कोई कानूनी आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे मानक सुझाए हैं, जिनके पूरा करने पर लिव इन रिश्ते को भी कानूनन शादी की तरह माना जाए।

लिव इन रिश्ता भारत में नई बात है। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, तब ऐसे किसी रिश्ते की कल्पना नहीं थी। अब कई दंपती इस तरह के रिश्ते में रहते हैं और भविष्य में उनकी तादाद शायद बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। अगर एक निश्चित वक्त से ज्यादा दिनों तक साथ रहने वाले स्त्री-पुरुष के रिश्तों को कानूनन मान्यता मिल सके, तो इससे रिश्ते में भी एक ठहराव और सुरक्षा आएगी और उनके बच्चों के कानूनी अधिकार तय किए जा सकते हैं।

यह भी अजीब बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात एक लिव इन रिश्ते के टूटने पर महिला द्वारा गुजारा भत्ते का दावा टुकराते हुए कही है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि लिव इन रिश्ते की जब मौजूदा कानूनों में कोई वैधता ही नहीं है, तो उसके टूटने को शादी टूटने का दर्जा कैसे दिया जा सकता है? ऐसे में, महिला को गुजारा भत्ता मिलना कानूनन मुमकिन नहीं है। इसीलिए अदालत चाहती है कि इस पर कोई स्पष्ट कानून बनाया जाना जरूरी है।

यह माना जाता है कि लिव इन रिश्ता एक अनौपचारिक समझदारी और जिम्मेदारी पर आधारित है, इसलिए इसे कानून की औपचारिक मान्यता की जरूरत नहीं है। यह बात तब तक ठीक रहती है, जब तक कि आपसी समझ और जिम्मेदारी बनी रहती है। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा यह समझ बनी रहे। दिक्कत तब होती है, जब संबंधों में कड़वाहट आने लगती है। तब ऐसे रिश्ते का टूटना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें शादी जैसी सामाजिक, धार्मिक और कानूनी बंधन नहीं होती।

शादी के मामले में तलाक की प्रक्रिया इतनी जटिल और लंबी होती है कि वह अक्सर शादी को बनाए रखने का कारण बन जाती है। शादी के बंधन में बंधे स्त्री-पुरुष के कानूनी अधिकार साफ-साफ परिभाषित हैं। लिव इन रिश्ते में यह हो सकता है कि दोनों साझा संपत्ति बना लें, यह भी हो सकता है कि उनके बच्चे हो जाएं। ऐसे में, अगर रिश्ता टूटता है, तो ज्यादा मुश्किलें होती हैं। खासकर महिला और बच्चों के कोई कानूनी अधिकार नहीं होते।

केरल हाईकोर्ट ने एस दुर्गा फिल्म के निर्देशक सनत कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए गोवा में चल रहे फिल्म महोत्सव में स्क्रीनिंग की मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दे दिया है कि सीवीएफसी द्वारा सर्टिफिकेट दिए जाने के बाद का संस्करण प्रदर्शित किया जाए। केरल हाईकोर्ट का फैसला लोकतंत्र की जीत है।

फिल्म उद्योग ने भी इसे बड़ी जीत माना है। इस फिल्म के प्रदर्शन का फैसला फिल्मोत्सव के लिए गठित 13 सदस्यीय ज्यूरी ने किया था लेकिन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ज्यूरी को विश्वास में लिए बिना फिल्म एस दुर्गा और मराठी फिल्म न्यूड को महोत्सव से हटा दिया था।

मंत्रालय के इस फैसले के विरोध में ज्यूरी अध्यक्ष सुजॉय घोष, सदस्य अपूर्व असरानी और ज्ञान कोरिया ने इस्तीफा दे दिया था। बात आई-गई हो जाती लेकिन हुई नहीं, तूल पकड़ती गई। फिल्म एस दुर्गा के निर्देशक सनत कुमार इस अन्याय के खिलाफ केरल हाईकोर्ट चले गए।

कोर्ट ने अपने निर्णय के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, वो ये कि जब केन्द्रीय प्रमाणन बोर्ड ने इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दे दिया और उसके बाद फिल्म में कोई बदलाव भी नहीं किए गए और चूंकि आईएफएफआई ज्यूरी का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी था तो फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास इस निर्णय को बदलने की कोई शक्ति नहीं थी। कोर्ट का यह निर्णय फिल्म के निर्देशक के साथ-साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जीत है।

कोर्ट के फैसले से पूर्व फिल्मोत्सव ज्यूरी के 13 सदस्यों में से 6 सदस्यों ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर दोनों फिल्मों को फिल्मोत्सव के बाहर करने पर चिन्ता जताई थी। पत्र में इन दोनों फिल्मों का बचाव करते हुए कहा गया था कि ये फिल्में सैक्स और महिला सशक्तिकरण पर होने वाली चर्चाओं की दिशा में हमारा अहम कदम है और उनके हिसाब से काफी महत्वपूर्ण भी है।

दूसरी तरफ सूचना प्रसारण मंत्रालय का कहना है कि फिल्म समारोह में फिल्म दिखाए जाने के बारे में सरकार के नियम साफ करते हैं कि असाधारण परिस्थितियों में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास अधिकार है कि वह किसी भी ऐसी फिल्म को दिखाए जाने पर रोक लगा सके जिससे देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता हो या फिल्म से कानून व्यवस्था या पड़ोसी देशों के सम्बन्ध पर असर पड़ता हो।

मंत्रालय का मानना है कि दुर्गा हिन्दुओं की एक प्रमुख देवी का नाम है और फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति दी जाती है तो इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है वहीं कानून व्यवस्था को लेकर समस्या पैदा हो सकती है। आज देश में जिस तरह का वातावरण है, ऐसी स्थिति में मंत्रालय की आशंका निर्मूल नहीं है।

इस फिल्म को मुम्बई फिल्म महोत्सव में दिखाए जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। तब भी मंत्रालय ने इस फिल्म को दिखाए जाने के बारे में मुम्बई एकेडमी ऑफ फिल्म इमेज के अनुरोध को ठुकरा दिया था। न्यूड फिल्म के बारे में मंत्रालय का तर्क था कि यह फिल्म तकनीकी तौर पर पूरी नहीं है।

दूसरी ओर फिल्म के निर्माता-निर्देशक का कहना है कि भारत में दुर्गा नाम बड़ा ही सामान्य है। यह केवल देवी का नाम नहीं, यहां हजारों महिलाओं का नाम दुर्गा है लेकिन उनके साथ इन्सानों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता। जब उन्हें मदद की जरूरत होती है तब लोग उन्हें नकार देते हैं लेकिन जब एक फिल्म का शीर्षक इस नाम से आता है तो लोग चिल्लाने लगते हैं कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं।

अहम सवाल यह भी है कि क्या किसी फिल्म का नाम और विषय-वस्तु उस पर बैन लगाए जाने का कारण बननी चाहिए। कई बार दलीलें सुनकर विश्वास नहीं होता कि क्या हम उस समाज का हिस्सा हैं, जिसमें रूढ़ियों को तोड़ने का सिलसिला सदियों पुराना है। जिस समाज में दकियानूसी परम्पराओं को तोड़कर आजाद वातावरण तैयार करने वाले व्यक्तित्व हुए हैं, उसमें कला और अभिव्यक्ति को लेकर ऐसी तंग सोच होना क्या जायज है? समाज में कलाओं पर पहरा बैठाने की कोशिशें नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी ऐसा किया जाता है।

सैनिकों की तरह सेना का कोई अहिंसात्मक कार्य उनका यह कर्तव्य होगा कि वे विजय दिलाने वाले समुदायों को एकजुट करें जिसमें शांति का प्रसार, तथा ऐसी गतिविधियों का समावेश हो जो किसी भी व्यक्ति को उसके चर्च अथवा खंड में संपर्क बनाए रखते हुए अपने साथ मिला लें।

इस प्रकार की सेना को किसी भी आपात स्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए तथा भीड़ के क्रोध को शांत करने के लिए उसके पास मरने के लिए सैनिकों की पर्याप्त नफरी भी होनी चाहिये। प्रत्येक गांव तथा शहर तक भवनों के प्रत्येक ब्लॉक में संगठित किया जा सकता है यदि अहिंसात्मक समाज पर हमला किया जाता है तब अहिंसा के दो मार्ग खुलते हैं।

अधिकार पाने के लिए हमलावर से सहयोग न करें बल्कि समर्पण करने की अपेक्षा मृत्यु को गले लगाना पसंद करें। दूसरा तरीका होगा ऐसी जनता द्वारा अहिंसक प्रतिरोध करना हो सकता है जिन्हें अहिंसक तरीके से प्रशिक्षित किया गया हो...इस अप्रत्याशित प्रदर्शन की अनंत राहों पर आदमियों और महिलाओं को हमलावर की इच्छा लिए आत्मसमर्पण करने की बजाए आसानी से मरना अच्छा लगता है और उसे तथा उसकी सैनिक बहादुरी के समक्ष पिघलना जरूर पड़ता है।

ऐसे किसी देश अथवा समूह जिसने अहिंसा को अपनी अंतिम नीति बना लिया है उसे परमाणु बम भी अपना दास नहीं बना सकता है। उस देश में अहिंसा का स्तर खुशी-खुशी गुजरता है तब वह प्राकृतिक तौर पर इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसे सार्वभौमिक आदर मिलने लगता है।

इन विचारों के अनुरूप जब नाजी जर्मनी द्वारा अंग्रेजों के द्वीपों पर किए गए हमले आसन्न दिखाई दिए तब गांधी जी ने अंग्रेजों को शांति और युद्ध में अहिंसा की निम्नलिखित नीति का अनुसरण करने को कहा। मैं आपसे हथियार रखने के लिए कहना पसंद करूंगा क्योंकि ये आपको अथवा मानवता को बचाने में बेकार हैं।

आपको हिटलर और सिगनोर मुसोलिनी को आमंत्रित करना होगा कि उन्हें देशों से जो कुछ चाहिए आप उन्हें अपना अधिकार कहते हैं। यदि इन सज्जनों को अपने घर पर रहने का चयन करना है तब आपको उन्हें खाली करना होगा। यदि वे तुम्हें आसानी से रास्ता नहीं देते हैं तब आप अपने आपको, पुरुषों को महिलाओं को और बच्चों की बलि देने की अनुमति देंगे किंतु अपनी निष्ठा के प्रति झुकने से इंकार करेंगे। युद्ध के बाद दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने इससे भी आगे एक विचार का प्रस्तुतीकरण किया।

यहूदियों को अपने लिए स्वयं कसाई का चाकू दे देना चाहिए था। उन्हें अपने आप को समुद्री चट्टानों से समुद्र के अंदर फँक देना चाहिए था। फिर भी गांधी जी को पता था कि इस प्रकार के अहिंसा के स्तर को अटूट विश्वास और साहस की जरूरत होगी और इसके लिए उसने महसूस कर लिया था कि यह हर किसी के पास नहीं होता है।

इसलिए उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को परामर्श दिया कि उन्हें अहिंसा को अपने पास रखने की जरूरत नहीं है खास तौर पर उस समय जब इसे कायरता के संरक्षण के लिए उपयोग में किया गया हो। गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन में ऐसे लोगों को दूर ही रखा जो हथियार उठाने से डरते थे अथवा प्रतिरोध करने में स्वयं की अक्षमता का अनुभव करते थे। उन्होंने लिखा कि मैं मानता हूँ कि जहां डरपोक और हिंसा में से किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा के पक्ष में अपनी राय दूंगा।

प्रत्येक सभा पर मैं तब तक चेतावनी दोहराता रहता था जब तक उन्हें यह अहसास नहीं हो जाता है कि वे एक ऐसे अहिंसात्मक बल के अधिकार में आ गए हैं जिसके अधिकार में उसने यह देखा तो मन ही मन कहा, यह आदमी अगर नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री उसे छू रही है, वह कौन है और कैसी है। वह तो पापिनी है। ईसा उसके मन के भाव ताड़ गया। उन्होंने कहा, सिफोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फरीसी बोला, कहिये। ईसा ने कहा, किसी महाजन के दो कर्जदार थे।

एक पांच सौ दीनार का, दूसरा पचास का। उनके पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में से महाजन को कौन अधिक प्यार करेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वह अधिक प्यार करेगा, जिसका ज्यादा कर्ज माफ हुआ। ईसा बोले, तुमने ठीक कहा।

बयान ने कई टीकाकारों की आलोचना को आकर्षित किया। मार्टिन बूबर जो की स्वयं यहूदी राज्य के एक विरोधी हैं ने गाँधी को एक तीक्ष्ण आलोचनात्मक पत्र लिखा। बूबर ने दृढ़ता के साथ कहा कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय लोगों के साथ जो व्यवहार किया गया वह नाजियों द्वारा यहूदियों के साथ किए गए व्यवहार से भिन्न है, इसके अलावा जब भारतीय उत्पीडन के शिकार थे, गाँधी ने कुछ अवसरों पर बल के प्रयोग का समर्थन किया।

गाँधी ने उत्पीडन को सत्याग्रह के भीतर ही सन्दर्भित कहा। नवम्बर में उपरावित यहूदियों के नाजी उत्पीडन के लिए उन्होंने अहिंसा के उपाय को सुझाया आभास होता है कि यहूदियों के जर्मन उत्पीडन का इतिहास में कोई सामानांतर नहीं।

पुराने जमाने के तानाशाह कभी इतने पागल नहीं हुए जितना कि हिटलर हुआ और इसे वे धार्मिक उत्साह के साथ करते हैं कि वह एक ऐसे अनन्य धर्म और जंगी राष्ट्र को प्रस्तुत कर रहा है जिसके नाम पर कोई भी अमानवीयता मानवीयता का नियम बन जाती है जिसे अभी और भविष्य में पुरुस्कृत किया जायेगा, जाहिर सी बात है कि एक पागल परन्तु निडर युवा द्वारा किया गया अपराध सारी जाति पर अविश्वसनीय उग्रता के साथ पड़ेगा।

यदि कभी कोई न्यायसंगत युद्ध मानवता के नाम पर, तो एक पुरी कॉम के प्रति जर्मनी के डीठ उत्पीडन के खिलाफ युद्ध को पूर्ण रूप से उचित कहा जा सकता है। पर मैं किसी युद्ध में विश्वास नहीं रखता।

इसे युद्ध के नफा-नुकसान के बारे में चर्चा मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। परन्तु जर्मनी द्वारा यहूदियों पर किए गए इस तरह के अपराध के खिलाफ युद्ध नहीं किया जा सकता तो जर्मनी के साथ गठबंधन भी नहीं किया जा सकता यह कैसे हो सकता है कि ऐसे देशों के बीच गठबंधन हो जिसमें से एक न्याय और प्रजातंत्र का दावा करता है और दूसरा जिसे दोनों का दुश्मन घोषित कर दिया गया है।

दक्षिण अफ्रीका के प्रारंभिक लेख गाँधी के दक्षिण अफ्रीका को लेकर शुरुआती लेख काफी विवादास्पद हैं, गाँधी ने इंडियन ओपिनियन में दक्षिण अफ्रीका में उनके कारागार जीवन के बारे में लिखा काफिर शासन में ही असभ्य हैं— कैदी के रूप में तो और भी वे कष्टदायक, गंदे और लगभग पशुओं की तरह रहते हैं।

अप्रवास के विषय को लेकर गाँधी ने टिप्पणी की कि मैं मानता हूँ कि जितना वे अपनी जाति की शुद्धता पर विश्वास करते हैं उतना हम भी मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जो गौरी जाति है उसे ही श्रेष्ठ जाति होनी चाहिए, दक्षिण अफ्रीका में अपने समय के दौरान गाँधी ने बार-बार भारतीयों का अश्वेतों के साथ सामाजिक वर्गीकरण को लेकर विरोध किया, जिनके बारे में वे वर्णन करते हैं कि निसंदेह पूर्ण रूप से काफिरों से श्रेष्ठ हैं, यह ध्यान देने योग्य है कि गाँधी के समय में काफिर का वर्तमान में इस्तेमाल हो रहे अर्थ से एक अलग अर्थ था। गाँधी के इन कथनों ने उन्हें कुछ लोगों द्वारा नसलवादी होने के आरोप को लगाने का मौका दिया है।

इतिहास के दो प्रोफेसर सुरेन्द्र भाना और गुलाम वाहेद, जो दक्षिण अफ्रीका के इतिहास पर महारत रखते हैं। अफ्रीकी और भारतीय समुदायों के संबंधों पर हैं तथा उन नीतियों पर जिनकी वजह से विभाजन हुआ और वे तर्क देते हैं कि इन समुदायों के बीच संघर्ष लाजिमी सा है इस सम्बन्ध के बारे में वे कहते हैं, युवा गाँधी 1 उन विभाजीय विचारों से प्रभावित थे जो कि उस समय प्रबल थीं। साथ ही साथ वे यह भी कहते हैं, गाँधी के जेल के अनुभव ने उन्हें उन लोगों कि स्थिति के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया था। आगे गाँधी दृढ़ हो गए थे वे अफ्रीकियों के प्रति अपने अभिव्यक्ति में पूर्वाग्रह को लेकर बहुत कम निर्णायक हो गए और वृहत स्तर पर समान कारणों के बिन्दुओं को देखने लगे थे।

जोहान्सबर्ग जेल में उनके नकारात्मक दृष्टिकोण में डीठ अफ्रीकी कैदी थे न कि आम अफ्रीकी, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला गाँधी के अनुयायी हैं, गाँधी के आलोचकों द्वारा प्रतिमा के अनावरण को रोकने की कोशिश के बावजूद उन्होंने उसे जोहान्सबर्ग में अनावृत किया।

अनावरण के इर्द-गिर्द होने वाली घटनाओं पर द मेकिंग ऑफ पोलिटिकल रिफोर्मार में गाँधी ने साऊथ अफ्रीका में टिप्पणी की है। दक्षिण अफ्रीका के लिए गाँधी के विरासत में वे लिखते हैं

लोग ऊंचे पदों पर कल तक बैठे थे और सत्ता में नहीं हैं और जब ऐसे लोग अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए लाखों—करोड़ों—अरबों का हेरफेर करते हैं तो उन पर शिकंजा कसा ही जाना चाहिए। हमारे देश में भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से आरोप बड़े पदों पर बैठे लोगों पर लगे हैं तो जब उनके खिलाफ कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू होती है तो वे चीखने—चिल्लाने लगते हैं।

पिछले दिनों पूर्व वित्त एवं गृहमंत्री रहे पी.सी. चिदम्बरम और उनके बेटे उद्योगपति कार्ति चिदम्बरम के अलावा राजद सुप्रीमो लालू यादव के यहां सीबीआई के छापे पड़े तो उनकी चीखो—चिल्लाहट समझ आती है। ईडी और आयकर विभाग ने अब इनके खिलाफ शिकंजा कस लिया है।

पी.सी. चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति को लेकर हैरानगी इस बात की है कि जब उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक्शन लिए जाने की बात हो रही थी तो खुद चिदम्बरम साहब कह रहे थे कि आपको कार्यवाही से किसने रोका है और अब जब इनकी बेनामी संपत्ति और आय से अधिक धन का पता चल रहा है तो ये लोग चिल्ला—चिल्लाकर कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ राजनीतिक बदले के तहत यह कार्यवाही की जा रही है।

हमारा सवाल यह है कि पुत्र कार्ति चिदम्बरम और पिता पी.सी. चिदम्बरम को किसने यह इजाजत दे दी कि वे कानून को ताक पर रखकर जहां चाहें निवेश करें और जहां चाहें पैसा ट्रांसफर करें।

आखिरकार इन नेताओं को मनमानी की छूट क्यों मिली हुई थी? इन्हीं चीजों का पता लगाने के लिए अगर सीबीआई या इनकम टैक्स विभाग या ईडी आगे बढ़ रहे हैं तो फिर अब ये राजनीतिक विद्वेष के आरोप क्यों लगा रहे हैं। अब तो ईडी ने कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ मामला भी मनी लांड्रिंग को लेकर दर्ज कर लिया है।

लिहाजा उनसे पूछताछ का मार्ग प्रशस्त हो गया है और चिदम्बरम भी शिकंजे में ही हैं। यह बात अलग है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के चीफ लालू यादव के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली से लेकर पटना तक छापेमारी की है। विभाग को लगता है कि उनके पास एक हजार करोड़ से भी ज्यादा की बेनामी संपत्ति है।

आज लालू भले ही केंद्र सरकार पर राजनीतिक बदला लेने का आरोप लगा सकते हैं लेकिन लालू को यह भी याद रखना होगा कि जब कांग्रेस के शासन में उनके खिलाफ सीबीआई के छापे पड़े थे और बाद में यह कार्यवाही रुक गई तो तब अपने इस मैनेजमेंट कौशल को लेकर वह चुप क्यों रहे। चारा घोटाले में लालू आकंठ लिपटे हुए हैं।

लिहाजा कुछ कहने से पहले लालू को अपने गिरेबान में जरूर झांक लेना चाहिए। चिदम्बरम और उनके बेटे के खिलाफ सीबीआई ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा उनकी कंपनी 9एक्स मीडिया को मंजूरी मिलने को लेकर छापेमारी दिल्ली से चेन्नई तक की गई। मनी ट्रांसफर के केस भी सामने आ रहे हैं तभी तो ईडी ने उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है। हमारा यह कहना है कि सरकार अपना हर काम सही ढंग से कर रही है।

यह बात अलग है कि सीबीआई समेत ये तमाम एजेंसियां उसके अधीन हैं तथा ये बड़े लोग रुपए को इधर—उधर करने के गोरखधंधे में बेनकाब हो चुके हैं। दरअसल यूपीए—1 व यूपीए—2 शासन के दौरान इतने घोटाले हुए हैं कि देश की सूरत और सीरत दोनों पर दुनिया शक करने लगी थी।

सबसे बड़ी बात है कि देशवासियों का ही ऐसी सरकारों से विश्वास उठ गया था जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई थीं। ऐसी छवि बनाने में चिदम्बरम और कार्ति जैसे अनेक नेताओं के महान योगदान को कैसे भुलाया जा सकता है? विदेशों में बेनामी संपत्तियां बनाने के खेल में और देश का रुपया विदेश ले जाने में ऐसे लोगों का हाथ रहा है।

अभी और भी बहुत सी मछलियां फंसेंगी। ये लोग कल तक जब खुद ही सरकार थे तो फिर इन्हें कौन पकड़ता? सैंया भये कोतवाल तो अब डर काहे का की उक्ति के तहत ये लोग काम करते रहे।

इस मुद्दे पर तुरंत कोई प्रगति शायद न हो, लेकिन इस यात्रा से इस रास्ते के लिए शुरुआत तो हो ही सकती है, जो बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को भी मजबूत करेगा। क्या कला की कोई कीमत होती है? आम तौर पर समाज में कला को फुरसत का कामकाज माना जाता है, जिसमें कोई पैसा नहीं है।

मध्यवर्गीय मां-बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़-लिखकर इंजीनियर, डॉक्टर, अफसर वगैरह बनें, कला में वक्त जाया न करें। लेकिन यह भी सच है कि करोड़ों कमाने वाले फिल्मी सितारों से लेकर हजारों तक कमाने वाले छोटे-मोटे कलाकार भी हैं। ऐसे संगीतकार हैं, जो एक-एक कार्यक्रम के लिए लाखों रुपये लेते हैं, तो वहीं संगीत सिखाकर किसी तरह जीविका कमाने वाले संगीत शिक्षक भी हैं।

आजकल चित्रकला में भी बड़ा पैसा है और पेंटिंग या कलात्मक वस्तुओं में निवेश करना बड़ा फायदेमंद धंधा है। इन सबके बावजूद यह आकलन नहीं किया गया है कि एक आर्थिक गतिविधि की तरह कला की स्थिति क्या है और यह तो रहस्य ही है कि कलाकृतियों की कीमत के मानदंड क्या हैं? पर अब कला के अर्थशास्त्र पर गंभीर शोध शुरू हो गए हैं। खासकर आर्थिक मंदी के दौर में कला की आर्थिक ताकत महत्वपूर्ण हो गई है।

अमेरिकी शोधकर्ताओं का आकलन है कि उनके देश में कला में लगभग 70,000 करोड़ रुपये सालाना का लेन-देन होता है और तकरीबन 41 लाख लोगों को कला व इससे संबंधित गतिविधियों से रोजगार मिलता है। उनका कहना है कि कला का महत्व सिर्फ यह नहीं है कि उससे मनोरंजन होता है, वह समाज में नई पहल और रचनात्मकता की भी बुनियाद होती है। यहां कला का अर्थ सिर्फ रूढ़ अर्थों में कला नहीं है, ऐसे तमाम काम हैं, जो रचनात्मक हैं।

शोधकर्ताओं का कहना है कि जो शहर या इलाके किसी एक उद्योग या पेशे से जुड़े होते हैं, मंदी में उनके नष्ट होने की आशंका भी ज्यादा होती है। अगर उस एक उद्योग या पेशे में मंदी आई, तो समूचे शहर या इलाके की स्थिति खराब हो जाती है। अमेरिका में डेट्राइट शहर अपने कार उद्योग के लिए जाना जाता था, कार उद्योग में मंदी की वजह से डेट्राइट के बदहाल होने की आशंका है। कला के अर्थशास्त्र में काम करने वाले लोगों का कहना है कि अगर समाज में कलात्मकता और रचनात्मकता की जगह बनाई जाए, तो उससे हर इलाके या समाज में वैविध्य व नएपन का संचार हो सकता है और इकहरी अर्थव्यवस्था की वजह से उसके बदहाल होने की आशंका घट जाती है। कलात्मक और बहुआयामी समाज के पनपने की संभावना ज्यादा होती है।

किसी भी समाज में कला की ठीक-ठीक आर्थिक उपयोगिता तय करना मुश्किल है, क्योंकि उसके कई सारे परिणामों को आंकड़ों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। फिल्म या ऐसे ही व्यावसायिक माध्यमों का अर्थशास्त्र काफी जटिल और अमूर्त होता है। हिंदी में ही सैकड़ों फिल्मों बनती हैं, जिनमें से ज्यादातर डूब जाती हैं, लेकिन इस उद्योग में पैसा लगाने वाले आते रहते हैं। कई सितारे फ्लॉप पर फ्लॉप के बाद भी तरक्की करते हैं, तो कई सफलता के बावजूद गायब हो जाते हैं।

जो कलाएं इस तरह से व्यावसायिक नहीं हैं, उनका गणित ज्यादा कठिन है। क्यों किसी कलाकार की कृति करोड़ों में बिकती है और क्यों किसी की कृति हजारों में भी नहीं बिक पाती? किसी कला का किसी जमाने में जलवा होता है, और बीस साल बाद उसे कोई भी नहीं पूछता। दरअसल, कला का रिश्ता इंसानी भावनाओं से होता है, इसलिए उसके अर्थशास्त्र को तर्क की भाषा में पकड़ना मुश्किल है। लेकिन अब यह समझ में आ रहा है कि समाज में अर्थव्यवस्था को चलाए रखने और आगे बढ़ाने में कला की बड़ी भागीदारी होती है।

आखिर सिनेमा से ही कितने रोजगार जुड़े हैं और इन पर आर्थिक मंदी का वैसा असर नहीं हुआ, जैसा कई उद्यमों में हुआ है। यह संयोग ही है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज, दोनों ने लगभग एक साथ यह उम्मीद जताई है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर अगले साल से छह-सात प्रतिशत तक हो जाएगी। मूडीज का यह कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जितनी नीचे पहुंच सकती थी, उतनी पहुंच गई है और वर्ष 2013 में विकास दर लगभग 6.2 प्रतिशत के आसपास रहेगी, जो 2014 में सात प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।

वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही में विकास दर 4.5 प्रतिशत पर आ गई थी, जो पिछले पूरे दशक में सबसे कम है। चौथी तिमाही के आंकड़े बेहतर होंगे, यह उम्मीद इसलिए है कि रबी की फसल इस बार अच्छी होगी।

लेकिन यह भी सही है कि उदारीकरण के बाद गरीबी के घटने की रफ्तार भी तेज हुई है। विषमता बढ़ने का कारण यह है कि अमीरों की आय ज्यादा तेजी से बढ़ी है उतनी तेजी से गरीबों की आय नहीं बढ़ी है। यह भी तमाम आंकड़ों से सिद्ध होता है कि भारत में भुखमरी कम हुई है और ऐसे लोगों का प्रतिशत कम हुआ है जिन्हें दो वक्त की रोटी नसीब नहीं है।

इसके बावजूद ऐसे लोगों की तादाद अच्छी खासी है जिनके लिए खाद्य सुरक्षा की जरूरत है यह तो सरकार भी मानती है, तभी वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाई है। स्वतंत्र भारत में गरीबी शुरू से ही एक ऐसा राजनैतिक मुहावरा रहा है जिसके नाम पर वोट बटोरे जा सकते हैं। ऐसे में गरीबी की बहस हमेशा ही असंवेदनशीलता और सनसनी की शिकार हो जाती है। अगर गरीबी पर विचार और बहस मुबाहिसा संतुलित व गरिमामय ढंग से किया जाए तो इससे गरीबों की गरिमा भी बनी रहेगी।

इससे उनकी समस्याओं को हल करना भी आसान होगा। भारत के हर इलाके को ज्यादा और समावेशी विकास की जरूरत है, लेकिन यह भी एक बड़ी समस्या है कि देश के कुछ राज्य बेहतर स्थिति में हैं और कुछ बहुत पिछड़े हैं। आम तौर पर यह माना जाता है कि देश के दक्षिण और पश्चिम के राज्य ज्यादा विकसित हैं, जबकि उत्तरी और पूर्वी राज्यों में एकाध अपवाद छोड़कर पिछड़े राज्य ज्यादा हैं। देश के हिंदी भाषी राज्यों को इसीलिए 'बीमारू' राज्यों का नाम दिया गया था जो कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के नामों को जोड़कर बनाया गया है।

पिछले लगभग डेढ़ दशक से तेज विकास दर का फायदा इन राज्यों को भी मिला है और बेहतर स्थिति के लिए इन राज्यों की जनता ने भी विकासोन्मुखी राजनीति को बढ़ावा दिया है। इसके नतीजे सामने आने लगे हैं और पिछले कई वर्षों से बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्य विकास दर की दौड़ में अब्वल रहे हैं। तेज विकास की एक वजह तो यह भी थी कि लगातार पिछड़ेपन की वजह से इन राज्यों में आधार काफी नीचे था। बिहार के आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि वहां सभी क्षेत्रों ने अच्छी विकास दर हासिल की है।

व्यापार और होटल, उद्योग, सेवा क्षेत्र, बैंकिंग और बीमा, इन सभी क्षेत्रों में लगभग 17 प्रतिशत की विकास दर रही है। इन सारे क्षेत्रों में बिहार में बहुत पहले से संभावनाएं थीं, जिनका दोहन नहीं किया गया था, लेकिन अब बिहार के सामने काफी सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बुनियादी ढांचे और उद्योगों में उसे ज्यादा निवेश आकर्षित करना होगा। इस समय यह काफी मुश्किल इसलिए है, क्योंकि देश में औद्योगिक उत्पादन की बढ़ोतरी की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है और ऐसे में निवेश को बिहार जैसे पिछड़े समझे जाने वाले राज्य की ओर आकर्षित करना मुश्किल होगा।

दूसरी बड़ी चुनौती वह है, जिसकी ओर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी इशारा किया है, यानी विकास को ज्यादा समावेशी बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को गरीबी से उबारना। जरूरी यह भी है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति सुधारी जाए, ताकि विकास का अर्थ सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि सचमुच लोगों के जीवन स्तर की बेहतरी हो सके।

अगर ऐसा हो सका, तो जल्दी ही बिहार का पिछड़ापन अतीत की बात बनकर रह जाएगा और यह बिहार के लिए ही नहीं, देश के लिए भी अच्छा होगा। यह भी इतिहास का विचित्र न्याय है कि आजादी के बाद जिस आंध्र प्रदेश में जोरदार आंदोलन के दबाव में भाषा आधारित राज्यों के गठन का फैसला हुआ था, उसी आंध्र प्रदेश का विभाजन करके अलग तेलंगाना राज्य बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना गलत था, बल्कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह एक समझदारी भरा फैसला साबित हुआ।

तेलंगाना आंदोलन और उसकी सफलता यह बताती है कि भारत की प्रशासनिक संरचना में अभी बदलाव हो रहे हैं। दरअसल, भाषिक आधार पर पुनर्गठन के बाद भी तमाम राज्यों के अलग-अलग हिस्सों में कई असमानताएं हैं और यह असंतुलन अक्सर अन्याय की शिकायत के रूप में सामने आता है। तेलंगाना राज्य के समर्थकों की भी यही शिकायत थी कि तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के मुकाबले तेलंगाना पिछड़ा हुआ है, क्योंकि उसे विकास में बराबरी का हक नहीं मिला।

वर्तमान राजनीतिक माहौल को देखकर यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि गुजरात में हो रहे विधानसभा चुनाव असाधारण हैं और इसके परिणाम का प्रभाव पक्के तौर पर राष्ट्रीय राजनीति को अपने कब्जे में समेट कर ही रहेगा। इसके साथ यह भी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गुजरात की जनता के तेवरों की वजह से ही राजनीतिक दलों में बदहवासी पैदा हो रखी है। यह बदहवासी ही गुजरात की जमीनी हकीकत को खुद बयान कर रही है।

यह बदहवासी बता रही है कि इन चुनावों के बाद भारत के राजनीतिक एजेंडे के वे आधार वाक्य बदल सकते हैं जिन पर पिछले पांच सालों से लगातार भारत के आम आदमी का भाग्य बदलने या बनाने की बात हो रही है। हालांकि एक राज्य के ही चुनाव हैं मगर स्वयं देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने इनका दायरा बहुत फैला कर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का जोखिम उठा लिया है।

इसकी मुख्य वजह यही है कि लोकसभा चुनावों में अब एक साल से कुछ ज्यादा का समय ही बचा है। अतः गुजरात में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रैलियां सम्बोधित करने का नया रिकार्ड बनाने पर आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह उनकी राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है। इसके अलावा राज्य स्तर पर भाजपा के पास कोई ऐसा नेता भी नहीं है जो लोगों में अपनी पार्टी के कार्यक्रम पर विश्वास दिला सके।

दूसरी तरफ पिछले 22 वर्ष से राज्य की सत्ता पर काबिज भाजपा को गंभीर चुनौती दे रही विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी इस मोर्चे पर ज्यादा मजबूत दिखाई नहीं पड़ती और वह भी अपने नेता श्री राहुल गांधी पर ही निर्भर करती है परन्तु फर्क केवल इतना है कि कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दे उठाने के साथदृसाथ ही गुजरात मूलक ऐसे विषय उठा रही है जिनका सीधा सम्बन्ध केन्द्र की नीतियों से है, मसलन नोटबन्दी और जीएसटी शुल्क व्यवस्था तथा बढ़ती बेरोजगारी।

इनका जवाब भाजपा गुजराती अस्मिता और राष्ट्रीय गौरव व विकास के अपने पैमाने से देने की कोशिश कर रही है। यदि वाजिब तरीके से बिना लागदूलपेट और पूरी निष्पक्षता के साथ कहा जाये तो इन चुनावों का एजेंडा राहुल गांधी ने जमीनी हकीकत का अन्दाजा करके लगभग तय कर दिया है और उस पर भाजपा को अब जवाब देना है।

प्रधानमंत्री द्वारा बेहिसाब रैलियां सम्बोधित करने का सबब भी यही लगता है कि वह चुनावी एजेंडे को बदलना चाहते हैं और अपनी पार्टी की विजय सुनिश्चित करने के लिए उन्हीं विषयों को केन्द्र में लाना चाहते हैं जिनके बूते पर भाजपा देश भर में जीतती रही है, मसलन उनके मुख्यमंत्री रहते गुजरात में हुआ विकास का माडल जिसका जिक्र उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनावों में पूरे देश में बहुत गर्व के साथ किया था

मगर राहुल गांधी इसी विकास के माडल को अपने निशाने पर लिये हुए हैं और प्रचार कर रहे हैं कि यह कैसा विकास का माडल है जिससे राज्य में बेरोजगारी में लगातार इजाफा होता चला गया है? इसका मतलब यही है कि राहुल गांधी देश के उस समग्र राजनीतिक एजेंडे को बदल देने की मुहिम पर हैं जो भाजपा को चुनावी विजय दिलाने में सहायक रहा है। वह यह एजेंडा आर्थिक नीतियों के इर्दगिर्द तय करना चाहते हैं। इसकी भी खास वजह है कि कांग्रेस को चुनावों में हमेशा तभी विजय मिली है जब राजनीति के केन्द्र में आर्थिक मुद्दे रहे हों।

इन आर्थिक मुद्दों में जातिगत व साम्प्रदायिक आधार पर बंटे भारतीय समाज को समरसता के धागे में बांधने की अभूतपूर्व क्षमता है परन्तु इसके साथ ही राष्ट्रवाद भी ऐसा ही एजेंडा है जो समग्र समाज को एक धागे में बांधने की क्षमता रखता है, यह भाजपा के लिए आक्सीजन का काम करता रहा है परन्तु इसकी कुछ सीमाएं हैं जो साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण को अनचाहे ही फैला देती हैं मगर समाज पर फौरी तौर पर जादुई असर करती हैं।

चुनावों में हार—जीत मुख्यतः इस तथ्य पर निर्भर करती है कि आम मतदाता किस राजनीतिक विमर्श को अपना एजेंडा बनाता है। उसे पदमावती का कथित गौरव गान चाहिए या अपने खेतों में पैदा हुई उपज का वाजिब व लाभकारी दाम, उसे अपने ही देश में व्यापार करने की सुगमता चाहिए या विदेशी कम्पनियों के लिए भारत के बाजारों में पैठ बनाने की सरलता का सिद्धान्त, क्योंकि लोकतन्त्र हर कदम पर अपने उन नेताओं की पैमाइश

और वे दिन बीत गए, जब किसी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के पास भी दो ही बल्ले होते थे, या खेल में अच्छे-खासे कैरियर को छोड़कर खिलाड़ी कोई सुरक्षित नौकरी ढूँढते थे। लेकिन इस पैसे के साथ जो बुराइयां आई हैं, वे इस खुशी को कम करती हैं। अभी भारतीय क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी के साथ बीसीसीआई के कामकाज और उसमें खेल व व्यावसायिक स्वार्थ के घालमेल की भी चर्चा है।

खेल का व्यवसायीकरण हो, तो कोई बुरी बात नहीं। व्यापार के साथ पैसा आता है, जो खेल को अच्छी तरह चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन जो व्यापार हो, वह साफ-सुथरा हो और अच्छे व्यापार की आर्थिक व नैतिक मर्यादाओं के अनुकूल हो। धौनी अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन विवादास्पद बोर्ड अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के साथ उनके व्यावसायिक रिश्ते व एक खेल प्रबंधन कंपनी रिति स्पोर्ट्स में उनकी भागीदारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पारदर्शी और साफ-सुथरा कारोबार करना कितना जरूरी है, यह धौनी से जुड़े एक उदाहरण से साफ होता है।

रिति स्पोर्ट्स ने कहा कि साल 2010 में उसने धौनी से 210 करोड़ रुपये का करार किया, उसका दावा है कि यह पैसा धौनी को दे दिया गया है। लेकिन खबरें बताती हैं कि इन तीन वर्षों में रिति स्पोर्ट्स की कुल कमाई सिर्फ 110 करोड़ रुपये थी। इससे संदेह होता है कि शायद सिर्फ प्रचार के लिए 210 करोड़ रुपये की बात फैलाई गई। हमारे खिलाड़ी ही नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था भी अब बड़े पैसे की दुनिया में शामिल हो गई है, ऐसे में अर्थव्यवस्था को भी साफ-सुथरा रखना जरूरी है, ताकि खिलाड़ियों की मेहनत की कमाई पर किसी संदेह का दाग न लगे।

सरकार ने तमाम विकास कार्यों के लिए सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की भागीदारी (पीपीपी) का जो रास्ता अख्तियार किया है, उसकी सफलता को लेकर कई संदेह खड़े हो रहे हैं। तटस्थता से देखने पर यह अच्छा मॉडल मालूम होता है और कई देशों में इसकी सफलता को देखा जा सकता है, लेकिन भारत में यह मॉडल तमाम उलझनों व गड़बड़ियों में घिरा हुआ है। इसकी वजह इस मॉडल के सिद्धांत में नहीं, बल्कि इसके अमल में है और इसका उदाहरण राजमार्गों के निर्माण में देखा जा सकता है। भारत में राजमार्गों के निर्माण की गति बहुत धीमी है और उन्हें लेकर शिकायतें भी बहुत हैं। सबसे बड़ी शिकायत तो अपर्याप्त सुविधाओं के बावजूद भारी टोल वसूलने की है।

अच्छा यह है कि अब सरकार ने राजमार्ग पूरा बन जाने के बाद ही टोल वसूलने की मंजूरी देने का फैसला किया है। अब तक यही होता रहा है कि 75 प्रतिशत निर्माण हो चुकने के बाद अस्थायी प्रमाणपत्र मिलने के साथ ही टोल वसूलने का काम शुरू हो जाता है। इससे काम करने वाली कंपनी की प्राथमिकता काम पूरा करने की बजाय टोल वसूली बन जाती है। अक्सर टोल वसूली के शुरू होने के बाद वर्षों तक कुछ न कुछ काम लटके रहते हैं या यात्रियों के लिए नई समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिन्हें हल नहीं किया जाता। अब चार लेन वाली सड़कों के छह लेन करने में भी काम पूरा होने तक सिर्फ 80 प्रतिशत टोल लिया जा सकेगा। इस पीपीपी प्रक्रिया में सबसे बड़ी खामी यह है कि सरकार और निर्माण कंपनी मिलकर सब कुछ तय कर लेती हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण भागीदार यानी टोल का पैसा चुकाने वाला और सड़कों का इस्तेमाल करने वाला यात्री है, उसे कोई नहीं पूछता।

अक्सर अधूरे बने या ठीक से न बने राजमार्ग दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं या फिर टोल बूथ ही समस्याएं पैदा करते हैं। दिल्ली से गुड़गांव के बीच टोल नाके की वजह से घंटों लंबा जाम लगता रहा, पर न सरकार ने और निजी कंपनी ने इसके बारे में कोई उपाय किया। आखिरकार मामला अदालत में पहुंच गया। अगर एक या दो सौ किलोमीटर के रास्ते में सौ-दो सौ रुपये टोल चुकाने के बाद भी सफर आरामदेह न हुआ, तो यह मुसाफिरों पर ज्यादाती है और यह ज्यादाती देश के ज्यादातर राजमार्गों पर देखने में आती है।

राजमार्ग बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता व जवाबदेही की कमी का नतीजा है कि इन राजमार्गों के यात्रियों के लिए खर्च बढ़ता जा रहा है और उनकी सुविधाएं व सुरक्षा इंतजामात नहीं बढ़े हैं। अक्सर सरकार और निजी कंपनियों के बीच अव्यावहारिक शर्तों पर करार होते हैं। माना जाता है कि एक बार काम शुरू होने के बाद शर्तों को बदलवा लिया जाएगा। कभी यह हो जाता है, कभी नहीं हो पाता और परियोजनाएं अधूरी छूट जाती हैं या फिर मामला अदालत में पहुंच जाता है। राजमार्गों का बनना देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है।

जिस देश में सबसे ज्यादा ताकतवर संगठन सेना है और जहां ज्यादातर वक्त सैनिक तानाशाह राज करते रहे हों, वहां यह सचमुच एक ऐतिहासिक घटना है। रावलपिंडी की आतंकवाद विरोधी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के मामले में जनरल परवेज मुशर्रफ पर मुकदमा दर्ज किया है।

परवेज मुशर्रफ की मुसीबतों का न यह पहला अध्याय है न अंतिम, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उन पर राष्ट्रद्रोह का मामला चलाना चाहते हैं, इसके अलावा बलूच नेता नवाब अकबर बुगती की हत्या और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी के मामले की तलवार भी उन पर लटक रही है। यह समझना मुश्किल है कि दुबई और लंदन में अपने निर्वासन को छोड़कर वे इस साल के शुरु में पाकिस्तान क्यों लौटे।

क्या उन्हें सचमुच ऐसा भ्रम था कि पाकिस्तानी जनता उन्हें हाथोंहाथ लेगी और सत्ता सौंप देगी। वे जबसे पाकिस्तान लौटे हैं तबसे अपने घर में नजरबंद हैं, और उन्हें चुनाव लड़ने के भी अयोग्य घोषित कर दिया गया। पाकिस्तानी जनता में उनका नामलेवा कोई नहीं है। राजनीति और न्यायपालिका के ताकतवर लोग उनके हाथों हुए अन्याय और अपमान को भूले नहीं हैं।

अब उन पर हत्या का एक इल्जाम भी बाकायदा दर्ज हो गया जिसमें सबसे बड़ी सजा मृत्युदंड है। पाकिस्तान में किसी फौजी जनरल को पहले यह सब नहीं झेलना पड़ा है। यह देखना होगा कि सेना अपने पूर्व मुखिया की इस छीछालेदार को किस तरह लेती है। पहले यह लग रहा था कि संभवतः सेना दबाव बना कर मुशर्रफ को फिर से आजाद करके निर्वासन में भेज दे और इस तरह उनके सम्मान की रक्षा हो जाए, लेकिन इस मुकदमे ने स्थिति बिगाड़ दी है।

मुशर्रफ को बेनजीर भुट्टो की हत्या में कहीं न कहीं संदिग्ध सभी मान रहे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक जांच रिपोर्ट में भी इस मामले में मुशर्रफ को संदेह के घेरे में माना गया था। लेकिन बेनजीर के पति आसिफ अली ज़रदारी राष्ट्रपति पद पर होते हुए मुशर्रफ को घेरने का साहस नहीं कर पाए।

मुशर्रफ को घेरने का साहस आखिरकार न्यायपालिका ने किया, जो पिछले कुछ साल में बहुत ताकतवर हो गई है। मुशर्रफ ने सन 2007 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कई अन्य न्यायाधीशों को बर्खास्त कर दिया था। उसकी प्रतिक्रिया में जबर्दस्त जनआंदोलन खड़ा हो गया और यह जनआंदोलन मुशर्रफ राज के खात्मे का आधार बना।

इस आंदोलन के बाद न्यायपालिका की ताकत बहुत बढ़ गई और वह पाकिस्तान में एक स्वायत्त सत्ता केंद्र बन गई। अब उसने सेना को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती दी है और यह पाकिस्तान की राजनीति और सत्ता समीकरण में निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।

पाकिस्तानी सेना की समस्या यह है कि भले ही वह आज भी सबसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन उसका सीधे सत्ता हथियाना बहुत मुश्किल है। सेना में अब इस तरह के तत्व भी उभर रहे हैं जो अब तक की सेना की रणनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं और जिन्हें लग रहा है कि सेना की सत्ता की महत्वाकांक्षा और विदेश नीति में हस्तक्षेप की वजह से पाकिस्तान गंभीर संकट में आ गया है।

आज से कुछ साल पहले न्यायपालिका किसी जनरल पर हाथ नहीं डाल पाती, और अगर ऐसा दुस्साहस कर भी देती तो उसी दिन फौजी तख्तापलट हो जाता। इस घटना से पता चलता है कि पाकिस्तान धीरे-धीरे काफी बदल गया है। शायद यह बदलाव एक बेहतर पाकिस्तान की ओर ले जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर जो फैसला दिया है, उससे सरकार पर हमले के लिए विपक्ष को एक नया हथियार जरूर मिल गया है।

जहां तक राजनीतिक लाभ का सवाल है, तो भ्रष्टाचार के मामलों में सभी पार्टियां एक जैसी हैं और सरकार किसी भी पार्टी या गठबंधन की हो, भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने की अनुमति देने में सबका रवैया एक जैसा होता है। इसलिए भाजपा का सरकार पर आक्रमण एक राजनीतिक औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं है, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रियों व आला अफसरों की एक बड़ी सुरक्षा दीवार तोड़ दी है, जिसकी आड़ में आमतौर पर भ्रष्ट जनसेवक भ्रष्टाचार का मामला होते हुए भी बच निकलते थे।

गाय की महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। गाय हमारे जीवन से जुड़ी है, उसके दूध से लेकर मूत्र तक का उपयोग किया जाता है। पुराणों में उल्लेख है कि गाय की पूँछ छूने मात्र से ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। गाय के दूध में वह सारे तत्व मौजूद हैं, जो जीवन के लिए जरूरी हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गाय के दूध में बहुत शक्ति है। मीरा जहर पीकर भी जीवित बच गई थी क्योंकि वह पंचगव्य का सेवन करती थी लेकिन कृष्ण को पाने के लिए लोगों में मीरा जैसी भावना नहीं रही।

लोग अपने लिए आलीशान इमारतें बना रहे हैं। यदि इतना धन कमाने वाले अपनी कमाई का एक हिस्सा भी गौ सेवा और उनकी रक्षा के लिए खर्च करें तो गौमाता की रक्षा होगी। समय के बदलते दौर में राम, कृष्ण और परशुराम भी आए और उन्होंने भी गायों के उद्धार का काम किया। जब पांडव वन जा रहे थे तो उन्होंने गाय का साथ मांगा था। गाय की महिमा का सूरदास और तुलसीदास ने भी वर्णन किया है।

लोग आज बाबाओं के चक्कर में फंसे हुए हैं, उन पर तो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लेकिन दृश्य देवी की रक्षा के लिए बहुत कम लोग आगे आ रहे हैं। आज गौवंश की हत्या और तस्करी हो रही है। गौशालाओं में गाय मर रही हैं। जो लोग गाय पालते हैं और उसके दूध का व्यापार भी करते हैं, वे भी अपनी गायों को सड़कों और गलियों में छोड़ देते हैं। सड़कों, गलियों में घूमती गाय दुर्घटनाओं का शिकार हो जाती हैं जिससे जान-माल की क्षति भी होती है।

गौवंश बढ़ने की बजाय उसकी संख्या में निरंतर कमी आ रही है। मध्यप्रदेश में गौवंश की संख्या काफी अधिक थी लेकिन गौवंश गणना के आंकड़ों ने सरकार की गौरक्षा की नीयत पर सवाल अंकित कर दिए हैं।

विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत संख्या के अनुसार मध्यप्रदेश में पांच साल में 2 करोड़ से अधिक गौवंश लापता हो गए हैं। बुंदेलखंड के सागर संभाग में 7 लाख गौवंश का अता-पता नहीं है। आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि मृत गाय के शरीर से निकलने वाली बेशकीमती गौरोचन के लालच में तो गाय की हत्याएं करने वाला गिरोह सक्रिय नहीं है।

गाय के पेट में बनी पथरी को गौरोचन कहा जाता है जिसका बाजार मूल्य 20 हजार रुपए प्रति ग्राम बताया जाता है, इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक औषधियों में होता है। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार गौसंवर्धन बोर्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष गौशालाओं को करोड़ों का अनुदान देती है लेकिन गौवंश गायब हो रहा है। ज्यादातर गौवंश आवारा और लावारिस हालत में घूमते देखा जाता है, जो कचरे के ढेर से पेट भरता है। बुंदेलखंड में गौ तस्करो सहित गौरोचन के लालची बड़ी मात्रा में गाय की हत्याएं कर रहे हैं।

गौवंशों की संख्या में भी कमी से इन आरोपों को बल मिलता है कि कहीं न कहीं गाय के नाम पर बड़ा खेल हो रहा है। अब सवाल यह है कि गाय का संरक्षण कैसे किया जाए? गौवंश सड़क पर न होकर हमारे घरों में हो और हम सब उनकी सेवा करें तो स्थिति बदल सकती है। मध्यप्रदेश में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है।

मध्यप्रदेश गौवंश प्रतिरोध अधिनियम 2004 के साथ में मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिरोध अधिनियम 2012 तथा मध्यप्रदेश कृषक परिरक्षण अधिनियम 1559 नवीनतम न्याय दृष्टांत एवं अधिसूचना सहित प्रभावी हैं। जहां गाय का आहार जंगल में है और जंगल का आहार गाय के पास है परन्तु स्थितियां पहले से काफी अलग हैं।

मध्यप्रदेश सरकार अब गौवंश वध प्रतिरोध कानून में संशोधन करने जा रही है जिसमें गौवंश को सड़कों पर खुला छोड़ने वालों को दंडित करने का प्रावधान किया जाएगा। मध्यप्रदेश में देश की कुल मवेशी जनसंख्या का 10.27 प्रतिशत मवेशी हैं। पिछले कुछ महीनों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि आवारा गाय फसलों को नष्ट कर रही हैं, सड़कों पर दुर्घटनाओं का कारण बन रही हैं।

मध्यप्रदेश में एक करोड़ 96 लाख पशु हैं। कानून में संशोधन कर यह प्रावधान किया जा रहा है कि अगर कोई गाय सड़क दुर्घटना में मारी जाती है तो इसके लिए उसके मालिक को दंडित किया जाएगा। गायों को सड़कों और शहरों की गलियों से दूर रखने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। अगर कोई गौवंश पालता है तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी उसी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह अपने पशुओं को दिन में खुला छोड़ दें।

बेशक गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीख अभी तक चुनाव आयोग ने घोषित नहीं की है मगर इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि इस राज्य में होने वाले ये चुनाव 2019 के लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल माने जायेंगे। यह राज्य इसके साथ यह भी तय करेगा कि लोकसभा चुनावों के लिए शेष बचे समय के दौरान राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप क्या होगा और यह कौन सी दिशा पकड़ेगी।

वास्तव में यह चुनाव देश की दोनों प्रमुख पार्टियों कांग्रेस व भाजपा के लिए जीवन-मरण का प्रश्न होगा क्योंकि इसके नतीजों पर ही दोनों पार्टियों का भविष्य तय होगा जो आगे का रास्ता बनायेगा। इसलिए यह बेवजह नहीं है कि गुजरात में कांग्रेस व भाजपा दोनों ने ही अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है। भाजपा के चुनाव प्रचार की कमान स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जिस तरह संभाली है उसे देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लड़ाई कितनी पैनी और तेज होगी मगर दांव कांग्रेस की तरफ से भी कोई छोटा नहीं लगाया गया है।

यह पार्टी इन चुनावों के जरिये अपने भविष्य के नेता श्री राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के सपने संजो रही है। अतः यह कहा जा सकता है कि गुजरात में असली टक्कर मोदी बनाम राहुल रहेगी। इस राज्य को अभी तक दो प्रधानमंत्री देश को देने का गौरव हासिल रहा है। पहले श्री मोरारजी देसाई थे जिन्होंने 1977 में जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व किया था।

मूलरूप से गांधीवादी और कांग्रेसी होने के बावजूद श्री देसाई की सरकार केन्द्र में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार इसलिए कही गई थी क्योंकि इसमें जनसंघ, स्वतन्त्र पार्टी, संसोपा, संगठन कांग्रेस आदि ऐसे घटक दल थे जो जनता पार्टी में समाहित हो गये थे। यह प्रयोग पूरी तरह असफल रहा था और केवल ढाई साल बाद ही श्रीमती इन्दिरा गांधी की कांग्रेस ने सत्ता में धमाकेदार वापसी की थी लेकिन 2017 की राजनीति पूरी तरह बदली हुई है।

केन्द्र में श्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है और इसे अपने बूते पर लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त है। इसके साथ ही श्री मोदी पूरे 12 वर्ष तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी ने लगातार तीन बार राज्य स्तर पर विजय की तिकड़ी लगाई है।

1960 में गुजरात राज्य का गठन होने के बाद इतनी बड़ी विजय किसी मुख्यमंत्री को हासिल करने का श्रेय नहीं मिल सका किन्तु 2014 में उनके केन्द्र में आने पर राज्य स्तर पर भाजपा कोई दमदार नेतृत्व प्रदान करने में सफल नहीं हो सकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत भी ऐसी ही है। राज्य स्तर पर इसके पास भी कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपनी छाया में समूची पार्टी को ले सके।

अतः दोनों ही पार्टियों के केन्द्रीय नेतृत्व की भूमिका ही इन चुनावों में मुखर होकर बोलेगी और मतदाताओं को मोहने की कोशिश करेगी लेकिन गुजरातियों के बारे में एक तथ्य महत्वपूर्ण रहा है कि ये शान्त रहकर धमाके करने में माहिर हैं। 1975 में जब केन्द्र में स्व. इंदिरा गांधी जैसी शक्तिशाली नेता का शासन था तो सबसे पहले उनकी पार्टी कांग्रेस के विरुद्ध इसी राज्य ने बगावत का झंडा बुलन्द किया था और मई 1975 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस विरोधी जनमोर्चे को स्व. बाबू भाई पटेल के नेतृत्व में विजय दिला दी थी। इतिहास सबक लेने के लिए ही होता है। अतः सत्ताधारी भाजपा को लगातार 22 वर्ष तक शासन में रहने के खुमार से बाहर निकल कर हकीकत का सामना करना होगा।

दरअसल गुजरात देश का ऐसा राज्य रहा है जिसके विकास पर कभी कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ। इस राज्य के लोग ऐतिहासिक रूप से व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं। यह भी सत्य है कि विदेशों से कारोबार करने के रास्ते भी इसी राज्य में फैले समुद्र के किनारे बसे बन्दरगाहों से बने हैं। मौर्यकाल से लेकर मुगलकाल तक वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में यह राज्य प्रत्येक शासन का प्रिय रहा और यहीं से भारत की वाणिज्यिक शब्दावली भी उपजी।

इसी कारण इस राज्य ने एक से बढ़कर एक उद्योगपति इस देश को दिये जिन्होंने विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों में कीर्तिमान तक स्थापित किये लेकिन मौजूदा दौर में इस राज्य की राजनीति पूरी तरह करवट ले चुकी है। इसकी वजह यह है कि राज्य में जातिगत व सामुदायिक आधार पर लोगों की अपेक्षाएं बदल गई हैं।

अमरीका पर हुए हमले ने समूचे विश्व को हिलाकर रख दिया था। अमरीका पर तो मानो गाज ही गिर गई थी। विश्व थाने के दरोगा के घर पर चंद हमलावरों ने आक्रमण कर दिया था। भावनात्मक रूप से सारा अमरीका आहत हो गया था। ठीक ऐसे समय सनक का सार्थक उपयोग हो गया था। बुश ने ओसामा बिन लादेन के खिलाफ बिगुल बजा दिया था।

अहद लिया गया— सारे विश्व में जहां भी आतंकवाद होगा उसे समाप्त कर दिया जाएगा। बुश रोज तहरीरें देने लगे। जिन शब्दों का इस्तेमाल वह करते थे, वे अमेरिका के लोगों को अच्छे लगने लगे थे। अमेरिकावासी भी उन्माद की स्थिति में थे। उन्माद का उन्माद से मिलन हो गया था। रोज खबरें आतीं कि अलकायदा के इतने लोग मार दिए गए, ताबिलान के इतने लोग मारे गए।

तोरा—बोरा में भीषण गोलाबारी हुई तो अमेरिका के लोग गलियों और चौराहों पर खड़े होकर बड़ी स्क्रीन पर एक व्यक्ति को गुस्से में बोलते हुए पाते और वह व्यक्ति था जार्ज वाकर बुश। लोग उसके दीवाने हो गए। बुश अमेरिका की आंख के तारे हो गए, लेकिन इस अंधी दौड़ में एक ऐसी गलती कर गए जिसका खामियाजा अमेरिका को ही नहीं सारे विश्व को भुगतना पड़ रहा है।

वह गलती थी ऐसे विषम दौर में बुश—मुशरफ मैत्री। तब दुष्ट पाकिस्तान ने बुश के सामने झुककर कहा—मेरे आका मैं आपका सेवक। आपका गुलाम। आप अलकायदा और तालिबान को नेस्तनाबूद कर दो। यह हुक्म का गुलाम हर हाल में आपके साथ है। अमेरिका ने एक प्राणी की कू—कू को देख उसके गले में पट्टा डाल दिया। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, वह मालिक को नहीं काटता परन्तु उसने तो लादेन को अपने यहां शरण दी, अफगानिस्तान में वह अपने मालिक के खिलाफ षड्यंत्र में लगा रहा।

समय पर यह साबित कर दिया कि कुत्ता अगर पागल हो जाए तो उसकी पूंछ भी सीधी हो जाती है और वह काटता भी है। भारत ने लाख समझाने का प्रयास किया कि पाक आतंकवादी देश है, उसका वजूद विश्व शांति के लिए खतरा है। पर अमेरिका के हुक्मरान चाहे वह क्लिंटन हो, ओबामा हो सबके सब दोगली नीतियां अपनाते रहे। विदेश मंत्री के रूप में हिलेरी क्लिंटन पाकिस्तान पर नेमतें बरसाती रहीं जबकि अमेरिका जानता था कि उसकी मदद का इस्तेमाल पाक आतंकवाद को सींचने के लिए कर रहा है। अमेरिका नकेल कसता, लेकिन फिर भी उसे सहायता देता रहा।

एक तरफ अमेरिका सारे विश्व के सामने अपनी यह इमेज बनाना चाहता है कि वह आतंकवाद का सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरी तरफ अमरीका सबसे बड़े आतंकवादी देश को सीने से लगाकर रखे हुए है। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद लग रहा था कि समय नई करवट लेगा लेकिन उनके नेतृत्व में भी अमेरिका दोहरी चालें चल रहा है।

अमेरिका और भारत के संबंध काफी मधुर हुए। आतंकवाद पर अमरीका ने भारत के सुर में सुर मिलाया लेकिन जब बात मोस्ट वांटेड हाफिज सईद की आई तो भारत को अमेरिका से निराशा ही हाथ लगी। अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने बुधवार को विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाहों को लेकर चेतावनी दी थी। टिलरसन ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

उधर पाक के विदेश मंत्री ने बयान दिया है कि अमरीका ने उसे जो आतंकवादियों की सूची सौंपी है उसमें हाफिज सईद का नाम नहीं है। हाफिज सईद मुम्बई में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। आतंकवादी गतिविधियों में सईद की भूमिका को लेकर उस पर एक करोड़ रुपए का ईनाम भी घोषित है। यद्यपि हाफिज इस साल जनवरी से नजरबंद है लेकिन वह रोजाना भारत और अमेरिका के खिलाफ जहर उगलता है। यह वही शख्स है जो भारत के साथ लगते पाकिस्तान के सीमांत गांवों में घूम—घूम कर भारतीय सैनिकों के सिर काट कर लाने के लिए भड़काता रहा है लेकिन इस सबके बावजूद अमेरिका की आतंकी सूची में हाफिज का नाम शामिल नहीं होना चौंकाने के साथ—साथ कई सवाल भी खड़े करता है।

सूचियों का आदान—प्रदान भी रेक्स टिलरसन की पाकिस्तान की यात्रा के दौरान हुआ है। अमेरिकी सूची में हक्कानी नेटवर्क का नाम टॉप पर है।

पेट्रोल—डीजल की कीमतों को नई शुल्क व्यवस्था जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर सत्तारूढ़ व विपक्षी दलों में विवाद कोई नया नहीं है। इसकी असली वजह यह है कि पेट्रोल व डीजल पर शुल्क लगाकर केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के पास राजस्व उगाही का वह सबसे सरल रास्ता है जिसके लिए उन्हें किसी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती। बेशक भारत सरकार की यह घोषित नीति है कि घरेलू बाजार में पेट्रोल व डीजल के भाव सीधे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से बन्धे होने चाहिए और इनका भाव तेल कम्पनियों को ही तय करने की खुली छूट मिलनी चाहिए मगर इसके बावजूद सरकारों के हाथ में वह अस्त्र है जिसके जरिये वे इन्हें महंगा या सस्ता बना सकती हैं।

यह औजार इस ईंधन पर उत्पाद व आयात शुल्क के साथ राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाने वाला विक्रीकर है। इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि पेट्रोल व डीजल पर जो कुल शुल्क लगता है उसमें इसका हिस्सा 50 प्रतिशत है अर्थात् यदि शुल्कों को हटा दिया जाये तो पेट्रोल व डीजल का बाजार में भाव सीधा आधा रह जायेगा। जीएसटी के दायरे में अगर इसे अधिकतम 28 प्रतिशत के घेरे में भी रखा जाता है तो बाजार में इन दोनों ईंधन के भाव मौजूदा भावों से लगभग तीन चौथाई ही रह जायेंगे।

जाहिर तौर पर इसका सीधा लाभ उन उपभोक्ताओं को होगा जो स्कूटर से लेकर मोटर कार चलाते हैं और उन किसानों को होगा जो खेती—बाड़ी में डीजल का उपयोग अपने इंजन या ट्रैक्टर व ट्रैक्टर आदि चलाने में करते हैं। इसके साथ ही डीजल के दामों में कमी का सबसे बड़ा फायदा रेलवे को भी होगा जिसमें इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। रेलवे के लिए डीजल सस्ता होने का मतलब होगा कि यात्री किरायों में लगातार वृद्धि का बोझ आम जनता पर कम होगा।

बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में सरकार आवश्यक वस्तुओं पर यदि सब्सिडी समाप्त करने की वकालत करती है तो दूसरी तरफ उसे ऐसी वस्तुओं को संरक्षणात्मक अर्थव्यवस्था के ढांचे में रखने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। देश की कुल बजट राशि का एक तिहाई धन केवल पेट्रोलियम आयात पर ही खर्च होता है और इस पर शुल्क लगाकर सरकार अपनी कुल राजस्व उगाही का लगभग एक चौथाई हिस्सा प्राप्त करती है।

जाहिर तौर पर यह राजस्व राशि बिना किसी उपक्रम के प्राप्त होती है अतः इसे इजी मनी कहा जा सकता है जिसका लोभ संवरण करना आसान काम नहीं है। इसके साथ ही केन्द्र इस धनराशि का 40 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को दे देता है मगर इसके बाद राज्य सरकारों के पास भी यह हक होता है कि वे अपनी सुविधानुसार विक्रीकर लगाकर अपने प्रदेशों में डीजल व पेट्रोल की कीमतें तय करें। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं पर अत्याचार के अलावा दूसरी नहीं कही जा सकती क्योंकि अब पेट्रोल केवल रईसों के उपयोग की चीज नहीं रह गई है।

आर्थिक उदारीकरण और बाजारमूलक अर्थव्यवस्था के तहत बैंकिंग क्षेत्र में परिवर्तन व प्रतियोगिता बढ़ने की वजह से पूंजीगत वस्तुओं से लेकर टिकाऊ उपभोक्ता सामग्री की खरीदारी के क्षेत्र में आसान बैंक ऋणों की उपलब्धता बढ़ी है जिसकी वजह से छोटे कस्बों से लेकर शहरों तक में दोपहिया मोटर वाहनों की बाढ़ आ गई है। भारत का जो स्वरूप बदला है उसमें अब साइकिल की जगह मोटरसाइकिल लेती जा रही है और यह औसत व्यक्ति का वाहन बनती जा रही है।

अब मोटरसाइकिल सामान्य वाहन का रूप लेती जा रही है अतः पेट्रोल व डीजल के भाव सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालते हैं। चूंकि इन्हें चलाने के लिए भारत की निर्भरता 90 प्रतिशत आयातित तेल पर है इसलिए आम आदमी के हितों को ध्यान में रखकर सरकार को अपनी वरीयताएं तय करनी पड़ेंगी।

राज्यसभा में विपक्षी कांग्रेस के नेताओं खासकर पूर्व वित्तमन्त्री पी. चिदम्बरम द्वारा इन ईंधनों को जीएसटी के दायरे में लाने की जरूरत के जवाब में वित्तमन्त्री अरुण जेतली का उत्तर भी सकारात्मक था और उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद में ही इस प्रकार का फैसला इस शुल्क प्रणाली के नियमों के तहत लिया जा सकता है अतः जब भी इस परिषद की अगली बैठक होगी वह इसमें इस मुद्दे को उठायेंगे।

इससे यह तो पता चलता है कि वित्तमन्त्री की नीयत इन ईंधनों को सस्ता बनाने की है और तार्किक मूल्य प्रणाली लागू करने की है किन्तु राज्य सरकारों के नजरिये को बदलना उनके हाथ में नहीं है लेकिन इस मामले में भी वित्तमन्त्री अब ज्यादा समय नहीं ले सकते हैं

दिल्ली फिर एक बार धुआं हुई, नियम—कायदे यहां कौन समझता है, दीये नहीं पटाखे जलाने से धर्म झलकता है, परम्परा का हवाला दे आतिशबाजियां हजार हुईं, दिल्ली फिर एक बार धुआं हुई, दिल्ली वाले जिम्मेदार बने खुद अपनी बर्बादी के, किसान भी कहां पीछे रहते अपनी फसलों को जलाने में, धुंध की चादर तले फिर कितनी सुबह हुई, दिल्ली वालों के हाथों दिल्ली फिर धुआं हुई। दिल्ली के हालात पर अमन श्रीवास्तव की पंक्तियां पूरी तरह से सटीक उतरती हैं।

सर्दी का मौसम आ गया और हर बार की तरह राजधानी में धुंध नहीं, स्मॉग छाई है। बुधवार की सुबह तो स्मॉग मंगलवार से कहीं अधिक गहरा था। ऐसे हालात केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी योजना क्षेत्र के तहत आने वाले शहरों में हैं। स्कूल बन्द कर दिए गए हैं। सांस लेना भी दूभर हो चुका है।

यह तय था कि राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में फिर पराली का दमघोटू धुआं मंडराएगा। खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान की कटाई शुरू होते ही पराली जलाकर खेत खाली करने की जल्दी मच गई। इसे रोकने के सभी सख्त कदम धरे के धरे रह गए। राजधानी दिल्ली की आबोहवा को पराली के धुएं से दूषित करने वाले ऐसे सभी राज्यों को केन्द्र ने सख्त चेतावनी भेजनी शुरू कर दी थी लेकिन परिणाम इस बार भी कुछ नहीं निकला और दिल्ली लोगों को मारने पर तुल गई।

दिल्ली वालों के फेफड़े तो रोजाना 40 सिगरेट पीने के बराबर का धुआं सोख रहे हैं और इन दिनों हम कितनी सिगरेट का धुआं सोख रहे हैं, इसकी कल्पना की जा सकती है। दिल्ली के हर चौथे बच्चे को फेफड़े की शिकायत है। दिल्ली वालों के फेफड़े काले हो चुके हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के कारण दीपावली पर पटाखे उताने नहीं चले जितने पिछले सालों से फोड़े जाते रहे हैं। दीपावली के दूसरे दिन प्रदूषण का स्तर तो घटा लेकिन वह रहा खतरनाक स्तर से ऊपर ही।

इसका अर्थ यही है कि दिल्ली में प्रदूषण के और भी कई कारण हैं। राजधानी में गाड़ियों द्वारा छोड़ा गया धुआं वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है। चिमनियों और फैक्टरियों का धुआं भी एक वजह है। भलस्वा और गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में लगी आग का धुआं भी नीले आकाश को काला कर रहा है।

एनजीटी की बार—बार फटकार के बाद सब लोग मुआयने में जुट जाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं किया जाता। स्थानीय नगर निकायों ने भी नहीं सोचा कि दिल्ली की चारों दिशाओं में बन चुके कूड़े के पहाड़ों को कैसे निपटाया जाए। दिल्ली वालों ने भी नहीं सोचा कि हम स्वयं इस धुएं की चुनौती का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। क्या हम स्वेच्छा से कुछ दिन के लिए निजी वाहनों का इस्तेमाल बन्द नहीं कर सकते। सवाल यह भी है कि अगर दिल्ली वाले निजी वाहनों का इस्तेमाल बन्द कर भी दें तो क्या राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था इतनी आबादी का बोझ सह लेगी? दिल्ली में बार—बार स्कूल बन्द कर दिए जाते हैं।

सरकार यह क्यों नहीं कहती कि महानगर में डीजल कारों का पंजीकरण बन्द हो, कारों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि बन्द हो। कारण सबको पता है लेकिन समाधान में किसी की भी गहरी दिलचस्पी नहीं है। सभी को ऐसा लगता है कि यह चार—पांच दिनों की बात है, बाद में हालात सामान्य हो जाएंगे।

दिल्ली तो आपात स्थिति से गुजर रही है। साथ ही गुड़गांव, रोहतक, चंडीगढ़, फरीदाबाद आदि शहरों में भी हवा जहरीली हो चुकी है परन्तु दिल्ली पर मीडिया बहुत ज्यादा शोर मचाता है। जब भी शरद ऋतु शुरू होती है तो इसके कारण तापमान व्युत्क्रम (टैम्प्रेचर इन्वर्जन) यानी जमीन पर हवा का तापमान ज्यादा होता है और ऊपर जाते—जाते तापमान कम होता जाता है। जब वह हवा ऊपर उड़ती है तो उसमें मौजूद पोषक तत्व भी उड़ते हैं और एक चादर बना लेते हैं।

दिल्ली में ऊंची इमारतें हैं कि हवा वहां रुक जाती है। अब सब शहरों में बहुमंजिली इमारतें बनने लगी हैं, कोई दिल्ली से सबक नहीं ले रहा। हर बार राजधानी में निर्माण, डीजल जनरेटर के इस्तेमाल और कोयला प्लांट बन्द करने जैसे कदम उठाए जाते हैं। ऑड—ईवन फार्मूला भी फिर से अपनाया ही जाएगा। ये सब फौरी उपाय तो सही हैं लेकिन जहरीले वातावरण से बचने के लिए दीर्घावधि योजना की जरूरत है।

फिल्म सितारे भी बड़े अपराधियों से अपनी दोस्ती का गर्व करते थे। ऐसा नहीं है कि आज मुंबई की फिल्मों में अपराध का पैसा नहीं लगता होगा, लेकिन दाऊद इब्राहीम, टाइगर मेमन और उनके साथियों के भारत छोड़ देने के बाद अंडरवर्ल्ड का प्रत्यक्ष दखल काफी कम हो गया है। लेकिन अब भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि संगठित अपराध का मुंबई की फिल्मी दुनिया से रिश्ता टूट चुका है।

ऐसा इसलिए भी है कि मुंबई के फिल्म उद्योग का अर्थशास्त्र ही ऐसा है कि उसे काले पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, चाहे वह अपराध का या बिल्डरों का या हीरों के व्यापारियों का पैसा हो। फिल्मों का अर्थशास्त्र अब काफी सुधरा है, फिर भी वह इतना भी व्यवस्थित नहीं हुआ है कि पूरी तरह कानूनी पैसे से चल जाए। जब तक काले पैसे की समानांतर अर्थव्यवस्था बनी रहेगी, तब तक अपराधियों का दखल उन पेशों में भी बना रहेगा, जो पूरी तरह जायज हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कहा है कि पुलिस, कस्टम और कोस्ट गार्ड के लोग भी इस प्रकरण में फंसे हुए हैं। इन लोगों के भ्रष्टाचार और गैर-जिम्मेदारी की वजह से धमाकों के लिए आरडीएक्स और हथियारों की तस्करी मुमकिन हो पाई। यह लगभग शत-प्रतिशत सत्य है कि इन सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार आज भी उतना ही है। अगर आतंकवादी व देशद्रोही इस भ्रष्टाचार का लाभ उठाना चाहें, तो उसकी आशंका आज भी उतनी ही है।

एक बड़ा सबक उन धमाकों से यह लिया जाना चाहिए था कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई सबक नहीं सीखा गया। 1993 के धमाकों के दोषियों को सजा मिलना इस प्रकरण का अंत नहीं है, क्योंकि आज भी परिस्थितियां वैसी ही हैं। हमारे तंत्र में कोई सुधार नहीं आया है। अगर हम इस प्रकरण के मूल मुद्दे को देखें, तो वह अपराध और भ्रष्टाचार का हमारे समाज में स्वीकृत ही नहीं, बल्कि सम्मानित होना है।

जब तक हथियार और पैसा हमारे समाज में सम्मान और रुतबे के प्रतीक होंगे, तब तक हमारे समाज पर इस तरह के भयावह हादसों का खतरा मंडराता रहेगा। कई बिगड़े, लापरवाह संजय दत्त बनते रहेंगे। कानून ने तकरीबन 20 साल बाद धमाकों के इन दोषियों को लगभग अंतिम रूप से सजा तो दे दी, लेकिन इस दौरान हमारी सरकार और समाज ने कुछ नहीं सीखा।

आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण के बाद इंसान की बनाने और नष्ट करने, दोनों की क्षमताएं तेजी से बढ़ी हैं। इससे दुनिया में तेजी से बदलाव आए हैं। एक बदलाव यह आया है कि कई पशु-पक्षियों और वनस्पतियों की प्रजातियां या तो खत्म हो रही हैं या खत्म होने के कगार पर हैं। ऐसे में पर्यावरण और प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी मुहिम चल रही है, लेकिन कुछ लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या प्रजातियों का विलुप्त होना भी स्वाभाविक और प्राकृतिक घटना नहीं है।

एक विज्ञान लेखक का कहना है कि प्रजातियों का विलुप्त होना सिर्फ आधुनिक समय की घटना नहीं है। जब से धरती पर जीवन आया है, उसके बाद से ही यह जारी है। कम से कम पांच बार धरती पर ऐसा हुआ है कि लगभग सारे जीव खत्म हो गए हैं। लाखों साल पहले धरती पर डायनासॉर रहते थे। कई मायनों में डायनासॉर का विनाश ठीक ही था। अगर हमारे वक्त में डायनासॉर होते, तो क्या होता, यह 'जुरासिक पार्क' या ऐसी ही फिल्मों से पता चलता है। शायद तब इंसान ही न होता, क्योंकि डायनासॉर के राज में छोटी प्रजातियों का पनपना बहुत मुश्किल होता। प्रजातियां धरती पर आती-जाती रहती हैं। धरती की परिस्थितियों के जो अनुकूल होती हैं, वे टिक जाती हैं, जो अपना अनुकूलन बदलती परिस्थितियों में नहीं कर पातीं, वे नष्ट हो जाती हैं।

ज्यादातर प्रजातियों का जीवनकाल कुछ लाख से लेकर कुछ करोड़ तक होता है। कुछ प्रजातियां बने और बचे रहने के लिए ज्यादा मुफीद होती हैं, वे करोड़ों साल से चली आ रही हैं। सवाल है कि जीवों को बचाने के पीछे कुछ ठोस वैज्ञानिक आधार हैं या यह सिर्फ रूमनियत है। आधुनिकीकरण के साथ ही एक रोमांटिसिज्म का आंदोलन भी चला, जिसमें प्राकृतिक और सरल-सादे जीवन को आदर्श माना गया था। महात्मा गांधी भी ऐसे विचारों से काफी प्रभावित रहे, हालांकि जवाहरलाल नेहरू इससे ज्यादा सहमत नहीं थे और अंबेडकर तो

आधुनिक समाज में सोडा वाटर आधारित शीतल पेय हर जगह हर वक्त मौजूद हैं। बड़े-बड़े फिल्मी सितारे और खिलाड़ी उनका विज्ञापन करते हैं और यह लोगों के मन में पैठाया जाता है कि शीतल पेय आधुनिक जीवन शैली का अनिवार्य हिस्सा हैं। सेहत पर इनके बुरे नतीजों के बारे में कई शोध हुए हैं।

दो बरस पहले अमेरिका में हुए एक अध्ययन के मुताबिक, किशोरों में आक्रामक व्यवहार का शीतल पेय पीने से सीधा रिश्ता है, लेकिन शीतल पेय बनाने वाली कंपनियां अपने प्रचार पर इतना ज्यादा खर्च करती हैं कि उनके प्रभाव में सारा समाज आ जाता है।

सायना नेहवाल और पीवी सिंधू जैसी खिलाड़ियों के कोच और पूर्व ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप विजेता पुलेला गोपीचंद जैसा एकाध ही सिद्धांतवादी खिलाड़ी होता है, जो किसी कोला कंपनी का विज्ञापन करने से मना कर देता है।

और कुछ नहीं, तो शीतल पेयों से एक नुकसान तो होता ही है कि उनमें खाली कैलोरी होती है, जिनसे मोटापा बढ़ सकता है और अन्य जरूरी पोषक तत्वों की शरीर में कमी हो सकती है।

फिर भी यह बताना मुश्किल है कि बच्चों में व्यवहारगत समस्याएं इन पेय से क्यों बढ़ती हैं। संभव है कि इन पेय में मौजूद कैफीन की वजह से ऐसा हो, क्योंकि कैफीन की ज्यादा मात्रा अस्थिरता, एकाग्रता की कमी वगैरह के लिए जिम्मेदार होती है।

या ऐसे पेयों में मौजूद अन्य रसायन जैसे कॉर्न शुगर या फॉस्फोरिक एसिड ऐसा असर डालते हों। या ज्यादा शीतल पेय पीने से होने वाली किसी पोषक तत्व की कमी से ऐसा होता हो। इस मामले में अभी तक ढेर सारे सवाल अनसुलझे हैं, लेकिन समझदारी यही है कि बच्चों में शीतल पेय की आदत को नियंत्रित किया जाए।

इसका मतलब यह भी नहीं कि शीतल पेय पर पाबंदी लगा दी जाए। यह व्यावहारिक भी नहीं होगा, लेकिन किसी भी चीज की अति खराब होती है। विदेशों में आम तौर पर सामान्य भोजन काफी सूखा होता है, इसलिए उसके साथ कोई पेय लेना वहां जरूरी है।

भारतीय भोजन में दाल या रसदार सब्जी की वजह से यह जरूरी नहीं होता, लेकिन जो फास्ट फूड बाजार से आता है, उसके साथ शीतल पेय जरूरी हो जाता है।

इसका अर्थ है कि ये दोनों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजें एक साथ आती हैं। अगर घर के परंपरागत भोजन को नियम बनाया जाए और फास्ट फूड को अपवाद की तरह ही आजमाया जाए, तो सेहत के लिए अच्छा है। आखिरकार हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ रचें, दुनिया को हमसे बेहतर बनाएं, न कि उसमें किसी तरह की तोड़-फोड़ करें। दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी पर भारतीय वायु सेना ने हरक्यूलिस सी-130जे हवाई जहाज उतारकर चीन को एक चुनौती दी है।

दौलतबेग ओल्डी हवाई पट्टी उसी इलाके में है, जहां कुछ दिनों पहले चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी और करीब तीन हफ्तों तक वे तंबू तानकर वहां रहे थे। चीन की घुसपैठ की एक वजह दौलतबेग ओल्डी हवाई पट्टी को फिर से चालू करने की भारतीय कोशिश का विरोध थी।

यह हवाई पट्टी वास्तविक नियंत्रण रेखा से सिर्फ आठ किलोमीटर की दूरी पर है और यहां हवाई जहाजों का आना-जाना यह बताता है कि किसी भी मौके पर भारत तेजी से अपने सैनिक यहां उतार सकता है।

सीमा के उस पार चीनी क्षेत्र में सड़क तो है, लेकिन हवाई यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है। दौलतबेग ओल्डी की तरह दो और ऐसी ही हवाई पट्टियों को भारत ने सीमा पर फिर से सक्रिय किया है।

ये सारी हवाई पट्टियां 1962 के युद्ध के पहले सक्रिय थीं, लेकिन उसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया था। यह मुमकिन है कि जवाब में चीन भी कोई कार्रवाई करे।

इसका अर्थ यह है कि यह महंगाई किसी तात्कालिक कारण से नहीं है, जसे कभी बारिश न होने या बारिश ज्यादा होने पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। महंगाई का लगातार बढ़ते रहना यह बताता है कि यह व्यवस्थागत है, ऐसा नहीं है कि एकाध अच्छा मानसून या तेल के अंतरराष्ट्रीय दामों में गिरावट इसे ठीक कर देगी।

इस लगातार महंगाई से यह हो रहा है कि आम आदमी की आय का ज्यादा बड़ा हिस्सा अनिवार्य जरूरतों पर खर्च हो जा रहा है और उसके पास अतिरिक्त खर्च के लिए पैसा ही नहीं बच पा रहा। इसका सीधा असर औद्योगिक उत्पादन पर पड़ रहा है, क्योंकि बाजार में मांग कम हो गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन कह चुके हैं कि अगर हमने महंगाई पर काबू नहीं पाया, तो हम कम विकास दर के एक लंबे दौर में फंस सकते हैं।

राजन ने महंगाई घटाने को प्राथमिकता देने की बात कही है। वह एक बार ब्याज दरें बढ़ा चुके हैं और अब भी जानकार ब्याज दरों में और ज्यादा बढ़ोतरी की आशंका जता रहे हैं। लेकिन रिजर्व बैंक की अपनी सीमाएं हैं, ब्याज दरें बढ़ने से आलू-प्याज-टमाटर तो सस्ता होने से रहा। इसके लिए सरकार को उपाय करने होंगे। ऐसा भी नहीं है कि खाने-पीने की चीजों के उत्पादन में भारी कमी हुई है या मांग अचानक बहुत बढ़ गई है।

अगर उत्पादन में कमी हुई हो या मांग बढ़ी भी हो, तो वह इतनी नहीं है कि महंगाई इतनी बढ़ जाए। जाहिर है, हमारे थोक व खुदरा व्यापार और आपूर्ति व्यवस्था में ऐसी गड़बड़ियां हैं, जिनमें बरबादी और मुनाफाखोरी की भारी गुंजाइश है। एक समस्या यह भी है कि चुनावों के मद्देनजर तमाम सरकारें लोक-लुभावन योजनाओं में पैसे डाल रही हैं और यह पैसा महंगाई बढ़ा रहा है। सन 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद जो नई सरकार बनेगी, वही शायद इन बातों को सुधार सके, इसके पहले महंगाई पर काबू करने का काम शायद रिजर्व बैंक के जिम्मे ही होगा और इसलिए अपने कजरे की ज्यादा किस्त चुकाने के लिए तैयार रहिए।

सचिन तेंदुलकर के साथ ही 'भारत रत्न' का सम्मान पाने वाले वैज्ञानिक डॉ सीएनआर राव विज्ञान के क्षेत्र के बाहर ज्यादा नहीं जाने जाते। ज्यादातर लोगों ने उनका नाम 'भारत रत्न' पाने के बाद ही सुना। यह स्वाभाविक भी है। कम ही वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन या स्टीफन हॉकिंग की तरह लोकप्रिय हो पाते हैं, क्योंकि विज्ञान को समझने और उसमें दिलचस्पी लेने वाले लोग दुनिया में कम होते हैं। लेकिन सीएनआर राव से लोगों का पहला परिचय एक विवाद के साथ हुआ, जिससे बचा जा सकता था।

भारत रत्न मिलने के बाद उन्होंने जो प्रेस कांफ्रेंस की, उसमें उन्होंने राजनेताओं को 'इडियट' कह दिया, क्योंकि वे विज्ञान के प्रोत्साहन के लिए जितना किया जाना चाहिए, उतना नहीं करते। डॉ राव की शिकायत जायज हो सकती है, लेकिन उन्हें सम्मान पाने के बाद ज्यादा गरिमापूर्ण बात करनी चाहिए थी। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा सम्मान है और इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखना कम से कम उस व्यक्ति के लिए जरूरी है, जिसे यह सम्मान मिला है।

डॉ राव बहुत पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं और कई बड़े शोध संस्थानों से जुड़े रहे हैं, उन्हें कई देशी-विदेशी सम्मान मिल चुके हैं, इसलिए उनसे यह उम्मीद करना गलत नहीं होगा कि वह मौके के औचित्य के हिसाब से बात करते। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा और किसी देश का कोई नागरिक नहीं होगा, जिसे राजनेताओं से शिकायत न हो। यह स्वाभाविक-सी बात है कि कितनी ही अच्छी व्यवस्था हो, उसमें कुछ खामियां होंगी। ज्यादातर देशों की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं कही जा सकतीं। चूंकि राजनेता व्यवस्था चलाते हैं, इसलिए उन पर आम लोगों की नाराजगी स्वाभाविक भी है।

इसी तरह, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, उसे यह शिकायत होगी कि राजनेता उसके क्षेत्र के साथ न्याय नहीं करते हैं। सेना के लोग बताएंगे कि नेता सेना के लिए जितना जरूरी है, उतना नहीं करते। शिक्षक बताएंगे कि नेताओं को शिक्षा की परवाह नहीं है, डॉक्टर बताएंगे कि नेता स्वास्थ्य क्षेत्र की उपेक्षा करते हैं और खिलाड़ियों को शिकायत होती है कि नेता खेलों का महत्व नहीं समझते। इन सारी शिकायतों में काफी कुछ तथ्य भी हैं, क्योंकि अगर नेता हर क्षेत्र के जानकार होते और उनके विकास में दिलचस्पी लेते, तो हर क्षेत्र में इतनी शिकायतें नहीं होतीं।

इन दिनों जातिगत आरक्षण का मामला बुनियादी तौर पर राजनीति के समीकरण से ही तय होता है, पिछड़ी जातियों का उत्थान या सामाजिक बराबरी जैसे मुद्दे अब लगभग अप्रासंगिक हो गए हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्रित्व के दौर में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद आरक्षण का राजनीतिक महत्व सामने आ रहा है।

एक वक्त था, जब जाट अपने को पिछड़ी जाति कहे जाने का विरोध करते थे, लेकिन पिछले लंबे दौर से वे पिछड़ी जाति घोषित किए जाने के लिए आंदोलन चलाते रहे हैं। कुछ राज्यों में तो उन्हें पिछड़ी जाति घोषित कर भी दिया गया है। अब केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण का लाभ भी उन्हें जल्दी ही मिल सकेगा। इस राजनीतिक उठा-पटक के कुछ नतीजे अच्छे भी आए हैं।

उत्तर भारत में पिछड़ी जातियां राजनीतिक स्तर पर ज्यादा मुखर और ताकतवर हुई हैं, अब ज्यादातर उत्तरी राज्यों में किसी सवर्ण नेता का मुख्यमंत्री बनना लगभग असंभव है, दक्षिणी राज्यों में यह स्थिति पहले से ही थी। आरक्षण के सियासी इस्तेमाल के नफे-नुकसान का वस्तुनिष्ठ आकलन तो फिलहाल मुश्किल है, अलबत्ता पार्टियों के लिए इसका चुनावी उपयोग तो अभी बना हुआ है। 2014 के आम चुनाव पर इस दांव का कितना असर होगा, यह जानने के लिए अभी कुछ इंतजार करना होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात पुलिस द्वारा एक महिला की जासूसी के मामले की जांच के लिए एक कमीशन बनाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अगुवाई में बनने वाला यह आयोग नरेंद्र मोदी के सबसे खास अमित शाह और उन पुलिस अधिकारियों से पूछताछ कर सकेगा, जिनके नाम इस जासूसी के कांड में आए हैं।

जैसा कि तय था भारतीय जनता पार्टी ने इसे राजनीतिक षड़यंत्र और मोदी की लोकप्रियता से घबराकर की गई कार्रवाई बताया है, लेकिन यह भी सच है कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं, तो उनके विश्वसनीय सिपहसालारों के लिए इस जांच से गंभीर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। भाजपा की आपत्ति यह है कि गुजरात सरकार इस मामले की जांच के लिए एक कमीशन बना ही चुकी है, ऐसे में केंद्र सरकार क्यों एक और कमीशन बना रही है, यह राज्य के मामले में दखल है।

लेकिन इसी बीच इस मामले का रहस्योद्घाटन करने वाली वेबसाइट ने कुछ और टेप जारी किए हैं, जिनसे पता चलता है कि उस महिला की जासूसी गुजरात में ही नहीं, बल्कि राज्य के बाहर भी की गई थी। यह भी पता चलता है कि गुजरात सरकार के गृह विभाग के अफसरों ने कर्नाटक की तत्कालीन येदियुरप्पा सरकार से बेंगलुरु में उस महिला पर नजर रखने और उसके फोन टैप करने के लिए सहयोग भी मांगा था। अब यह मामला एक राज्य तक सीमित नहीं है, इसलिए इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है।

बेशक इस मामले की जांच में केंद्र सरकार की राजनीतिक दिलचस्पी है, क्योंकि इसमें भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी फंस रहे हैं। लेकिन इसके राजनीतिक पक्ष को छोड़ दें, तो भी हम पाते हैं कि जो आरोप लगे हैं, वे अत्यंत गंभीर हैं कि एक राज्य के गृह मंत्री और समूचा पुलिस अमला अनधिकृत रूप से एक महिला की जासूसी कर रहा था, उस पर लगातार नजर बनाए हुए था और उसके फोन से होने वाली सारी बातचीत सुन रहा था, जिसमें उसकी अपने भावी पति से होने वाली बातचीत भी शामिल है।

किसी के निजी जीवन में सरकारी साधनों के जरिये ऐसी ताक-झांक अत्यंत गंभीर मसला है। अगर यह करवाने वाला व्यक्ति किसी बड़े सांविधानिक पद पर बैठा हो, तब तो ये आरोप ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। लेकिन भारत में फिलहाल जैसा माहौल है, उसमें निष्पक्षता की बात करने की कोई जगह ही नहीं है। अगर मोदी के खिलाफ आरोप साबित भी हो गए, तो उनके पक्षधर उन्हें दोषी नहीं मानेंगे या इस मामले की गंभीरता को समझने से इनकार कर देंगे।

सन 2014 के आम चुनावों के मद्देनजर माहौल इतना राजनीतिक हो गया है कि कोई भी दूसरे पक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है। यह सही है कि भारतीय गणतंत्र की संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार और अडंगेबाजी के बावजूद अक्सर न्याय का पलड़ा भारी रहता है।

पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर बन्दी बनाये गये भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर कुलभूषण जाधव के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में आज चली कार्यवाही से स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान के पास कुलभूषण को जासूस बताने की कोई वजह नहीं है और वह मनमाने तरीके से एक भारतीय नागरिक को इस रूप में दिखाकर फांसी पर लटकाना चाहता है।

हेग (नीदरलैंड) स्थित दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में भारत की तरफ से पैरवी करते हुए प्रख्यात वकील हरीश साल्वे ने आज अपनी दलीलों से दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए साफ कर दिया कि किस तरह पाकिस्तान ने कुलभूषण को ईरान से अगवा करके उससे जोर जबर्दस्ती इकबालिया बयान लिया और फिर उस पर अपनी फौजी अदालत में मुकदमा चलाकर फांसी की सजा भी सुना दी।

भारत ने पूरी तरह तथ्यों और न्यायालय के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए दुनिया के सामने वह सच लाने का प्रयास किया है जिसके तहत कुलभूषण के मामले को देखा जाना चाहिए। पहला सच यह है कि पाकिस्तान ने उस विना समझौते को तोड़कर कुलभूषण को अपनी कैद में रखते हुए इल्जाम लगाया कि वह भारत की तरफ से जासूसी करने पाकिस्तान आया था।

इस समझौते के तहत पाकिस्तान को कुलभूषण की गिरफ्तारी करते ही भारत को सूचना देनी चाहिए थी और उसके लिए कानूनी मदद की राह बनानी चाहिए थी। श्री साल्वे ने न्यायालय में यह दलील रखी कि आरोप जितना ज्यादा संगीन होता है उस मामले की न्यायिक जांच उतनी ही ज्यादा बड़ी होती है।

जाहिर तौर पर उनका आशय यही था कि न्यायिक प्रक्रिया ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी होनी चाहिए थी जो कि पाकिस्तान ने नहीं किया। श्री साल्वे ने यह भी सिद्ध किया कि कुलभूषण के मामले में दखल देने का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को पूरा अधिकार है क्योंकि यह किसी एक देश के नागरिक के मानवीय अधिकारों का प्रश्न है जो उसे राष्ट्रसंघ के सदस्य किसी भी देश में मिले हुए हैं।

पाकिस्तान राष्ट्रसंघ का भी सदस्य है और विना समझौते का भी अतरु उसे इनकी शर्तों का पालन करना होगा मगर पाकिस्तान दुनिया की इस अदालत में भी अपनी हठधर्मिता दिखाना चाहता था और कुलभूषण के बयान की पांच मिनट की अवधि की वह वीडियो रिकार्डिंग दिखाना चाहता था जो उसने अपने मनमुताबिक कांट-छांट करके बनाई है।

खुशी की बात है कि न्यायालय ने उसे इसकी इजाजत नहीं दी मगर पाकिस्तान हारी हुई बाजी को जीतने के लिए 1999 के उस वाक्ये का हवाला देने से बाज नहीं आया जिसमें भारत ने कहा था कि कच्छ के रण में पाकिस्तानी सैनिक विमान के अनाधिकार प्रवेश करने पर उसे मार गिराने का मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। पाकिस्तान भूल गया कि वह सैनिक सीमा पर विमानन क्षेत्र का विवाद था और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय दो देशों के बीच सीमा विवाद तय करने के लिए नहीं बना है बल्कि राष्ट्र संघ के अनुदेश में मानवीय अधिकारों के संरक्षण के लिए बना है। पाकिस्तान का कहना कि कुलभूषण के पास दो पासपोर्ट पाये गये, मनघड़न्त कहानी से ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि कुलभूषण जाधव ने भारतीय पासपोर्ट पर ही ईरान की यात्रा की और वहां के एक नागरिक के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया।

दूसरी तरफ श्री साल्वे ने यह सिद्ध कर दिया कि कुलभूषण को आतंकी बताने वाले पाकिस्तान ने उसके लिए न्याय के सभी रास्ते बन्द कर दिये और उसे फौज व वहां के राष्ट्रपति के रहमोकरम पर छोड़ दिया। न तो उसके परिवार को उससे मिलने की इजाजत दी गई और न ही भारत की सरकार को उसके लिए कोई कानूनी मदद देने का रास्ता छोड़ा जबकि अन्तर्राष्ट्रीय कानून में यह उसका मूल अधिकार है।

क्या किसी को भी मुजरिम बताकर पाकिस्तान को यह हक दिया जा सकता है कि वह गुप-चुप तरीके से उस पर संगीन आरोप लगाये और बाकी दुनिया को बेखबर रखते हुए उन आरोपों का फैसला एक फौजी अदालत में सुना दे? जिस पाकिस्तान की फौज पर दहशतगर्द तैयार करने के आरोप हैं

केन्द्र सरकार पशु संरक्षण के सन्दर्भ में जारी अपनी दो सप्ताह पुरानी अधिसूचना पर पुनर्विचार करने का मन बना रही है। यह स्वयं में आश्चर्यजनक है कि अधिसूचना जारी करने से पहले ही सभी पहलुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया। बेहतर होता कि पशु व्यापार व इन पर होने वाली क्रूरता के सभी आयामों को व्यापारिक दायरे में रखकर सोचा जाता और उसी के अनुरूप नई अधिसूचना जारी की जाती।

नये आदेश का सबसे बड़ा असर गैर संगठित ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं के कारोबार पर पड़ने की संभावना है जिसका प्रभाव दुग्ध या डेयरी उद्योग पर पड़ना स्वाभाविक है। नई अधिसूचना में यह प्रावधान किया गया है कि गौवंश के पशुओं से लेकर भैंस व ऊंट को भी वध या कत्ल के लिए नहीं बेचा जा सकता है। म

वेशियों के बाजार में इस उद्देश्य के लिए भी इनमें से किसी पशु का कारोबार नहीं किया जा सकता है। इससे सबसे बड़ी उलझन यह पैदा हो गई थी कि दुधारू पशुओं के दूध देने में असमर्थ हो जाने के बाद गांव के किसान या डेयरी उद्योग में लगे लोग उनका क्या करें? क्योंकि ऐसे पशुओं खासकर भैंस को बेचने के लिए उन्हें कठिन सरकारी औपचारिकताओं से गुजरना होगा।

गाय के मामले में यह व्यवस्था उन राज्यों में लागू नहीं होती जहां गौवध पर पूरी तरह प्रतिबन्ध है। दुधारू पशुओं का कारोबार भारत में असंगठित क्षेत्र में ही प्रायः होता है और इनके माध्यम से दूध का कारोबार भी होता है। दूसरी तरफ जब दूध देने से लाचार और बूढ़ी हुई भैंसों का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी किसानों पर डाल दी जायेगी तो उनके दूध के कारोबार पर इसका उल्टा असर पड़ेगा और ये लोग डेयरी उत्पादन के धंधे से हाथ झाड़ने के लिए मजबूर हो जायेंगे। इसके साथ ही मांसाहार के कारोबार में लगे हुए लोगों पर असर भी पड़ेगा।

भारत मांस का निर्यात करने वाले देशों में भी प्रमुख है। सबसे ऊपर नई अधिसूचना से पूरे देश में यह भ्रम फैल गया कि सरकार पिछले दरवाजे से लोगों की खानपान की पसन्द में परिवर्तन करना चाहती है जबकि वास्तव में ऐसा कोई उद्देश्य सरकार का नहीं लगता है।

इसका लक्ष्य चिन्हित पशुओं के कारोबार को नियमित करने का जरूर रहा है मगर इसमें संवैधानिक उलझनें पैदा हो गईं क्योंकि पशुपालन व कृषि मूल रूप से राज्यों का विषय है और केन्द्र को इस बाबत कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है मगर पशुओं पर क्रूरता रोकने का विषय समवर्ती सूची में आता है और केन्द्र इस बारे में कानून बना सकता है।

नई अधिसूचना केन्द्र ने अपने इसी अधिकार के तहत जारी की। इसमें बीफ पर प्रतिबन्ध लगाने का कहीं कोई जिक्र सीधे नहीं है मगर कत्ल या वध के लिए पशुओं के खरीदने-बेचने पर प्रतिबन्ध है। गांवों में लगने वाले पशु बाजारों में मांस बिक्री पर भी प्रतिबन्ध है। यह सीधे तौर पर पशुओं पर क्रूरता करने के दायरे में आता है।

अतः पशु बाजारों का नियमन करने से किसको इंकार हो सकता है लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि ऐसे नियमन से डेयरी उद्योग पर विपरीत असर न पड़े और सरकारी झंझटों से मुक्ति पाने के लिए गांवों में किसान दुग्ध उत्पादन का व्यवसाय छोड़ने की तरफ न बढ़ जायें। साथ ही भारतीय बाजारों में मांस उत्पादन व इसकी सप्लाई में मांग के अनुरूप कमी न हो जाए। नई अधिसूचना में इस शर्त से भी किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए कि धार्मिक कृत्यों के लिए चिन्हित पशुओं को वध के लिए नहीं बेचा जाए।

भारत के सन्दर्भ में गाय पूज्य पशु है और इसका सर्वत्र संरक्षण किया जाना चाहिए तथा इसके दूध देने की उम्र गुजर जाने के बाद इसके वंश के सभी सदस्यों की सुरक्षा गौशालाओं में की जानी चाहिए, जिन राज्यों को इस पर आपत्ति हो वे अपना अलग कानून बनाकर उस पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति ले सकते हैं या अपने राज्य की परिस्थितियों के अनुसार पशुपालन कानून बना सकते हैं मगर पशुओं पर क्रूरता करना कानून के खिलाफ है।

यह भी सच है कि भारत से पशुओं की अवैध तस्करी पड़ोसी देशों को होती है। इस कारोबार पर कानून का डंडा चलना जरूरी है मगर भारत में ही पशु अंगों से होने वाले औद्योगिक उत्पादन का भी ध्यान रखना होगा। गांवों में दुग्ध उत्पादक किसानों की पूंजी ऐसी भैंसों में लगी होती है

पश्चिम बंगाल की धरती को यदि हिन्दू-मुसलमान के नाम पर देखने की गलती की जाती है तो इससे बड़ी भूल कोई दूसरी नहीं हो सकती। साम्प्रदायिक हिंसा के लिए इस भूमि पर कोई स्थान नहीं रहा है। बेशक 1947 में पूर्वी बंगाल को भारत के बंटवारे के समय पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया था मगर इसके 25 वर्ष बाद ही यह हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो गया और बंगलादेश कहलाया।

इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस राज्य को इसकी बांग्ला भाषा इतनी कसकर बांधे हुए हैं कि मजहब की विभिन्नता उसमें समा जाती है। यह महान बांग्ला भाषा ही है जो इस राज्य के हिन्दू-मुसलमान नागरिकों को हमेशा से गले लगाकर रखती है। अतरु राज्य की मुख्यमन्त्री सुश्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा और मोहर्रम के आगे-पीछे पड़ जाने पर जो बीच का रास्ता निकाला उसका आखें मूंद कर केवल इसलिए विरोध नहीं किया जाना चाहिए कि उन्होंने दशहरे से अगले दिन मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबन्ध लगा कर मोहर्रम के ताजिये निकालने की अनुमति दे दी।

भारत ऐसा विलक्षण देश है जिसमें मोहर्रम पर हुसैनी ब्राह्मण भी अपने अलग से ताजिये निकालते हैं। ये सभी हिन्दू धर्म को मानने वाले हैं मगर इनका इतिहास है कि इनके पूर्वज राहिल कुमार दत्ता ने 1400 साल पहले मुकद्दस कर्बला के युद्ध में हजरत इमाम हुसैन के साथ लड़ाई लड़ी थी। इसी वजह से ये खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं।

भारत की इस अप्रतिम विविधता का जश्न मनाये जाने की जरूरत है न कि इस पर विवाद खड़ा करने की, इसी प्रकार हरियाणा के मेव इलाके में मुसलमानों के एक वर्ग में विवाह की रस्म हिन्दू-रीति के अनुसार जन्मपत्री मिलवा कर की जाती है। पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जिसमें साम्प्रदायिक सौहार्द की ये रवायतें चली आ रही हैं।

हमें तो इन रस्मों पर गर्व होना चाहिए और पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि हमारी धर्म निरपेक्षता कोरी कागजी नहीं है बल्कि जमीन पर उतर कर अपनी पहचान साबित करती है। ममता के फैसले को मुस्लिम तुष्टीकरण की नजर से देखना गलत होगा क्योंकि इसमें मुसलमानों को कहीं कोई रियायत नहीं दी गई है बल्कि केवल इतना किया गया है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों ही अपने त्यौहारों को सम्मानपूर्वक मना सकें।

दुर्गा पूजा होने पर विजय दशमी के दिन से दुर्गा मां की मूर्तियों का विसर्जन शुरू हो जाता है और इसके बाद दो-तीन दिन तक चलता रहता है। दुर्गा पूजा में कहीं कोई व्यवधान नहीं है। नवदुर्गा के सभी 9 दिन तक यह त्यौहार बंगाली नागरिक पूरे हर्षोल्लास के साथ मनायेंगे। इसके दो दिन बाद मोहर्रम आने पर मुसलमानों का भी अधिकार है कि वे अपना त्यौहार अपने रीति-रिवाजों के अनुसार मनायें।

राज्य की साम्प्रदायिक स्थिति को देखते हुए अगर सरकार ने यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया है तो इसमें किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए। यह तथ्य है कि ममता दीदी इस्लामी शिक्षा में एमए पास भी हैं और वह इस धर्म की दीनी रवायतों से अच्छी तरह वाकिफ भी हैं। वह एक बंगाली ब्राह्मण भी हैं और इस धर्म की शिक्षा से भी भली-भांति परिचित हैं।

इसके साथ वह राज्य की मुख्यमन्त्री भी हैं अतरु किसी भी प्रकार की आशंका से निपटने के लिए यथोचित कदम उठाना उनका राजधर्म बनता है क्योंकि कट्टरपंथी दोनों ही समुदायों में हैं। इन कट्टरपंथियों के लिए मूर्ति विसर्जन और ताजियों के निकलने के मार्ग आपस में मिल जाने पर साम्प्रदायिक उन्माद पैदा करना आसान हो सकता था अतरु उसे टालने के लिए शासन यदि सावधानीपूर्वक ऐसे कदम उठाता है जिसमें किसी भी वर्ग के आम लोगों को एतराज न हो तो उसका विरोध क्यों और किसलिए किया जाना चाहिए? क्या ममता दीदी को भी हरियाणा की तरह इसके धू-धूकर जलने तक इन्तजार करना चाहिए।

यह हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि ममता बनर्जी आम जनता के बीच से उठकर जन नेता बनी हैं और वह जानती हैं कि जमीन पर राजनीति किस तरह की जाती है और किस तरह राजनैतिक दल अपनी राजनीति चमकाते हैं। इस राज्य को वामपंथियों के मुंह से छीनना कोई आसान काम नहीं था क्योंकि यहां कि जनता मूल रूप से क्रान्तिकारी आधुनिक विचारों की है जिसकी झलक दुर्गा पूजा के त्यौहार तक में देखी जाती है।

भारत के लोकतन्त्र की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इसके स्वतन्त्र होने के बाद से ही इसमें वैचारिक स्तर पर लगातार युद्ध होता रहा है। यहां तक कि जब 1952 में पहला चुनाव हुआ था तो सौ से भी अधिक राजनीतिक दल अस्तित्व में आ गए थे। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी से भी अलग होकर कई राजनीतिक दलों का गठन हो गया था जिनमें डा. राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेन्द्र देव की समाजवादी पार्टी प्रमुख थी।

भारत के इस वैचारिक युद्ध में पं. जवाहर लाल नेहरू जैसा विशाल व्यक्तित्व केन्द्र में था मगर नेहरू का प्रण था कि हर हालत में लोकतन्त्र की विजय होनी चाहिए और स्वतन्त्र भारत के आम लोगों को मिले एक वोट की कीमत का पता लगाना चाहिए। अतः उन्होंने वैचारिक युद्ध को भारतीय संसदीय व्यवस्था की जड़ों में रचा-बसा दिया और अपनी आलोचना करने वालों को भी पूरा सम्मान दिया।

अतः इसी परंपरा को निभाते हुए भारत में बहुदलीय प्रणाली की सफलता सुनिश्चित हुई और 1967 के बाद से विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों की विभिन्न राज्यों में बनने की शुरुआत भी हुई लेकिन इसके बाद भारी राजनीतिक उथल-पुथल का दौर भी शुरू हुआ जिसमें राजनीतिक विचारों का युद्ध लगातार क्षीण होता गया और उसकी जगह क्षेत्रवाद से लेकर साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण व जातिगत ध्रुवीकरण लेते चले गए। इससे भारतीय लोकतन्त्र एक नए कबायली स्वरूप में भी उभरा। लोकतंत्र के इस स्वरूप में आम आदमी के सरोकार लगातार हाशिये पर जाते गए और उनकी जगह राजनीतिज्ञों व समाज के सम्पन्न वर्ग के लोगों ने ले ली। निश्चित रूप से इसमें खुली या बाजार मूलक अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

इस व्यवस्था ने भारत के राजनीतिक दलों के चरित्र को भी बदलने में अहम रोल अदा किया। इस नए बदलाव ने राजनीति को इस तरह प्रभावित किया कि यह व्यापार का पर्याय बन गई। अतः इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी पार्टी सत्ता में है और उसने चुनावों में आम जनता से क्या वादे किए हैं क्योंकि सत्ता की डोर अन्ततः आर्थिक सम्पन्नता के उन स्रोतों से जुड़ चुकी है जो राजनीतिक दलों का वित्तीय पोषण करके बदले में अपने लिए अनुकूल वातावरण चाहते हैं।

इसमें अब विदेशी कम्पनियां ही नहीं बल्कि कुछ विदेशी सरकारें तक शामिल हो चुकी हैं। भारत में जो राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बवाल मचता रहता है वह सिर्फ लोगों की पहचान अमीर-गरीब से हटा कर दूसरे संकीर्ण दायरों में बांधने का सरल उपाय है क्योंकि इस प्रकार की राजनीति में आम जनता के असली मुद्दों को कुएं में फेंक कर विशिष्ट वर्ग के हितों को साधा जा सकता है परन्तु ऐसे राजनीतिक स्वरूप का दोष किसी एक पार्टी पर नहीं मढ़ा जा सकता है, इसके लिए कांग्रेस व भाजपा दोनों ही दोषी हैं।

भाजपा का आर्थिक दर्शन इसके जनसंघ के जन्मकाल से ही बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का रहा है जबकि कांग्रेस ने बीच रास्ते में इसे बदहवासी में 1991 में पकड़ा। यह भारत को इंडिया मानने का सपना था जबकि कांग्रेस पार्टी का मूल दर्शन भारत के सपने पर ही टिका हुआ है।

यही आज का सबसे बड़ा वह राजनीतिक द्वंद्व है जिस पर कांग्रेस का पुनरुत्थान निर्भर करता है। बेशक अब कोई भी सरकार बाजार मूलक अर्थव्यवस्था से पीछे नहीं हट सकती है मगर ऐसा रास्ता जरूर निकाल सकती है जिससे भारत का गरीब आदमी उसके केन्द्र में रहे और विकास के सभी उपकरण व अवयव उसके उत्थान मूलक बन सकें।

इसका सम्बन्ध सीधे तौर पर रोजगार से जुड़ा हुआ है मगर त्रासदी यह रही कि खुली अर्थव्यवस्था के नाम पर सार्वजनिक कम्पनियों की के दाम बिक्री को सरकारों ने लक्ष्य बनाकर विकास का वह पैमाना खड़ा किया जिसमें राजनीतिज्ञों व पूंजीपतियों के वे हित सध सकें जिनसे राजनीतिक सत्ता पर उनका वर्चस्व कायम रहे। अटल बिहारी सरकार में तो पूरा एक विनिवेश मन्त्रालय ही गठित कर दिया गया था।

इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी भारत अल्यूमीनियम को उसके बिजलीघर की कीमत पर ही एक निजी उद्योगपति को नीलाम कर दिया गया था। बाद में मनमोहन सरकार के दौरान कोयला खदानों व 2-जी स्पैक्ट्रम नीलामी की कहानी भी हमें याद है। अतः कांग्रेस पार्टी के भीतर जो अब श्री राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है वह इस मामले में महत्वपूर्ण है कि क्या माननीय राहुल गांधी फिर से अपनी पार्टी को जड़ों से जोड़ कर उस मूल दर्शन की तरफ लौटने की योग्यता रखते हैं जिसमें भारत का आम आदमी केन्द्र में हो?